राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: **3** सोलहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का चालीसवां दिवस संख्या: **19**

मंगलवार,
11 मार्च 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: राम राम सा, राम राम जी। विराजिये। श्री भैरा राम चौधरी।

पुलिसकर्मियों के मैस भत्ते में वृद्धि

374. श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार पुलिस कांस्टेबल के मैस एवं वर्दी भत्ते में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अन्य राज्यों की तर्ज पर पुलिसकर्मियों को भी हार्ड ड्यूटी अलाउंस के अतिरिक्त पांच हजार रुपये मासिक रिस्क अलाउंस देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, गृह (श्री जवाहरसिंह बेढ़म): (1) जी नहीं। वर्तमान में पुलिस कांस्टेबल के मैस एवं वर्दी भत्ते में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी नहीं। पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) राजस्थान पुलिस के समस्त पुलिसकर्मियों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस के अतिरिक्त पांच हजार रुपये मासिक रिस्क (जोखिम) भत्ता दिये जाने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, परन्तु जोखिम ड्यूटी के आधार पर राजस्थान पुलिस की विभिन्न शाखाओं को जैसे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/एटीएस (Anti Terrorist Squad)/राज्य विशेष शाखा (State Special Branch) को जोखिम (Risk) भत्ते के रूप में सातवें वेतन के अनुसार मूल वेतन का 12

कार्यवाही वृत्तान्त में प्रयुक्त संकेताक्षर

+++: शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

000: अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

प्रतिशत, एसएसडब्ल्यू (Special Security Wing) को 15 प्रतिशत तथा एसओजी (Special Operations Group) को छठवें वेतन के अनुसार मूल वेतन का 10 प्रतिशत देय है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): माननीय अध्यक्ष जी, जवाब तो आ गया है।

श्री अध्यक्ष: चलिये, पूरक प्रश्न पूछो।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): एक तो मेरा यह है कि वर्तमान में पुलिस कांस्टेबल के मैस और वर्दी भत्ते में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित नहीं है, लेकिन महंगाई के दौर को देखते हुए और आंतरिक सुरक्षा में पुलिस जिस प्रकार से दिन-रात मेहनत करती है, क्या भविष्य में मैस और वर्दी का भत्ता बढ़ाने का सरकार विचार रखती है या नहीं?

दूसरा, इसी पूरक प्रश्न में मेरा है कि क्या सरकार पुलिस कर्मियों की सुरक्षा एवं सुविधाओं को प्रदान करने की दृष्टि से पुलिस एस्कॉर्ट सहित पुलिस बेड़े में अत्याधुनिक सुविधा से युक्त नये वाहनों को सम्मिलित कर प्रयोग करने के बारे में विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के मूल प्रश्न का उत्तर उनको मिला। लेकिन उन्होंने 2 बातें कही हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य और सदन को अवगत कराना चाहूंगा, उन्होंने कहा है कि महंगाई के दौर में हम कुछ बढ़ाने का विचार रखते हैं क्या? मेरा मानना यह है कि सरकार समय-समय पर पुलिस कर्मियों ही नहीं जितने भी कर्मचारी हैं, उनका भी और पुलिस कर्मियों का भी विशेष ध्यान रखकर बढ़ाती रही है, उसका उल्लेख मैंने माननीय सदस्य जी को आपके माध्यम से भिजवाया है।

दूसरा, उन्होंने नये वाहन और दूसरी चीजें उपलब्ध कराने के लिए प्रश्न पूछा है तो निश्चित रूप से पहले भी वाहन खरीदकर थानों को और पुलिस कर्मियों को भिजवाने का काम किया है। एक वन वन टू अलग से जो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वाहन है, उसको भी हमने थानों पर पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों को देने का काम किया है।

मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आंतरिक सुरक्षा के लिए जिन भी व्यवस्थाओं की आवश्यकता महसूस होगी, सरकार समुचित समय पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर राजस्थान की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास करती रहेगी, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। उत्तर तो आ गया आपका, फिर भी बता दें।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): गाड़ियों के बारे में तो मैंने इसलिए कहा है कि कई बार, दूसरा पूरक प्रश्न है, पुलिस विभाग में इंटरनेट के जरिये लगातार ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं, आपके वाट्सअप, इंस्टाग्राम, इंटरनेट, संगीन माध्यम से।

श्री अध्यक्षः प्रश्न में नहीं है।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): पूरक प्रश्न है इसी में है।

श्री अध्यक्षः हां, पूरक में।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): साइबर अपराधों में जो बढ़ोतरी हो रही है, अपराधियों के बारे में बार-बार जगह बदलने से, जैसे उनको तत्काल पकड़ना मुश्किल हो जाता है, क्या साइबर अपराधियों की तत्काल धरपकड़ करने के लिए उनकी सीडीआर, आईपी एड्रेस को ट्रेस करने के लिए सीओ अथवा एसएचओ स्तर को अनुमति देने के लिए सरकार विचार रखती है या नहीं रखती?

दूसरा, जो माननीय मंत्रियों के लिए एस्कार्ट के अन्दर पुलिस थानों में छोटी-छोटी गाडियां होती हैं, कई बार वे गाडियां पलट जाती हैं। क्या एस्कार्ट के लिए भी पुलिस थानों में अच्छी गाडियां देने का सरकार प्रस्ताव रखती है या नहीं रखती?

श्री अध्यक्षः आपका प्रश्न केवल सुविधाओं से संबंधित है। माननीय मंत्री जी, फिर भी देना चाहो तो दे दो।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष जी, साइबर के संबंध में सदन को पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका है, माननीय सदस्य भी उपस्थित थे, लेकिन फिर भी राजस्थान की सरकार ने साइबर अपराध को रोकने के लिए जो प्रयास किये हैं, भारत सरकार के सहयोग से 1930 एक हैल्पलाइन जारी की है, यदि साइबर अपराध होता है तो तुरंत व्यक्ति 1930 पर शिकायत दर्ज करता है। हमारे संबंधित रेंज आईजी लोकेशन ट्रेस करके त्वरित कार्यवाही करने के लिए स्थानीय पुलिस को रवाना करके उन अपराधियों के विरुद्ध ठोक कार्यवाही करते हैं।

श्री अध्यक्षः क्या पूछना है?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पुलिस मैस भत्ते में, आज सदन के नेता भी मौजूद हैं, हर बार जब डिमांड होती है तो जैसे महंगाई बढ़ती है, हर बार इसमें बढ़ोतरी होती है। पिछली बार ऐसा रहा कि गृह की जिस दिन डिमांड थी, उस दिन इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी। बड़ी डिमांड है, अब तो आपके ही एमएलए कर रहे हैं, इस पर विचार करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा, खंड 2 में जो जवाब दिया है कि पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मैं आपको यह अवगत कराना चाहूंगा कि तत्कालीन डीजीपी उमेश मिश्रा जी थे, हमारी सरकार थी, उस समय अजमेर के गेगल पुलिस थाने में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जारी किया था कि पुलिस कर्मियों को सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। उसके बाद डीजीपी के निर्देश थे कि 14 जनवरी से पूरे राजस्थान के अन्दर यह छुट्टी लागू होगी और आप कह रहे हो कि छुट्टी लागू नहीं होगी तो इसका आप जवाब दें माननीय मंत्री जी।

श्री अध्यक्षः पूछ लेते हैं जवाब, माननीय मंत्री जी।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो उत्तर दिया है कि

साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान नहीं है। हम पुलिस कर्मियों को जो अवकाश देते हैं वर्ष में, अन्य सेवाओं के कर्मचारियों को 15 दिवस आकस्मिक अवकाश देने का है और हम पुलिस कर्मियों को वर्ष में 25 दिवस का अवकाश स्वीकृत करते हैं।

जो पूर्व डीजीपी साहब ने गेगल थाने के लिए आदेश दिया था, वह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक थाने के लिए पूरे राजस्थान में एक प्रेक्टिकल करने के लिए दिया था और वह आदेश भी उस थाने विशेष के लिए था। मैं सदन को यह कह सकता हूं कि हम अन्य राज्य कर्मियों के अलावा राजस्थान पुलिस के कर्मियों को ज्यादा प्रति वर्ष अवकाश स्वीकृत करते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संजीव कुमार। हो गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वह एक थाने के लिए दिया था। वह पायलट प्रोजेक्ट था। वह पायलट प्रोजेक्ट कामयाब रहा था। उसके बाद पूरे राजस्थान के उन्होंने निर्देश दिये हैं। मैं आपको निर्देश की कापी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछेंगे ना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यहां कम से कम आप मिथ्या तो नहीं कहें। दूसरी बात, मैं फिर यह कहना चाहूंगा कि साप्ताहिक अवकाश का मतलब यह है कि पुलिस लगातार काम करती है और उसको छुट्टी मिलनी जरूरी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह चर्चा का विषय नहीं है ना, प्रश्न है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): प्रश्न का जवाब ही गलत दे रहे हैं मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने जवाब दे दिया। उनको जो देना था वह दे दिया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ऑन रिकार्ड चीज को गलत बता रहे हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है?

श्री अध्यक्ष: श्री संजीव कुमार।

भादरा उप खण्ड मुख्यालय पर अधिशासी अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

375. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या उपखण्ड मुख्यालय भादरा में अधिशासी अभियंता कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उपखण्ड मुख्यालय पर उक्त कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): जी नहीं। अधिशासी अभियन्ता (खण्ड कार्यालय) खोलना/नव सृजन प्रशासनिक दृष्टि, भौगोलिक स्थिति एवं कार्यभार को देखते हुए किया जाता है। वर्तमान में उपखण्ड मुख्यालय भादरा में सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय (खण्ड कार्यालय) खोलने/सृजित करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में सरकार द्वारा पीडब्ल्युडी का खंड कार्यालय खोले जाने के क्या मानदंड निर्धारित हैं? क्या उपखंड मुख्यालय भादरा अधिशासी अभियंता कार्यालय खोले जाने के निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है? यदि हां तो भादरा में पीडब्ल्युडी का खंड कार्यालय कब तक खोल दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष: विराजो। माननीय मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि अधिशासी अभियन्ता खंड कार्यालय खोलना, नवसृजित प्रशासनिक दृष्टि, भौगोलिक स्थिति एवं कार्यभार को देखते हुए किया जाता है। वित्त विभाग द्वारा पत्र दिनांक 16.05.2007 के अनुसार नवीन खंड कार्यालय खोलने हेतु नवीन कार्य एवं मरम्मत कार्यों के कुल कार्यभार न्यूनतम राशि रुपये 11 करोड़ निर्धारित किया गया था, जिसको प्रति वर्ष 1 करोड़ बढ़ाकर वर्ष 2011-12 में 15 करोड़ तक बढ़ाया जाना निर्धारित किया गया था, परिशिष्ट-1, उक्त पत्र में वर्णित कार्यभार राशि लगभग 15 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी, जिसका पुन: निरीक्षण नहीं होने के कारण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्त सीमा के आधार पर नवीन खंड कार्यालय पहले खोला जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। सरकार इस परिपत्र को रिव्यु करके नवीन मापदंड शीघ्र ही निर्धारित करेगी एवं नवीन मापदंड़ों के आधार पर खंड कार्यालय खोलने का परीक्षण करवाया जायेगा।

spp/rtm/11.03.2025/11.10/1b

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ वृत्त खण्ड आर.ओ.बी. के नाम से एक खण्ड वहां संचालित है जिसमें केवल दो आर.ओ.बी. कार्य स्वीकृत हैं और दोनों का लगभग 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। वहां उस जगह आर.ओ.बी. खण्ड कार्यालय का कोई औचित्य नहीं है और उक्त आर.ओ.बी. खण्ड को भादरा यदि स्थानांतरित कर दिया जाये तो इसमें न तो सरकार को कोई पद सृजन करने पड़ेंगे, न ही कोई अनावश्यक वित्तीय भार सरकार पर आयेगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री संजीव कुमार (भादरा): प्रश्न पूछ रहा हूं साहब। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या भादरा की महत्वपूर्ण मांग और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उक्त आर.ओ.बी. खण्ड को स्थानांतरित कर भादरा में स्थापित करने का सरकार का कोई विचार है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि माननीय सदस्य ने हनुमानगढ़ आर.ओ.बी. खण्ड कार्यालय को भादरा में स्थानांतरित करने का निवेदन किया है। मैं इसका परीक्षण करवा लेती हूं और परीक्षणोपरांत

उचित निर्णय लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर के अमृतकौर चिकित्सालय में रिक्त पद

376. श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में संचालित राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर में विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों को रेफर कर दिया जाता है? यदि हां, तो सरकार राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर में रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में संचालित राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर में राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट अ एवं ब पर संलग्न है।

(2) जी नहीं, चिकित्सालय में किसी भी मरीज को चिकित्सकों की कमी के कारण रेफर नहीं किया जाता है। जिन मरीजों को उच्च चिकित्सा संस्थान पर उपचार की आवश्यकता होती है, केवल उन्ही मरीजों को ही रेफर किया जाता है।

चिकित्सकों के 1700 रिक्त पदों हेतु संशोधित अर्थना रजिस्ट्रार आरयूएचएस, जयपुर को प्रेषित की जा चुकी है एवं कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चयनित चिकित्सक प्राप्त होने पर एवं आदेशों की प्रतीक्षारत चिकित्सकों द्वारा राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के यथासंभव प्रयास किये जा सकेंगे।

अराजपत्रित संवर्ग के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों को प्रक्रियाधीन/भविष्य में की जाने वाली भर्ती से भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा।

पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष रिक्त पदों को पदोन्नति समिति की आगामी बैठक पश्चात् भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर का राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय जिला अस्पताल है और यह बरसों से हैं। पिछली सरकार के टाइम में भी जो मरीज रेफर हो रहे थे, उनके बारे में मैंने निवेदन किया था। अमृतकौर चिकित्सालय में मरीजों को हार्ट-अटैक की मशीनें और उपचार की मशीनें नहीं होने के कारण ही वहां से रेफर किया जाता रहा है। उस टाइम में जो सारी मशीनें आयी हैं, वे सारी केकड़ी चली गयीं। माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा क्या इसमें वापस हार्ट अटैक की मशानों को खरीदने के और वापस जांचों से सम्बन्धित सारी मशीनें लगाने के लिये आप उपलब्ध करायेंगे? यह निवेदन था। दूसरा मेरा क्वेश्चन और है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा तो बाद में पूछ लेना। पहले एक का उत्तर आ जाए। माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अमृतकौर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर सी.टी.स्केन, डायलिसिस, सोनोग्राफी, एक्स-रे, आई.वी.एफ., आई.सी.यू. सी.सी.यू., ट्रोमा सेंटर और एम.सी.एच. विंग होने से वहां पर काफी मशीनें उपलब्ध हैं और जो आपने रेफरिंग की बात कही थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि 2022 के अन्दर साढ़े 6 लाख OPD,IPD हुए थे, उसमें 3,883 केसेज रेफर किये गये। 2023 में 8 लाख OPD,IPD पेशेंट आये थे, उसके अन्दर से 4,506 रेफर किये गये और 2024 में 8.09 लाख पेशेंट आये थे, उसमें से 4,717 रेफर किये थे, जो कि कोई बड़ा फिगर नहीं है। इसमें अजमेर आपके नजदीक पड़ता है, आपका जे.एल.एन.मेडिकल कॉलेज है और बहुत सुपरस्पेशलिटी फैसेलिटीज हैं, वह खाली मेडिकल कॉलेजेज में अवेलेबल है। आपके अजमेर के पेशेंट यहां पर आरयूएचएस में 25 करोड़ की लिनियर एक्सलेटर लगा हुआ है, वह आपके अजमेर में नहीं है तो उनको जयपुर रेफर कर देते हैं। जब कोई रिस्की पेशेंट होता है या गंभीर होता है तो उसको रेफर किया जाता है तो रेफरल रेट बहुत ही कम है।

श्री अध्यक्ष: और कोई, माननीय सदस्य?

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है कि अमृतकौर चिकित्सालय के नवीन भवन की बिल्डिंग ड्राइंग के लिये अप्रूवल में जयपुर आयी हुई है। इसको आप कब तक भिजवायेंगे और अगर ब्यावर में मेडिकल कॉलेज मिले तो इसके लिये अच्छा रहेगा। साथ में, जो डॉक्टर मरीजों के साथ वहां पर न्यूसेंस करते हैं, ऐसे डॉक्टरों के लिये भी हमने लिखा है। थोड़ा उस बात पर भी आप ध्यान दें। मेरी इस बात का जवाब दें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी डॉक्टर कोई भी लापरवाही करता है या पेशेंट के साथ मिसबिहेव करता है या कोई भी करेप्ट प्रेक्टिसेस करता है, माननीय सदस्य महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि आप उनके बारे में आप शिकायत लिखें। आपका अमृतकौर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 1982 में बना था और 2021 में कलेक्टर ने नई बिल्डिंग प्रपोज की, क्योंकि यह एक जर्जर हालत में बिल्डिंग है और अनसेफ है और पेशेंट के लिये सही नहीं है। बजट अनाउंसमेंट 2023-24 में इसके लिये 100 बैड एक्स्ट्रा स्वीकृत हुए। उसके बाद में जमीन 7.32 हैक्टेयर नरबदखेड़ा के अंदर 2024 में हमारी सरकार ने अलॉट करायी। माननीय सदस्य ने इसमें भूमि पूजन भी किया। इसके लिये 25 करोड़ रुपये सैंक्शंड हैं। वर्क आर्डर 3.10.2024 को इश्यू हो चुका है और यह प्रस्तावित कार्य 2026 को कम्पलीट हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कैलाश चन्द्र मीणा।

बांसवाड़ा में न्यायालय परिसर में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण

377. श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा में नवनिर्मित न्यायालय परिसर में अधिवक्ता चैम्बर नहीं है? क्या सरकार अधिवक्ताओं हेतु चैम्बर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के जे. एम. न्यायालय को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री जोगाराम पटेल): (1) जी हां। यह सही है कि बांसवाड़ा में एडवोकेट चैम्बर नहीं है, किन्तु वर्तमान में बांसवाड़ा में अधिवक्तागण हेतु टीन शेड निर्मित है।

बांसवाड़ा में 30 एडवोकेट चैम्बर्स बनवाने हेतु प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त होने पर प्रकरण वित्तीय संसाधन की उपलब्धता हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किया गया, किन्तु वित्तीय संसाधन की उपलब्धता नहीं हो सकने के कारण उक्त 30 एडवोकेट चैम्बर्स का निर्माण नहीं हो सका।

भविष्य में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर बांसवाड़ा में एडवोकेट चैम्बर्स के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है तथा वर्तमान में गढ़ी में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत करने का कोई प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है।

भविष्य में प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन है कि यह जो टीन शैड बना हुआ है, यह छोटा है। भवन निर्माण के लिये क्या वित्तीय स्वीकृति कराने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न सही है। अधिवक्ताओं के बैठने का स्थान जरूरी भी है, लेकिन पूर्व में ऐसा प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 24.09.2021 को प्राप्त होने पर वित्त विभाग की इस टिप्पणी के साथ अधिवक्ताओं के बार रूम (चैम्बर्स) निर्माण कार्य को कोर्ट कॉम्पलैक्स का भाग माने जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। अधिवक्ताओं के बार रूम (चैम्बर्स) के सम्बन्ध में विधि मंत्रालय भारत सरकार के केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत केन्द्रीयांश राशि प्राप्त होने के उपरांत ही राज्यांश राशि दी जा सकेगी। अत: प्रशासनिक विभाग अधिवक्ता

चैम्बर्स के निर्माण के कार्य को भारत सरकार के उक्त केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में शामिल करवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि भारत सरकार से उक्त कार्य के लिये केन्द्रीयांश राशि प्राप्त हो सके। ऐसी स्थिति में तत्कालीन सरकार ने यह नीतिगत निर्णय लिया था। फिर भी मेरा यह मानना है कि आपका प्रस्ताव सही है।

jyg/rtm/11.03.25/11.20/1c

ऐसे ही अनेक स्थानों पर भी अधिवक्ताओं के बैठने का स्थान नहीं है, इस पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्माण का प्रयास करेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमीन कागजी।

किशनपोल में उचित मूल्य की दुकानें

378. श्री अमीन कागजी (किशन पोल): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में माह जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2024 तक उचित मूल्य की कितनी दुकानें, किन कारणों से रिक्त व निलम्बित की गयी? विवरण सदन की भेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में उचित मूल्य की कितनी दुकानें, कहां-कहां पर स्वीकृत की गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में नवीन उचित मूल्य की दुकानें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में माह जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2024 तक निलम्बित की गयी 15 उचित मूल्य की दुकानों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

उक्त विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 उचित मूल्य दुकानें (03-त्यागपत्र, 02-मृत्यु एवं 07-निरस्त) से रिक्त हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में उक्त अवधि में कोई उचित मूल्य दुकान स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) विभागीय निर्देश दिनांक 07.04.2010 एवं 26.12.2019 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित 500 राशन कार्डो अथवा 2000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति के गठन उपरान्त रिक्त उचित मूल्य दुकानों का यथाशीघ्र आवंटन किया जायेगा।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है, लेकिन जवाब के अन्दर कंट्राडिक्ट्री है। एक तरफ जवाब में मंत्री महोदय ने बताया है कि

उचित मूल्य की दुकानें 15 निलम्बित हुईं। उनमें से अभी 12 रिक्त चल रही हैं। ये तो इनके मूल जवाब में है और जो अनेक्चर लगाया है उसमें 12 अभी भी कार्यरत हैं, 9 कार्यरत हैं, 1 निलम्बित हैं, बाकी निरस्त की हुई हैं तो ये कंट्राडिक्ट्री क्यों हैं? आप यह देखकर बतायें।

आपके जवाब में परिशिष्ट-ए में कुछ है और जवाब कुछ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसमें कंट्राडिक्ट्री नहीं है। आपने जो पूछा कि इसमें निलम्बित 12 उचित मूल्य की दुकानें, आपने पूछा कि कितनी की गयीं? उस समय निलम्बित की गयी, निलम्बन के बाद जब जवाब सही आता है और उसमें कोई कमी नहीं पायी जाती है तो उस दुकान को वापस शुरू कर पाता है और जब जांच में ज्यादा उसका दोष पाया जाता है तो उसकी दुकान निरस्त की जाती है तो 15 की संख्या जो आपने पूछा कि कितनी निलम्बित की तो 15 निलम्बित की गयी और उस निलम्बित में बाद में निरस्त भी की गयी और वापस कइयों को शुरू भी की गयी।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): 15 आपने बता तो दी, निरस्त 12 बता रहे हैं, उसमें से आपने वापस चालू की हैं, एक तो वह किस मापदण्ड पर कीं, क्योंकि इनके तो स्टॉक की कमी, भारी अनियमितताएं उसके बावजूद एक तो इनको चालू कर दी, वो भी जवाब सही नहीं दे पा रहे हैं कि हमने किस आधार पर इनको वापस कार्यरत दिखा रहे हो, जब एक तरफ मूल जवाब में आने कहा कि हमने इनको निलम्बित कर दिया, निलम्बित करोगे तो आप बहाल करोगे, बहाल की है तो आप कार्यरत दिखा रहे हो तो कंट्राडिक्ट्री जवाब क्यों दे रहे हैं? आप यह बता दें कि आपने जो वापस बहाल की है, जो कार्यरत हैं, वो डेफिनेटली किसी के साथ अटैच किया होगा, या तो अटैच किया होगा या उनको वापस बहाल किया होगा, यह फिगर बता दो।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य किशनपोल वालों ने पूछा अटैच्ड का तो आपके किशनपोल में 98 उचित मूल्य की दुकानें हैं जिनमें अभी वर्तमान में 27 दुकानें हैं जो अटैच चल रही हैं, 27 दुकानें और ये मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें निलम्बित उचित मूल्य की दुकान जो पहले से एक थी और रिक्त किसी भी कारण से दुकानें 2020 से पूर्व थीं 14 और 2020 से 2024 के बीच में 12, कुल मिलाकर 27 दुकानें 98 में से आपके विधान सभा क्षेत्र में जो कि अटैच्ड हैं दूसरी जगह की गयी हैं।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): ये कब तक रहेंगी?

श्री अध्यक्ष: आप विराजो, उत्तर आने दो।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ये दुकानें जब नई आवंटन सलाहकार समिति, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार राजस्थान में 426 तहसील स्तरीय, ग्रामीण स्तरीय ...(व्यवधान)... सुन लो,

जवाब तो सुन लो।

श्री अध्यक्ष: ये पूछ रहे हैं कि कब तक वो रहेंगी, दो लाइन में बता दो।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं वही बता रहा हूं। अच्छी तरह बता रहा हूं, इनको दुबारा पूछना नहीं पड़ेगा। ...(व्यवधान)... इनको दुबारा नहीं पूछना पड़ेगा। संतुष्ट हो जायेंगे। 426 ग्राम स्तरीय, तहसील समिति है, जिसमें 406 में आवंटन सलाहकार समिति का गठन हो चुका है, 99 नगरपालिका स्तरों पर हो चुका है, कुल 505 आवंटन सलाहकार समिति का गठन हो चुका है जिसमें 1515 सदस्य बाकी हैं। सिर्फ जयपुर ही...।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे पूरे राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जो उत्तर दे रहे हैं वो सुन लो। ...(व्यवधान)... आप केवल किशनपोल का हां या ना में बता दीजिये। ...(व्यवधान)...

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जब मंत्री बोल रहे हैं तो नहीं उठते हैं।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं आपको पूरा उत्तर दे रहा हूं, पूरा संतुष्ट होंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में दे दीजिये। ...(व्यवधान)...

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य के लिए यह पूछ रहे हैं कि कब दुकानों का आवंटन होगा, कब रिक्त स्थान पूरे भरे जायेंगे। 2020 से 2024 तक जब ये भी विधायक 2023 तक रहे इनके समय में आवंटन समिति बनी ही नहीं और हमारे पूरे राजस्थान में हमने समितियां बना दी हैं। ...(व्यवधान)... और सिर्फ जयपुर।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): आप इसको घुमा रहे हैं, मैं सिर्फ जयपुर का पूछ रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): देखो, मैं जवाब दे रहा हूं, यू हैव टू लिसन ...(व्यवधान)... आप जवाब सुनिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो जवाब मंत्री देगा वो सुनेंगे, आपने दो पूरक प्रश्न पूछ लिये। ...(व्यवधान)... संक्षेप में उत्तर दीजिये प्रश्न का।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वो इतना बड़ा बोल रहे हैं तो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप केवल किशनपोल का दे दो। ...(व्यवधान)...

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हमने सारी समितियों का गठन कर दिया है राजस्थान में और सिर्फ जयपुर जिले की बाकी है और जयपुर जिले की भी जल्द

समिति का गठन होकर किशनपोल में जितनी रिक्त दुकानें हैं उनको भरेंगे और माननीय विधायकगण जो देंगे, उनकी भी बात का हम मान रखेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अब हो गया। श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी। ...(व्यवधान)... समिति जहां गठित नहीं है वहां गठित कर देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नई की नहीं पूछ रहे हैं, जो निरस्त कीं, उनका पूछ रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: इतने ही आते हैं। दो पूरक आ गये, दोनों।

प्रश्न संख्या : 379

अगला प्रश्न। श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री संदीप शर्मा।

चम्बल घडियाल अभयारण्य में गन्दे पानी से जलीय जंतुओं पर दुष्प्रभाव

380. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) प्रश्न क्या यह सही है कि कोटा शहर के नजदीक चम्बल नदी का भाग चम्बल घड़ियाल अभयारण्य घोषित है? यदि हो, तो उक्त अभयारण्य की सीमाएं कहां से कहां तक हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि कोटा शहर से निकलने वाले गन्दे पानी के नाले चम्बल नदी में गिरने के कारण अभयारण्य में जलीय जंतुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त गन्दे पानी के नालों को चम्बल नदी में गिरने से रोकने के संबंध में संबंधित विभागों को पत्र लिखे गये हैं? यदि हां, तो पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि बेराज की डाउन स्ट्रीम में कोटा व केशवरायपाटन के गन्दे नालों के पानी को फिल्टर करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 18 करोड़ रुपये की योजना बनी थी, जिस पर वन विभाग द्वारा आपत्ति प्रकट की गयी है? यदि हो, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री संजय शर्मा): (1) जी हाँ राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य का क्षेत्र जवाहर सागर बांध से कोटा बैराज तक चम्बल नदी के किनारे से दोनों और 1 किलोमीटर तक स्थित है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हाँ। चम्बल नदी में गन्दा पानी गिरने पर अभयारण्य में जलीय जन्तुओं पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून से परीक्षण करवाया जा रहा है उक्त परीक्षण की अंतरिम रिपोर्ट में गन्दे पानी से जलीय जन्तुओं पर प्रभाव के बारे में टिप्पणी निम्नानुसार है "Releasing polluted water into Chambal river may have

serious implications for the aquatic ecology of the National Chambal Sanctuary" अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होना अभी अपेक्षित है।

(3) जी हाँ। राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य की सीमा में गिर रहे गन्दे नालों के पानी रोकने हेतु आयुक्त नगर निगम कोटा (दक्षिण) को दिनांक 28.05.2024 को पत्र लिखा गया। प्रेषित पत्र की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) विभाग को इससे संबंधित कोई प्रस्ताव यूजर एजेन्सी के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा शहर चम्बल नदी के किनारे दोनों तरफ बसा हुआ है। माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपने इस घनी आबादी क्षेत्र को घडियाल सैंक्चुरी से मुक्त करने के लिए कोई कार्यवाही की है, या आपने कोई कमेटी गठित की है जो सघन आबादी क्षेत्र को घड़ियाल सैंक्चुरी से मुक्त करने की कार्यवाही कर सकेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपने बिन्दु संख्या 2 में बताया है कि यह आपने माना है कि चम्बल नदी में गन्दे नालों के गिरने से जल प्रदूषित हो रहा है तथा जलीय जीव जंतुओं की जैविकता पर भी गम्भीर दुष्प्रभाव हो रहे हैं तो वन विभाग ने इन गन्दे नालों को रोकने के लिए क्या कोई योजना बनायी है और यदि बनायी है तो उस पर क्या कार्यवाही हुई या नहीं हुई?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी। आपकी तबीयत तो ठीक है?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): हां, अब ठीक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस घड़ियाल परियोजना को लेकर माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि वो प्रक्रियाधीन है, साथ ही साथ एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन का प्रावधान किया गया है। एक्सपर्ट कमेटी के गठन के पश्चात् प्रस्ताव आने पर परीक्षण करवा कर सरकार द्वारा उस पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। साथ ही साथ मैंने प्रश्न के उत्तर में पहले भी बताया है कि डीएफओ, उप वन संरक्षक, मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा द्वारा आयुक्त नगर निगम को पत्र लिखा गया है जिसमें इस चम्बल नदी में शहर से आने वाले गन्दे पानी और सीवरेज को लेकर उचित कार्यवाही करने के लिए आयुक्त, नगर निगम को पत्र लिखा गया है। नगर निगम को मैं भी माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से सदन के माध्यम से निर्देशित करना चाहूंगा कि नगर निगम इस पर ठोस कदम उठाये, आने वाले समय में चम्बल घड़ियाल परियोजना में जो भी पार्ट आता है उसमें सीवरेज का पानी या गंदा पानी नहीं आये उसके लिए उचित कदम उठाये।

श्री अध्यक्षः हो गया?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं और माननीय मंत्रीजी बहुत सकारात्मकता के साथ, एक सोच के साथ वन विभाग

में काम कर रहे हैं, पर माननीय अध्यक्ष महोदय, वन विभाग का इतिहास रहा है कि हर सकारात्मक काम को अटकाने का प्रयास अभी तक रहा है, लम्बित करने का प्रयास रहा है, इसमें 18 करोड़ रुपये 2023 में, ये मेरे पास पड़े हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2023 में, यह 18 करोड़ रुपये का एनटीपी क्लीयर है, 2018 में, यह एनटीपी क्लीयर है जो वन विभाग के अधिकारियों ने जिसे स्वीकार किया है कि यह हमें प्राप्त हो गया, वो मान भी रहे हैं कि गन्दे नाले का पानी जो जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा रहा है, प्रदूषण कर रहा है चम्बल नदी में उसके बाद भी उस काम को अभी तक अनापत्ति प्रमाण पत्र वन विभाग के द्वारा 2023 से अभी तक नहीं दिया गया है। मैं माननीय वन मंत्रीजी से यही कहना चाहूंगा कि सदैव इसी प्रकार हमारा चम्बल में जो पर्यटन विभाग से हमें सारी स्वीकृति हमें माननीय पर्यटन मंत्री हमारी, माननीय दिया कुमारी ने दिलवा दी।

MLS/RTM/11.03.2025/11:30/1d

पर वह क्रूज संचालन भी आपने रोक रखा है। आईफा में अभी परमिशन मांगी गयी शूटिंग करने के लिए, उसको लम्बित कर दिया गया। हमारे गरडिया महादेव जैसा मन्दिर, जिसके दर्शनों के लिए लोग जाते हैं, वहां भी रोक लगा रखी है 200 रुपये, मंत्री महोदय, इस विषय पर क्या आप कोई कार्यवाही करने का विचार रखते हैं कि वन विभाग सरलीकरण से जो लोकहित के काम हैं, उनमें कोई अपना सकारात्मक रुख रखेंगे?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस गन्दे पानी को दूर करने के लिए जिस बजट के बारे में आपने यहां इस सदन को अवगत कराया, उसको लेकर मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि यूजर एजेंसी परिवेश पोर्टल पर जाये, उस पर आवेदन करे और आवेदन पत्र के द्वारा जो भी कागज चाहिये, आप उस पर आवेदन करें, निश्चित रूप से वन विभाग आगे बढ़कर उस पर एनओसी देगा। जिस गरडिया महादेव का आपने जिक्र किया, जो मुकुन्दरा रिजर्व के अन्दर आता है, जब मैं कोटा गया था तो आपने उसके बारे में अवगत कराया था, मैंने महाशिवरात्रि पर उसको सभी श्रद्धालुओं के लिए खोलने के लिए वन विभाग को कहा था, वह काम में आ रहा है।

आने वाले समय में, यह समस्या कोई गरडिया महादेव से सम्बन्धित नहीं है, पूरे राजस्थान में जो धार्मिक स्थल हैं, जो विन विभाग में आते हैं, उनको भी हमारे श्रद्धालुगण और हम सब लोग भी चाहते हैं कि वे खुलें, लेकिन वन विभाग की भी एक सीमा है, उसका एक नियम-कायदा-कानून है, जो भारत सरकार से रिलेटेड है। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं हो।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय...।

श्री अध्यक्ष: दो हो गये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): मैं बस एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप खुद सभापति हैं। ...(व्यवधान)... अमीन कागजी, बैठे-बैठे नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि माननीय मंत्री जी की तबीयत कैसी है? आपकी तबीयत अच्छी है तो ही फिर मैं सप्लीमेंटरी पूछूंगा।

आपने साहब, जो परिशिष्ट-1 लगाया है, मैं चाहूंगा, एक बार मंत्री जी थोड़ा पढ़कर बता दें परिशिष्ट-1 में क्या है।

श्री अध्यक्ष: अब तो आपका प्रश्न ही आ रहा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप यह तो देखो साहब, आदम के जमाने के ऑर्डर लगा दिये।

श्री अध्यक्ष: श्री टीकाराम जूली। आप तो अपना प्रश्न पूछ लो।

श्रमिकों हेतु योजना

381. श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का आयुष्मान भारत, पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम श्रम योगी मानधन आदि योजनाओं के अन्तर्गत 100 प्रतिशत पंजीकरण की घोषणा की गयी थी? यदि हां तो कब?

(2) क्या सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का कोई डेटाबेस तैयार किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा सभी जिलों में श्रमिक विश्राम शाला का निर्माण करने की घोषणा की गयी थी? यदि हां तो क्या उक्त योजना लागू हो चुकी है? यदि नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): (1) जी नहीं।

(2) जी हां। परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जवाब भी आ गया है। मेरा सीधा-सा सप्लीमेंटरी है कि हमारी सरकार ने जो गिग वर्कर कानून बनाया था, सरकार उसके नियम कब तक लागू करने का विचार रखती है?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, पूर्ववर्ती सरकार ने जैसे सिर्फ घोषणा ही की थी, उसी घोषणा में इन्होंने गिग वर्कर्स के लिए कांग्रेस सरकार ने 2023-24 में 200 करोड़ रुपये से एक कोष बनाने की घोषणा की थी, जो सिर्फ चुनावी थी...।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कोष की नहीं, बिल की बात कर रहा हूं, कानून की बात कर रहा हूं।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, ये जो सवाल पूछें, उसका टू द पॉइंट जवाब दें।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जब गिग वर्कर्स का पूछें तो पता तो होना चाहिये इनको, मैं जवाब दे रहा हूं आपको।

श्री अध्यक्ष: नहीं, पहले का नहीं, आप तो जवाब दो इन्हें। माननीय मंत्री जी, लम्बा मत खींचो। प्रश्न का जवाब दो।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): Sir, he wants to put his own words in my mouth, which is not fair. I am giving him answer which is a practical answer. If you don't want to listen, I won't help you.

श्री अध्यक्ष: पहले का इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है, आप तो सीधा...।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): गिग वर्कर्स का ही बता रहा हूं साहब, इनका प्रश्न है। गिग वर्कर्स कानून मंत्री मण्डलीय समिति के पास विचार में हैं, ये नियम माननीय मुख्य मंत्री जी के पास विचार में हैं और मुझे बताते हुए आपको हर्ष है कि वर्तमान सरकार ने बजट में 350 करोड़ रुपये की घोषणा गिग वर्कर्स और संगठित वर्कर्स के लिए की है। यह है भाजपा सरकार।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला वाला ही क्वेश्चन है। हमने 200 की घोषणा की, आपने 350 की कर दी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हम लागू करेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं वही कह रहा हूं, जब हमने गिग वर्कर कानून बना दिया पूरे देश के अन्दर सबसे पहले तो क्या उसकी कोई समय-सीमा है कि कब लागू कर देंगे? उसके बाद दूसरा पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: समय बता दीजिये।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): देखिये, जिस तरह हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने 58 परसेंट जन घोषणा पत्र को लागू किया...।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यह किस तारीख को लागू करोगे, यह बता दो सीधा। आप तो यह बता दो कि आपकी सरकार नियम कब तक बनायेगी?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): फिर तो मेरे को बोलने का उत्तर ही नहीं है, I always give specific answer and not take more than one minute of time. एक मिनट से ज्यादा लेता ही नहीं उसमें और सही बात है, हमारी सरकार का अब नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? यहां सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं। हमारी सरकार ने 58 परसेंट जन घोषणा पत्र को लागू किया, 73 परसेंट बजट घोषणा को लागू किया तो मुख्य मंत्री जी इस गिग वर्कर्स के कानून को भी जल्दी लागू करके असंगठित वर्कर्स के लिए यह योजना लागू करेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, कोई बात नहीं, ताली जो बजा

रहे हो न, आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हो न, घोषणा पत्र में लेबर के लिए 4 घोषणाएं थीं, एक भी लागू नहीं की है आज तक, एक भी।

श्री अध्यक्ष: आप तो प्रश्न पूछो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका जो जवाब आया है न, आपने अच्छा किया घोषणा पत्र का जिक्र कर दिया, खण्ड 1 में भी और खण्ड 3 में भी आपके घोषणा पत्र में घोषणा थी कि हम इनके लिए स्कीम लेकर आएंगे, नहीं लेकर आये। आपने खण्ड 2 में जो जवाब दिया है कि आप ई-पोर्टल पर सबका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इनके लिए कोई स्कीम बना रहे हो क्या? और कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन करने का टार्गेट है, यह भी बता दो।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विद्वान नेता प्रतिपक्ष, जो खुद भी मंत्री रहे हुए हैं, हमने इस संकल्प पत्र में कहा है कि ई-श्रम पोर्टल पर 100 परसेंट पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): संख्या, संख्या?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): संख्या बता रहा हूं मैं आपको। इसमें संख्या टार्गेट था 2 करोड़ 26 लाख 89 हजार 152 और हमने 3 मार्च, 2025 तक 1 करोड़ 45 लाख 75 हजार 855, 64 परसेंट हमने कर दिया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इसका टार्गेट इसकी 1/3 जनसंख्या है साहब। इसका टार्गेट देश की 1/3 जनसंख्या है। यह टार्गेट नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं...।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): राजस्थान के 2 करोड 64 लाख से ज्यादा श्रमिक होंगे क्या 8 करोड़ की आबादी में? आप भी श्रम मंत्री रहे हो, उसमें हमने 1 करोड़ 45 लाख कर दिये और दूसरा आपका प्रश्न कि जो योजना में हमने करा, उसमें हम कर रहे हैं। तीसरा, हमने कहा, कौशल प्रशिक्षण...।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): योजना, योजना, योजना, दूसरा, योजना। इनके लिए क्या योजना है?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जिस तरह आयुष्मान भारत में उनको एंटाइटल करके पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इन सब में और पीएम श्रम योगी मानधन योजना, ऐसी अनेक योजनाएं, जिसके अन्दर...।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): खण्ड 1 में तो आप मना कर रहे हो।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): किसमें?

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो न।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इन योजनाओं का साहब, ये जो लिस्ट बता रहे हैं न, ये किसी भी योजना के अन्दर अधिकृत नहीं हैं। इनके लिए एक भी स्कीम नहीं है आज की तारीख में। एक मात्र स्कीम है तो गिग वर्कर्स में अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ही इनके लिए स्कीम है, बाकी एक पैसे का फायदा नहीं है मजदूरों को।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय...।

श्री अध्यक्ष: हां, वो दे रहे हैं। मंत्री जी खड़े हैं। मंत्री जी सक्षम हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी सक्षम हैं।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, विद्वान सदन के नेता, प्रतिपक्ष ने जब कहा कि इनको गिग वर्कर्स के साथ जोड़ें तो आपकी बात को माननीय मुख्य मंत्री जी ने संज्ञान में ले लिया, तभी तो 350 करोड़ की गिग वर्कर्स और असंगठित लोगों के लिए बजट घोषणा की है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। रोहित बौहरा।

नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना

382. श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत वर्ष प्रदेश में सरकार द्वारा एक हजार आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की घोषणा की गयी थी? यदि हां तो सरकार द्वारा कितने आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार शेष आंगनबाड़ी केन्द्र कब तक खोलने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): (1) जी हां। परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 के बजट भाषण के बिन्दु संख्या 89(1) के अनुसार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5-5 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की घोषणा की गयी थी।

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5-5 अर्थात कुल 1000 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इनमें से 994 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ हो चुका है।

(2) सभी 1000 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इनमें से 994 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ हो चुका है। शेष 6 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ करने की कार्यवाही शीघ्र कर दी जायेगी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): जवाब आ गया। अब मुझे यह बता दें कि आपके क्या मापदण्ड हैं आंगनबाड़ी खोलने के? राजाखेड़ा क्षेत्र में आप कितने आंगनबाड़ी खोलेंगे इन मापदण्डों से और क्या आपने इन मापदण्डों से राजाखेड़ा में जो 5 आंगनबाड़ियां खोली हैं, वे उन्हीं मापदण्डों पर खुली हैं? पहला प्रश्न मेरा यह है।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगी, आंगनबाड़ी केन्द्रों के नवीन भवन का निर्माण, ये जो मापदण्ड की बात कर रहे हैं, इसमें एक हमने जो परिवर्तित बजट था 2024-25 का, उसमें 5-5 आंगनबाड़ी केन्द्र हर विधान सभा क्षेत्र में खोले थे, जिसमें से 994 तो खुल चुके हैं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): यह नहीं पूछा मैंने। I am asking आपके मापदण्ड क्या हैं?

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): जी, नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के नॉर्म्स क्या हैं, यह आपने मुझे पूछा।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी परियोजना के अन्तर्गत 400 से 800 की आबादी पर 1 आंगनबाड़ी केन्द्र, 800 से 1600 की आबादी पर 2 आंगनबाड़ी केन्द्र, 1600 से 2400 की आबादी पर 3 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा इसके उपरान्त 800 के गुणांक में 1 आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। जनजातीय, मरुस्थलीय, पहाड़ी व अन्य दुर्गम क्षेत्रों में 300 से 800 की आबादी पर 1 आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपने राजाखेड़ा में इसी हिसाब से खोल दिये? पूरे खोल दिये क्या राजाखेड़ा में आपने?

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): जी हां।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): पूरे खोल दिये? Are You Sure?

श्री अध्यक्ष: सुनो तो सही, आप पूरक प्रश्न पूछो न।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): वो कह रही हैं, पूरे खोल दिये। मैं तो वही पूछ रहा हूं, Are You sure?

श्री अध्यक्ष: आप अपना पूरक पूछना। आपको अनुमति दूंगा।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): हमारे बजट में जो आपके 5 सैंक्शन हुए थे, वे तो हमने खोल दिये...

MKD/RTM/11.03.2025/11:40/1e

बाकी जो मापदंड वाली बात है, हमने उसके लिए भी भारत सरकार को भेजा है कि हमें अन्य और आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हैं। वह हमने आगे भारत सरकार को भेजा है, प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी उनकी भी स्वीकृति आ जाए।

श्री अध्यक्ष: एक लास्ट पूछो।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपने अपनी बजट घोषणाओं, इसी से बात कर रहा हूं। आपने आंगनबाड़ी की दो बजट घोषणाएं की थीं, आदर्श आंगनबाड़ी खोलने के लिए और नई आंगनबाड़ी खोलने के लिए, उनकी बिल्डिंग्स के लिए। आप यह बताएं कि आपने कितना-कितना पैसा खर्च किया? आदर्श आंगनबाड़ी पर और नई आंगनबाड़ी खोलने पर, लास्ट बजट का और इस बजट का? (..व्यवधान..)

श्री अध्यक्ष: यह अलग है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): हां, इस बजट का, सॉरी। सॉरी, इस बजट का नहीं, लास्ट बजट का आप बता दें, 2024-25 का ठीक है। (..व्यवधान..) 2024-25 का, (..व्यवधान..)

हां बहन, गलती हो गई, उसमें क्या बात है। आप 2024-25 का बता दें।

श्री अध्यक्ष: हमने 2024-25 का ही पूछा है।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है। आपने जो प्रश्न पूछा है, वह आपके मूल प्रश्न से अलग है। मैं आपको जानकारी लेकर (..व्यवधान..)।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मूल प्रश्न से अलग नहीं है, मैम। एक सेकंड, मूल प्रश्न से अलग नहीं है, क्योंकि आपने एक भी पैसा खर्च नहीं करा है। आपने एक भी पैसा दिसम्बर तक खर्च नहीं किया है। आपकी दोनों बजट घोषणाएं थीं, आपने उसमें एक भी पैसा खर्च नहीं किया है।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): वैसे बजट से रिलेटेड प्रश्न है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): बजट से रिलेटेड नो, नो, it is not related to the budget. (..व्यवधान..)

श्री अध्यक्ष: आप बैठो। जब मंत्री जी बोल रहे हैं, तो आप बैठो। जब मंत्री जी बैठ जाएं, तब आप बोलें।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): हमारे जो 365 आंगनबाड़ी हैं, जिनमें से 2000 नवीन आंगनबाड़ी, 365 आदर्श आंगनबाड़ी हैं, जो हमने अभी खोले हैं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैम, मैंने क्या पूछा, वह आप बताओ।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): आपने पूछा कितना बजट?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): एक सैकंड, आप या तो मुझे सुन लें। एक सैकंड सुन लें।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): कितना बजट खर्च हुआ है? माननीय सदस्य जी, या तो मुझे प्रश्न का जवाब देने दीजिये या आप दे दीजिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप मेरी बात आप सुन ले। जो मेरा प्रश्न है, पहले पूरा पूछ लूं, मेरा पूरा प्रश्न सुन लें, फिर उसका जवाब दे दें। मैंने सिर्फ आपसे यह पूछा कि लास्ट बजट में, जो आपका प्रोविजन था, आदर्श आंगनबाड़ी और नई आंगनबाड़ी खोलने का, जो आपका बजट था, उसमें से आपने कितना बजट यूटिलाइज्ड कर लिया? आप सिर्फ यह बता दें।

श्री अध्यक्ष: विराजो, विराजो।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): वित्त विभाग से प्राप्त सहमति की आईडी क्रमांक 162402241 दिनांक 28.11.2024 के क्रम में प्रथम चरण में राज्य सरकार द्वारा 365 आंगनबाड़ी केन्द्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र में विकसित करने हेतु विभाग द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 03.12.2024 को जारी कर दी गई तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। 2000 केन्द्रों का आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन करने के सम्बन्ध में निदेशालय, आईसीडीएस द्वारा पत्र दिनांक 21.01.2025 के माध्यम से 2000 आंगनबाड़ी केन्द्र में आवश्यक सुविधाएं

विकसित करने हेतु समस्त उप-निदेशकों से रिपोर्ट चाही गई है, जिससे उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सुविधाएं विकसित करने हेतु आवश्यक बजट हेतु पत्रावली वित्त विभाग को भिजवाई जा सके।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री चेतन पटेल।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष: हो गया, नो, भिजवाई है। श्रीमान चेतन पटेल। श्रीमान चेतन पटेल कोलाना।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): जवाब नहीं दिया, बजट ही नहीं आया, बस विभाग को भेज दिया।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये (..व्यवधान..) वित्त विभाग को भेज दिया और क्या जवाब आता है। जवाब यही आता है। आपने पूछा कितना पैसा खर्च हुआ, उन्होंने कहा विभाग को भेज दिया। श्री चेतन पटेल। अगला प्रश्न, चेतन पटेल।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): मैंने इनको बहुत विस्तार से बताया कि अभी फाइनेंस में फाइल गई हुई है। आंगनबाड़ी केन्द्र खुल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आपका जवाब हो गया। माननीय मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): देखिये, आप ही के पुराने हमारे ऊपर जो वित्तीय भार आप छोड़कर गये थे, हर विभाग में, वित्तीय भार इतना था (..व्यवधान..)।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप विराजो, आपका हो गया। श्री चेतन पटेल।

सुल्तानपुर (पीपल्दा) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बिजली वायरिंग कार्य

383. श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुल्तानपुर में बिजली की वायरिंग कब की गई थी?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में भारी उपकरणों के लोड के कारण वायरिंग जलने की घटनाएं घटित हुई हैं? यदि हां, तो उक्त के लिये कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार बिजली वायरिंग को ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा से सम्बद्ध सामुदायिक केन्द्र, सुल्तानपुर में भवन निर्माण वर्ष 2010 के समय में बिजली की वायरिंग की गई थी।

(2) राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा से सम्बद्ध सीएचसी सुल्तानपुर में भारी उपकरणों के लोड के कारण वायरिंग जलने की घटना नहीं हुई है, स्पार्किंग की घटनाएं हुई हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई हानि/क्षति नहीं हुई है। चिकित्सालय के निवेदन पर विद्युत विभाग द्वारा विद्युत लोड बढाया गया है। स्पार्किंग की घटनाओं से बचने के लिये वर्ष 2022 एवं 2023 में वायर रिपेयरिंग का कार्य करवाया गया है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य। अब पूरक प्रश्न आने दें।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जवाब में आपने बताया है कि 2010 में वायरिंग हुई थी और 2010 के बाद बहुत सारे उपकरण लग गये, एसी लग गये, ऑक्सीजन प्लांट लग गये। इन्होंने खुद ने बताया कि उन भारी उपकरणों की वजह से स्पार्किंग हुई है।

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आपने बताया है कि लोड बढ़ाने के लिए आपने विभाग को बोला और लोड बढ़ाया गया है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि लोड बढ़ाने के कारण, यह हो सकता है कि जो बड़े उपकरण हैं, बढ़िया अच्छे से चल रहे हों, समय पर चल रहे हों, पर जब लोड बढ़ेगा, वह तो पुरानी वायर पर ही बढ़ेगा, वायर तो पुरानी 2010 की लगाई हुई है। क्या लोड बढ़ाने के बाद कभी स्पार्किंग की घटनाएं नहीं हुईं, स्पार्किंग की घटना हुई हैं तो स्पार्किंग की वजह से बड़ी घटना नहीं हो जाए।

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछें।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): आप इतना-सा बता दें कि आप पूरी की पूरी वायरिंग, नई फिटिंग लगाने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं। छोटी-मोटी वायरिंग रिपेयरिंग, जो 2022-23 के विवरण में दिया है, इससे काम नहीं चलेगा। मैं आपसे निवेदन इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज कोटा का आपने जो बोला है, हमारा सीएचसी इसके अधीन आता है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपने पूछ लिया ना, वायरिंग करेंगे या नहीं करेंगे? वहीं तक सीमित रहो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वे तो वायरिंग करवाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्षः हां, प्रश्न वही है। आपका कोटा विषय नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप प्रश्नकाल में भी एक घंटा भाषण देते जाओ।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं...

श्री अध्यक्षः सुल्तानपुर का ही बताइये।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): साहब, सुल्तानपुर की ही बात कर रहा हूं। उनका यह पूछना है कि जो दो हादसे हुए, पहली चीज ये दो हादसे किसके कार्यकाल में हुए, आपकी सरकार थी, तब हुए। आप विधायक नहीं थे।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): मैं विधायक नहीं था, उस समय।

श्री अध्यक्षः आप क्यों बोल रहे हैं? माननीय सदस्य, मंत्री जी का उत्तर आने दो। माननीय सदस्य, (..व्यवधान..) यह आदत पड़ी है, मंत्री जी का उत्तर सुनो, फिर आप पूरक प्रश्न करना।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब जो है 2023 में (..व्यवधान..)। ये सीधे बोल रहे हैं, सरकार भले ही कांग्रेस की थी, मैं विधायक नहीं था, लेकिन आप दिसम्बर 2023 में विधायक बनें और आप एक साल से ज्यादा समय के बाद यह क्वश्चन रेज कर रहे हैं। अगर आप मेरे पास आते और आप मुझे बोलते कि साहब ये-ये समस्या है, हम उसका समाधान करते।

अध्यक्ष महोदय, ये सवा साल तक सोते रहे। अब आप सुनिये। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सबसे पहले यह ओवर लोडिंग हुआ, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कोविड के टाइम के अन्दर ऑक्सीजन की मशीनें, ऑक्सीजन प्लांट कमीशन किया था, जिसकी वजह से लोड बहुत हैवी पडा था। दो बार वायरिंग जल गई, दो बार रिपेयर भी कर लिया, लेकिन जनहित को देखते हुए मैं आपको आश्वासन देता हूं कि पहले तो हम लोड बढाएंगे, 25 किलोवाट का और तीन महीने के अन्दर वह पूरी वायरिंग बदलकर उसको सुरक्षित कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, हो गया। तीन महीने में बना देंगे। इसमें पूरक है ही नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मंत्री जी से मेरा एक ऐतराज है, पूरक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: तो बस फिर।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हम जो क्वश्चन लगा रहे हैं, वे आपके डिपार्टमेंट की मदद ही कर रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट की पहले जिम्मेदारी है, विधायक की बाद में है। आपने जो घोषणा की, उसके लिए धन्यवाद है, पर यह कहना कि (..व्यवधान..)।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपके विधायक सीएचसी में जाकर देखेते ही नहीं हैं, सवा साल तक इन्होंने नहीं देखा, सवा साल तक कम्प्लेन्ट नहीं की। विधायक की तरफ से हमारे पास कोई भी कम्प्लेन्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। यह बहस का मुद्दा नहीं है। नहीं, आपका उत्तर ही आ गया।

प्रश्न संख्या : 384

महन्त बालकनाथ।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

जब कह दिया, तीन महीने के अन्दर पूरी वायरिंग चैंज कर देंगे, वही आपने पूछा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी।

नन्दीशालाओं हेतु बजट का आवंटन

385. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत समितियों में नंदीशालाएं खोलने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो प्रदेश में विगत तीन वर्षों में कितनी पंचायत समितियों में नंदीशालाएं खोली गईं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला चित्तौडगढ़ में विगत तीन वर्षों में किस-किस पंचायत समिति में नंदीशालाएं

खोली गईं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त नंदीशालाओं के लिए बजट आवंटित किया गया है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) जी हां। प्रदेश में विगत तीन वर्षों में 12 जिलों की 45 पंचायत समितियों में पंचायत समिति स्तरीय नंदीशालाओं की स्थापना की गई है। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला चित्तौडगढ़ में विगत तीन वर्षों में पंचायत समिति डूंगला में श्री महावीर एलवा माॅ गौशाला एवं विकास समिति, डूंगला द्वारा पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला की स्थापना वर्ष 2023-24 में की गई।

(3) जी हां। विगत तीन वर्षों में 12 जिलों की 45 पंचायत समितियों में पंचायत समिति स्तरीय नन्दीशालाओं के लिए राशि रुपये 26.84 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। आवंटित बजट का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मेरा उत्तर आ गया है।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कह दिया है, उत्तर आ गया है। माननीय मंत्री जी, विराजो। उन्होंने कहा है कि सदन में उत्तर आ गया है। आप पूरक पूछो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो उत्तर दिया है, वह तो ठीक है, लेकिन मेरा प्रथम प्रश्न यह है कि जिला चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में नन्दीशाला हेतु कितनी संस्थाओं ने कहां-कहां से आवेदन कर रखे हैं? उक्त आवेदन कब से और किन कारणों से लम्बित हैं? क्या सरकार जिला चित्तौड़गढ़ की संस्थाओं के लम्बित आवेदनों को निस्तारण कर जिले में अतिरिक्त नन्दीशालाएं खोलने का विचार रखती हैं, यदि हां, तो कब तक? और आवेदन करने का मापदंड क्या हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ जिले में पंचायत समिति स्तरीय नन्दीशाला योजना में अन्य पंचायत समितियों में पंचायत समिति स्तरीय नन्दीशालाओं की स्थापना हेतु तीन बार निविदाएं जिला गोपालन समिति द्वारा आमंत्रित की गईं।

Bhs/Rtm/11.03.25/11.50/1f

परन्तु 7 स्वीकृत आवेदनों में से 5 संस्थाओं के पास स्वयं के स्वामित्व की भूमि नहीं होने के कारण आवेदन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला गोपालन समिति द्वारा निरस्त किये गये और माननीय अध्यक्ष महोदय, को यह बताना चाहूंगा कि जिला चित्तौड़गढ़ में पंचायत समिति डूंगला में श्री महावीर एलवा मां गोशाला एवं विकास समिति, डूंगला पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला की स्थापना वर्ष 2023-24 में की गई, परन्तु संस्था द्वारा

नियमानुसार अपने हिस्से का 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के उपरान्त राज्यांश की प्रथम किश्त 40 प्रतिशत राशि 62.78 लाख रुपये का आवंटन वित्त वर्ष 2024-25 में किया गया। साथ ही जिला चित्तौड़गढ़ में पंचायत समिति कपासन में नगर पालिका कपासन के साथ में पंचायत समिति स्तरीय नन्दीशाला की स्थापना के लिये जिला गोपालन समिति द्वारा अनुबन्ध किया जा रहा है और एक गोशाला अभी जैसे संचालित है जिसके लिये 62.78 लाख रुपये दिये। कपासन के साथ में अनुबन्ध किया जा रहा है और दूसरी जो पंचायत समितियां हैं उनके साथ में अनुबन्ध करके किसी न किसी संस्था को तैयार करके वहां भी गोशाला खोलने के लिये हम प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दूसरा कोई पूरक प्रश्न है तो पूछें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं आप कह रहे हैं कि 7 प्रस्ताव थे और उसमें से एक प्रस्ताव ही जिला कलेक्टर महोदय ने माना है जमीन की वजह से, लेकिन जो आपने बताया, श्री महावीर एलवा माँ गौशाला एवं विकास समिति, डूंगला में वहां भी अभी तक बजट आवंटित नहीं हुआ है, नम्बर 1, कपासन का भी बाकी है, नम्बर 2, तीसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी या चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले में और कौन सी जगह है जिनके प्रस्ताव प्रतापगढ़ जिले में भी बाकी है, चित्तौड़गढ़ जिले में भी बाकी हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने एक बात कही कि उनकी खुद की जमीन नहीं है जैसे मैं निम्बाहेड़ा का आपको उदाहरण दूं, नगर पालिका द्वारा गोशाला को संचालित किया जाता है। नगर पालिका की जमीन है, लाखों रुपये लगे हुए भी हैं और नगर पालिका ने किसी संस्था को वह गोशाला चलाने के लिये दे रखा है तो उसमें अपने को बजट देने में कोई आपत्ति नहीं है वह सरकारी ही है। उसके पास में चरनोट की जमीन पड़ी है, चरनोट की जमीन आप दे नहीं पाते तो उसका भी कोई प्रावधान है क्या? दोनों बातों का जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि कोई सरकारी संस्था नगर पालिका या कोई अन्य सरकारी संस्था गोशाला संचालित करना चाहती है तो वह जो यह गोशालाओं का आवेदन होता है जिला गोपालन समिति में वहां आवेदन कर ले और उन सरकारी संस्थाओं के पास में पर्याप्त जमीन भी होती है, नहीं होती है तो सरकारी संस्था को चरागाह आवंटित करने का भी प्रावधान है तो वह आप एक बार आवेदन वहां करवा लो, निश्चित रूप से उसके लिये वहां हम गोशाला खोलने के पूरे प्रयास करेंगे। बाकी जो आपने बताया न, श्री महावीर एलवा माँ गौशाला एवं विकास समिति उनके लिये 62.78 लाख की राशि है उनको जारी हो गयी है और शीघ्र ही उनका काम भी शुरू हो जायेगा और अन्य जितनी भी जो पंचायत समितियां हैं पूरे राजस्थान में पंचायत समिति स्तर की गोशाला खोलने की, नन्दीशाला खोलने की योजना है, जिला स्तर पर खोलने की योजना है, पंचायत स्तर पर भी खोलने की योजना है। इनमें ज्यादा से ज्यादा गोशाला खुले, इसलिये हम सबको

मिल कर प्रयास करने की आवश्यकता है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इसी तरह अनगढ़ बावजी की भी बाकी है आपको ध्यान होगा आपने घोषणा की है।

श्री अध्यक्ष: बस दो हो गये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा खाली इतना निवेदन है कि राजस्थान में इस तरह से हम, वैसे तो मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मंत्री बनने के बाद राजस्थान में काफी जगह अच्छा काम किया है। कांग्रेस ने तो पांच साल में कुछ नहीं किया लेकिन इस तरह से पेंडिंग जो भी हो उसे जल्द करवायें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री विक्रम सिंह जाखल।

प्लास्टिक थैलियों के उपयोग पर कार्यवाही

386. श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर कब से प्रतिबंध है? सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? उक्त में से कितनों पर क्या कार्यवाही की गयी? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यावरण (श्री संजय शर्मा): प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 21.07.2010 द्वारा संपूर्ण राज्य में दिनांक 01.08.2010 से प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.07.2010 को जारी अधिसूचना में बायोडिग्रेडेबल/ कम्पोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबंध से छूट प्रदान करने हेतु दिनांक 31.12.2021 को अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना की प्रतिलिपि परिशिष्ट अ एवं ब पर संलग्न है।

विगत पाँच वर्षों में प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के संबंध में की गयी कार्यवाही का वर्षवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिन पर छूट दी है उनके क्या मानक तय हैं? दूसरा, पिछली कांग्रेस सरकार के अन्दर थैलियों पर पाबंदी लगायी थी पर उन पर प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण आज कहीं भी अपन दुकान या ठेलों पर जाते हैं तो थैली आसानी से मिल जाती है। जहां इनका उत्पादन हो रहा है फैक्ट्रियों में उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। मैं यही कहना चाहूंगा आपसे।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया कि राजस्थान में जो प्रतिबन्धित पॉलिथिन थैलियां हैं उन पर पूर्ण रूप से निर्माण पर भी प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। साथ ही साथ गत पांच वर्षों में पॉलिथिन के विरुद्ध

अभियान में 196 टन से ज्यादा प्लास्टिक जब्त की गयी एवं 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया। 32,200 से ज्यादा प्रकरणों में स्थानीय निकाय की कार्यवाही की गयी है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब जो पॉलिथिन के बैग्स मार्केट में आ रहे हैं विशेष रूप से विभाग द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा पेपर बैग्स व ऐसे पॉलिथिन जो प्रोहिबिटेड नहीं हैं उनको लेकर जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है और जनता को भी अवेयरनेस के लिये तैयार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, कुछ पूछना है?

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः चलिये अगला प्रश्न। श्रीमती कल्पना देवी।

कोटा की भामाशाह मण्डी में सफाई व्यवस्था

387. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा जिले की भामाशाह मण्डी का क्षेत्रफल कितना है? उक्त का विगत पांच वर्षों का टर्न ऑवर का वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा मण्डी टैक्स लिया जाता है? यदि हां, तो कितना व किस उद्देश्य से एवं उक्त टैक्स से प्राप्त राशि को कहां-कहां व्यय किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में भामाशाह मण्डी की सफाई व्यवस्था हेतु कोई ठेका/निविदा जारी की गई है? यदि हां, तो आदेश एवं शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त मण्डी में नियमित सफाई नहीं होने के कारण किसानों एवं व्यापारियों को परेशानी होती है? यदि हां, तो क्या सरकार नियमित सफाई व्यवस्था करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): (1) भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा (अनाज) का कुल क्षेत्रफल 47.947 है० है। मण्डी समिति में विगत पांच वर्षों में विक्रित कृषि जिन्सों के टर्न ओवर का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां, राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 के प्रावधानानुसार अनुसूची में अधिसूचित कृषि उपजों के व्यापार पर मण्डी क्षेत्र में मण्डी शुल्क देय है। नियमित बाजारों के माध्यम से किसानों द्वारा उत्पादित फसल को उचित मूल्य दिलाये जाने के उद्देश्य से वंचित सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मण्डी शुल्क लगाया जाता है। निर्धारित मण्डी शुल्क दरों का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है। मण्डी शुल्क से प्राप्त आय में से व्यय की मदों का विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(3) जी हां। निविदा ठेका की शर्ते एवं कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट-'द' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। मुख्य मण्डी प्रांगण में ठेके पर कार्यरत 27 अकुशल श्रमिकों द्वारा नियमित रूप से सफाई कार्य किया जा रहा है।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है। मैं सीधा पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: पूछिये।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल 2 पर मैंने यह पूछा था मण्डी टैक्स के बारे में कि कितना व किस उद्देश्य से उक्त टैक्स से प्राप्त राशि को कहां-कहां व्यय करते हैं? तो उद्देश्य तो मुझे बता दिया गया है, पर मैं पूछना चाहती हूं कि कितनी राशि प्राप्त हुई और कौन-कौन से कार्य पर व्यय किये गये? यह मेरा पहला पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।पहला पूछ लिया, फिर दूसरा पूछ लेना।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): जी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मण्डी टैक्स की राशि है यह कोटा मण्डी जो भामाशाह मण्डी है इसमें राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ मण्डियों में से एक कोटा मण्डी है और इसमें लगातार टर्न ओवर 4725 करोड़ रुपये का रहता है और जो भी मण्डी से टैक्स की वसूली होती है उसका मण्डी प्रांगण, सम्पर्क सड़कों में और अनेक उद्देश्यों से किया जा सकता है, जिससे किसानों को जिन्स पहुंचाने में लाभ हो सके। इसके लिये समस्त कृषि मण्डी का उपयोग किया जाता है जो राशि उपयोग में आती है टैक्स की।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, और पूछना है दूसरा?

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि जो मण्डी की सफाई व्यवस्था है क्योंकि यह बहुत बड़ी मण्डी है और यहां बहुत सारे किसान आते हैं और लगभग 300 बीघा जमीन है इस मण्डी तो इस सफाई व्यवस्था पर प्रतिमाह कितना पैसा खर्च किया जा रहा है और क्या सफाई श्रमिकों का निर्धारण मण्डी के एरिया के स्टेण्डड्र्स मापदण्ड निर्धारित हैं और किस आधार पर ये श्रमिक लगे हुए हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लाडपुरा से आने वाली माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि इसमें सफाई व्यवस्था हेतु वर्ष 2024-25 में 75 लाख का बजट रखा गया जिसमें जनवरी तक 49 लाख 75 हजार रुपये की राशि खर्च की गयी। सफाई कुशल श्रमिक लगाये गये हैं और जिस तरह से यह भामाशाह मण्डी है और जिस तरह से पूरे क्षेत्र ही नहीं पूरे राजस्थान में कृषि मण्डी में अपनी एक अनोखी छाप छोड़ती है। यदि आपको लगता है कि इसमें कोई कमी है तो और भी सुधार कर देंगे जैसे 2023-24 में इसमें 54 लाख का ही बजट व्यय किया गया था और हमारी सरकार आने पर 75 लाख का बजट मण्डी के द्वारा किया गया। आपको लगता है कि इसमें व्यवस्था में और सुधार करते हैं तो आप जरूर सुझाव दीजिये हम उसमें और भी बजट बढ़ा कर उसमें

और अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती अनिता भदेल।

ब्रह्मा मन्दिर (पुष्कर) हेतु स्वीकृत राशि

388. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पुष्कर (अजमेर) में ब्रह्मा मन्दिर कॉरिडोर व सरोवर परिक्रमा मार्ग के विकास हेतु बजट 2024-25 में घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त कार्य पर कितनी राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्य हेतु डीपीआर तैयार कर ली गई है? यदि हां, तो डीपीआर की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यटन मंत्री (श्रीमती दिया कुमारी): (1) जी हां। परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 के पैरा संख्या 38.02 में पुष्कर - अजमेर में ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर व सरोवर परिक्रमा मार्ग में विकास कार्य करवाये जाने की घोषणा की गई है।

अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रारम्भिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसको पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना अन्तर्गत विभागीय पत्र दिनांक 31.12.2024 (परिशिष्ट - अ) द्वारा स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

उक्त प्रारम्भिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पुष्कर (अजमेर) में ब्रह्मा मन्दिर कोरिडोर व सरोवर परिक्रमा मार्ग के विकास कार्यों को भी सम्मिलित किया गया है, विवरण परिशिष्ट - ब संलग्न है।

उक्त कार्यों पर प्रस्तावित/संभावित व्यय राशि का आंकलन पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा अभी प्रारम्भिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई गई है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को प्रश्न का जवाब मिल गया है सिर्फ मैं माननीय मंत्री महोदय से इतना जानना चाहती हूं कि मैंने जो प्रश्न का खण्ड 2 है उसमें पूछा था कि डी.पी.आर. कब तक तैयार कर ली गयी? आपका जवाब आया कि डी.पी.आर. तैयार नहीं हुई है तो मेरा एक तो निवेदन है आपसे कि आप कब तक इसकी डी.पी.आर. बनवा लेंगे? दूसरा प्रश्न मेरा है एक साथ ही पूछ लेती हूं कि क्या राजस्थान के स्टेट बजट में भी इस कॉरिडोर के लिये वित्तीय प्रावधान किया हुआ है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो पूछा है, यह जो प्रोजेक्ट है इसको हमने भारत सरकार को स्वेदश 2.2 में भेज रखा है आगे भेजा है और पूरी सम्भावना है कि उसमें सैंक्शन होगा और उसके बाद ही इसकी डी.पी.आर.

बनाने का कार्य होगा। जब केन्द्र सरकार को भेजा जाता है तो पहले पी.पी.आर. बनायी जाती है क्योंकि डी.पी.आर. में एक तो बजट भी ज्यादा होता है डी.पी.आर. बनाने में और जब एक बार वह सैंक्शन हो जाये उसके बाद ही उसकी डी.पी.आर. बनायेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है या हो सकता है कि केन्द्र सरकार इतना बजट सैंक्शन नहीं करे तो फिर राज्य सरकार भी उसका प्रावधान करेगी। इसमें सिर्फ अकेला पर्यटन विभाग ही नहीं करेगा, इसमें चाहे नगर निगम हो वहां का आपका ए.डी.ए. है, कुछ काम पी.डब्ल्यू.डी. भी करवायेगी तो वह सारा ब्रेक अप करके फिर उसके बाद उसका बजट जितना केन्द्र के द्वारा मिलता है उसके बाद जो भी होगा वह राज्य सरकार बिलकुल वहन करेगी।

Kas/rtm/11.03.2025/12.00/1g

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। माननीय सदस्य, मैं स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दूं, माननीय मंत्री जी, वहीं विराजो, मैं दस बार कह चुका हूं, प्रमुख लोग ही चल पड़ेगे। ....(व्यवधान).... बोलो मत, यह मेरा काम है।

स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दूं, उसके पहले मैं माननीय सदस्यों को सूचना देना चाह रहा हूं कि हम लोग कई बार यहां ध्यानाकर्षण दे देते हैं या स्थगन या विशेष उल्लेख दे देते हैं। इन सबके कमरे अलाटेड हैं, कृपया उन कमरों में जाकर हम देंगे, क्योंकि कई बार कठिनाई आ जाती है और फिर कोई काम नहीं लगता, तो फिर शिकायत भी आती है। अत: सबको कमरे अलाटेड हैं। ध्यानाकर्षण 201 में, स्थगन 208 में और विशेष उल्लेख प्रस्ताव भी 208 में है। तो आगे से वहीं देंगे, तो हमको सुविधा होगी और सबके रिकार्ड में आ जायेंगे कि कितने मिनट पर दिया, ताकि आपके 295 उस क्रम के अनुसार आ सकें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ता की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से ई-धरती पोर्टल पर नामान्तरण दर्ज होने में विसंगति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्री सुरेश मोदी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना के शहीद के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के संबंध में।

3. श्री मनीष यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश के निजी विद्यालयों को आर.टी.ई. के तहत पुनर्भरण की विसंगतियों के संबंध में।

4. श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर, सदस्य की ओर से नशीले पदार्थों की तस्करी की सूचना देने वाले पर हमला होने के संबंध में।

5. श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से प्रदेश की विद्युत कम्पनियों में इन्टर डिस्कॉम स्थानान्तरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री मनोज कुमार,(सादुलपुर) सदस्य की ओर से नगर पालिका राजगढ़ के पार्कों के

जीर्णोद्धार के नाम पर किए गए गबन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री सुरेश गुर्जर, सदस्य की ओर से झालावाड़ जिले में रोडवेज की अधिकांश बसों को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

8. श्रीमती शिमला देवी, सदस्य की ओर से प्रदेश में मालवाहक ट्रेक्टर ट्रेलर की भार क्षमता नहीं बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

9. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से विजय नगर ब्लैकमेल कांड से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10. श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर में किसानों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर किये जा रहे धरना प्रदर्शन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

11. श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बूंदी के राजमार्ग स्थित होटल में युवक की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती शिमला देवी, श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, श्री अमित चाचाण, एवं श्री हरिमोहन शर्मा को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से मुफ्त बिजली योजना का पूर्ण लाभ नहीं मिलने के सबंध में।

2. श्री थावर चन्द, सदस्य की ओर से उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ की स्थापना के संबंध में।

3. श्रीमती शांता अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलुम्बर की ग्राम पंचायत बडगांव के सार्वजनिक कूप के नवीनीकरण के संबंध में।

4. श्री संजय कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के क्षेत्रीय वन रेंज सरमथुरा में अनियमितताओं की जांच के संबंध में।

5. श्रीमती शोभारानी कुशवाह, सदस्य की ओर से धौलपुर में स्वीकृत नवीन सड़कों के कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करवाये जाने के संबंध में।

6. श्रीमती अनीता जाटव, सदस्य की ओर से जिला चिकित्सालय हिण्डौन में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

7. श्री विनोद कुमार, सदस्य की ओर से पीलीबंगा में रेलवे लाईन एवं राजमार्ग के मध्य बसी आबादी के पुनर्वास के संबंध में।

8. श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से स्मृति वन, कोटा के सौन्दर्यीकरण के संबंध में।

9. श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से सूरतगढ़ नगर पालिका द्वारा भूमि का अनियमित आवंटन किये जाने के संबंध में।

10. श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से भरतपुर जिले में कुश्ती दंगलों का आयोजन राजकीय स्तर पर किये जाने के संबंध में।

11. श्री चेतन पटेल कोलाना, की ओर से राजीव गांधी युवा मित्र इन्टर्नशिप कार्यक्रम के बेरोजगारों को अटल प्रेरक भर्ती में समायोजित करने के संबंध में।

12. श्री देवी सिंह शेखावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर के राजकीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में।

13. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से खनन लीज धारकों द्वारा एन.जी.टी. नियमों की पालना नहीं करने के संबंध में।

14. श्री लक्ष्मण राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में बकाया फसल बीमा क्लेम का भुगतान दिलवाये जाने के संबंध में।

15. श्री भागचन्द टांकड़ा, सदस्य की ओर से राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल द्वारा इंटर्नशिप पंजीकरण नहीं किये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों के द्वारा दी गयी सूचना पढ़ी हुई मानी जायेगी।

पर्ची

आज दिनांक 11/03/2025 को शून्यकाल में बोलने के लिए 45 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं	माननीय विधायक का नाम	संपादित विषय
1.	श्री गणेश घोगरा	डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में नगरपरिषद द्वारा गीला सूखा कचरा घाटा गाँव पंचायत चक महुडी में डालने से उत्पन्न स्थति के संबंध में।
2.	डॉ. सुभाष गर्ग	भरतपुर मुख्यालय पर राजकीय विधि महाविधालय में LLM का पाठ्यक्रम पुनः प्रारंभ करने की आवश्यकता के संबंध में।
3.	श्री संदीप शर्मा	कोटा शहर में आबादी क्षेत्रों के ऊपर से निकल रही हाईटैशन लाइनों के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
4.	श्री फूल सिंह मीणा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवाली व खरपीणा में भूमि व भवन के संबंध में।

माननीय सदस्यों, चूंकि कल भी बहुत बड़ा काम है, तो कल जीरो ऑवर नहीं होगा।

केवल प्रश्न काल होगा, प्रश्न काल के बाद जब तीन विधेयक आपके पास आयेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद एप्रोपिएशन बिल पर चर्चा होगी।

श्रीमती शिमला देवी।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मेरा पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन है।

श्री अध्यक्ष: पहले भिजवाओ। योग्य है भी या नहीं, पहले मेरे पास स्लिप भिजवाओ, उसके बाद दूंगा। ऐसे नहीं, नो, ऐसे अनुमति नहीं है, अंकित नहीं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री अध्यक्ष: पहले मेरे को भेजो। पहले बताओ तो सही कि पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन क्या है। आप मेरे पास भेज दीजिए, अगर वह योग्य होगा तो मैं आपको अनुमति दे दूंगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

माल वाहक ट्रेक्टर ट्रॉली की भार क्षमता में वृद्धि

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि वर्ष 2016 में राजस्थान सरकार के द्वारा विधान सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें ट्रेक्टर ट्रॉली को वाणिज्यिक किया गया था, उसमें वाणिज्यिक नंबर ईवी जारी किया गया था। पंजीयन कार्यालय के द्वारा ट्रेक्टर ट्रॉली की भार सहित क्षमता 4 टन स्वीकृत की गई थी, जिसमें 14 क्विंटल वज़न ट्रेक्टर और ट्रॉली का था। अध्यक्ष महोदय, जो वाणिज्यिक ट्रेक्टर ट्रॉली पंजीकृत है, उनकी क्षमता 3.5 होर्स पॉवर है, इनकी भार वहन करने की क्षमता लगभग 60 टन बनती है, क्योंकि जो ट्रेक्टर ट्रॉली माल वाहक के रूप में पंजीकृत है, जो कृषि कार्य से अलग है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी व सरकार से मांग करती हूं कि वाणिज्यिक ट्रेक्टर ट्रॉली की भार क्षमता 4 टन से बढ़ा कर 60 टन की जाये, क्योंकि जो वाणिज्यिक वाहन है वो धान मंडी से गोदाम तक ही कार्य करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस समस्या को लेकर मैं मंत्री जी से लगभग 4-5 बार मिल चुकी हूं, लेकिन मुझे कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि मंत्री जी जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें, ताकि हमारे ट्रेक्टर ट्रॉली भाइयों को आर्थिक रूप से उनको संबल प्रदान हो सके और वो अपना खर्चा अच्छी तरह से वहन कर सकें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह चौहान।

विजय नगर ब्लैकमेल कांड

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार में काफी महिलाओं के प्रति अत्याचार हुए और सरकार ने उसको भुगता भी है। अबकी बार राजस्थान की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अग्रेसिव सरकार है। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: उनको बोलने दीजिए।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): विजय नगर में एक कांड हुआ है, उससे पहले

उदयपुर के गोगून्दा में एक कांड हुआ था, 14 नवम्बर, 2024 को दो चचेरी बहनों ने जहर खा कर आत्महत्या कर ली। उसमें जाति विशेष के दो लोग थे, वो उत्तर प्रदेश के थे, इस कारण से कांड हुआ। 30 मई, 2024 को अजमेर में पुलिस स्टेशन की एफआईआर में पता लगा कि 11 लडकियों को फुसला कर उनसे पांच लाख रुपये घर से मंगवा कर, उनके साथ भी ज्यादती हुई। इसके अलावा विजय नगर में अभी जघन्य घटना हुई है, उसके लिये पूरे राजस्थान सब जगह धरना-प्रदर्शन, हड़ताल चल रही है।

Msk/rtm/11.03.25/1210/1h

संसदीय कार्य मंत्री विराज रहे हैं, इस पर सरकार ऐसा कानून बनाये, उसमें कोई किसी जाति विशेष का हो, किसी का भी हो, उसे सख्त से सख्त सज़ा, फांसी की सज़ा हो और सरकार अभी कानून बनाने में भी है। ऐसा कानून बने कि आइंदा इस प्रकार की जघन्य हत्या, इस प्रकार का काण्ड नहीं हो। अभी जो विजय नगर में काण्ड हुआ है, उसके पीछे कौन है, कौन नहीं है? उसमें जितने लोग हैं, उन सब लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें, फांसी की सजा दें। क्योंकि यह पूरे राजस्थान में एक जो घटना घटी है, उसमें काफी आक्रोश है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए सरकार को कानून बनाने की आज्ञा दें और कानून बनायें। पूरे राजस्थान में आइंदा इस प्रकार की घटना नहीं हो, इसको देखें।

श्री अध्यक्ष: श्री अमित चाचाण।

नोहर में किसानों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर जारी धरना-प्रदर्शन

श्री अमित चाचाण (नोहर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे स्थगन के माध्यम से बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, किसानों को अपने हक के लिए, अपनी जायज मांग के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार धरना-प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी किसान लगातार पिछले कई महीनों से प्रदर्शन करते आ रहे हैं। सरकार के आने के बाद किसानों को उनके हक का सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी बारियां पिट रही हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों को डिमांड जमा कराये एक-एक साल हो गये, कृषि कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। इसके साथ-साथ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हनुमागढ़ जिले में सिर्फ बीमा कंपनियों को फायदा देने के लिए सैटेलाइट के माध्यम से क्रॉप कटिंग करवायी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्रॉप कटिंग राजस्व मंडल कटाई प्रयोग के माध्यम से रेंडमली होनी चाहिए, क्योंकि गत पांच वर्षों में किसानों की जागरूकता के कारण और विधायकों के द्वारा सदन में समय-समय पर मांग उठायी गयी थी, जिसके कारण हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज्यादा किसानों को फसल बीमा क्लेम मिला था, लेकिन इस बार इस सरकार ने बीमा कंपनियों को फायदा देने के लिए वह क्रॉप कटिंग सैटेलाइट के माध्यम से करवायी जा रही है, जिससे किसानों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है, बीमा क्लेम नहीं मिल रहा है। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना

चाहूंगा कि किसानों की जायज मांग को आप मानें और इस फसल बीमा क्लेम का राजस्व मंडल कटाई प्रयोग के माध्यम से करायें, जिससे किसानों को फसल बीमा क्लेम मिल सके। नहरों में जो हमारी बारियां पिट रही हैं, हमें हरियाणा से जो पानी नहीं मिल रहा है, किसानों को पानी दिया जाये। हमारे जो कृषि कनेक्शन डेढ़-दो साल से लंबित हैं, उन किसानों को कृषि कनेक्शन भी दिया जाये, जिससे किसान अपनी फसल को पका सके, किसानों की फसल पक सके। हर क्षेत्र में किसान लंबे समय से धरना-प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। यह मैं आपको सरकार के माध्यम से कहना चाहता हूं। आपने समय दिया, धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा।

बूंदी के राजमार्ग स्थित होटल में युवक की हत्या

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूं कि विशेष परिस्थितियों में इस स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया। बून्दी विधान सभा क्षेत्र में इन दस दिनों में लगातार हत्याएं बढ़ रही हैं। तालेड़ा क्षेत्र में एक युवक की हत्या की गयी। उसके माता-पिता थाने के चक्कर काटते रहे। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मान्यवर, उसके ठीक तीन-चार दिन बाद एक दूसरे युवक की हत्या हुई। उसके परिजन थाने में जाते रहे, लेकिन आज तक उन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया। तीसरा सबसे बड़ा काण्ड जो परसों रात को हुआ। माननीय, बून्दी में रामगंज बालाजी के पास एक वेलकम होटल है, उस वेलकम होटल में अनैतिक कार्य होते हैं। उन अनैतिक कार्यों के सम्बन्ध में वहां की जनता ने, वहां के आदमियों ने पुलिस प्रशासन को, एसपी साहब को, थानेवालों को लिखकर दिया, कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर इसके बाद दोबारा उसी जनता ने, वहां के नागरिकों ने थाने में जाकर एसपी से शिकायत की कि इस होटल में अनैतिक काम होते हैं। फिर कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार जब ये और गये, जाने के बाद इन्होंने कहा कि चलकर देखो कि वहां क्या हो रहा है। तो पुलिस गयी, वहां 10-15 लड़कियां और जवान पकड़ गये। पकड़ने के बाद पुलिस को ऑफेंस के हिसाब से जो काम करना चाहिए था, वह नहीं किया। 107 और 151 में पाबन्द करके उनको छोड़ दिया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस सारे घटनाक्रम के बाद परसों रात को एक जवान लड़का वहां खाना खाने के लिए गया। उसी होटल के कर्मचारियों ने विवाद होने पर उसको मारा-पीटा और उसकी हालत यह हो गयी कि उसकी हत्या हो गयी। वहां पर सीसीटीव फुटेज थे, वे हटा दिये गये। यही नहीं, आपके निर्देशों के बावजूद एसपी साहब को, वहां के सीआई को, वहां नये थानों के भूमि पूजन करने का, शिलान्यास करने काम है। ...(व्यवधान)... जबकि इस प्रशासन को सुधारने का काम नहीं है।

श्री अध्यक्ष: हो गया।

पर्ची। श्री गणेश घोगरा। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के अन्दर जिस प्रकार से

जंगल राज हो रहा है, रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। सांगानेर के अन्दर दलित महिला के साथ रेप हुआ है, मुख्य मंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र के अन्दर। क्या कानून?

श्री अध्यक्षः श्री गणेश घोगरा..

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)... मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः डॉ. सुभाष गर्ग। आप बोल क्या रहे हैं? हाउस ही आर्डर में नहीं है। आप विराजो तो वे बोलें। जवाब आवश्यक नहीं है। आप बैठिये। श्री सुभाष गर्ग। अंकित नहीं।

बहिर्गमन

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): 000

भरतपुर के राजकीय विधि महाविद्यालय में LLM के पाठ्यक्रम का पुनः प्रारंभ

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः सरकार के ध्यान में आया गया।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): भरतपुर संभागीय मुख्यालय पर सबसे बड़ी समस्या है कि वहां एलएलएम कोर्स नहीं है। वहां के विधि स्नातक छात्रों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भरतपुर मुख्यालय पर करीब 20 हजार छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं और वहां पूर्व में एलएलएम का पाठ्यक्रम संचालित था, लेकिन किन कारणों से विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा वह एलएलएम का पाठ्यक्रम बन्द कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि बदलते हुए वैश्विक परिवेश में जहां विधि विषयों पर विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है, सुपर स्पेशिलिटीज की जरूरत पड़ती है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जिसमें बौद्धिक सम्पदा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून, पर्यावरण, मानवाधिकार, कर, साइबर, फैमिला लॉ, ऐसे बहुत सारे कानून हैं, जिनके लिए स्नातकोत्तर ज्ञान की जरूरत पड़ती है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाये तथा उच्च शिक्षा मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एमएसए कॉलेज, वैसे ही विश्वविद्यालय के लिए तरस रहा है और अब एलएलएम का कोर्स भी बन्द कर दिया गया है। उस एलएलएम कोर्स को पुन: चालू करवाया जाये और संभाग मुख्यालय ही नहीं, पूरे पूर्वी राजस्थान के छात्रों को यह सुविधा दी जाये, धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः श्री संदीप शर्मा। हो गया, आपका नंबर गया, सॉरी। खड़े होने से थोड़े ही होता है, बोलना होता है। आप बैठें। आप उस समय शुरू कर देते। ऐसे कैसे बोलेंगे, हाउस को ऑर्डर में लेंगे तभी तो बोलेंगे। हाउस ही ऑर्डर में नहीं होगा तो मैं बोलने की अनुमति कैसे दूंगा। नंबर गया।

कोटा शहर में आबादी क्षेत्रों के ऊपर से निकल रही हाइटेंशन लाइन

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा शहर में बड़े बेतरतीब और खतरनाक ढंग से पूरे शहर में हाइटेंशन लाइनें निकल रही हैं। कहीं झूलती हुईं, कहीं लटकी हुईं, यह स्थिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर कई गंभीर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जो कई बच्चों की जान ले चुकी है। गत वर्ष शहर की काली बस्ती में महाशिवरात्रि के जुलूस में हाइटेंशन लाइन में करंट आने से सात बच्चे इस दुर्घटना के शिकार हुए और उनकी जान चली गयी। 10 अन्य बच्चे झुलस गये। वर्ष 2024 में ही टीचर्स कॉलोनी में भी एक बच्चे और उद्योग नगर में एक युवक की मृत्यु इस हाइटेंशन लाइन से चिपकने से हो गयी। बून्दी रोड पर भी बड़गांव में हाइटेंशन लाइन टूटकर गिर जाने से मकानों और दुकानों में आग लगने की घटना हो चुकी है। एक वर्ष बीत जाने के बाद भी आज हाइटेंशन लाइन जस की तस है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे भी लगातार बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। महावीर नगर, गुबड़िया बावड़ी, सुभाष नगर, शकतपुरा, केसोपुरा, शिवपुरा, बड़गांव, ऐसी बड़ी सघन बस्तियों के क्षेत्र हैं, जिनके ऊपर से हाइटेंशन लाइन बहुत बेतरतीब और अव्यवस्थित रूप से निकली हुई है, जिसके कारण लगातार लोगों के इलेक्ट्रिक उपकरण जल जाते हैं। यह तो सामान्य घटना है, लेकिन मामला आम जन के जीवन से जुड़ा होता है, जो अत्यन्त गंभीर विषय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि एक अभियान चलाकर कोटा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजर रही इन हाइटेंशन लाइनों को या तो स्थानान्तरित किया जाये या इनकी ऊंचाई बढ़ाने का कार्य किया जाये, अथवा अंडरग्राउंड केबलिंग की योजना बनायी जाये। इनके नीचे बसे आबादी क्षेत्र में लोग बिना किसी निरापद रूप से वहां रह सकें, क्योंकि इन घटनाओं से लगातार इतने लोगों की जान गयी है, फिर भी, हमारे ऊर्जा मंत्री जी यहां विराजमान हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाइटेंशन के लिए कोई विभाग कार्यवाही नहीं करना चाह रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हाइटेंशन लाइनों का जमावड़ा पूरे शहर भर में लोगों की आम जिन्दगी को बाधित किये हुए है।

mdp/rtm/11.03.25/12:20/1j

यहां तक की लोगों की जान तो गयी ही है, पशु-पक्षी भी, कई गाय, भैंस, कुत्ते इस हाइटेंशन से चिपककर मृत्यु के शिकार हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): ये बहुत गंभीर विषय है, माननीय ऊर्जा मंत्री जी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक बार इस विषय में योजना बनाकर कार्यवाही कराएं।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय...

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी, ऊर्जा मंत्री अपनी बात रखना चाह रहे हैं। पर्ची के विषय में बताना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: हो गया, माननीय सदस्य। आप विराजिए। नाम पुकार लिया। आप जवाब दे देना उनको।

देवाली व खरपीणा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु भूमि व भवन

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे बहुत ही बड़ा ज्वलंतशील मुद्दा है कि ग्राम पंचायत खरपीणा में उच्च माध्यमिक विद्यालय केवल तीन कमरे में चल रही हैं। 2018-19 में जमीन अलॉटमेंट हो गयी थी, मगर पांच साल के अन्दर एक भी कमरा नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री यहां पर हैं, शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि तीन कमरे में 12वीं तक स्कूल कैसे चल सकती है? पूर्व सरकार ने तो कुछ नहीं दिया, मगर आपसे हमें उम्मीद है कि इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए ट्राइबल एरिया में कक्षा-कक्ष देने का और उन बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करें।

साथ ही, मेरी उच्च माध्यमिक विद्यालय जो देवाली है, उसके लिए कक्षा-कक्ष चार हैं और जमीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए सरकार से मैं मांग करता हूं की यहां पर जमीन उपलब्ध कराये। चार कमरे में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे कक्षा-कक्ष चलती है? इसलिए दोनों खरपीणा और देवाली पंचायतों में एक में भवन बनाना है और एक में जमीन अलॉटमेंट करानी है। आप के माध्यम से मुझे इसकी इजाजत और राहत मिले। आपके माध्यम से मेरे को पूरी उम्मीद है कि सरकार इसमें संज्ञान लेकर बच्चों का भविष्य सुधारने में मदद करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। धन्यवाद। श्री गणेश घोघरा। दोमिनट में।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। कई लोगों की जान चली गयी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिए। पर्ची हो गयी। आप विराजिए। पर्ची या स्थगन में पहले से ही कोई आता है तो बात होती है। माननीय सदस्य, वापस जाइए। इधर से आया कीजिए। तीन बार कह दिया।

डूंगरपुर में गीला सूखा कचरे का घाटा गांव पंचायत चक महुड़ी में डिपो

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर विधान क्षेत्र में नगर परिषद, डूंगरपुर द्वारा ग्राम पंचायत चक महुड़ी में गांव घाटा में कचरा संग्रहण स्थापित किया है। वहां पर आदिवासी लोग रहते हैं। ये 2014-15 में कचरा संग्रहण स्थापित किया था। उस समय नगर परिषद के सभापति, वह भी बीजेपी के थे और पूर्व विधायक 2014-15 में वह भी बीजेपी के विधायक थे। उन आदिवासियों के वहां पर कचरा संग्रहण करने से, उस कचरा संग्रहण को जलाने से धुंए से वहाँ से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी हैं। कई प्रकार की बीमारियां फैल चुकी हैं।

इसी तरह से जो मेडिकल वेस्ट होता है, वह मेडिकल वेस्ट संयंत्र भी वहां पर लगा रखा है। वहां पर जो भी पानी है हैंडपम्प का, ट्यूबवेल का, वह पानी भी दूषित हो चुका है। मतलब गंभीर बीमारियां वहां पर फैल चुकी हैं। वहां पर आधा मिनट भी उस रोड पर निकलते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि नगर परिषद् ने जो कचरा संग्रहण स्थापित किया है और मेडिकल वेस्ट संयंत्र जो लगाया है, वह अन्यत्र लगाएं, जहां लोगों की आबादी नहीं हो, तभी यहां के लोगों का जीवन ठीक रह सकता है। नहीं तो कई मृत्यु हो गई हैं और कई बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। धन्यवाद।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। अभी दो पाइंट ऑफ इंफोर्मेशन मेरे पास आयी हैं। एक माननीय शान्ती जी धारीवाल का आया है। वह हमें ध्यान में है, उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आज यहां उठाने की, इन्होंने व्यवस्था दी है कि संविधान के आर्टिकल 213-बी, 2क में यह प्रावधान है कि यदि कोई अध्यादेश, मैंने कर दिया, ...(व्यवधान).... यह कर चुके हैं। कल हो गयी इस पर बहस तो इंफोर्मेशन नहीं रही।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप पूरा देखिए। ...(व्यवधान).... हो गया। एक पर भी समय नहीं दिया। पूरा सेशन हो गया, एक भी पाइंट ऑफ आर्डर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: कर चुके। ये हम कह चुके, ये आ चुका वर्किंग पर। नयी इंफोर्मेशन ही नहीं है। श्री रफीक खान।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप मुझे बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष: बोलने क्या दें, आ चुका है वर्क में। जो चीज हम कर चुके हैं, उसकी इंफोर्मेशन नहीं होती।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सर, इतने में तो ये बोल लेते।

श्री अध्यक्ष: विषय ही नहीं है। नया विषय आये तो बोलने दूं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप मुझे बोलने दीजिए। ...(व्यवधान).... ऐसे चलाएंगे।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष: यह विषय ही नहीं है। सरकार इसको कर चुकी है। सदन, अध्यक्ष इसको कर चुका है। आपको इंफोर्मेशन देनी है, दीजिए। यह नयी इंफोर्मेशन नहीं है, सबके पास है। है तो जबरदस्ती रिपीट क्यों करें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप मुझे बोलने दीजिए। मैं बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष: यह इंफोर्मेशन सबको है कि 6 सप्ताह के अन्दर रखना है। सरकार ने रख दिया है। सरकार पारित करेगी।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का समय बड़ा कीमती है। फालतू में नष्ट नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय, बोलिए।

सूचना

जयपुर में आगरा रोड पर निर्माण कार्यों के चलते बन्द किया जा रहा आवागमन

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आगरा रोड़ पर नेशनल हाईवे अथोरिटी का काम चल रहा है और तीन ग्राम पंचायतें हैं। आपको पता है कि नेशनल हाइवे वहां पर एक क्लोवरलीफ बना रहा है, एक सर्किल बन रहा है। तीनों ग्राम पंचायतों के रास्ते रोक दिए गए हैं। बगराना के लोगों को जयपुर आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। आज बेरिकेड लगाने का, रास्ता बंद करने का काम जारी है। कानोता के साथ भी सेम प्रॉब्लम है और बगराना के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसी भी ग्राम का, किसी खेत का रास्ता बंद नहीं कर सकते तो किसी पूरे गांव का रास्ता कैसे बंद कर सकते हैं? सदन संज्ञान ले और रास्ता खुलवा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, धन्यवाद। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचना। श्रीमती दिया कुमारी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त (कर) विभाग

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त (कर) विभाग की निम्न एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखती हूं-

अधिसूचना संख्या: एफ.12(5)वित्त/कर/2025-122 दिनांक 27.02.2025, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)एफडी/कर/2024-88 दिनांक 19.07.2024 के नियम 2, 23, 26, 31, 36 एवं 37 (ii) और अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)एफडी/कर/2024-93 दिनांक 27.09.2024 के नियम 2 को लागू किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्रीमती दिया कुमारी।

प्रतिवेदन एवं लेखे

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (अनुपालन एवं लेखा-परीक्षा सिविल एवं वाणिज्यिक) (वर्ष 2021-22)

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (अनुपालन लेखा परीक्षा- सिविल एवं वाणिज्यिक) प्रतिवेदन, 2024 का प्रतिवेदन संख्या 5 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती दिया कुमारी।

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से स्थानीय

निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गोतम कुमार।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(14) के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं-

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर का
ऑडिटेड अंतिम लेखे एवं वैधानिक अंकेक्षण रिपोर्ट (वर्ष 2023-24)

1. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर के ऑडिटेड अंतिम लेखे एवं वैधानिक अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2023-24; एवं

राजस्थान राज्य सहकारी संघ, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2023-24)

2. राजस्थान राज्य सहकारी संघ,जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2023-24

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री बाबू सिंह राठौड़।

याचिका

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं-

नाथड़ाऊ (शेरगढ़) तहसील मुख्यालय में अनुसूचित जनजाति छात्रावास की स्थापना

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के तहसील मुख्यालय नाथड़ाऊ में अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलने के संबंध में; एवं

शेरगढ़ में कतिपय पशु उप केन्द्रों का पशु-चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन

2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कतिपय पशु उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

श्री अध्यक्ष: श्री अमित चाचाण।

श्री अमित चाचाण (नोहर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं-

पल्लू तहसील (नोहर) में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय की स्थापना

1. विधान सभा क्षेत्र नोहर की तहसील पल्लू में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय की स्थापना करवाये जाने के संबंध में; एवं

नोहर में नोहर फीडर नहर का पुन: निर्माण करवाया जाना

2. विधान सभा क्षेत्र नोहर के नोहर फीडर नहर का पुन: निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 (द्वितीय अवस्था) अनुदान की मांगों पर विचार। श्री गोतम कुमार।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 50 - सहकारिता की प्रस्तुति

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 50 -सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,48,27,97,000/- (अठारह अरब अड़तालीस करोड़ सत्ताईस लाख सतानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 50- सहकारिता पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री अध्यक्ष: श्री सुमित गोदारा।

मांग संख्या 55 - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात की प्रस्तुति

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 55 -खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,78,68,64,000/- (नौ अरब अठहत्तर करोड़ अड़सठ लाख चौंसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 55- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: सहकारिता एवं मांग संख्या 55 - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों पर चर्चा में श्री गोपाल शर्मा।

Ans/rtm 12.30 1k 11.03.2025

मांग संख्या 50 – सहकारिता व मांग संख्या 55 - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पर विचार

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सहकारिता की मांग संख्या-50 के लिए मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला है। ...(व्यवधान)... मैं सभी सदस्यों के प्रति सम्मान प्रकट करके कहना चाहता हूं, सात संदुकों में दफ्न करके रख दो नफ़रतें, आज मोहब्बत और सहकारिता की जरूरत है बहुत।

श्री रमेश खींची (कठूमर): इसलिए कि दलाली ...(व्यवधान)...

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय सभापति महोदय, हमारे प्रेरणा स्रोत ...(व्यवधान)...

श्री रमेश खींची (कठूमर): दलाल के लिए बात की है तो उसको ...(व्यवधान)...

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय सभापति महोदय, मैं अपना निवेदन रखना

चाहता हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह गलत है। आप बैठे-बैठे दलाल कह रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बैठे-बैठे कोई नहीं बोलेगा। माननीय सदस्य, आप भी विराजें। इधर से भी कोई टिप्पणी नहीं होगी और इधर से भी नहीं होगी। अपन सभी माननीय सदस्यों को सदन की गरिमा को बनाकर चलना है। इस तरीके से कोई भी बोले, फिर आप बीच में बोलो, ऐसा संदेश नहीं जाए कि पूरा सदन अव्यवस्थित हो।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय सभापति महोदय, मैं अपना निवेदन रखना चाहता हूं। ऋग्वेद के सातवें मंडल की एक ऋचा है, ऋग्वेद का सातवां मंडल सबसे पुराने ग्रंथों में माना गया है दुनिया में। अज्येष्ठा सो अकनिष्ठा स: येते: संभ्रांत रहो, या भ्रिधव्युदू सौभाग्य:, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब मिलकर भाई-भाई के समान सौभाग्य की ओर उन्नतिशील हो, यही सहकारिता का सार है। भगवान राम ने सहकारिता का प्रयोग करके रामसेतु का निर्माण किया। भगवान श्री कृष्ण ने सहकारिता का प्रयोग करके गोवर्धन पर्वत को धारण किया। यह प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान भजन लाल जी की सरकार में, वही सहकारिता का भगवान गिरिराज धरण की जय, एक जयघोष बना हुआ है और सारे राजस्थान को, देश को, प्रेरणा देने का काम कर रहा है। इतिहास ने हमें प्रेरणा दी है, सहकार से स्वावलंबन, स्वावलंबन से स्वाभिमान और स्वाभिमान से स्वराज। सोहनलाल जी द्विवेदी राष्ट्र कवि माने जाते हैं। उन्होंने एक कविता लिखी, चल पड़े जिधर दो डग-मग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पूज्य महात्मा गाँधी जी को लेकर यह कविता लिखी थी।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): सभापति महोदय, मैं इतना बोल रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: फिर आप बोले। आप बोलेंगे, फिर वह बोलेंगे। मैं फिर ना तो आपको चुप कराऊंगा। ...(व्यवधान)... क्यों यह संदेश दे रहे हो आप? माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिए। इधर से भी मर्यादित शब्दों में अपनी बात कहें। शब्द हमारे व्यक्तित्व का, संस्कारों का परिचय देते हैं। निश्चित रूप से सकारात्मक बहस और ऐसी बहस हो, जो राजस्थान की जनता के लोगों के काम आ सके। सहकार में उद्योग।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय सभापति महोदय, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भजन लाल जी की सरकार इसे साकार कर रही है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं की देश में सहकारिता विभाग की स्थापना अमृत काल में, जब भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा था, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहली बार सहकारिता विभाग की स्थापना की। यह खुशी की बात है कि राजस्थान के सहकारिता बजट में 76.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में सहकारिता के लिए 1483 करोड़ का बजट था, भाजपा सरकार ने 2617 करोड़ का बजट दिया है और इस तरह से यह 76.38 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है।

महोदय, शब्द ही हैं जो व्यक्ति का विरोध पैदा करते हैं, व्यक्ति के प्रति प्यार पैदा करते हैं। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता के ऊपर बात करना, नई नीतियों

और नए संकल्पों की प्रेरणा का अवसर है। हमारे लिए गौरव का विषय है कि सहकारिता की स्थापना राजस्थान में 1904 में अजमेर के भिनाय में हुई। यह भी खुशी की बात है कि उसी 1904 में जब देश सहकारिता कानून बना रहा था, उस समय डीग में पहले सहकारी बैंक की स्थापना हुई, यानी सहकारिता आंदोलन और पहले सहकारी बैंक का श्रेय हमारे राजस्थान को जाता है, इसका हमको गौरव है।

महोदय, सहकारिता आंदोलन एक जीवन शैली है। सहकारिता आंदोलन को जीना पड़ता है। यह सौभाग्य की बात है की देश के अंदर 8.20 लाख सहकारी समितियां हैं, जिसमें 30 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, यानी 20 प्रतिशत लोग सहकारिता के किसी न किसी प्रयोग से जुड़े हुए हैं। चूंकि हमारा राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तिहरे आंदोलन से लड़ रहा था, एक तरफ राजशाही से, एक तरफ ब्रिटिश सरकार से और दूसरी तरफ हमारे देश को आजाद करवाने के लिए जो व्यक्तिगत प्रयत्न हो सकते थे, उनसे लड़ रहा था। इसलिए हमारी सहकारिता का जो आंदोलन है वह थोड़ा धीमा जरूर रहा, लेकिन किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में 02 हजार लोगों पर एक सहकारी समिति है। 16 प्रतिशत आबादी सहकारी समितियों से जुड़ी हुई है। 42 हजार से अधिक समितियों में 01 करोड़ 35 लाख सदस्य हैं। यह स्थिती भारत सरकार के मुकाबले, हमारे केंद्र सरकार के मुकाबले हमको थोड़ा-सा कम जरूर लाती है, लेकिन हमको प्रेरणा का अवसर प्रदान करती है और वह मंजिल दिखाती है, जिस तरफ हमको बढ़कर सहकारिता को आंदोलन के रूप में लेकर जनता के भले से, किसानों के भले से और अन्य ऐसी संस्थाओं के भले से, चाहे वह सेवा क्षेत्र हो, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र हो, हमको सहकारिता का प्रवेश करके राजस्थान को आगे बढ़ाना है।

महोदय, पैक्स की संख्या में हम देश के पांच टॉप राज्यों में हैं, यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। महोदय, एक तरफ यह तकलीफ होती है कि मुम्बई की सात महिलाओं ने 80 रुपये की पूंजी से लिज्जत पापड़ के नाम से सहकारी व्यवसाय शुरू किया, यह 45 हजार महिलाओं को रोजगार दे रहा है और 1600 करोड़ का वेन्चर है। इस तरह बढ़ने में हमको जो जरूरत है, वह जरूरत यह है कि हमारे राजस्थान के अंदर अपना पंचायती राज और साथ ही सहकारिता विभाग, इसके विकास में एक दिक्कत यह रही कि हमारे नेताओं को एक साथ संघर्ष करना पड़ा, इसलिए विभिन्न ज़िलों में कुछ नेता सहकारिता के पर्याय बन गए। उन व्यक्तियों में जितनी क्षमता हो सकती थी, जितनी कोशिश हो सकती थी वह उन्होंने की। लेकिन उसी समय जो हमारा एक तंत्र विकसित हुआ, उस तंत्र ने हमेशा कोशिश की कि इसको किसी भी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं रहने दिया जाए। जो भी हमारे वरिष्ठ साथी, विद्वान, साथी, सहकारिता विभाग के कार्यों में जानकारी रखते हैं, खासकर भरतपुर है, जालोर, सीकर, कोटा है, जिन क्षेत्रों में ज्यादा सहकारिता के कार्य हुए, उसके अंदर यही रहा कि हमारे नेता लोग जयपुर विराजते थे और वहां पर ऑडिट भी नहीं हो पाई। वहां पर किसी भी तरह का

ऐसा कोई प्रयत्न नहीं हो पाया कि खर्च हुआ तो उसकी कोई जांच नहीं हो पाई। हम याद करेंगे तो पिछले ही सहकारिता के चुनाव के अंदर हमको देखने में आएगा कि मंत्री स्तर पर, मंत्री किसी पार्टी का हो या ना हो, नाम लूं या ना लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा यह कहना है कि तत्कालीन मंत्री ने नियम और क़ानूनों की धज्जियां उड़ाकर रख दी।

VPS-RTM-11.03.202-12.40-1I

जानबूझकर पर्चे खारिज करवाना, यह हर जगह की बात है। हर जगह की बात है। मंत्री चूंकि, प्रतीक होता है तो नजर सीधे वही जाती है।

माननीय सभापति महोदय, दो समितियों में चुनाव हो रहे हैं समितियों के, कोई अगर समर्थक नहीं मिला तो आवेदकों के पर्चे फाड़ दिये ताकि चुनाव प्रक्रिया ही निरस्त हो जाये। हाईकोर्ट ने इन विवादित फैसलों के ऊपर कोई आदेश भी दिया, निर्देश भी दिया तो उसकी समय के ऊपर पालना नहीं की गयी। इसी सरकार के अन्दर हमारे एक माननीय सदस्य जिनको चेहरे से बहुत ही सज्जन भोले और जनता से जुड़े हुए कहा जा सकता है लेकिन वे अपने क्षेत्र में जनता की आवाज है। उन्होंने एक सवाल पूछा इसी सरकार के अन्दर कि हमारे यहां सम्मान निधि के अन्दर फर्जीवाड़ा हुआ, उसका हमको जवाब दीजिए। हमारे आदरणीय मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया कि उस विधान सभा क्षेत्र में जिसको मारवाड़ जंक्शन के नाम से जाना जाता है 13,858 अपात्र लोगों को 8.26 करोड़ का गलत भुगतान हुआ। अगर एक विधान सभा क्षेत्र की हालत यह है तो पूरे राज्य की स्थिति क्या हुई होगी? महोदय, यह जांच का विषय है। यह श्वेत-पत्र का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, काले दिन समाप्त हो चुके हैं। काले दिन समाप्त हो चुके हैं। माननीय भजन लालजी के नेतृत्व में सहकारिता विभाग पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है। राज्य सरकार ने यह निर्देश दिये हैं कि सहकारी समिति के नो-ड्यूज प्रमाण पत्र के बाद ही कृषि भूमि की रजिस्ट्री और इंतकाल दर्ज होगा। पूरे भारत के अन्दर यह मिसाल के रूप में जाना जायेगा। प्रमाण-पत्र के बाद, नो-ड्यूज के बाद ही रजिस्ट्री हो पायेगी।

महोदय, सहकारी भूमि विकास बैंक और राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, इनके वर्षों से करोड़ों रुपये बकाया चल रहे थे। वर्षों से करोड़ों रुपये बकाया चल रहे थे, महोदय, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि एक साथ, एक कमरे में चार सौ फाइल रख देंगे तो नीचे वाली फाइल की क्या स्थिति होगी? अक्षर बुझने लग गये थे, उनकी जांच करवा-करवाकर कई करोड़ रुपयों की बकाया की वापसी का बड़ा काम हमारे मंत्री गोतम दक जी के नेतृत्व में सहकारिता विभाग ने किया है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि या तो मोदीजी ने शासन में आकर यह कहा कि भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस और हमारे गोतम दक जी ने भी जो पहली मीटिंग सहकारिता की ली, उसमें इन्होंने यह कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और इसका परिणाम क्या आया? माननीय सभापति महोदय, तुरंत 11 अधिकारियों के खिलाफ ए.सी.बी. के अन्दर

कार्यवाही करने की स्वीकृति दी गयी। कब से पड़ी थी? आप जानते ही हैं। आप जानते ही हैं कि कब से पड़ी थी? पिछली बार से। दस अधिकारी और इतने ही कर्मचारियों को निलंबित किया गया, 13 को 16 सी.सी.ए. का नोटिस और 7 को 17 सी.सी.ए. के नोटिस दिये गये। 792 प्रकरण पिछली सरकार खाते में देकर गयी थी यानी, इन पर फैसला नहीं लेना, इस भ्रष्टाचार को दबाये रखना। यानी, कुछ भी नहीं हो। लालफीताशाही का जन्म कहां से हुआ? लालफीताशाही का मतलब लाल डायरी नहीं है। महोदय, लालफीताशाही का मतलब है, प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात करना, उनको दबा देना।

महोदय, उन 792 प्रकरणों के अन्दर मैं पुनः मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो भले ही सज्जन हैं लेकिन काम करने के अन्दर बिलकुल 'वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि' वज्र की तरह कठोर और स्वभाव में फूल की तरह कोमल। इन्होंने 792 प्रकरणों में से 519 प्रकरणों का निस्तारण करवा दिया। 519 प्रकरणों का निस्तारण करवा दिया। महोदय, 22 मार्च, 2023 की तारीख को याद करिये कि सहकारिता विभाग के एक अफसर को चार साल के कारावास की सजा हुई। क्या कहते हैं नियम? उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। महोदय, फिर लालफीताशाही, उनको बर्खास्त नहीं किया गया। बर्खास्त किया हमारी भजन लालजी की सरकार के कर्मठ मंत्री गोतम दक जी ने शासन में आने के बाद। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या हम उनको सजा देने की हिम्मत रखते हैं जिन्होंने उस फाइल को दबाये रखा? नहीं रखते। क्योंकि हम सामने वाले के ऊपर आरोप लगाते हैं तो हमको तुरंत क्या याद आता है? दलाली। पता नहीं होगा, जिस व्यक्ति को आपकी सरकार में हिंदुस्तान के अन्दर पहले पत्रकार को डी.लिट. की उपाधि दी हो, उसको आप अगर दलाल कहते हैं तो आपकी सरकार दलाल को डी.लिट. देने का काम करती है।

माननीय सभापति महोदय, मोदीजी का लक्ष्य है, हमारे प्रधान मंत्रीजी का यह लक्ष्य है कि पांच साल में दो लाख नये पैक्स और राज्य सरकार ने उसकी क्रियान्विति में 28 पैक्स की ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः एक मिनट, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): पांच-सात मिनट और लूंगा, शुरुआत कर रहा हूं।

श्री सभापतिः नहीं, आप बोलते रहो। एक मिनट मैं बात करना चाह रहा हूं। माननीय सचेतक महोदय, आपकी सूची भी आप उपलब्ध करवा दें जिससे आईपैड में यह सूची लिपिबद्ध हो जाये क्योंकि फिर उसके बाद लोग देखते हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह कहा है, जैसी उनकी यह व्यवस्था है कि एक बार जो सूची में नाम आ जाये, वह बहुत कोई अपरिहार्य कारण न हो तो उसको ऊपर-नीचे नहीं करें और जो नाम आ जाये, उसके बाद अन्य नाम न जोड़ें, तो ऐसी सूची आप तुरंत उपलब्ध करवा दें, यह मेरा कहना है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ठीक है।

श्री सभापतिः आप बोलिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने शुरूआत

करके 28 पैक्स के गठन की स्वीकृति दे चुकी है। यह खुशी की बात है कि एक वर्ष के कार्यकाल में, माननीय सभापति महोदय, सवाल उठाया जाता है कि आपने किया क्या? आपने किया क्या? मैं यह कहता हूं कि एक वर्ष के कार्यकाल में 29 लाख 88 हजार से अधिक किसानों को बीस हजार करोड़ रुपये का ऋण देने का काम किया, ऋण देने का काम किया। ऋण देने का काम किया और कितने कम ब्याज पर? कितने कम ब्याज पर? पांच परसेंट।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): जीरो परसेंट।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): जीरो परसेंट पर। जीरो परसेंट पर। कभी सुना है दुनिया में? यह रास्ता मोदीजी ने दिखाया है और भजन लालजी ने आगे बढ़ाया है और गोतम दक जी ने उस पर चल कर दिखाया है।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार के पहले कार्यकाल में वितरित किये गये 6573 करोड़ रुपये से यह राशि तीन गुणा से ज्यादा है। तीन गुणा से ज्यादा है। यह कहते समय मैं एक यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार, युग पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदीजी के नेतृत्व में, आदरणीय भजन लालजी जैसे मुख्य मंत्रियों के सहयोग से दो दिन पहले एक मीटिंग करके कुछ गाइडलाइन्स जारी की है, वह मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं, हालांकि इनके पास कल सूचना आ चुकी होगी लेकिन फिर भी छोटों का काम है बारबार कहना। सहकारी समितियों की सतत निगरानी जरूरी है। इसके लिए निश्चित अवधि पर ऑडिट करवाया जाये और रिकार्ड सार्वजनिक रखा जाये। रिकार्ड सार्वजनिक रखा जाये। लाल फाइलों के अन्दर बंद नहीं किया जाये। पारदर्शिता से सहकारिता संगठनों की परिसम्पत्तियों के दस्तावेजीकरण की जरूरत है। इस दस्तावेजीकरण के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदीजी ने अपने भाषण के अन्दर विशेष जोर दिया है।

Ssy/Rtm/11.03.25/12.50/1m

जिन समितियों ने कभी ऑडिट नहीं करवाया, ना कभी सरकार को कोई रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया, वह समितियां निरस्त तो हो जानी चाहिए, भले ही इससे हमारे सहकारी आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के नेताओं की पारिवारिक समितियां क्यों ना हो, बंद होनी चाहिए।

सभापतिमहोदय, सहकारी खेती, यह महत्वपूर्ण विषय है। इस समय दुनिया के अंदर यह विषय चल रहा है कि खेती को किस तरह जिंदा रखा जाए। राजस्थान के अंदर हम सभी कृषि और खेती की बात करते हैं, लेकिन हमको जानकर के यह आश्चर्य होगा कि उद्योग और सेवा यह दोनों क्षेत्र खेती से आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है, इसलिए मोदी जी ने एक मंत्र दिया है कि सहकारी खेती को अधिक टिकाऊ कृषि मॉडल के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सहकारी खेती को एक नए मॉडल के रूप में विकसित किया जाए, कृषि मॉडल के

रूप में विकसित किया जाए और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, एग्री स्टॉक का इस्तेमाल हो। जब तक डिजिटलीकरण नहीं होगा तब तक आप मान कर के चलिये कि किसी भी चीज़ में पारदर्शिता नहीं आएगी और जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनी रहती है।

इस भ्रष्टाचार को अगर जड़ से खत्म करना है तो हम को पारदर्शी काम करने होंगे और यह खुशी की बात है कि आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में जिस पारदर्शी तरीके से राइज़िंग राजस्थान में हुए कार्यों का उल्लेख किया गया, वैसा आज तक राजस्थान की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। हमने वह समय भी देखा है जब रिसर्जेंट राजस्थान हो रहा था और हमारे मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में आये हुए हमारे ही राजस्थान के अरबपति व्यवसायी राजस्थान की आलोचना कर रहे थे। महोदय, इन सब चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है। गांव के साथ सहकारिता का प्रयोग शहरों में भी किया जाना चाहिए। मेरा सिविल लाईन्स क्षेत्र इसमें एक प्रयोगशाला हो सकता है।

2024 में केंद्र ने अर्बन कॉआपरेटिव बैंकों को के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। आदरणीय मंत्री जी, हमारी राजस्थान सरकार उस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के लिए विधिवत कार्य कर रही है। अम्ब्रेला का अर्थ ही है छाता, किसके लिए छाता? ऊपर से जो अनहोनी बरसात आती है उसके लिए छाता, अनहोनी बरसात क्या है? अनहोनी बरसात है सहकारिता के अंदर परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचारवाद, बाहुबल, इनको रोकने के लिए पक्ष विपक्ष को एकजुट होकर सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है।

मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं। ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के, आदरणीय जो बात कर रहे हैं उनसे निवेदन करता हुआ कि कृपया नवागंतुक, नए का स्वागत करिए अगर आप पहले ही दिन क सीखने वाले की मात्रा को लेकर चढ़ बैठेंगे तो उसका भविष्य रुक जाएगा, वह पढ़ नहीं पायेगा कभी भी। जो बड़े सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका काम है बच्चों का पालन करना, उनका काम है गलती करने पर, जैसे पहले बांसवाड़ा में हुआ था कि एक बच्ची ने कोयले के टुकड़े से लिखना शुरू किया तो उसके हाथ पर अंगारे रख दिए गए कि यह लड़कियों का काम नहीं है, आज वह राजस्थान नहीं है। आज सहकारिता के क्षेत्र में बढ़ता हुआ राजस्थान है।

जब सृष्टि वापस अपनी विरासत की ओर लौट रही है, जब हमको कंक्रीट के जंगलों का महत्त्व कम लगने लगा है, ऐसी स्थिति के अंदर सहकारिता की ओर बढ़कर अपने को बचाया जा सकता है और इसके लिए मैं आखिरी बात कह करके अपनी बात खत्म करूँगा कि जब भरत भगवान राम से मिलने चित्रकूट के जंगलों में गए तो उन्होंने कहा कि शासन करना तो आपको आता है, भैया, मैं कैसे जा करके शासन करूंगा। तब उन्होंने कहा था, राम जी ने कहा, भरत, माली भानु किसान सम नीति निपुन नरपाल, प्रजा भाग बस होहिंगे कबहुं कबहुं कलिकाल, तुम सबकी इच्छा से, सबसे मिल कर, तुम मुनि मात सदा सिख मानी, सबसे मिलकर काम करना यही सहकारिता है, सह माने साथ में कारिता माने कार्य करना और

साथ में कार्य करने की शुरुआत। आज अच्छा लगा कि जब मैंने अपने विचार रखे, प्रतिपक्ष ने सहकारिता के महत्व को कुछ अंगीकार करने की कोशिश की, इसके लिए मैं आज धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: आज आपने बड़ी सहनशीलता और सरलता के साथ विचार रखे और सबने आपके विचारों को सुना। श्री नरेन्द्र बुडानियां ...(व्यवधान)...इसलिए मैं कह रहा था, मैंने कहा आप भी मत करो इंटरफियरेंस।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): सभापति महोदय, आज हम मांग संख्या 50 और 55 पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा की शुरुआत सिविल लाईन्स से आने वाले माननीय सदस्य ने की, अच्छी बात है, उम्मीद तो उनसे नहीं थी, लेकिन नाटकीय ढंग से ही सही, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी।

सभापति महोदय, आज हम सहकारिता पर चर्चा कर रहे हैं और मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता की जब शुरुआत हुई, सहकारिता की शुरुआत एक आंदोलन के रूप में हुई। सहकारिता कोई विभाग नहीं, सहकारिता एक आंदोलन था और हमारे देश के नेताओं ने आजादी से पहले हमारे किसानों को बड़े व्यापारियों से, सूदखोरों से बचाने के लिए इस सहकारिता आंदोलन की शुरुआत की। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारे प्रदेश राजस्थान के अंदर सहकारिता आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ा।

लेकिन आज हम लोग यह कहते है कि सहकारिता एक आंदोलन के रूप में थी और एक क्रांति आई तो हमें आज बैठ के विचार करना पड़ेगा कि आज सहकारिता की स्थिति क्या है? हमारी सहकारिता किस दौर से गुजर रही है? सहकारिता से जो यह लोग जुड़ते थे, गर्व महसूस करते थे कि हम सहकारिता से जुड़ें हुए हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज क्या स्थिति है? आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है हमारा सहकारिता आंदोलन, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है।

सभापति महोदय, इस सदन के अन्दर 200 लोग चुनकर आए और अपनी आत्मा से पूछें कि कितने लोग हैं ऐसे जो सहकारिता से जुड़े हुए हैं और सहकारिता को बढ़ावा देना चाहते हैं। आज इसकी कमी आई है, मैंने देखा, मैंने खुद ने देखा कि जब सहकारी संस्थाएं इतनी मजबूत थी, हमारे प्रदेश के बड़े-बड़े नेता इसमें अपनी रुचि रखते थे, आज वह रुचि धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। हमारे मंत्री महोदय दक साहब बहुत भले आदमी हैं, बहुत धीर और गंभीर हैं, उनसे उम्मीद की जा सकती है कि इन चार सालों के अंदर इस सहकारिता आंदोलन को जिंदा करेंगे। आज सहकारिता जिस स्थिति में गुजर रहा है, लोगों का विश्वास घट रहा है, आप उसको विश्वास को बनाने में कामयाब होंगे, यह मेरी शुभकामनाएं हैं।

सभापति महोदय, सहकारिता किसानों की जान है जान, आत्मा है और मैंने पहले भी कहा, आप भी स्वीकार करते हैं इस बात को कि इस विभाग में भ्रष्टाचार नीचे तक घुस गया।

spp/rtm/11.03.2025/13.00/1n

और यह चुनौती है। हम सबके लिये चुनौती है कि जो चीज, जो सहकारिता ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को चकनाचूर होते हुए हम देख रहे हैं। उसको बचाने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, कुछ चीजों का वर्णन करना चाहता हूँ। क्रय-विक्रय सहकारी संघ, भूमि विकास बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, होलसेल भण्डार, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, आप इन पर ज़रा विचार करिए। इनके क्या हालात हैं? क्रय-विक्रय सहकारी संघ आज किस दौर से गुजर रहा है? माननीय सभापति महोदय, विधान सभा की एक कमेटी बनाइये और जाकर देखिये किकिसानों के साथ में खरीद के अंदर कितना अन्याय हुआ है। आप जाकर देखिये, किसान अपनी फसल को एम एस पी पर बेचने के लिए जब मंडी में जाता है तो बिना पैसे दिए हुए उसका अनाज नहीं तुलता। ये सच्चाई है और जो पैसे नहीं देता है, उसके अनाज में कमी निकाल दी जाती है। जब एक किसान अपने खून-पसीने की कमाई जब मंडी में लेकर आता है आपके विश्वास पर और जब उसको कह दिया जाता है कि आपका अनाज सही नहीं है। सभापति महोदय, उसको आनन फानन में, ओने पौने दामों में बेचना पड़ता है। मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने हालात नजदीक से देखे हैं। किसान को रोते हुए देखा है, किसान की आँखों में आंसू देखे हैं, लेकिन आज इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। यह भ्रष्टाचार बहुत गहराई तक फैल गया है। ये इतना पैसा कमा रहे हैं तोलने वाले लोग, आप कल्पना नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में बाजरा सबसे ज्यादा पैदा होता है और चुनाव के अंदर आपने कहा बाजरे को एम एस पी पर खरीदेंगे, क्या हुआ? किसान देखते रह गया। अपने को ठगा हुआ महसूस किया किसान ने, लेकिन आज हम सब को गंभीरता से सोचना चाहिए कि एकजुट होकर हम सबको यह मांग करनी चाहिए, यह संकल्प करना चाहिए कि किसान का बाजरा भी हम खरीदें।

सभापति महोदय, आज भूमि विकास बैंक की बात करते हैं। भूमि विकास बैंक एक ऐसी सहकारी संस्था थी, जो किसानों की उन्नति के लिए काम करती थी। आज क्या है? और कहाँ खड़े हैं हमारे भूमि विकास बैंक? कुछ नहीं हैं ठन-ठन गोपाल, बड़ा काम होता था उसका। अकृषि कार्य के लिए भी किसान की मदद करता था। उसको ट्रैक्टर के लिए पैसे मिलते थे, ट्रॉली के लिए मिलते थे, कृषि उपकरणों के लिए मिलते थे, जमीन खरीदने के लिए मिलते थे, मकान बनाने का काम करते थे, लेकिन आज क्या है? आज खाली हो गये भूमि विकास बैंक। सिवाय कुछ लोग कब्जा करके बैठे हैं उन बैंकों के ऊपर और बैंको की हालत बहुत खराब है, इस पर चिंता करने की आवश्यकता है, मंत्री महोदय।

अभी हम होलसेल भंडार की बात करते हैं, क्या है होलसेल भण्डार? किस प्रकार से इसका गठन हुआ? आज कहां हैं होलसेल भंडार? होलसेल भंडार में सस्ती वस्तुएं सप्लाई होती

थीं, वितरण होता था। आज क्या हो रहा है? सफाया हो गया होलसेल भंडार का, काम ही खत्म हो गया उसका। इसको ठीक करने की आवश्यकता है।बहुत अच्छा हमारा भंडार है, लेकिन ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आज क्या हालात हैं हमारी महंगाई के? कृपलानीजी, गरीब का चूल्हा चलना मुश्किल हो गया है। गरीब का चूल्हा चलना मुश्किल हो गया है। आप इस सहकारिता के माध्यम से ये जो सस्ता है अनाज, आप लोग सहकारी बैंकों से जनता को उपलब्ध कराइये और सही चीजें उपलब्ध कराइये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मेरा नाम ले लिया, मैं बोलना तो नहीं चाहता था।

श्री सभापति: बिराजिये प्लीज। माननीय, आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): आपको तो कोई न कोई बहाना चाहिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): बहाना नहीं।...(व्यवधान)..

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): आप तो मेरे साथी रहे हैं, मैंने तो आपका सम्मान के साथ नाम लिया है, मैंने सम्मान के साथ नाम लिया है। मैं सभी साथियों को जानता हूँ, मैंने नाम नहीं लिया, पर आपका नाम लिया है।

श्री सभापति: प्लीज़ आप बैठिये साहब। अपन प्रयास करें कि बीच में कोई डिस्टर्बेंस न करें।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य ने सहकारी संघ के बारे में बात की। सभापति महोदय, एक वक्त ऐसा था राजस्थान के अंदर जब हमारे सहकारी संघ इतने मजबूत हुआ करते थे और मुझे गर्व इस बात का कहते है कि मेरे पिताजी सहकारी संघ चूरू के अध्यक्ष रहे हैं। मैंने उनका काम देखा है। किस प्रकार से संघ मॉनिटरिंग करता था सारी चीजों की। आज संघ खत्म हो गए, संघों का आज अस्तित्व क्या है? आप इसको गंभीरता से लेकर आप इस संघ को वापस मजबूत करिये।

श्री सभापति: आप इधर देखिये माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): उनको साधन उपलब्ध करवाइये। मैं, माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं बोलता हूँ कभी कोई बात।

श्री सभापति: आप तो इधर अभी संबोधित करें।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): दूध उत्पादक सहकारी संघ की बात करूं। हरित क्रांति आई थी, आज क्या हालात हैं? आज हालात क्या हैं हमारे दूध उत्पादक सहकारी समितियों के? सिवाय मिलावट के और भ्रष्टाचार के कुछ भी नहीं हैं। आज हम छाछ भी पीते हैं तो लगता है कि इसमें मिलावट है, दूध पीते हैं तो लगता है इसमें मिलावट है, यह सच्ची बात है, यह स्वीकार करनी पड़ेगी और इस पर ध्यान दे करके हमको आज किसान का सबसे बड़ा ग्रामीण क्षेत्र में पशुधन से काम चलाता था, आज उसमें कमी आई है, हमें उस पर विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, सहकारी संस्थाओं को प्रभावी बनाना चाहिए। समय पर ऑडिट होनी चाहिए। प्रशिक्षण कार्य की कमी आ गई है। असत्य बिल बन रहे हैं, असत्य सूचनाएं दी जा

रही हैं। इसलिए मंत्री महोदय, आप स्वयं इन प्रशिक्षण कार्यों में भाग लेकर और प्रशिक्षण कार्यों को करके लोगों को इसकी भावना से अवगत करायें, ताकि आप को जमीनी स्तर से मालूम हो सके।

प्रचार प्रसार का काम, ये एक ऐसा विभाग है जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। प्रचार प्रसार कहीं भी नहीं है, अखबारों में देखते हैं और चीजों के एड आते हैं पर सहकारिता के सम्बन्ध में कोई एड नहीं आता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके प्रसार-प्रसार में कमी आई है, इसको पूरा करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, सहकारिता महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा माध्यम है आज इसके माध्यम से, महिला सहकारी समितियां बनी हुई हैं, लेकिन साधन नहीं मिलने से धीरे धीरे कमजोर हो गयीं और काम करना बंद कर दिया। गांव की महिलाएं अपने हुनर से कोऑपरेटिव के माध्यम से अपना घर चलाती थी। आज उनका काम बंद हो गया। आज महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को मजबूत करना चाहिए। यह मेरी सलाह है।

सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदाएं और प्राकृतिक आपदाओं में किसान की मदद के लिए सहकारिता एक बड़ा साधन था। लेकिन आज क्या है? आपने ज़ोर शोर से लिखा किहमें प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करना पड़ता है तो हम अल्पकालिक लोन को मध्यकालीन में बदल देते हैं और ये कौन सी मदद हो गयी? ये तो भार हो गया उसके ऊपर। ऐसी आपदाओं से किसान गुजरता है तो हमको उसकी स्थिति को समझना होगा, उसको मदद करनी होगी, उसके ऋण को माफ़ करना होगा।

jyg/rtm/11.03.25/13.10/1o

हमने किया है माफ, 18 हजार करोड रुपये का ऋण माफ किया है सहकारिता का, वसुन्धराजी ने भी घोषणा की थी, उन्होंने भी घोषणा की थी, ...(व्यवधान)... 2000 करोड़ रुपये दिये, 2000 हजार करोड़ रुपये दिये, बाकी पैसे हमने चुकाये ...(व्यवधान)... बाकी पैसे हमने चुकाये, आप अपनी घोषणा पूरी नहीं कर पाये, हमने पूरा किया उसको, हमने किसानों को मदद की ...(व्यवधान)... आगे आइये, अन्नदाता हमारा, हम सबको यहां भेजने का काम करता है तो मैं कहना चाहता हूं। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय सदस्य, बुडानिया जी पूरे चुका कर गये हैं पूरे।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये फसल बीमा की कम्पनियां खा रही हैं किसान को, लूट रही हैं उनको, गम्भीरता से विचार करना चाहिए हम सबको। माननीय सभापति महोदय, आज वास्तविकता क्या है? अभी जितने भी सदस्य बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि फसल बीमा, आज क्या कर रही हैं बीमा कम्पनियां? देना नहीं चाहती, देना नहीं चाहती, कोई न कोई टेक्निकल बहाना बनाकर रोकना चाहती है। आज ही मेरे तारानगर के किसान मेरे पास आये थे, हमारे को पटवार हलकों में बिना किसी कारण के हमारा बीमा क्लेम रोक रखा है, टेक्निकल कमी।

अभी क्या कर रहे हैं, पहले क्रोप कटिंग होती थी, किसान को सही तरीके से उसका बीमा क्लेम मिलता था, लेकिन अब सैटेलाइट आ गया, क्या करेंगे सैटेलाइट में, एक भी किसान को फसल बीमा नहीं देंगे, मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं। इनको स्वतंत्र रखने की जरूरत नहीं है, माननीय मंत्रीजी, आप इन बीमा कम्पनियों पर दबाव रखिये, नहीं तो किसान सड़कों पर आ जायेगा, आंदोलन करेगा, आज किसान की मदद करने वाला या तो ईश्वर है या जो आज आप राज कर रहे हो, आप मदद करने की बात करो।

माननीय सभापति महोदय, अंत में सहकारिता के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी, यह जो निर्वाचन प्राधिकरण है, इन समितियों के जो चुनाव कराता है, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। ये जितनी धांधली चुनाव में होती है, उतनी और किसी में नहीं होती है इसलिए आप पहला काम करिये कि चुनाव प्राधिकरण को मजबूत बनाइये, सशक्त बनाइये और जवाबदेह बनाइये, यह मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मांग संख्या 55 पर आता हूं। यह जो विभाग है, कितना काम रह गया इसका? यह उचित मूल्य की दुकान खोलने का एक जरिया बन गया है। इतना ही काम है कि उचित मूल्य की दुकान खोल दो, उसमें भी राजनीति में उलझे हुए, आज उचित मूल्य की दुकान ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राशन उपलब्ध कराने का काम करती है। क्या-क्या देते हैं आप राशन? क्या राशन देते हैं? सिवाय गेहूं के और कुछ नहीं देते। महंगाई के जमाने में आज शुद्धता नहीं है, किसी खाने-पीने के सामान में शुद्धता नहीं है। आज हमारी उचित मूल्य की दुकानें हैं, सरकार को आगे आना चाहिए और आगे आकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब भाइयों को, किसानों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका, महंगाई आसमान छू रही है, उचित मूल्य की दुकानें भ्रष्टचार में डूबी हुई हैं और महंगाई चरम सीमा पर है।

माननीय सभापति महोदय, आज महंगाई का आलम यह है कि अक्टूबर 2024 के महीने में हमारी महंगाई सीमा रेखा पार कर गयी है। अक्टूबर 2024 में महंगाई 6.21 प्रतिशत बढ़ गयी जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का 4 से 6 प्रतिशत सुरक्षित अर्थव्यवस्था मानी गयी है। अब आप देख लो, हमारी महंगाई का क्या हाल है, आज महंगाई पर कोई बात ही नहीं करता, हम सबको मिलकर बात करनी चाहिए महंगाई पर, महंगाई को हम सब मिलकर रोकेंगे, कोई योजना बनानी चाहिए, हम आपके साथ हैं। हम सब साथ हैं, यह सबका मुद्दा है, यह गरीब का मुद्दा है, हम सबको मिलकर इस पर काम करना चाहिए। ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, मैं मोटे अनाज के बारे में बात करना चाहता हूं, मिलेट्स के सम्बन्ध में। मोटा अनाज पूरे देश के अन्दर, पूरे भारतवर्ष के अन्दर राजस्थान एक नम्बर पर है, एक नम्बर पर है मोटा अनाज पैदा करने में और राजस्थान की देश में यह पहचान है। माननीय सभापति महोदय, मिलेट्स उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी 28.6 फीसदी है और इसकी खेती 36 प्रतिशत क्षेत्र में होती है और अनाज हम पैदा करते हैं और मालामाल कौन हो रहा है? मालामाल गुजरात हो रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, आज इतनी महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा हो रही है और ट्रेजरी बेंचों पर एक भी मंत्री नहीं है, एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। ...(व्यवधान)... दोनों विभागों के मंत्री नहीं हैं, न कोई सीनियर अधिकारी है, मजाक बना रखा है विधान सभा को, माननीय सदस्य किसके लिए यहां बोल रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपको मंत्री बना देते, चन्द्रभान जी को मंत्री बना देते, कम से कम यहां बैठे तो रहते। ...(व्यवधान)... आपका होली के बाद आ जायेगा नम्बर, आप चिंता मत करो। आपको बनायेंगे हम। आप पूरा टाइम बैठ रहे हो। ...(व्यवधान)... एक मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री सभापतिः आप बैठिये। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आज तक का रिकॉर्ड रहा है, मांगों पर चर्चा के दौरान मिनिमम 3-4 मंत्री तो होने चाहिए। ...(व्यवधान)... हम लोग बाहर चले जायें तो यहां कोरम भी पूरा नहीं है।

श्री सभापतिः माननीय प्रतिपक्ष के नेता, विराजें। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ...(व्यवधान)... ये विजय सिंह जी बैठे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यहां आगे बैठने से सम्बन्धित मंत्रियों की कमी पूर्ति नहीं होती है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय, आप विराजें। ...(व्यवधान)... आप भी विराजें प्लीज, माननीय मंत्री महोदय यहीं विराजे हुए थे, हो सकता है आवश्यकताओं से हर आदमी की, आ जायेंगे दो-चार मिनट में। ...(व्यवधान)... अधिकारी भी बैठे हुए हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, हम यह नहीं कह रहे हैं कि नहीं जायें, रोटेशन से चले जायें, सारे एक साथ चले जायें, ...(व्यवधान)... सचेतक नहीं, संसदीय कार्य मंत्री नहीं, कैबिनेट मंत्री नहीं, ...(व्यवधान)... कहां है?

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आपका समय रुका हुआ है।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): मेरा समय पूरा होना चाहिए, अभी तीन मिनट मेरे खराब हो गये।

श्री सभापतिः बिलकुल भी खराब नहीं हुए आपके। ...(व्यवधान)... आपका वहीं स्टॉप हो गया और जब आप बोलना चालू करेंगे तब आपका समय चालू होगा। मंत्री महोदय आ गये हैं। कहीं गये नहीं थे।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मिलेट्स हम पैदा करते हैं

और मालामाल गुजरात हो रहा है। यह अन्याय है राजस्थान की जनता के साथ में। राजस्थान पिछड़ता जा रहा है। ...(व्यवधान)... मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में मोटे अनाज के निर्यात में 45 प्रतिशत हिस्सा गुजरात का है। मिलेट्स हम पैदा कर रहे हैं, और 45 प्रतिशत हिस्सा गुजरात ले रहा है। राजस्थान का मात्र 2.15 करोड़ का निर्यात हुआ है। ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, मैं इस पवित्र सदन के माध्यम से राजस्थान सरकार को कहना चाहता हूं कि राजस्थान का किसान मिलेट्स उत्पन्न करता है, उसका सही हिस्सा किसान को मिलना चाहिए।

MLS/RTM/11.03.2025/13:20/1p

उसका फायदा राजस्थान को मिलना चाहिये। आज हमारी स्थिति यह है कि जहां हम एक नम्बर पायदान पर थे, हिन्दुस्तान में आज हम नौवें पायदान पर खड़े हैं और शर्म की बात यह है कि महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक राजस्थान से आगे हैं। मिलेट्स स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मिलेट्स के लिए 2023 में अन्तरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। भारत में बहुत जोर-शोर से मनाया गया। राजस्थान में बहुत जोर-शोर से मेला लगा। इसका फायदा हुआ, लेकिन इसके प्रचार-प्रसार में कमी है। आप कोशिश करिये कि गुजरात को हिस्सा नहीं जाये हमारा। हम भी निर्यात में गुजरात से आगे जाने चाहिये। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः बैठे-बैठे नहीं बोलें। माननीय सभापति, आप तो अपने स्थान पर विराजें।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): सभापति महोदय, एक बहुत गम्भीर बात कहना चाहता हूं। आज जो हमारे स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें पोषणयुक्त खाना नहीं मिलता। यह सच्चाई है। आप देखिये, हमारे 10 जिलों में तो वो हालात हैं, हमारे बच्चों की हालत बहुत खराब है उन 10 जिलों के अन्दर। आज हमको यह ध्यान देना चाहिये, हम लोग पाउडर से दूध पिला रहे हैं बच्चों को, आपने घोषणा की गर्म पिलाएंगे, गर्म पिलाओ तो सही। आप गर्म की जगह ठण्डाई पिला दो, लेकिन दूध तो पिलाओ बच्चों को। बच्चों को अच्छा खाना दीजिये, मैं जमीन की बात कर रहा हूं मंत्री महोदय, मैं असत्य नहीं बोलता हूं पवित्र सदन के अन्दर, मैं वही बात कहने की कोशिश करता हूं जो सच्चाई है। आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिये।

श्री सभापतिः विराजिये आप। माननीय सदस्य, आपका पूरा विषय आ गया।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): मैं एक-दो बातें और कहना चाहता हूं।

श्री सभापतिः अब विराजें आप। समय हो गया साहब। श्री सुभाष मील।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): चुनाव में घोषणा की आपने कि हम लोग पेट्रोल-डीजल के भाव हरियाणा और पंजाब के बराबर कर देंगे। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ।

श्री सभापतिः विराजिये साहब, प्लीज।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): आज पंजाब और हरियाणा से 10 रुपये का अन्तर है।

श्री सभापतिः बैठिये प्लीज। आपकी सारी बात आ गयी। विराजिये।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा समय आपने 2 मिनट का खराब करा दिया।

श्री सभापतिः नहीं, आप विराजिये। 25 मिनट आप बोले हैं, मैं निवेदन करूंगा, आप विराजें। आपकी सारी बात आ गयी। श्री सुभाष मील।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का जो अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। आज एक बहुत महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। जो सहकारिता है, वह मुख्य रूप से हमारे प्रदेश में सीधे तौर पर किसानों से जुड़ा विभाग है। इस विभाग के द्वारा हमारे प्रदेश के किसानों को सशक्त किया जाता है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाया जाता है।

पक्ष-विपक्ष के कई साथियों ने इस पर अपने विचार दिये हैं। कई वरिष्ठ माननीय सदस्यों ने भी इस पर अपने विचार रखे हैं। अभी विपक्ष के वरिष्ठ माननीय सदस्य आरोप भी लगा रहे थे कि आपने सहकारिता को कमजोर किया, किसानों को कमजोर करने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं, प्रदेश की जनता को भी बताना चाहता हूं कि हमारी किसान हितैषी सरकार, जो सहकारिता पर विश्वास करती है, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की मूल संरचना ही सहकारिता पर आधारित है और हमारी पार्टी का प्रत्येक सदस्य सहकारिता के मूल मंत्र ''एक सबके लिए, सब एक के लिए'', उसी को अपने सार्वजनिक जीवन में जीने का काम करता है। हमारी पार्टी का एक-एक सदस्य सहकारिता के आधार पर अपना राजनीतिक जीवन जीता है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह साल यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ को-ऑपरेटिव के रूप में मनाया जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने आगामी दो साल में, माननीय कह रहे थे न कि आपने इसको कमजोर किया, हमारे बजट में आगामी दो साल में 2500 नये जी एस एस की स्थापना की घोषणा करने का काम हमारी सरकार ने किया, मैं बताना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, किसानों को फायदा देने के लिए अल्पकालिक फसली ऋण था, उसको बढ़ाकर जो पहले 23 हजार करोड़ था, उसको 25 हजार करोड़ रुपये करने की घोषणा इस बजट में हमारी सरकार ने की है, मैं यह विपक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं। इससे 35 लाख किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। जो दीर्घकालीन कृषि के सहकारी लोन वितरित किये जाएंगे, उनमें जो 400 करोड़ की राशि है, उस पर भी 5 परसेंट अनुदान की घोषणा हमारे बजट में सरकार द्वारा की गयी है, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं।

यह बात भी ये बड़े जोर-जोर से कह रहे थे कि इसमें आपकी सरकार सहकारिता को कमजोर कर रही है। अभी आज का भी अख़बार सब लोगों ने देखा है, रोज देखते हैं, कल जो एक क्वेश्चन का जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया कि किस तरीके से एक विधान सभा क्षेत्र में फर्जी तरीके से किसानों के नाम पर 8 करोड़ 60 लाख से ज्यादा का लोन उठाया गया, उसका फायदा लिया गया। यह इनका असली चेहरा है, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार, जो सहकारिता का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है दुग्ध उत्पादकों का, कांग्रेस सरकार का क्या था, जब सर्दियों में दूध का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है तो उसको लेने से मना कर देते थे, इसको ध्यान में रखते हुए हमने सीकर, झुंझुनूं, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, कोटा, इनमें मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान किया है। वहां पर जो दुग्ध संयंत्र हैं, उनकी क्षमता बढ़ायी जायेगी और किसान का एक लीटर दूध भी व्यर्थ नहीं जाने दिया जायेगा, सब संग्रहीत करके प्रोसेसिंग में लाने का काम किया जायेगा।

साथ ही, आगामी एक साल में 1 हजार नयी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना करने का भी निर्णय हमारी सरकार ने बजट के माध्यम से लिया है। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य अभी कह रहे थे, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ढाई लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की षोषणा हमारी सरकार ने इस बजट में की है, मैं आपको यह कहना चाहता हूं।

आप फसली बीमा के ऊपर कह रहे थे, यह सही है कि बीमा कम्पनियां गड़बड़ियां भी करती हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इसमें सुधार के लिए क्या किया। माननीय सभापति महोदय, जब सहकारी का कोई सदस्य किसी कारणवश दुर्घटना का शिकार होता है और दुर्घटना बीमा योजना उसमें हम संचालित करते हैं, सहकारी के जो सदस्य होते हैं, जो प्रीमियम ऋणी होते हैं, उनके ऊपर ही उसका भार आता है। इसके लिए हमारी सरकार ने 2023-24 में 31.54 लाख किसानों द्वारा सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में 359.39 करोड़ रुपये का प्रीमियम वहन किया था, जिसको हमने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 186.89 करोड़ रुपये किया है, जिससे किसानों पर 132 करोड़ रुपये का भार कम आयेगा, जो विभिन्न सहकारी समितियों के सदस्य हैं।

हमारी सरकार कहीं भी किसी योजना में कोई घोटाला नहीं हो, इसके लिए बिलकुल कटिबद्ध है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, यह जो वर्तमान में हमारा सहकारिता कानून है, इस पर हम सभी सदस्यों को चर्चा करने की जरूरत है। वर्तमान का सहकारिता कानून, जिसके अन्दर पहली बात तो यह है, घोटाला जब भी कोई होता है तो उसका पता बहुत देरी से चलता है और प्रावधान इसमें ऐसे किये गये हैं कि उसमें कई सुराख छोड़े गये हैं।

MKD/RTM/11.03.2025/13:30/1q

अगर उसमें कोई व्यक्ति घोटाला करता है तो उस घोटाले की जांच करने में बहुत लम्बा

समय लग जाता है और दोष सिद्ध होने पर जब उसको सजा देने की बात आती है। तब तक वह कर्मचारी रिटायर हो चुका होता।

इसलिए, मेरा इस सदन के माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री जी से निवेदन है, आप देखिये, महाराष्ट्र और गुजरात में सहकारिता की स्थिति बहुत बेहतर है। हमारी सरकार को भी वहां के सहकारिता कानून का अध्ययन करके और उसका विस्तृत अध्ययन करके, इसको और मजबूत बनाया जाए, ताकि सहकारिता में अगर कहीं कोई गडबड होती है, तो उसका पता लगे और उसको सजा मिले, ताकि जो इसके सदस्य हैं उनको फायदा मिले।

माननीय सभापति महोदय, किसान को समृद्ध करने की बात अभी माननीय विपक्षी सदस्य कह रहे थे। हमने विपक्ष का एक काम देखा, ये एक एजेंडा सेट करते हैं, एक नैरेटिव सेट करते हैं कि हमारी पार्टी किसानों के हित में है। आपने एक लोन माफ़ किया और आपने घोषणा तो सभी तरह के बैंको के लोन के बारे में की थी, लेकिन आपने 50 हजार रुपये तक का सहकारिता का लोन माफ़ किया।

मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप एक ही काम को कितनी बार गिनाओगे? सही तरीके से, सही मायनों में अगर किसान को सम्मान देने का काम किया है, अगर किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने का काम किया है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व वाली सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, अगर किसानों के हित में कहीं कोई ऐतिहासिक पहल हुई है, तो किसान सम्मान निधि के रूप में मोदी जी ने की है। उसमें भी दो कदम साथ चलते हुए हमारे मुख्य मंत्री जी ने उसको बढ़ाकर 6000 रुपये से 9000 रुपये किया। जिसको हम इसी कार्यकाल में, इसी सरकार के कार्यकाल में 12000 करने जा रहे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं।

आप सिर्फ किसानों की बात करते हैं, किसानों की भलाई के काम कभी नहीं करते। आपने जो लोन माफ़ किया था, उसमें भी बहुत सारी जांचें अभी पेंडिंग चल रही हैं, उसमें भी जिन लोगों ने खुद ने लोन नहीं लिया, उनके नाम पर आपने लोन माफ़ कराने का काम करके, अपनी जेबें भरने का काम कांग्रेस सरकार में हुआ है। माननीय सदस्य आपको बताना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और भी करना चाहता हूं, हमारी सरकार ने एक हजार नये कस्टम हायरिंग सेंटर खोले हैं। ये बात कर रहे थे कि आपने किसानों के लिए क्या किया, मैं आपसे कहता हूं, हमारी सरकार ने एक अध्ययन करके, माननीय मंत्री जी दक साहब यहां पर बैठे हैं, हमारी सरकार ने एक विस्तृत अध्ययन करके कि किसानों को कहां दिक्कत आ रही है, जो थोड़े कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर किसान हैं, उनको हम किस तरह से फायदा दे सकते हैं। हमारी सरकार ने अध्ययन किया और हमने कस्टम हाइरिंग सेंटर के माध्यम से प्रदेश के किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरण रियायती

दर पर उपलब्ध कराने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारी सरकार ने कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से एक लाख हैक्टेयर भूमि पर, किसान जिस पर खेती करते हैं, उस पर नैनो यूरिया और नैनो डी ए पी का छिड़काव करने का लक्ष्य किया और प्रति हैक्टेयर किसानों को ढाई हजार रुपये अनुदान देने की घोषणा इस बजट के अंदर माननीय सभापति जी किसानों के लिए की गई है। बातें करना बहुत आसान है, आरोप लगाना उससे भी आसान है, लेकिन प्रदेश की जनता देख रही है, हमारे किसान भाई देख रहे हैं कि कौन सी सरकार वास्तव में हमारे हित साधती है।

हमारी सरकार बनी, उसके थोड़े दिनों बाद इन लोगों ने माहौल बनाया कि यह सरकार किसान विरोधी है। इनको एजेंडा नैरेटिव सेट करने का मौका भी मिल गया, लेकिन उसके बाद में जब हमारी योजनाएं धरातल पर आने लगीं, हमारी सरकार ने पहला बजट दिया और किसानों के कल्याण के लिए हमने कई सारी योजनाएं दीं। उसके बाद में प्रदेश के किसान को समझ में आया कि माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है और यही कारण है माननीय सभापति महोदय कि जब प्रदेश के अंदर उप चुनाव हुए तो उनमें से सात सीटों में से पांच सीट भारतीय जनता पार्टी को इस जनता ने देने का काम किया और जो किसान हितैषी होने का नाटक विपक्षी पार्टी कर रही है, चार जगह उन किसान भाइयों ने इनकी जमानत जब्त करने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य आपूर्ति जो विषय है। ये लोग कह रहे थे कि हमारी सरकार ने (समय समाप्ति सूचक घंटी) सर, 2 मिनट लेना चाहूंगा। इन्होंने पिछले बजट में घोषणा की कि हम 500 रुपये देंगे और उज्ज्वला के जो लाभार्थी हैं, उनको 500 रुपये में हम गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ घोषणा करने का काम किया। हमारी सरकार ने आते ही उज्ज्वला को तो 450 रुपये में दिये ही दिये, खाद्य सुरक्षा योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये है हमारी सरकार की असलियत, आप सिर्फ बातें बनाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने एक गिव-अप अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत साढ़े 13 लाख लोगों ने खाद्य सुरक्षा में स्वेच्छा से अपना नाम हटाने का काम किया, जिससे वंचित और गरीब लोगों को उसका फायदा मिल सके। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

मैं इस सदन के माध्यम से एक निवेदन मंत्री जी को जरूर करना चाहूंगा कि खाद्य सुरक्षा का जो लाभ है, वह वंचित और गरीब व्यक्ति को, जो उसका वास्तविक लाभार्थी हैं, जो हक रखता है, अधिकार रखता है, उसको मिलना चाहिए, चाहे सरकार को इसके लिए कितनी भी सख्ती करनी पड़े। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अंत में, मैं केवल यही कहूंगा कि हमारी सरकार चाहे सहकारिता के माध्यम से हो या अन्य किसी योजना के माध्यम से हो, हमारी सरकार

किसानों का कल्याण करने के लिए, सहकारिता आंदोलन को बढ़ाने के लिए कृत संकल्पबद्ध है।

श्री सभापतिः समाप्त करें।

श्री सुभाष मील (खंडेला): हमारी सरकार 5 साल के अंदर अपने कामों के जरिये निश्चित रूप से प्रदेश के किसानों का कायाकल्प करेगी और प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री सी.एल. प्रेमी।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 50 सहकारिता एवं मांग संख्या 55 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

सहकारिता की स्थापना और वर्तमान स्थिति के बारे में, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में किसानों और श्रमिकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्त करने एवं परस्पर सहयोग से एक शोषण मुक्त स्वावलंबी एवं सशक्त आर्थिक समाज के निर्माण के लिए सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी।

आज सहकारिता के आंदोलन को या सहकारिता को चलते हुए 121 साल हो गए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1935 में बाबा साहब ने एक किताब लिखी प्रॉब्लम ऑफ रुपीज और उसके बाद रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई। रिज़र्व बैंक की स्थापना के बाद जितने भी हमारे राज्य थे, सभी अपने-अपने बैंक चलाते थे। जैसे बीकानेर वाला अपनी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। जयपुर वाला, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। ये सारे इस तरह से करते थे और अपनी करेंसी को अपने हिसाब से ही करते थे।

जहां तक सहकारिता का प्रश्न है।

Bhs/Rtm/11.03.25/13.40/2a

सहकारी संस्थाओं की हालत बहुत बुरी है मैं सहकारी मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों से कई सहकारी मिल बंद हो गये। तिलम संघ की हालत देखिए आप। तिलम संघ की आठ तेल मिलों में से पांच मिलें बंद हो गयी तथा झुन्झुनूं एवं जालोर की मिलों को बेच दिया गया। कपड़े की जो मिलें गंगापुरसिटी और गुलाबपुरा में थीं वे बंद हो गईं तो यह हमारे सहकारिता की स्थिति है जैसे की पूर्व सदस्य हमारे बता रहे थे।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली हमारी सरकार ने सहकारी के माध्यम से 21.14 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ़ किया और हम यह चाहते थे कि नेशनलाइज्ड बैंको की तरह नेशनलाइज्ड बैंकों के जो लोन हैं जो किसानों पर लोन है जैसे ट्रैक्टर का लोन हो या डीपीएस का लोन हो या क्रॉप लोन हो वह भी माफ़ किया जाना चाहिए। हमारे लोकप्रिय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने इसकी कोशिश की, लेकिन यह नहीं हो सका।

मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है और सहकारिता मंत्री हमारे गृह मंत्री हैं जो सहकारी मंत्री हैं, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह मिल करके हमारे किसानों का कर्ज माफ़ किया जाये तो मैं समझता हूं कि किसानों को बहुत सुविधाएं मिलेंगी।

सभापति महोदय, किसान निधि की आप बात कर रहे थे हमारे अभी जो माननीय सदस्य जी तो अच्छी बात है, यह अच्छा है। मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा केशोरायपाटन में एक शुगर मिल हुआ करती थी जो आजादी से पहले थी। आजादी के पहले वह वहां लग गयी थी। वसुंधरा जी की सरकार ने और हमारी पूरी सरकार ने दोनों ने कोशिश की कि यह शुगर मिल किसी तरह से चले लेकिन आश्वासन ही आश्वासनों में पिछले 15 साल से देख रहा हूं। पिछली बार भी मैंने प्रश्न लगाया था और सहकारी मंत्री जी से मैंने निवेदन भी किया था कि इस सहकारी मिल को आप चलाइये।

सभापति महोदय, ऊर्जा मंत्री जी भी हमारे सामने बैठे हैं, 1 हजार बीघा जमीन थी सहकारी मिल की, 450 बीघा जमीन ऊर्जा विभाग को दी गयी इसलिए दी गयी कि वहां कोई प्लांट लगे लेकिन कोई प्राइवेट सेक्टर का प्लांट वहां नहीं लगा और न ही शुगर मिल चल पाया तो मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी तरह से जैसे वहां 4000 से अधिक किसान शेयर होल्डर हैं और 96 बीघा जमीन और 53 करोड़ रुपये सहकारी मिल के पास वहां मौजूद हैं। मेरा सहकारी मंत्री जी से यह निवेदन है कि कृपया किसी भी तरह से जैसे गुजरात में और महाराष्ट्र में सहकारिता की बहुत अच्छी स्थिति है। मेरा यह निवेदन है कि किसी भी तरह से सहकारी मिल को आप चलायेंगे तो मैं समझता हूं कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के किसानों को इसका फायदा होगा और शुगर का उत्पादन होगा तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी स्थिति रहेगी।

सभापति महोदय, जहां तक मैं भूमि विकास बैंकों की बात करूं तो राजस्थान में 36 भूमि विकास बैंक हैं। वह भी टर्म लोन देती है, बड़े लोन देती है, ट्रैक्टर के लोन डीपीएस के लोन किसानों को सहायता करती है लेकिन मैं आपसे बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि 27 बैंको की हालत बहुत खराब है, बहुत बुरी स्थिति है और शाखाओं को मर्ज करने की स्थिति में बता रहा हूं। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक को मिला दिया जाये तो मैं समझता हूं कि आपके स्टाफ की भी कमी नहीं रहेगी और लोगों को लोन देने में भी दिक्कत नहीं आयेगी तो मेरा यह निवेदन है सहकारी मंत्रीजी से कि दोनों बैंको को मिलाकर के यदि एक बैंक कर दिया जाये, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नाम से कर दिया जाये तो मैं समझता हूं कि आपको इसकी बहुत सुविधा होगी।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2024 25 के बजट में किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसल ऋण के लिए 23 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और पिछले बजट में सरकार ने 5 लाख नये किसानों को ऋण देने की बजट में घोषणा की थी, लेकिन 2025 के दिसंबर तक आपने 16,781 करोड़ रुपये का ही ऋण बांटा। आपने वादा

किया था 5 लाख नये किसानों को ऋण देने का, लेकिन आपने दिसंबर 2024 तक 71,280 नये किसानों को ही ऋण उपलब्ध करवाया है, जो बहुत कम है।

माननीय सभापति महोदय, किसानों को क्रेडिट लिमिट चाहे कितनी भी हो, पहले आपकी लिमिट सोसाइटी में 1 से और 3 तक थी, आपने अभी उसको बढ़ाकर के बजट में 3 लाख से 5 लाख की है, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी और सभापति जी आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को मात्र 50 हजार से 1 लाख और 1 लाख से 1.50 लाख से ज्यादा किसी भी किसान को लोन सोसाइटी नहीं देती। सोसाइटियों की भी स्थिति अच्छी नहीं तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस राशि को बढ़ाया जाये। बढ़ा तो दी आपने लेकिन वहां के व्यवस्थापकों को वहां के चैयरमेन को, वहां के सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एम.डी. को और इनको निर्देश दिये जायें ताकि ये लिमिट बढ़ाकर के किसानों का भला कर सके।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के सहकारी बैंक और ग्राम सहकारी समितियों के ऋणों के लिए 2008 से सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना चलाई जा रही थी। 2023- 24 में इस योजना में 53,29,100 किसानों का बीमा किया गया लेकिन 2024-25 में दिसंबर तक आपने 25,95,914 लोगों को ही इस बीमा का फायदा दिया। इसको आप बढ़ाने का कष्ट करें। केशोरायपाटन में सहकारी समितियों के गोदाम की कार्यालय की स्थिति यह है माननीय सभापति महोदय, केशोरायपाटन में कुल 62 ग्राम सेवा सहकारी समितियां काम कर रही हैं। विधानसभा क्षेत्र के जैतपुर, गुढा, सखावदा, दौलतपुरा, गुडली, रड़ी, माधोराजपुरा, बालोद ग्राम पंचायत में न सहकारी गोदाम है न कार्यालय है। मेरा आपसे निवेदन है कि वहां कार्यालय और गोदाम खोला जाए तो आपकी बहुत-बहुत कृपा होगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के केशोरायपाटन मुख्यालय खरायता, सखावदा, बसवाड़ा, करवाड़ा की झोपड़ियों में ग्राम सेवा सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं। इसके साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र के पीपल्दा, जागीर, बालिता, खेड़ियादुर्जन में ग्राम सेवा सहकारी समिति के लिए मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि आप वह खोलें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा में खाद की बात करूंगा मैं, कोटा में सीएफसीएल, डीसीएम, श्रीराम लिमिटेड मिलकर के सालाना 15 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया पैदा करती हैं।

श्री सभापतिः समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): और कोटा संभाग के लोगों को उसका कोई फायदा नहीं मिलता है।

श्री सभापतिः श्री पब्बाराम विश्नोई।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): ज्यादातर खाद दूसरी जगह दे दिया जाता है तो मेरा आपसे निवेदन है...।

श्री सभापतिः विराजें।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे एरिया में कोटा डिस्ट्रिक्ट के एरिया में, कोटा डिवीज़न में खाद की ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप एक बार मिल लेना। श्री पब्बाराम विश्नोई।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, यद्यपि सहकारी आन्दोलन की औपचारिक शुरूआत हमारे राजस्थान के अजमेर से और भरतपुर से हुई। पूरे भारतवर्ष में राजस्थान लीडर के रूप में स्थापित है सहकारिता आंदोलन में। इसमें क्रमशः सुधार होते गए तो उसमें कुछ गड़बड़ियां भी आती गईं। इनका वर्णन मैं आगे करूंगा, परंतु इससे पूर्व भी सहकारिता के सम्बन्ध में अनेक कार्य होते रहे हैं। यह हमारे पुरातन समय से ही सहकार आपसी किसानों में या अन्य लोगों में सहकार भाव हमेशा मौजूद रहा है। हम लोग कृषि कार्यों में हम एक दूसरे की मदद किया करते रहे हैं।

Kas/rtm/11.03.2025/13.50/2b

जिस समय फसलों को समेटने का समय होता था और अधिक फसल हो जाती थी, एक किसान को उसको समेटने में बहुत मुश्किल होती थी, उस समय हमारे यहां पुरातन समय से ही एक प्रथा है, लाह प्रथा। कुछ लोग इसको वहां पर लाश भी बोलते हैं और लाह भी बोलते हैं। गांव के समस्त किसानों को निमंत्रण दिया जाता है कि मेरे आज लाह है और उस लाह में जाना अपना परम धार्मिक कर्तव्य वह किसान समझता है और वहां जाकर उस किसान की मदद करता है और दिनभर काम करता है। उसके बदले और कुछ नहीं, उसको अच्छा भोजन या गोठ दे दी जाती है। यह है सहकार का भाव। आपने देखा पिछले दिनों हमारे किसानों के बीच में हमारे सदन के सदस्य कृषि कार्य करते हुए, कड़ब काटते हुए, हमारे वहां पर ऊपर का सिट्टा काटने के बाद में नीचे का जो ठंडल बचता है, उसको डोका बोलते हैं और कई जगह कड़ब बोलते हैं, तो डोका डांस करते हुए भी आपने हमारे माननीय सदस्य को देखा होगा, वो वीडियो भी वायरल हुआ है। यानी किसान डीजे की धुन पर नाचते-गाते एक दूसरे की मदद करते हैं और शाम तक उसका पूरा काम कर जाते हैं। यह है सहकार भाव, एक दूसरे की मदद करना।

अब तो हमारे यहां पर बरसात होने लगी है, क्योंकि हमारे वहां भी प्लांटेशन हो गया, पश्चिमी राजस्थान में कुछ नहरी तंत्र हो गया है और कुछ अंडरग्राउंड वाटर मिलने से नई तकनीक से पानी बाहर आना शुरू हुआ है तो पेड़-पौधे अधिक हो गये हैं और इसलिए बरसात भी कुछ अधिक हो गई है। हमारे सतकाल भी पड़ता था, सात-सात काल और उस काल में परिस्थितियां यह हो जाती थी कि किसान का, गरीब का बीज भी समाप्त हो जाता था और पशु भी चले जाते थे। उस समय में खेती का समय होता था, बरसात होती थी, तो हम गांव वाले लोग सभी उसकी चिंता करते थे। वह कहते थे कि अब इसके खेती हो जायेगी, तो 12

महीने का अनाज इसका पैदा हो जायेगा, इसलिए उसके खेत को जुताने के लिये या उसके खेत में हल जोतने के लिये आस-पास के किसान जाकर हल जोत कर उसकी खेती कर दिया करते थे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, परिदृष्य बदलते-बदलते पूरा खाली हो गया है। गंभीर विषय है, आप चिंतन करें।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सामूहिक प्रयास किया जाये, वो ही सहकारिता है। सहकारिता का एक सर्वोत्कृष्ट नमूना आपको निवेदन करता हूं। यह खेजड़ी हमारे पश्चिमी राजस्थान में तुलसी के नाम से जानी जाती है, पवित्र पौधा जाना जाता है। पूजा में भी जब कलश रखते हैं, तो उसमें खेजड़ी का लोंग यानी पत्ते रखा करते हैं, इसको बहुत पवित्र मानते हैं। अकाल के समय में यह पशुओं को चारा भी देती है और साथ जलाऊ लकड़ी भी देती है। हमारे पूर्वज कहते थे कि जब सतकाली पड़ती थी तो उनके छोड़े खाकर अपना काल का समय गुजारते थे। उस खेजड़ी को काटने पर दुनियाभर के आंदोलन हमारे पश्चिमी राजस्थान में चल रहे है, सामूहिक रूप से चल रहे हैं। 300 साल पहले मां अमृता देवी के नेतृत्व में जब अमृता देवी और उनकी तीन बेटियां और उनका पति, खेजड़ी को बचाने के लिये अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं तो 363 लोग एक साथ अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। वह भी एक सहकार का ही भाव है। यह विषय मैं विषयांतर कर रहा हूं, परंतु इसको विषय पर ला रहा हूं। कल कोलायत से आने वाले माननीय विधायक जी को सरकार की तरफ जवाब मिला कि 12 महीने में एक भी खेजड़ी नहीं कटी। आपके वहां एफआईआर देख लो, आपके वन विभाग में देख लो, हम आंखों देख रहे हैं, दुनियाभर के वीडियो आ रहे हैं और आप यह कह रहे हो। उनके भरोसे यह खेजड़ी कटना नहीं रुकेगा और माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि गांवों में वृक्षों की रखवाली का काम भी को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को दिया जाये। कॉ-ऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा उनकी निगरानी की जाये। उनसे रिपोर्ट लेकर आप कहो, यह को-ऑपरेटिव सोसाइटी गांव की प्रतिनिधि सभा है और उनके हाथ में यह सारी बात दे देनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, यह को-ऑपरेटिव संस्कार न सिर्फ किसानों के ही हैं, शिल्पकारों, कलाकारों, महिला समूहों, दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों, मार्केटिंग सोसाइटी, जीवन के हर क्षेत्र में आज सहकार भाव है और सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको पुष्ट करने का, उनको ताकतवर बनाने का हमारा काम है। माननीय सभापति महोदय, सहकारी आंदोलन का ध्येय किसानों, श्रमिकों, शिल्पकारों, लघु व्यापारियों, जन साधारण को बिचौलियों से शोषण मुक्त करना और पारस्परिक सहयोग कर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर उनका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करना है एवं उत्पाद का उचित मूल्य भी उसे मिले। इसके साथ ही उपभोक्ता को उचित मूल्य पर गुणवत्ता पूर्ण वस्तुएं उपलब्ध करवाना भी सहकारी आंदोलन का ही हिस्सा है। इसका उद्देश्य राज्य की सर्वोपरि प्रगति सुनिश्चित करना रहा है। सहकारी आंदोलन ने समावेशी विकास, सामाजिक, आर्थिक

सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में अहम भूमिका निभाई है। इसलिए सहकारी आंदोलन में कालांतर में जब यह आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, तो किसान धीरे-धीरे बिचौलियों और साहूकारों के चंगुल में फंस जाता और ऋण लेता रहता और उस ऋण पर चक्रवृत्ति ब्याज के द्वारा वह ऋण उस पर चढ़ता जाता और सारी उम्र उससे वह ऋण उतर नहीं पाता। इससे उसकी जमीनें बिक जाती थीं। इसमें सहकारी आंदोलन ने बहुत बड़ा काम किया है। आज सहकारी आंदोलन के माध्यम से उसको समय पर ऋण भी मिलता है और वो भी बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य की भजन लाल जी की सरकार और माननीय सहकारिता मंत्री महोदय का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने वो ऋण राशि बढ़ाई है। उसे डेढ़ लाख रुपये बढ़ाकर ढाई लाख रुपये की और उसमें पशु वाला भी 50 हजार रुपये जोड़कर, इस प्रकार का काम करने का काम किया। दुधारू पशुओं के लिये भी आपने देना शुरू कर दिया, पशुपालकों के जो आपने शुरू किया है, माननीय मंत्री महोदय, इसके लिये मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। पशुपालक भी किसान ही हैं, उनके द्वारा दिया गया दूध प्रातः आपको सरस डेयरी और डेयरी के माध्यम से गटकाने के लिये मिलता है।

श्री सभापतिः विराजिए, विराजिए।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): 10 मिनट हो गई?

श्री सभापतिः जी, बढिया बोल लिये आप।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय सभापति महोदय, होता क्या है कि जो हमारी कॉ-ऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनमें ऋणी सदस्य को 10 सदस्य चुनने का अधिकार है और अऋणी एक ही सदस्य चुन सकता है। जब अऋणी एक सदस्य चुन सकता है तो ऋणी जो अध्यक्ष है, वो उन्हीं को देगा जो उनके अपने हैं और इसलिए जो एक बार अध्यक्ष बन जाता है, वो उस संस्था पर कुंडली मार कर बैठ जाता है। पहले यह व्यवस्था थी कि जितने भी सदस्य थे, वो सारे के सारे उसमें वोट किया करते थे। .....

Msk/rtm/11.03.25/1400/2c

11 के 11 सदस्य और नया अध्यक्ष चुनकर आते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार पनपता है, दूसरा अध्यक्ष आता है।

श्री सभापतिः आपका सुझाव मंत्री महोदय ने नोट कर लिया। विराजें। श्री मनोज कुमार।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): वह पर्दे डालने का काम करता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस व्यवस्था को बदला जाये और पूरे 11 सदस्यों को चुनने का अधिकार, सभी शेयर होल्डर्स को दिया जाये, ताकि इस दुविधा से निकला जा सके और सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 50 - सहकारिता और

मांग संख्या 55 - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पर मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

आजादी का समय, आजादी का आन्दोलन और उसी आन्दोलन से समाजवाद सहकारिता निकलकर आता है। आजादी के बाद विभाग बनते हैं, पर समाजवाद, सहकारिता का जो मूवमेंट है, उसे सरकार मजबूत करने का प्रयास करती है। मकसद था कि जो देश में अशिक्षा थी, जो देश में गरीबी थी, पूरा देश ग्रामीण परिपेक्ष में था, अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। कैसे कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाये, कैसे लोगों को मजबूत किया जाये, वहीं से सहकारिता आन्दोलन शुरू हुआ और सहकारिता का कांसेप्ट भारत में धीरे-धीरे मजबूत हुआ। पर समय के साथ कहीं न कहीं यह मूवमेंट, सरकारी सिस्टम और अधिकारियों के बीच में एक तरह से पिस-सा गया है। जो लोग इस मूवमेंट से निकले थे, आज उस तरह का कहीं देखने को मिलता है। ज्यादातर सहकारी संस्थाएं धीरे-धीरे जेबी संस्थाएं बनती जा रही हैं, विशेष तौर से जो सरकारी सहकारी संस्थाएं हैं। अभी पूर्व माननीय सदस्य भी कह रहे थे, लास्ट में अपना सुझाव दे रहे थे कि धीरे-धीरे एक व्यक्ति विशेष की जेब में हर संस्था जाती जा रही है और उसका खामियाजा आम आदमी उठा रहा है। समय आ गया है कि व्यवस्था कुछ बदले, समय के साथ इसमें बदलाव करे।

सहकारी समितियों के चुनाव समय पर करवायें। हालत यह है कि 10-10, 15-15 साल सहकारी समितियों के चुनाव नहीं होते। तीन साल के लिए अध्यक्ष बन जाता है। तीन-तीन, चार-चार कार्यकाल अकेला ही करता चलता है। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले जो नियत समय है, उस नियत समय पर चुनाव हों। पारदर्शिता से चुनाव हों। सदस्य जो कि अध्यक्ष बनने की कोशिश कर रहा होता है, वह अपनी मनमर्जी से बनाता है, दूसरे बनते नहीं हैं। यही कारण है कि संस्था पूरे तरीके से उसकी जेब में आकर रह जाती है। कुछ सहकारी संस्थाएं, क्रय-विक्रय हो या और हो, जिनके जिम्मे अभी एमएसपी पर खरीद का जिम्मा है। बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि खरीद केन्द्रों पर जो हालात इस बार पैदा हुए हैं, मैं मेरे जिले या मेरी तहसील की बात करूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो हालात बड़े भयावह थे। किसान अपनी फसल लेकर विक्रय केन्द्रों पर पहुंचे। कई-कई दिनों तक उनकी फसल की तुलाई नहीं होती। किसी न किसी बहाने उस पर अड़ंगा लगाया जाता है। उसके बाद उनसे मोटी रकम मांगी जाती है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। 25 क्विंटल की खरीद थी, 40 क्विंटल की खरीद की सरकार ने घोषणा की कि हम मूंगफली की 40 क्विंटल की खरीद करेंगे तो उन्होंने रेट भी बढ़ा दी। 15-15, 20-20 हजार रुपये प्रति किसान से लेना शुरू कर दिये। 15 हजार रुपये, 20 हजार रुपये यदि एक किसान से लेंगे तो फिर एमएसपी पर फसल बेचने का क्या फायदा? इतना जबर्दस्त भ्रष्टाचार इस बार इस खरीद में हुआ है। अगर मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे तो इनको पता चलेगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार का खुला खेल इस बार मूंगफली की फसल की खरीद में हुआ है। कारण यह था कि इस बार गैप ज्यादा था, खरीद और एमएसपी पर। एक मौका मिल गया कि किसान बेचने कहां जायेगा?

फसल मंडी में ले आया, उसका किराया लग रहा है। वह बैठा है, उसको देने पड़ेंगे। देता भी, बेचारा करता क्या? इसलिए मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इस तरह का जो खुला खेल हुआ है, वह आगे नहीं हो। अभी जो हुआ है, कौन-कौन लिप्त हैं, उसमें कौन अधिकारी लिप्त हैं, किन नेताओं का उनको संरक्षण प्राप्त हुआ है? क्या कारण रहे कि इनको इतनी खुली छूट मिल गयी और किसी तरह उन पर रोक नहीं लग पायी?

दूसरा यह जो खरीद शुरू होती है, बहुत ही लेट शुरू होती है। किसान को समस्या यह है कि उसकी फसल ज्यों ही मंडी में खेत खलिहाल से बाहर घर पर आती है तो उसको चिंता रहे कि मैं इसको तुरंत बेचकर आऊं। ताकि मैं पैसा किसी को चुका सकूं। मैंने जो लोन लिया है, उसको चुका सकूं। मेरे घर में कोई काम है, उसको मैं कर सकूं। पर खरीद इतनी लेट होती है, उस बीच में वह फसल बेच जाता है। इसलिए कोशिश करें कि ज्यों ही फसल की कटाई का समय आये, उसी समय सरकार खरीद चालू करे, ताकि फसल कटते ही किसान फसल को एमएसपी पर बेचने का काम कर सकें। क्योंकि इतने दिनों तक किसान इंतजार नहीं कर सकता है। उसके बीच में उसकी फसल जो दलाल और व्यापारी होते हैं, वे खरीद लेते हैं और उसके बाद वे उसके नाम से क्रय विक्रय समितियों या जो भी एजेंसी लेती हैं, उसको देते हैं। फसल किसान की, लेनी वाली संस्था सरकार, पर फायदा वे व्यापारी और दलाल उठा लेते हैं, जो इन एक-दो महीनों के गेप में उसकी फसल खरीद लेते हैं और उसके बाद उसका टोकन कटाकर उसकी फसल बेचते हैं। यह सीधा फायदा जो किसान को मिलना चाहिए, यह जो तीसरी जगह हो रहा है, इसको बन्द करने की जरूरत है।

एक ईंयारा सोसाइटी मेरे विधान सभा क्षेत्र में थी, जहां बात उठी कि कुछ पूर्व के लोगों ने मोटा घपला किया है, चर्चाएं चलीं, पर उन चर्चाओं को जब और ज्यादा हवा लगी कि एक व्यवस्थापक राजूराम, जिसकी संदिग्ध हालत में लाश मिलती है, पुलिस उसका मुकदमा दर्ज करती है। अब बीएनएस आ गयी। बीएनएस 103(1), 61(2) में। उसके बाद कोई दूसरा कोई व्यक्ति वहां लेना नहीं चाहता। क्या कारण रहे? हालांकि, क्यों, यह तो पुलिस जांच का विषय है कि संदिग्ध हालत में लाश मिली है। किस तरह हत्या हुई है? क्या मामला है, यह मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, यह जांच का विषय है। तब तक उसकी तहक़ीक़ात नहीं हो जाती, पुलिस अपनी अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं कर देती, पर उस सोसाइटी में पहले क्या घपले हुए हैं। क्या उन घपलों से, उस व्यवस्थापक को क्या अड़चन आ रही थी, यह तो विभाग के लिए जरूर जांच का विषय हो सकता है, होना भी चाहिए। आखिर क्या मजबूरी होगी कि उस व्यक्ति को रास्ते से हटाना पड़ा? यह बहुत बड़ा विषय है। इसकी तरफ भी विभाग को देखना चाहिए।

गांवों की सोसाइटियां हैं, खाद-बीज, डीएपी वितरण का जिम्मा भी इनके पास होता है। बहुत-सी सोसाइटियों को जिस ढंग से जिम्मेदारी दी गयी है, वे उसे नहीं कर पाती हैं। कुछ सोसाइटियां आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। डीएपी वगैरह को एडवांस पैसा देकर मंगाना पड़ता है, वे मंगा नहीं पाती हैं और किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ सोसाइटी बीज-खाद

का वितरण अपनी मनमर्जी से करती हैं और एक गरीब किसान उसमें पिसता है। इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सोसाइटियां मजबूत हों, ताकि समय पर डीएपी वगैरह की खरीद करे। ताकि किसानों को मिले। बाजरा राजस्थान की मुख्य फसल, अपन सब जानते हैं, देश में सबसे ज्यादा बाजरे का कहीं उत्पादन है तो वह राजस्थान में हैं।

mdp/rtm/11.03.25/14:10/2d

सरकार भी इस बाजरे की फसल को, मिलेट्स का प्रोत्साहन कर रही है कि कैसे लोग ज्यादा से ज्यादा खाएं, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, गेहूं का उपयोग कम करके बाजरे की तरफ शिफ्ट हों।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हो सकता है कि आने वाले पीढ़ी, धीरे-धीरे इस गेहूं के कारण पूरी तरह से बाजरा उगाना ही छोड़ दें किसान, क्योंकि बिकना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बाजरे की फसल को एमएसपी पर सरकार खरीदना शुरू करे। किसानों को प्रोत्साहित करे, ताकि बाजरे जैसी जो फसल है, लोग उसका उपयोग कर सकें। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापतिः श्री संजीव कुमार ।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 50-सहकारिता एवं मांग संख्या 55-खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग पर चर्चा चल रही है। इस चर्चा में आपने मुझे सम्मिलित होने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारा जिला हनुमानगढ़ कृषि प्रधान इलाका है और कृषि प्रधान क्षेत्र में किसानों का सहकारिता से बहुत लगाव है, गहरा लगाव है। सहकारिता दो शब्दों, सह प्लस कारिता से मिलकर बना है। जिसका अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करने को सहकार कहते हैं। इसीलिए नारा दिया गया है कि 'एक सबके लिए - सब एक के लिए' तो आज सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं।

माननीय सभापति महोदय, वैसे हम सबके लिए खुशी की बात है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान हम सब लोग इस पवित्र सदन में सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश में विशेषकर ग्राम सेवा सहकारी समितियों को संचालित करने के लिए और उनको संचालित करने में व्यवस्थापकों, सहायक व्यवस्थापकों और सेल्समैन आदि जो हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उनकी भी बहुत-सी समस्याएं हैं, जिनकी तरफ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा

सभापति महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत इन कर्मचारियों का कॉमन कैडर बनाया जाए, जिससे उनके वेतनमान और अन्य परिलाभ जो हैं, वे उनको समय पर मिल सकें। प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों, सहायक व्यवस्थापकों और सेल्समैन आदि का राज्य कर्मचारियों के अनुरूप वेतन निर्धारित किया जाये और सेवानिवृत्ति के उपरांत उनको पेंशन देने का प्रावधान भी इसमें सम्मिलित किया जाए। इसके साथ-साथ ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो समस्त कर्मचारी हैं, उनको राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की तरह आरजीएचएस में शामिल करके उनको मेडिकल सुविधा प्रदान करके एक तरह से उनको आर्थिक संबल प्रदान किया जाए। ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो कर्मचारी हैं, इनका एक बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र में है। इनको यह लाभ मिलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अधिकांश सहकारी बैंक, हमारे प्रदेश के अधिकांश सहकारी बैंको में प्लेसमेंट संस्था के माध्यम से कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर और सहायक कर्मचारियों के लिए रजिस्ट्रार, राजस्थान सरकार ने 16/06/2023 को एक आदेश दिया कि उनको अधिकतम वेतन 22,500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से देने का उसमें प्रावधान किया गया। लेकिन अभी तक हनुमानगढ़ जिले में इस आदेश के मुताबिक इन कम्प्यूटर ऑपरेटरों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। मैं इसकी तरफ भी माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उस आदेश के मुताबिक हनुमानगढ़ जिले में जो भी कम्प्यूटर ऑपरेटर व सहायक कर्मचारी प्लेसमेंट संस्था के माध्यम से काम कर रहे हैं, उनको इसका लाभ दिलवाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियां पूरे प्रदेश में काम कर रही हैं। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम भवन और कार्यालय भवन ये सब जगह यदि बनेंगे तो किसानों को काम करने में आसानी होगी, संचालक मंडल को भी आसानी होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि मेरे विधानसभा क्षेत्र भादरा में अधिकांश ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भवन का अभाव है, कार्यालय भवन का अभाव है, गोदामों की भी आवश्यकता है। यदि भवन या गोदाम है तो वह 50 एमटी के पुराने गोदाम बने हुए हैं, जो जर्जर हालत में हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विधानसभा क्षेत्र भादरा में, चूंकि विधान सभा का अधिकांश कृषि क्षेत्र सिंचित क्षेत्र में आता है, जिससे समितियों को कृषि आदान भंडारण की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अतः मैं निवेदन करूँगा की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में आवश्यकतानुसार 100 एमटी, 250 एमटी, 500 एमटी के गोदाम भवन स्वीकृत किए जाएं। कार्यालय भवन स्वीकृत किए जाएं ताकि किसानों को समय पर कृषि का आदान प्राप्त हो सके।

इसके साथ-साथ सरकार की यह मंशा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन हो। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से ये भी निवेदन करूंगा कि हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में, ग्राम पंचायत क्षेत्र में अभी तक जहाँ ग्राम सेवा सहकारी

समितियों का गठन नहीं हो पाया है, उसमें प्रस्ताव मंगवाकर के आप ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करें, ताकि किसानों को इस सहकार का लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, किसानों को जो ऋण दिया जाता है, उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले अनेक सालों से पैक्स स्तर पर किसानों की अल्पकालीन ऋण साख सीमा, यानी जो लिमिट है, वह कम है, लाख, डेढ़ लाख रुपये हैं। मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वर्तमान में जो बाजार मूल्य है, ज़रूरतों के हिसाब से किसान को उसकी आवश्यकता है, अतः इस लिमिट को, हमारी अल्पकालीन ऋण साख सीमा, उस लिमिट को भी बढ़ाया जाना आवश्यक है। उसको बढ़ाकर कम से कम 3 लाख रुपये किए जाने का प्रावधान किया जाए ताकि किसान को उसका लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, वर्तमान में सहकारी बैंक द्वारा दिए जाने वाले अल्पकालीन ऋण पर फसल बीमा राशि का अंशदान बहुत ज्यादा है। बैंक भी मनमाने तरीके से किसानों के ऋण खातों में इस तरह का अंशदान लिख देता है। इसका लाभ भी किसानों को नहीं मिलता। अतः मैं निवेदन करूंगा कि ये अंशदान, जो बैंक वाले उसमें लिखते हैं, ये अंशदान स्वैच्छिक होना चाहिए। यदि स्वैच्छिक होगा तो किसान अपनी इच्छा के मुताबिक अंशदान उसमें डालेंगे। सरकार के स्तर पर भी यदि अंशदान किसान के उस खाते में दिया जाये तो किसान को एक आर्थिक संबल भी मिल पायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा की मेरे भादरा विधान सभा क्षेत्र में ग्राम गांधीबड़ी में हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा खोली जाए, ब्रांच खोली जाए। यह लम्बे समय से वहां के किसानों की मांग है। गांधीबड़ी गांव में केंद्रीय सहकारी बैंक की ब्रांच खोली जाएगी तो उसका बहुत बड़ा लाभ उस क्षेत्र के किसान को मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, विपणन के स्तर पर भी कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा कि पिछले रबी सीज़न में भादरा विधान सभा क्षेत्र में बिजाई के समय डीएपी खाद, यूरिया खाद की कमी महसूस की गई। काफी कठिनाई किसानों को हुई। मैं कहना चाहूंगा कि किसानों को समय पर खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। विशेषकर खाद का जब वितरण होता है, विशेषकर बिजाई के समय डीएपी का, यूरिया का, हमारा भादरा क्षेत्र जिले के अंतिम छोर पर स्थित है, अतः वहां तक उसको लाने व ले जाने में और उसको पहुंचने में भी काफी समय लगता है। खाद के वितरण की समस्या लगातार बनी रहती है। भादरा को खाद्य भंडारण के लिए रेट पाइंट वहां बनाया जाए ताकि किसान को समय पर खाद वगैरह उपलब्ध हो सके। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति में किसानों के लिए समय पर खाद, डीएपी, यूरिया खाद, कीटनाशक दवाइयां और बीज इनकी समुचित व्यवस्था और उनके वितरण की व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को दूर जाकर परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

Ans/rtm 14.20 2e 11.03.2025

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि चालू रबी सीज़न के लिए हनुमानगढ़ ज़िले में राजफैड के माध्यम से समर्थन मूल्य पर गेहूं और सरसों आदि की खरीद की तैयारियां की जा रही है। इस वर्ष के लिए तैयारियां की जा रही है। क्षेत्र में जो है, गेहूँ व सरसों की खरीद बड़े पैमाने पर की जाती है। हमारे भादरा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खरीद किसान के इस गेहूँ और सरसों की होती है। प्राय: यह देखने में आता है की राजफैड द्वारा खरीद का भुगतान देरी से किया जाता है, तो देरी से भुगतान की वजह से किसानों को समय पर पैसा नहीं मिलने से बड़ी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

श्री सभापतिः समाप्त करे।

श्री संजीव कुमार (भादरा): मैं निवेदन करूंगा कि राजफैड स्तर पर शीघ्र भुगतान करवाए जाने की व्यवस्था हो। इस तरह की माकूल व्यवस्था खरीद के लिए की जाए।

श्री सभापतिः श्री सोहन लाल नायक।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट।

श्री सभापतिः आपकी कोई बात रह गई हो तो, टेबल कर दें। आपका टाइम हो गया, टेबल कर दें।

श्री संजीव कुमार (भादरा): ठीक है।

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। राजस्थान में सहकारी विभाग की स्थिति बहुत दयनीय है। समिति के सदस्यों और अध्यक्षों को कुछ जानकारी नहीं है और मात्र व्यवस्थापकों के सहारे ही सहकारी समितियां चल रही हैं। श्रीगंगानगर में कई ऐसी सहकारी समितियां हैं, जहां व्यवस्थापकों ने करोड़ों का गबन किया। विभाग द्वारा जांच करवाई गई और वह लोग दोषी पाए गए, परंतु आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जो गबन की राशि है, उसको वापस नहीं लिया गया।

माननीय सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सहकारी विभाग में ऐसे कई कर्मचारी हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता फर्जी पाई गई, उनके खिलाफ़ विभाग द्वारा कार्यवाही की गई, कर्मचारी दोषी होते हुए फिर अपने पदों पर स्थापित है, जिससे वहाँ के किसानों के अंदर उनके पैसे का गबन होने का भय रहता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सहकारी समितियों के व्यवस्थापक का कैडर बनाकर, उनको बैंक का कर्मचारी घोषित किए जाएं, जिससे सहकारी समिति व्यवस्थापक का परिवार है, वह वेतन के आधार पर ऐसी सहकारी समितियां जो बहुत कमज़ोर है, मासिक वेतन नहीं मिलता, उनको बैंक द्वारा सहायता प्रदान कर, वेतन समितियों द्वारा देकर उनके परिवार का सही ढंग से पालन पोषण हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। श्रीगंगानगर में सहकारी बैंक में अल्पकालीन ऋण 150 करोड़ का बकाया है।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि विभाग ने कहा है कि उक्त

ऋण 31 मार्च तक बढ़ाया जाए तो ठीक है, नहीं तो 9 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह 7 परसेंट भी नहीं भर पाये, अगर 9 परसेंट करेंगे तो किसान कैसे भर पाएंगे, तो इस ब्याज को माफ करते हुए किसानों से मूल राशि ली जाए, जिससे सरकार को जो पैसा है वह वापिस आ जायेगा और किसान भी अपनी दयनीय स्थिति से बाहर निकल आएंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बीकानेर संभाग के भूमि विकास बैंक जितने भी हैं उनकी स्थिति दयनीय है। सरकार ने ऋण माफ कर दिया किसान पुनः अन्य किसानों को ऋण नहीं मिल रहा है, अतः सरकार इन भूमि विकास बैंको नाबार्ड द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा बजट उपलब्ध कराये, जिससे इन भूमि विकास बैंकों की स्थिति सुदृढ़ हो और किसानों को इसका लाभ मिल सकें।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूँगा कि श्रीगंगानगर सहकारी बैंको में, पेंशनर और अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के फसली अल्पकालीन और दीर्घकालीन लिए गए हैं, उनका ब्याज माफ़ नहीं किया गया, जबकि बाकी सभी किसानों का ब्याज माफ़ कर दिया गया। वे अल्प वेतन भोगी कर्मचारी और पेंशनर किसान हैं, उनका ब्याज की वजह से ऋण इतना बढ़ चुका है, अगर सरकार उनका ब्याज माफ़ करती है तो सरकार की मूल राशि वापस आएगी, सरकार को इनकम होगी और आने वाले किसानों को भी फायदा होगा।

माननीय सभापति, सहकारी समितियों के चुनाव स्तर पर चुनाव अधिकारी लगाने का जो सिस्टम है, वह जिला स्तर पर है। जो साधन संपन्न या प्रभावशाली लोग हैं, अपने हिसाब से वह चुनाव अधिकारियों को लगा लेते हैं और जीत जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अलग से कोई प्राधिकरण बनाकर, राज्य स्तर पर चुनाव अधिकारी भेजा जाए।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों में आरक्षण किया जाए। सदस्यों में आरक्षण है, परन्तु सहकारी विभाग के अंदर जो अध्यक्ष हैं, चाहे वह बैंको के अध्यक्ष हैं, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्ष हैं, उनमें आरक्षण नहीं होने से यह वर्ग उसमें हिस्सा लेने से वंचित रह जाते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें भी आरक्षण लागू किया जाए। सहकारी समितियों की संस्था, भूमि विकास बैंक, दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां, अन्य सभी समितियों में आरक्षण लागू किया जाए, यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है।

मेरे विधानसभा क्षेत्र रायसिंहनगर में पिछले दो-तीन सालों से मूँगफली की खरीद हजारों एकड़ जमीन में होती है और खरीद केन्द्र नगण्य है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि रायसिंह नगर के अन्दर मूंगफली खरीद केन्द्र स्थापित किये जाए। क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में खरीद का भुगतान समय पर नहीं होने से मज़दूरों को लोड अनलोड करते हैं या जराई का काम करते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता, जैसे हड़ताल होती है और क्रय विक्रय सहकारी समिति की हालत खराब हो जाती है।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 55 पर निवेदन करूंगा। जनसंख्या के आधार पर उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ाई जाए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में संख्या बहुत कम है। एक-एक दुकानदार को 3-3, 4- 4 दुकानों का अतिरिक्त कार्य दिया गया है, जिससे वह कार्य पूर्ण नहीं होता और उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होती है। उचित मूल्य दुकान लाइसेंसधारी के पास, तीन-तीन दुकानें होने की वजह से उपभोक्ता सफर करता रहता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा की नई आवंटन की जाने वाली दुकानों में ग्राम सहकारी समितियां और महिला सहकारी समितियों को प्रमुखता दी जाए, जिससे वे लोग अपनी आय करके ज़्यादा से ज़्यादा सबल हो सकें। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः श्री धर्मपाल।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50 व 55 पर चर्चा करने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मांग संख्या -50 सहकारिता विभाग पर चर्चा करूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। खेती किसानी के इर्द गिर्द हमारा समाज विकसित हुआ है, परम्पराएं पोषित हुई है, पर्व और त्योहार बने हैं। इसलिए अगर विकसित भारत के सपने को साकार करना है, तो किसान को सशक्त बनाना होगा और खेती को लाभदायक बनाना अति आवश्यक है। सभापति महोदय, बड़े अफसोस और शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी से लेकर 2014 तक राज़ करने वाली कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के सहयोगी दल 60 वर्षों तक किसानों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते रहे और राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम किया। किसान साथियों के दुख दर्द से कभी कोई लेना देना नहीं रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र जी मोदी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने भारत के किसान के दर्द को समझा और उनको सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया। आज प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि, कई अन्य किसान कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के सभी किसानों के, उनके सम्मान के रूप में, समान रूप से 6 हजार रुपये सीधे उनके बैंक खातों में जमा हुए हैं। सिर्फ 6 हजार की राशि को ना मानकर इसके बारे में अगर विस्तृत रूप से बताया जाये, तो मैं कहना चाहता हूं हमारे मुखिया माननीय भजन लाल जी शर्मा जी ने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार किया, निश्चित रूप से राजस्थान के किसान को आर्थिक संबल मिलेगा।

VPS-RTM-11.03.2025-14.30-2f

जिससे समय पर कृषि हेतु आवश्यक खाद-बीज इत्यादि खरीदकर जो आमदनी बढ़ायी गयी है और खाद-बीज के समय, फसल की बुआई के समय किसान को कभी सेठ-साहूकार के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, ब्याज पर रुपये न लेने पड़ें, अंगूठा न टेकना पड़े, यह नौ हजार

रुपये की राशि खाद-बीज की देकर जो किसान का मान और सम्मान बढ़ाया है, निश्चित रूप से किसान के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है जो आज तक किसी भी राज में, किसी भी राजनेता ने सोच नहीं होगा और विचार भी नहीं किया गया।

इसी तरह से गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में दो लाख पचास हजार गौ-पालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना, सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सहकारी समितियों की स्थापना करना, कृषि उपज मंडियों की स्थापना करना निश्चित रूप से प्रदेश के किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के किसानों की कुछ अति आवश्यक मांगें और समस्याओं की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई कृषि उपज मंडी नहीं है, जिससे क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूसरे विधान सभा क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जिससे गरीब किसान को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में कृषि उपज मंडी की स्थापना की जाये, तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सहकारी समिति जसरापुर, बबाई और मेहाड़ा में अस्थाई क्रय-विक्रय केन्द्र की स्थापना करके किसानों को राहत प्रदान की जाये, ऐसी मैं मांग भी करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में संचालित जिन सहकारी समितियों में गोदाम नहीं बने हुए हैं उनमें गोदाम निर्माण का कार्य भी करवाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, अब मांग संख्या 55- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात के अन्दर बात की जाये तो हम सबको यह विदित है कि पिछले पांच साल के अन्दर कांग्रेस सरकार में खाद्य सुरक्षा योजना की क्या हालत थी? खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारों को आवेदन करने हेतु पहले पोर्टल, खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारों को पहले पोर्टल चालू नहीं किया गया और बाद में आवेदन भरवाकर जिनका निस्तारण नहीं किया गया जिससे गरीब परिवार एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक भटकते ही रहे और न ही पूरे पांच साल तक पुराने राशन कार्डों में नव-विवाहितों और नये जन्मे बच्चों का नाम जोड़कर पोर्टल को चालू किया गया।

माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राशन किट वितरण के नाम पर भी किट खरीदी और वितरण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया और गरीब परिवार के कल्याण के बारे में न सोचते हुए अपनी जेबों के बारे में ज्यादा सोचा गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री महोदय से यह मांग करता हूं कि इसकी जांच की जानी चाहिए और नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में माननीय भजन लालजी शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने प्रदेश के ऐसे गरीब परिवार को जो खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित थे, उनके दर्द को समझते हुए खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन करने हेतु पोर्टल शुरू किया और

पुराने राशन कार्ड में नये सदस्यों के नाम जोड़ने हेतु भी पोर्टल शुरू कर आमजन को राहत प्रदान की गयी।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मौके पर हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को और, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आम जन को छोटी-मोटी परेशानियां हैं जो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। किसी कारणवश यदि राशन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है तो उसको पुनः चालू करवाने के लिए जिला स्तर पर डी.एस.ओ. के पास जाना पड़ता है जिससे आमजन को करीब 100 किलोमीटर से अधिक का सफर करना पड़ता है और बारबार चक्कर काटने पड़ते हैं अतः आपसे यह निवेदन है मंत्री महोदय, यह व्यवस्था उपखंड स्तर पर प्रारंभ की जाये तो आमजन को और आम उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। उचित मूल्यों की दुकान पर कार्यरत काफी राशन डीलर्स के पद रिक्त होने के कारण राशन डीलरों को एक से अधिक दुकानों का प्रभार दिया गया है जिससे राशन वितरण में समस्याएं होती हैं। अतः सभी उचित मूल्य की दुकानों पर राशन डीलरों का चयन कर नियुक्तियां की जाएं, यह भी मैं मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं।

उचित मूल्य की दुकान पर राशन डीलरों को वर्तमान में दिया जा रहा कमीशन या मानदेय काफी कम है अतः इसे बढ़ाने के बारे में भी विचार किया जाये, ऐसी मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रवर्तन निरीक्षक यानी, ई.आई. का पद पिछले पांच वर्षों से रिक्त है। इसलिए हमारे यहां पर प्रवर्तन निरीक्षक लगाया जाये ताकि आमजन का कार्य समय पर हो सके।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री पूसाराम गोदारा।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

मैं सबसे पहले सहकारिता पर अपनी बात कहना चाहूंगा। 'एक सबके लिए, सब एक के लिए', इस सिद्धांत पर सहकारिता का एक आंदोलन चला और उस आंदोलन के तहत ग्राम सेवा सहकारी समितियां गांवों में बनीं और उसके बाद क्रय-विक्रय सहकारी समितियां तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर बनीं और उसके बाद में महिला सहकारी समितियां हैं, दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां हैं, इन सबका गठन हुआ। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि सहकारिता बहुत कमजोर होती जा रही है। भूमि विकास बैंकों की स्थिति भी बहुत कमजोर होती जा रही है। उन्हें सरकार द्वारा बहुत कम बजट दिया जाता है, जिसके कारण से लोन बहुत कम मात्रा में दे सकते हैं इसलिए किसान की बहबूदी लाने का, किसान को मजबूत करने का जो सहकारिता अभियान का, सहकारिता आंदोलन का जो सिद्धांत था, वह खतम

होता जा रहा है इसलिए मेरा माननीय सभापति महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि सहकारी समितियों को मजबूत करें और इन्हें एस.टी. और एम.टी. लोन की साख सीमा, एम.टी. लोन तो हालांकि, बंद ही कर रखा है। एम.टी. लोन नहीं दिया जा रहा है। एस.टी. लोन फसली ऋण है जो मात्र पहले पांच हजार, दस हजार और साढ़े चौदह हजार रुपये ही दिया जा रहा है, इससे बीज और खाद भी खरीदना मुश्किल है इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस सीमा को सिंचित के लिए एक लाख और असिंचित के लिए पचास हजार रुपया किया जाये।

इसके साथ-साथ साख सीमा जो डेढ़ लाख रुपये की लिमिट है इसको आप तीन लाख रुपये करें तब जाकर किसान को वास्तव में एक सम्बल मिलेगा, सहकारिता अभियान की एक सफलता होगी। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज उनका संचालक मंडल, बोर्ड बना हुआ है। आज माननीय मंत्री महोदय, बोर्ड का रुझान इसलिए खतम है कि न तो अध्यक्ष को कोई छोटा-मोटा मानदेय देय है और न ही इनकी बोर्ड की जो मीटिंग होती है, उन मैम्बर्स को किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाता है तो यह उनके साथ अन्याय है। सभी विभागों में थोड़ा-बहुत मानदेय जन-प्रतिनिधि को दिया जाता है। जन-प्रतिनिधियों का विश्वास अगर इन संस्थाओं से उठ जायेगा। यह ब्यूरोक्रेसी के भरोसे ही रह गयी तो जो व्यवस्थापकों की आज हालात है, आज चार हजार पद खाली हैं, व्यवस्थापकों की भर्ती नहीं हुई और जो हुई है, आपने बोर्ड बना दिया सहकारी भर्ती बोर्ड का, सहकारी कर्मचारियों के चयन हेतु भर्ती का बोर्ड बना दिया 2017 में लेकिन उनसे भर्ती नहीं की गयी और सहकारी समितियों पर रोक लगा दी गयी कि आप अपने स्तर पर व्यवस्थापक नहीं रख सकते, इसलिए तीन-तीन, चार-चार सहकारी समितियां एक व्यवस्थापक के भरोसे चल रही हैं और भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और कोई मतलब नहीं है, किसान को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, समय पर ऋण नहीं मिल रहा है, समय पर रिकवरी नहीं हो रही है और हालात बहुत खराब हैं। इसलिए जी.एस.एस.एस. को पुनः सम्भाला जाकर इनकी मॉनिटरिंग मजबूती के साथ करें। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी मॉनिटरिंग मजबूत से की जानी चाहिए। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रकरण चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

इसके अलावा जो भी हमारे सहकारिता विभाग के कर्मचारी और अधिकारी है, माननीय सभापति महोदय के माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें भी ग्रेच्युटी के स्थान... पेंशन मिले। राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनके अनुसार ही इनको भी वेतन-भत्ते मिले और पेंशन की सुविधा हो लेकिन आज हालात यह बन गयी है कि कोई भी भ्रष्टाचार होता है, किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय मंत्री महोदय, यदि दी जाती है तो रफा-दफा के अलावा कोई रिजल्ट नहीं है और न कोई अधिकारी कार्यवाही करने में सक्षम है। इसके पीछे सिर्फ भ्रष्टाचार का ही एक कारण है इसलिए सहकारी समितियों से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आपको अभियान चलाना चाहिए और इसके लिए राज्य स्तरीय और जिला

स्तरीय कमेटी बनानी चाहिए।

इसके अलावा, हर ग्राम पंचायत पर निश्चित तौर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलनी चाहिए और शेयर सीमा में छूट दी जाये। बहुत ज्यादा लिमिट होने के कारण से हर ग्राम पंचायत सहकारी समिति का गठन नहीं कर सकती और नहीं कर सकती तो उसके निवासी को, उन ग्राम पंचायत के लोगों को, किसानों को लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा आपने पच्चीस हजार करोड़ रुपये ऋण की घोषणा की है इस बजट में, यह पर्याप्त नहीं है।

Ssy/Rtm/11.03.25/14.40/2g

इस सीमा को बढ़ाया जाये, नहीं तो वही 10 और 15 हजार रुपये हर किसान को एसटी लोन मिलेगा, एमटी लोन ना तो मिल रहा है, हालांकि यह पिछले काफी समय से नहीं मिल रहा है इसलिए मैं चाहूंगा कि एमटी लोन भी शुरू किया जाये।

भूमि विकास बैंकों की हालत बहुत खराब है, 18 हजार करोड़ रुपये ऋण माफ करने के बाद, हालांकि पूर्ववर्ती हमारी सरकार ने इनको पैसा दिया, पूरा पैसा नहीं मिलने के कारण से और अब वर्तमान में आपकी सरकार ने भी इनको कुछ भी नहीं दिया, इस कारण से आज भूमि विकास बैंक एडवांसमेंट कराने में किसान को बिल्कुल लाचार हैं उनकी फाइलें पेंडिंग है, पहले ट्रैक्टर देते थे, भूमि के समतलीकरण का पैसा देते थे, ऊंट गाड़ी खरीदने के लिए पैसा देते थे, वह सारा मामला समाप्त हो गया और ना तो इसमें बजट रहा है और ना इनके पास कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजलदेसर एक तहसील है, नगरपालिका है और मैं चाहूंगा कि वहाँ सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक की ब्रांच भी खोली जानी चाहिए। मेरे रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में तहसील मुख्यालय है वह बहुत बड़ा है, वहाँ भूमि विकास बैंक की शाखा भी खोलने की मांग करता हूँ।

इसके अलावा, व्यवस्थापकों का कैडर बनाओ, जब तक कैडर नहीं बनाओगे, तब तक उनका भविष्य सुनिश्चित नहीं होगा। मंत्री जी, मैं, सभापति महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूँ तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, उनकी तनख्वाह का ही भरोसा इसीलिए नहीं है कि एडवांसमेंट बहुत कम होता है और उसको 2 प्रतिशत जो ब्याज की राशि मिलनी चाहिए थी, वह आजकल सरकार समय पर नहीं दे पा रही है। इस कारण से उन्हें तनख्वाह ही नहीं मिल पा रही है तो काम कैसे होगा, ऐसी स्थिति में यह भी मैं आपसे मांग करना चाहता हूँ।

यूरिया और डीएपी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, किसान सिंचित एरिया और असिंचित एरिया इन पर टिका हुआ है, ऐसी स्थिति में अगर राजस्थान की खेती में बहबूदी लानी है, माननीय मंत्री महोदय तो सहकारी समितियों को, महिला सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाए। यह नहीं कि प्राइवेट डीलरों को आपने दे दी। एकमुश्त जब भी रेकें लगती है सहकारी समितियों को नहीं मिलती क्योंकि उनके पास पैसे का अभाव है, समय पर पैसा जमा नहीं होता, इस कारण से नहीं दी जाती, कई व्यवस्थापकों के पास तीन-तीन

सोसाइटी हैं इसलिए वह जमा नहीं करा सकते, इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इन सहकारी समितियों को सचेत किया जाए और जिला स्तर पर खाद्य वितरण का नियंत्रण सीधा आपके यहाँ होना चाहिए, जिसके कारण से सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाए ताकि किसान को कहीं भी डीएपी के लिए घूमना नहीं पड़े, यूरिया के लिए घूमना नहीं पड़े। समय पर वह फसल में दे सके और उसको ब्लैक में खरीदना नहीं पड़े। यह बहुत बड़ा दर्द है राजस्थान की जनता में, इस दर्द को खत्म करने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।

इसके अलावा आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खरीद बाजरे की होनी चाहिए थी वह नहीं हो रही है, क्यों, राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा होता है, इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसको भी एमएसक्यू में शामिल कराया जाए और 150 रुपये बोनस की घोषणा की गई, तो यह 2014 से पहले केंद्र, राज्य सरकार पहले ही दे चुकी है। ऐसी स्थिति में इसके साथ-साथ मूंग है, चना है, उड़द है और तिलहन फसलों के एमएसपी की खरीद की लक्ष्य दुगना करने का वादा किया था लेकिन वह दोगुना नहीं किया जा करके, सीजन में बहुत कम खरीद हो रही है। मूंग की खरीद की सीमा कम कर दी गई है, मूँगफली खरीद हो रही है, मूँगफली खरीद में पारदर्शिता हो।

सहकारी समितियों में जो भी आप व्यवस्थापक लगाते हो, इनकी कड़ी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। यह मैं पहले स्थगन पर बात कह चुका। ऐसी स्थिति में पारदर्शिता हो और समय सीमा रात रात 12 बजे बंद हो गई, अगर कर सकते हो, मेरा निवेदन है कि राजस्थान में इसको 20 तारीख तक किया जाना चाहिए, ताकि किसान की मूंगफली बची हुई है वह खरीदी जा सके।

इसके अलावा केन्द्रीय सहकारी बैंको और भूमि विकास बैंको को बांटे जाने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋण पर 7 प्रतिशत अनुदान दिए जाने की योजना लागू कर दी थी, परंतु इस बजट में सरकार ने, आपने 2025-26 में इसको 5 प्रतिशत कर दिया, इसको 7 प्रतिशत किया जाना चाहिए। यह आपने कमिटमेंट पहले से किया हुआ है।

भूमि विकास बैंकों को बजट नहीं दिया जा रहा है, इसलिए बैंक किसानों को ऋण नहीं दे पा रही है, ऐसी स्थिति में यह बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार भूमि विकास बैंक की।

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त कीजिये।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): एक मिनट, दो मिनट रुकिये, भाई, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा, मैं, लंबी चौड़ी इसमें नहीं कह कर के कहना चाहूंगा कि राशन डीलरों की नियुक्ति समिति में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और जहाँ डीलर नहीं है वहां अतिरिक्त चार्ज 40-40 किलोमीटर दूर के डीलरों को दिया जाता है, यह बहुत गलत बात है, पड़ोस का डीलर ही बांटे।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये। श्री रामस्वरूप जी लाम्बा। श्री रामस्वरूप जी लाम्बा।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): इसके अलावा योजना में 10 लाख की जगह 25 लाख से अधिक पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जाए और राशन डीलरों को समय पर खाद्य सामग्री और

कमीशन का भुगतान किया जाए और डीलर नियुक्ति में योग्यता की प्राथमिकता मेरिट के आधार पर हो और सहकारी समितियां और महिला सहकारी समितियों को दिया जाना चाहिए।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): 000

श्री सभापतिः रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50-सहकारिता एवं मांग संख्या 55-खाद्य, नागरिकआपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि सहकारिता जिसका मूलमंत्र यह है कि सबको मिलकर काम करना और एक सब के लिए और सब एक के लिए, इसी भावना के साथ सहकारिता में काम करते हैं और सबको एक साथ जोड़कर काम किया जाता है। सबसे पहले मैं माननीय हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने देश में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए 2021 में केंद्र सरकार में अलग से नया सहकारिता मंत्रालय बनाया और उस विभाग की जिम्मेदारी हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को सौंपी, जिन्होंने सहकार से समृद्धि का नारा देकर सहकारी संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने का काम शुरू किया।

हमारे मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मजबूत करने और सहकार से समृद्धि के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है। अब न्यूनतम सदस्य संख्या 300 से घटाकर 150 और हिस्सा राशि 3 लाख से घटाकर डेढ़ लाख कर दी गई है, इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इससे छोटे गांवों में भी सहकारी समिति का गठन अवश्य हो सकेगा और किसानों को लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, सहकारिता किसानों से जुड़ा हुआ विषय है और इस समय जो चने की फसल है उसमें भारी खराबा हुआ है और 50 प्रतिशत से भी अधिक खराबा है, इस पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किसानों को विशेष गिरदावरी के माध्यम से लाभ पहुंचायें और जो हानि हो रही है उसकी भरपाई फसल बीमा के माध्यम से हो। जो बकाया पुराने वर्षों का है 2023-24 और 2024-25 वह भी जल्दी से जल्दी फसल बीमा की राशि किसानों को पहुँचाई जाए।

सभापति महोदय, मैं बजट में जो घोषणा हुई थी उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सर्वप्रथम हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि उसमें उन्होंने बजट घोषणा के माध्यम से मुख्य मंत्री किसान सम्मान निधि को भी एडिशनल करते हुए प्रथम किस्त के रूप में 1 हजार रुपये 65 लाख से अधिक

किसानों के बैंक खातों में पहुंचाई। सीएम् किसान निधि योजना की द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि भी 70.21 लाख दिनांक 13.12 को जिला अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय एक समारोह में किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा चुकी है।

साथ ही बजट घोषणा 2024-25 की 2000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता राशि सभी पात्र किसानों को दी जा चुकी है। इसके लिए भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2024 में 23 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए जाने की जो घोषणा हुई इसमें लगभग 5 लाख नए किसानों ने भी ऋण प्राप्त किया और इसके माध्यम से लगभग 90 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य प्राप्ति हो चुकी है, इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसी क्रम में सहकारी संस्थाओं की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 से 500 मैट्रिक टन के गोदामों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

spp/rtm/11.03.2025/1450/2h

इसमें प्रथम किश्त के रूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिन्होंने भेज दिए, उनको द्वितीय किश्त जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है और आने वाले समय में जो भंडारण क्षमता है, वह भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना राज्य सरकार ने बजट घोषणा में लागू की है, इसमें भी योजनान्तर्गत आवेदन प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर 28.08.2024 को प्रारंभ किया जा चुका है और दिनांक 24.02.2025 तक 28 हजार 410 से ज्यादा आवेदकों का ऋण भी स्वीकृत किया गया है। इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि नवीन स्थापित आठ जिलों में क्रय-विक्रय सहकारी संघों की स्थापना किया जाना भी प्रस्तावित है। इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ क्योंकि जो मूल हमारे जीएसएस नए दो वर्षों में प्रदेश में 2,500 से अधिक जिला मुख्यालयों पर, ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों का जो गठन करने की आपने घोषणा कर दी, इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी का। हम ये गठन कर रहे हैं पर जीएसएस व्यवस्थापकों के पद बहुत रिक्त चल रहे हैं काफी लंबे समय से। पिछली भाजपा सरकार के समय अलग कैडर बनाने की हमारे माननीय मंत्री जी ने भी घोषणा करवाई थी तो उसमें ये अलग से कैडर हो, इसकी भर्ती हो और जिले में कहीं पर भी ट्रांसफर हो, ऐसी व्यवस्था, ऐसी पॉलिसी बनें तो आने वाले समय में इससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। अभी जो व्यवस्थापक हैं, उनके ऊपर बहुत अधिक जिम्मेदारी है और वह अपना काम

सुगमतापूर्वक नहीं कर पा रहे हैं।

इसी कड़ी में मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद की सहकारिता विभाग की डिमांड के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में 35 ग्राम सेवा सहकारी समितियां संचालित हैं, जिनमें से 11 सहकारी समितियां जसवंतपुरा, बुधवाड़ा, कालेसरा, केसरपुरा, भवानीखेड़ा, लवेरा, श्रीनगर, किराये के भवनों में चल रही हैं, भवन विहीन हैं। इनके लिए भी भवन का नया बजट अलॉट किया जाए। इसके अलावा, कई ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम का भी अभाव है इनको भी गोदाम उपलब्ध कराया जाए। भगवानपुरा, रामपुरा, डाबला समितियों के भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो इनको भी जल्दी से जल्दी भवन मरम्मत का बजट आवंटित किया जाए। इनके कार्यालय भवन की भी मांग करता हूँ। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो बाजरे की खरीद है वह भी एमएसपी पर की जावे और हम राशन की दुकानों के माध्यम से भी हमारे उपभोक्ताओं तक जो हमारे प्रधान मंत्री जी ने आह्वान किया है, श्री अन्न की योजना का, उसमें राशन के माध्यम से हम ये बाजरे की आपूर्ति भी कर सकते हैं तो इससे भी हमें बहुत अधिक लाभ मिलेगा। विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के पीसांगन में जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है, उसमें गबन होने के कारण किसानों का भी ऋण वितरण बंद हो गया तो आप के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऋण वितरण जल्दी से जल्दी किसानों का चालू किया जाए। भगवानपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में भी यही समस्या है और जो जमा पूंजी उनकी है, वह भी अब जांच दो दो बार हो गई है और इसमें जो ऑडिट करने वाले हैं, उन्होंने खुद ने ऑडिट की है और उसके बाद में गबन पाया गया तो जो भी दोषी हैं और भी आगे जो बड़े अधिकारी हैं या कोई भी हों, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो जमा पूंजी है, उसे सरकार जल्दी से जल्दी दिलवाए। निर्धारित समय पर उनको दी जावे, जिससे किसानों का भरोसा बरकरार रहे और मैं आप के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में ज्यादातर सहकारी बैंक में घाटे में चल रहे हैं या बहुत कम लाभ में चल रहे हैं। इस ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है और समय पर इन बैंकों का ऑडिट किया जाए तो भ्रष्टाचार व अनियमितता पर अंकुश लगेगा। किसानों का सीधा जुड़ाव है। किसानों को फायदा मिलेगा और बीजेपी सरकार में जो दो किसानों की बीमा योजनाएं लाई गई थीं तो उनको पुनः शुरू किया जाए।

पिछली सरकार में दुर्घटना बीमा पर इन्होंने 10 लाख की जगह 3 लाख कर दिये थे। इस योजना में इसको पुनः 10 लाख किया जावे और भी जो योजनाएं हैं, एक अपने जीवन सुरक्षा बीमा योजना है। पहले यह प्रावधान थे इसमें कि मृत्यु होने के बाद उनका लोन माफ़ कर दिया जाए तो आजकल एक बार व्यवस्थापक कहते हैं किसानों को, कि आप जमा कराइए, उसके बाद जो भी सरकार से प्रावधान होगा, उसके अनुसार दुबारा आपको वापस लोन दिया जाएगा। इसमें भी सुधार किया जाए और डायरेक्ट इनका जमा मान लिया जाए।

एक केंद्र सरकार के माध्यम से जो कंप्यूटरीकरण का कार्य चल रहा है, उसमें जल्दी से जल्दी काम हो। हमारी समय सीमा भी इसमें निर्धारित हो, जिससे आने वाले समय में आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है तो उसमें सब को लाभ मिले। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं इसी कड़ी में कहना चाहूंगा कि हमारे खाद्य आपूर्ति विभाग में राशन डीलरों का पैसा बाकी है। अभी मेरे फ़ोन के माध्यम से भी कई जगह बात हुई, उनका काफी लंबे समय से बकाया चल रहा है, वह भी जल्दी से जल्दी भुगतान हो और भी कई तरह की योजनाएं आने वाले समय में और मिले। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और हमारे वित्त मंत्री जी का भी आभार करना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): मैं एक-दो बातें और बताना चाहूंगा। प्रदेश में किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाए जाने में सहकारी आंदोलन की महत्ती भूमिका और राज्य के बजट बिन्दु संख्या 125 में राज्य में कोर्स को लागू करने के लिए गठित की गई कमेटी द्वारा विधि विभाग के चाहे अनुसार नए कोर्स को लागू करें और दो प्रस्तावित अधिनियम, 2025 का प्रारूप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एण्ड रीजन्स के प्रति विधि विभाग को प्रेषित की गयी है तो इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये। श्रीमती रमीला खड़ीया। एक मिनट, माननीय सदस्या।

सूचना

सहाड़ा निवासी श्री राजकुमार जाट की राजकोट (गुजरात) में मृत्यु

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में आज जबरकिया गांव में राजकुमार जाट की गुजरात के अंदर राजकोट में मृत्यु हो गयी तो ये बॉडी लेकर आया और गांव में हमारे मजिस्ट्रेट साहब और कलेक्टर महोदय को निवेदन किया था कि इसका रि-पोस्टमॉर्टम किया जाये तो वह बोले अपने नियम में नहीं आता है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूँ सरकार से, हमारे राजस्थान में बाहर किधर भी मौत हो गई पूरे भारत में, वह अपने जिले में, अपनी तहसील में अगर पोस्टमॉर्टम करना चाहते हैं तो इनको अलाऊ किया जाए, थोड़ा ठीक रहेगा। आज ये तकलीफ आयी है हमारे इधर।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): और एक और है।

श्री सभापति: आपकी बात आ गयी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 50 – सहकारिता व

मांग संख्या 55 – खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पर विचार

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 50 और 55 के ऊपर मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात

करती हूँ। आज भी मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में महिला सरकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे महिला समूह के माध्यम से, महिलाएं अपने समूह के माध्यम से 10 या 15 महिलाओं का समूह बना-बनाकर, ग्रुप बनाकर हमारी महिलाएं कढ़ाई का काम करती है, सिलाई का काम करती है, आचार बनाती है, दुकान लगाती है, चक्की चलाती हैं। इसी तरह से हमारी महिलाएं आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में काम कर रही है और अपने बच्चों को पढ़ाई-लिखाई का काम भी करती है। मेरा क्षेत्र बिल्कुल टीएसपी क्षेत्र है, पर महिलाओं को बैठने के लिए भवन नहीं है। मैं, सभापति महोदय, आप के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहती हूँ और ये भी कहना चाहती हूँ कि सरकार कम से कम महिला समूह, मेरे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा हैं, उनको सरकारी भूमि उपलब्ध करवाकर उनको भवन बनवाने का काम करें। हमारी महिलाएं अपने समूह पर निर्भर होकर अपना काम करती हैं, बहुत सारी चीजें करके और अपना गुज़ारा चलाती है।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में इसी तरह से कई ऐसी चीज़ें हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में उपभोक्ता की दुकानें हैं। मैं यह कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में दुकानें हैं, टीएसपी क्षेत्र है, इन दुकानों में पिछली सरकार थी 2020 और 2021 में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली सरकार ने 22 दुकानें खोली थीं। आज 142 दुकानें मेरे विधान सभा क्षेत्र में चल रही हैं, पर जब बीजेपी सरकार, जब इनकी सरकार आती है उस समय डीलरों को हटाने का काम करती हैं।

jyg/rtm/11.03.25/15.00/2j

सभापति महोदय, इस तरह से राजनीति ना करें और यह मेरे पास सारी चीजें हैं, मैं तथ्य लेकर आयी हूं, यह ऐसे नहीं। तो मैं इस तरह से मैं यह कहना चाहती हूं कि जब सरकार कहती है कि किसानों को बढ़ावा दो, युवाओं को नौकरी दें, युवाओं को बढ़ावा दें, महिलाओं को बढ़ावा दें, तो हमारे समूह के माध्यम से हमारी महिलाओं ने डीलरशिप ली है। इन महिलाओं को आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिले और आज दर-दर की ठोकरें खा रही हैं और महिलाएं ये कहती हैं कि समूह के माध्यम से हमने काम किया, आज डीलरशिप हमको मिली पर इस सरकार के आते ही उनके नियुक्ति पत्र नहीं दिये गये। मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि जिस तरह से बीजेपी सरकार इसके ऊपर राजनीति कर रही है, वो ना करे और यह सरकार इस तरह से जो काम करती है, जो घटिया काम कर रही है, जनता देख रही है।

सभापति महोदय, मैं आपसे माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि जिस तरह से इन डीलरों को नियुक्ति पत्र नहीं दिये गये, यह नियुक्ति पत्र उनको मिले, उनका अधिकार उनको मिले और डीलरों का मानदेय बढ़ाया जाये, उनका पिछली सरकार ने बढ़ाया था, यह सरकार उसको बढाने का विचार रखती है या नहीं, यह मुझे पता नहीं है। मेरे क्षेत्र में पहाड़ी इलाका है और दूर-दूर दुकानों पर जाना पड़ रहा है, 5 से 7 किलोमीटर तक तो हमारे महिलाओं को

आने-जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, रोड भी नहीं है, तो मैं यह कहना चहती हूं कि आदिवासी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा राशन की दुकानें बढ़ायी जाये, यह काम करें ताकि मेरे क्षेत्र में लाभ मिले और मैं यह भी कहना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिन डीलरों को हटाया गया है, मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, पर मैं यह कहना चहती हूं कि आपके नॉलेज में भी मैंने डाला था, बिना नोटिस दिये और कुछ कारण नहीं, बिना कारण से मेरे विधान सभा क्षेत्र के डीलरों को हटाया गया, इनको आप कमेटी बनाकर या आप उनके डीएसओ को बुलाकर इसका कारण जाने और तत्काल प्रभाव से यह लगाने की मैं मांग करती हूं। इस तरह से सरकार आती है, जाती है, सरकारें जिस तरह से आती है और जाती है पर इस तरह से भेदभाव ना करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सरकारें तो आएगी अब सरकार बीजेपी की जायेगी और कांग्रेस आ रही है तो इसी तरह से आपके भी डीलर होंगे इसमें ऐसे उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप तो यहां बैठे हो, वो जनता वहां बैठी है, उनको ऐसी परेशानियां का सामना क्यों करना पड़े? इसलिए ये जो भी बैठे हुएं हैं, मैं सभी मंत्रियों से कहना चहती हूं, कोई भी स्थितियां आये, दिल्ली से स्थितियां आयें या कुशलगढ़ आये या बांसवाड़ा से उनके तथ्य को जाने जाने बिना उसका ट्रांसफर ना करें और ऐसे हटाने का कम ना करें। मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

श्री सभापतिः श्री ताराचंद जी (73)। (अनुपस्थित)

श्री कुलदीप जी।

श्री कुलदीप (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50 - सहकारिता विभाग पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं सबसे पहले गत कांग्रेस सरकार की बजट घोषणाओं पर अपने विचार रखना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, अशोक गहलोत जी की सरकार में 2023-24 में दुर्घटना बीमा योजना में उनकी सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया उसके बाद भी कोई क्रियान्विति वो नहीं करा पाये, ना कांग्रेस का विजन था और ना ही उन्होंने कोई राजस्थान की 8 करोड़ जनता पर कभी ऐसा विचार किया कि उसका भला हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विगत वर्ष 2023-24 में 31. 54 लाख किसानों द्वारा सहकारिता जीवन सुरक्षा बीमा योजना की राशि 359.39 करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में जमा करवायी गयी थी और हमारी सरकार द्वारा इस प्रीमियम की राशि को घटाकर 186.79 करोड़ की गयी। महोदय, इस प्रकार इस योजना में प्रीमियम की भार राशि 172.76 करोड़ से कम हुआ है, यह है माननीय भजन लाल जी की सरकार की योजना और कांग्रेस की सरकार जो 5 साल तक राजस्थान में रही उसके विजन का अंतर। इसी प्रकार विगत वर्ष 2022-23 में 28. 14 लाख किसानों द्वारा राशि रुपये 96.80 करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में भरी गयी थी और चालू वर्ष में घटकर 82.18

करोड़ रह गयी। इस प्रकार प्रकार दुर्घटना बीमा में किसानों का प्रीमियम का भार राशि रुपये 14.62 करोड़ से कम हुई है, यह राजस्थान के मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी का विजन है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय गोतम दक साहब का, आपने अपने विभाग का काम संभालने के बाद किसान के हक आपने चिंता की।

महोदय, विपक्ष के द्वारा बार-बार कहा जाता है कि सरकार के मंत्री किस प्रकार से हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। सवाल तो सुनना ही नहीं चाहते कांग्रेस के साथी, केवल सुर्खियों में, मीडिया में रहने के लिए ऐसे विषय लेकर आते हैं जिनका राजस्थान की जनता का कोई संबंध नहीं है, केवल और केवल अपनी बात को मीडिया में रखने के लिए हमेशा प्रचारित करने के लिए काम करते हैं और 5 साल में न तो इनका कोई विजन था ना किसी प्रकार का उद्देश्य था और बहुत सारे संकल्प इन्होंने लिये थे, उन संकल्पों का जिक्र मैंने पहले भी कई बार कई विषयों पर रखा है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकर द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों के माध्यम से करवायी जा रही है जीवन बीमा निगम दुर्घटना बीमा के प्रीमियम की राशि में किसानों को राशि 187.22 करोड़ की राहत प्रदान की गयी है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी सरकार को।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने टैक्स में 2 हजार मीट्रिक टन गोदाम एवं 500 मीट्रिक टन के 100 गोडाउन स्वीकृत कर प्रथम किस्त जारी की जा चुकी है। यह सरकार इसके लिए बहुत साधुवाद की पात्र है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों के अतिरिक्त राशि 3000 रुपये प्रति वर्ष है, जिसे प्रधान मंत्री किसान लाभार्थियों को 2000 रुपये प्रति वर्ष इस राशि से लाभ होगा। राजस्थान के किसान का सम्मान करने का काम, राजस्थान के मजदूर का सम्मान करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी ने किया है। सभी ग्राम पंचायतों में पैक्स जीएसएस का गठन भी किया जा चुका है और लगभग दो वर्षों में ढाई हजार पैक्स जीएसएस का गठन भी किया जा रहा है। ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के अंतर्गत 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त आपातकालीन ऋण प्रदान किया जा रहा है, इस प्रकार की योजना हमारी सरकार ने बनायी है। सरकार को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं। सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ढाई लाख से अधिक पशुपालकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाना हमारी सरकार का एक उद्देश्य था सरकार उस पर काम कर रही है। और साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में 6,781 पैक्स में कंप्यूटराइजेशन हेतु हार्डवेयर इंस्टॉल किया जा चुका है 2,683 पैक्स को गो लाइव किया जा चुका है। हमने राजस्थान में कहा, साथ-साथ देश के प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के सानिध्य में,गो पालक हैं, गो माता की

रक्षा के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और सबसे बड़ा काम जो हमारी सरकार ने किया और साथ में हमारे देश का सम्मान जिससे बढ़ा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया जा चुका है, यह सबसे बड़ा देश का सम्मान किसान का सम्मान हमारी सरकार के कार्यों से हुआ है। दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि हेतु 400 करोड़ पर 5% ब्याज अनुदान के दिये जाने की हमारी सरकार का जो संकल्प था 2025-26 में किया गया है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

किसान का बेटा हूं और इसलिए मन भी करता है और 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अशोक गहलोत जी ने केवल वायदे किए और वादों के अलावा जमीन पर कोई काम नहीं किया, उसका कारण राजस्थान की जनता जान चुकी है। अभी एक सदस्या ने कहा कि हमारी सरकार आने वाली है, मुंगेरीलाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है और राजस्थान की जनता जानती भी है।

MLS/RTM/11.03.2025/15:10/2k

एक साल का कार्यकाल जो हमारा रहा, इसकी आप पांच साल के कार्यकाल से तुलना कर लीजिये। जितना पैसा हमने दिया है इस बात के लिए, आप तो किसान की बेटी हो, आपके लिए भी कहना चाहता हूं, बहुत बड़े नेता की आप पुत्री हैं, जिन्होंने हमेशा किसान के नाम पर काम किया है, आपको तो इस सरकार को धन्यवाद देना चाहिये, बहन जी, आपके पूरे झुंझुनूं और सीकर जिले में पानी के नाम पर बड़े-बड़े नेताओं ने चुनाव लड़े हैं, 5-5 दशक निकाल दिये, लेकिन झुंझुनूं-सीकर में पीने का पानी नहीं ला पाये। राजस्थान के मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, बहन जी, मैं और मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप भी धन्यवाद दीजिये, राजस्थान में जो पीने का पानी आयेगा, सिंचाई का पानी आयेगा।

मैं पिछले दिनों लोहारू से आ रहा था। मैं रास्ते में किसानों से मिला, दुकान पर बैठे हुए थे, खेती-बाड़ी की दुकान थी, जहां पर खाद मिलता है। मैंने पानी के हालात के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि, धनखड़ साहब, पीने का पानी तो आपकी सरकार लेकर आ रही है। हम आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, राशन कार्ड द्वारा सहकारिता कानून को प्रासंगिक एवं प्रभावी बनाने के लिए नये को-ऑपरेटिव कोर्स चलाये जा रहे हैं। महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं प्रदेश के सहकारिता मंत्री महोदय से, मेरे इलाके में आपने बहुत कुछ दिया है, जिसमें आपने जीएसएस के निर्माण के लिए गोडाउंस का पैसा भी दिया, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरा विराटनगर एक पौराणिक नगरी है, यहां पर केवीएसएस का निर्माण आज तक नहीं हुआ। मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि सरकार इसको शामिल करेगी।

विराटनगर एक ऐसा क्षेत्र है, जिसका राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के इतिहास में नाम लिखा हुआ है। मैंने पहले भी कई विषयों पर चर्चा की है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि

नवीन क्रय विक्रय सहकारी समिति की स्थापना विराटनगर में की जाये। साथ ही, जो नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, जिसमें बाड़ी जोड़ी है, रामपुरा है, इनमें सहकारी समिति का गठन पूर्व में हो चुका है और हमारे किसान हमेशा मांग करते रहते हैं गोडाउंस की स्वीकृति की, मैं समझता हूं हमारे सहकारिता मंत्री महोदय इस पर विचार करके निश्चित रूप से विराटनगर के किसानों को इसका लाभ देने का काम करेंगे।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्रय-विक्रय सहकारी समिति पावटा में बन चुकी है, उसके गोडाउन के लिए, भवन निर्माण के लिए पैसे की आवश्यकता है। पूरी बैल्ट किसानों की है, जहां पर हमेशा किसान भाई धरती का सीना चीरकर हमारे देश की जनता के लिए अनाज पैदा करने का काम करते हैं। ऐसे किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखकर क्रय-विक्रय सहकारी समिति पावटा में गोडाउन और भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें।

मैं बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और साथ-साथ हमारे डायनैमिक सहकारिता मंत्री माननीय गोतम दक साहब को, हमेशा आपने जो विधान सभा में कहा है, उसे पूरा करने का काम किया है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।

श्री सभापतिः श्री अभिमन्यु जी पूनिया।

श्री अभिमन्यु (संगरिया): धन्यवाद, सभापति जी, आज मांग संख्या 50 - सहकारिता विभाग पर मुझे बोलने का मौका दिया। पूरे देश और पूरे राज्य में सहकारिता अधिनियम सोसाइटी आम किसान ग्रामीण परिवेश का एक विश्वास होता है और वे अपने पाई-पाई की कमाई सोसाइटी के अन्दर जमा करवाते हैं और जिस प्रकार आज के समय में पूरा देश अन्तरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में सहकारिता विभाग मना रहा है इस वर्ष को, लेकिन जब एक गहरा आघात पहुंचता है कि उसमें पाई-पाई की कमाई सोसाइटी में जमा कराये हुए किसान वर्ग में जब बड़े घोटाले और गबन होते हैं तो उन पर जांच बैठती है, लेकिन उस जांच का वर्षों तक कोई समाधान नहीं हो पाता।

संगरिया विधान सभा क्षेत्र के बड़ेगा, तलवाड़ा के अन्दर 6 करोड़ का घोटाला हुआ, अभी तक जांच का विषय है। रतनपुरा में 10 करोड़ का घोटाला हुआ, अभी तक जांच का विषय है। कर्मचारियों की जो ट्रांसफर पॉलिसी है, उसमें एक अधिनियम लाया जाये, एक समय तक लाया जाये। वही व्यवस्थापक और उसके परिवार का व्यक्ति लगातार उस पर बैठा रहता है उस सोसाइटी के अन्दर और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती, कोई उसकी बदली नहीं होती, कोई उसका सरकार के अन्दर अधिनियम नहीं है, कोई एक्ट नहीं है।

मंत्री महोदय जी यहां पर मौजूद हैं, संगरिया के ग्राम नुकेरा के अन्दर खाताधारकों को नाम जुड़वाने के लिए दर-दर भटकना पड़ता है, लेकिन सरकार से बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी उन खाताधारकों का ग्राम सोसाइटी के अन्दर नाम नहीं जोड़ा जाना कहीं न कहीं उन किसान साथियों के साथ एक अमानवीय घटना जैसी इस समय व्यतीत होती है। अतः मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि संगरिया विधान सभा क्षेत्र के रतनपुर, तलवाड़ा और

नुकेरा ग्राम की सोसाइटियों के गबन की जांच करके उनकी पाई-पाई रकम की हम भरपाई कैसे कर सकते हैं, इस पर आप उचित कदम उठाएं।

खाद्य सुरक्षा की जहां बात आती है, आबादी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उचित मूल्य की दुकानें कम पड़ रही हैं, इन्हें बढ़ाया जाये। लाभार्थी इतने ज्यादा हैं कि एक लिमिट तक पोर्टल को खोला जाता है और उसे बाद में बन्द कर दिया जाता है। अतः सम्पूर्ण लाभार्थियों को लाभ दिया जाये और जिन डीलर्स को जांच के नाम पर हम निलम्बित कर देते हैं, उनकी दुकानें आसपास की दुकानों के साथ अटैच कर देते हैं तो कहीं न कहीं इन दुकानों को जल्द से जल्द उचित मूल्य की दुकानें नई खोलने का काम करें।

सोसाइटियों के अन्दर जो गबन पिछले सालों में हुआ है, उस पर किस प्रकार हम लगाम लगा सकते हैं और सोसाइटियों में जो व्यवस्थापक और एमडी, अभी पिछले दिनों दो महीने पहले हनुमानगढ़ में संजय नाम के एमडी कार्यालय के व्यक्ति पर एसीबी की जांच होती है और उसकी एफआईआर अभी तक नहीं होना कहीं न कहीं एक बड़ा विषय सरकार पर निशान खड़ा करता है कि कहीं न कहीं उस एक संजय के हाथ पूरे मंत्री मण्डल तक हैं कि उस पर एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है।

अतः आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सोसाइटी ग्रामीण परिवेश का वह मिनी बैंक है जिसमें वह अपनी पाई-पाई, वे महिलाएं अपना सोना रखती हैं और वह जब चोरी हो जाता है तो पूरी उम्र उन्हें पाई-पाई के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। इस तरह से समय रहते हमने इस पर एक्ट नहीं बनाया तो अन्तरराष्ट्रीय वर्ष जो सहकारिता के नाम पर हम मना रहे हैं, एक प्रकार से आमजन, वह किसान परिवार ठगा महसूस कर रहा है, सोसाइटी के अन्दर ग्रामीण परिवेश का परिवार कर रहा है। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री प्रताप जी भील।

श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 50 - सहकारिता और मांग संख्या 55 - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

मैं सबसे पहले हमारे सहकारिता मंत्री एवं हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो-जो भी सहकारी समिति बनाने के लिए कहा था, उनकी आपने स्वीकृति दी। इसके साथ में मैं थोड़ा-सा निवेदन यह भी करूंगा कि गोगून्दा विधान सभा क्षेत्र में जो सहकारी समिति देश आजाद होने के बाद में प्रारम्भ हुई है, वहां पर आज भी प्रभावशाली लोगों का कब्जा बरकरार है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी का जब शासन था और वहां पर सहकारी समितियों के चुनाव हुए थे, उन चुनावों में जिस प्रकार से वहां के सहकारी विभाग के अधिकारी एवं वहां के प्रभावशाली लोग थे, उन्होंने मिलकर अपने चाहने वाले सभी को निर्वाचित भी किया। गलत तरीके से निर्वाचित हुए। उसके बाद में कई लोगों की जांच भी हुई और उस जांच में अयोग्य भी घोषित हुए।

MKD/RTM/11.03.2025/15:20/2l

अयोग्य घोषित होने के बाद न्यायालय में भी गये और न्यायालय की शरण में आज वे जीवित हैं। मेरा निवेदन यह रहेगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तब सहकारिता विभाग प्रारम्भ हुआ। गोगून्दा विधान सभा क्षेत्र की गाथा यदि आप सुनेंगे तो वहां पर सहकारी समिति खोली गई। वहां पर व्यवस्थापक अनपढ़ थे और सचिव भी बनाये गये और हाथ के साथ-साथ पैरों के अंगूठे भी लगे और उसके बाद काफी लम्बे समय तक गाय-भैंसों को नीलाम भी किया। इसका बहुत बड़ा आंदोलन चला।

माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब खुद गोगून्दा पधारे थे। उन्होंने वहां पर घोषणा की थी कि यदि हमारी सरकार राजस्थान में आयेगी तो हम दस हजार रुपये का कर्जा माफ करेंगे। सन 1990 में जब भैरोंसिंह जी शेखावात साहब मुख्य मंत्री बने थे तो हमारे जो आदिवासी लोग हैं, उनके दस हजार रुपये तक के कर्जे माफ हुए। आज भी हालत यह है, जो हमारी सहकारी समिति का सदस्य है, आज भी उनके नाम से लोन लेने वाला कोई और है, नाम उनके है और जब कभी भी वसूली होती है तो उन लोगों से ही हो रही है। मेरा निवेदन यह रहेगा कि इसकी हम सबको चिन्ता करनी चाहिए।

इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे उदयपुर में भूमि विकास बैंक संचालित होता था। उस भूमि विकास बैंक के माध्यम से हमको ट्रैक्टर के लोन भी मिलते थे, पम्प, इंजन के भी लोन मिलते थे, खेती सुधार के भी लोन मिलते थे, लेकिन प्रभावशाली लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया और उस सहकारी भूमि विकास बैंक, उदयपुर पर ताला लग गया है। उसके दोषी हैं, विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, उनके।

इसके अलावा, मैं एक निवेदन और करूंगा कि जिस प्रकार से सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष लास्ट में आम सभा होनी चाहिए। आम सभा में लेखा-जोखा होना चाहिए, लेकिन आज किसी प्रकार का लेखा-जोखा नहीं हो रहा है, न आम सभा हो रही है, न लाभांश का वितरण हो रहा है। इस प्रकार से यहां पर हो रहा है।

इसके अलावा हमारी गोगून्दा सहकारी समिति है, जिसमें लगभग 10 ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं और पिछले तीन-चार साल पहले इस पंचायत समिति में कोई गबन का मामला हुआ था और गबन का मामला होने के बाद वहां के जो कर्मचारी हैं या वहां पर जो निर्वाचित लोग हैं, उन्होंने बन्द ताले के ऊपर से खिड़की तोड़कर एक चोरी का इल्जाम लगाकर एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी कि जो रिकॉर्ड है, वह चोरी हो गया। इस प्रकार से वहां पर गोरखधंधा चल रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस पर भी अपन को ध्यान देने की जरूरत है।

इसके अलावा आप देखते होंगे कि दुग्ध सहकारी समिति संचालित है। हमारे किसान भाई सहकारी समिति के संग्रहण में दूध देते हैं, लेकिन आप देखेंगे, जैसे किराना की दुकान हो या कहीं पर भी जाते हैं तो बीस रुपये में अपन को पानी की बोतल मिलती है। अपना गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, वह 25 रुपये किलो यहां पर क्रय किया जाता है। आप देखेंगे कि

किसान सुबह कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, उस पशु की कैसे देखभाल करता है, उसके खाने की व्यवस्था करता है, दिनभर उसके साथ में रहता है और उसका जो भाव होता है, वह इस प्रकार से मिलता है, तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें भी बढ़ोतरी करनी चाहिए।

इसके अलावा आपने देखा होगा कि पहले हमारे जो किसान भाई हैं, कभी पैसे की जरूरत पड़ती थी तो साहूकार के पास में जाते थे। हमारे देश के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किसान क्रेडिट कार्ड प्रारम्भ किया। जिससे आज हमारा किसान, यदि कुछ पैसों की जरूरत है तो अपनी जमीन को गिरवी रखकर आज किसान बैंक से पैसा लेता है और अपना काम आगे बढ़ाता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा निवेदन करूंगा।

इसके अलावा आपने देखा होगा कि सहकारी समिति के माध्यम से हमारे वहां पर ट्रैक्टर भी दिये, वह भी आज उन लोगों के कब्जे में है। इसलिए मेरा थोड़ा निवेदन है कि इसकी तरफ पर आप ध्यान दें।

हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समितियां हैं। जैसे मैं बता रहा हूं कि गोगून्दा सहकारी समिति में 10 ग्राम पंचायतें हैं, तो वहां पर छोटी-छोटी, दो-दो या एक-एक ग्राम पंचायत को मिलाकर यदि सहकारी समिति बन जाती है तो वहां पर जो वंचित लोग हैं, उनको लाभ मिल सकता है। मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, आपने देखा होगा कि हमारे जो किसान भाई हैं, उनको पूर्व की सरकार में, जिन्होंने सहकारी समिति से या अन्य प्रकार से जो लोन ले रखा था, तो उसका बीमा होता था और बीमे के रूप में यदि किसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसका जो भी लोन होता, उसकी भरपाई हो जाती थी, लेकिन पिछली सरकार ने इस बीमे को बन्द कर दिया। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा इसको भी वापस प्रारम्भ करने की कृपा करावें।

इसके अलावा, आप देखेंगे कि हमारी सहकारी समिति में जो व्यवस्थापक हैं, हम व्यवस्थापकों को कम मानदेय देते हैं तो वे किसी प्रकार से आड़े-टेढ़े होकर किसान भाइयों से कुछ वसूली भी करते हैं, तो इनका भी आप कैडर बनाकर, इनको भी आगे बढ़ाने का काम करें, तो उनका भी लाभ होगा और हमारे किसान भाई नहीं लुटेंगे। ऐसा मेरा निवेदन है।

इसके अलावा मैं एक और निवेदन करूंगा कि गोगून्दा में सहकारी समिति के चुनाव है, हो सके तो आप ऐसी कोई प्रक्रिया करें ताकि वहां पर निष्पक्ष सहकारी समिति के चुनाव हो, ऐसी मेरी मांग है।

इसके अलावा, सहकारी ऋण जमा कराने की अन्तिम तिथि 31 मार्च है, उसको बढ़ाकर 30 जून तक की जाए, ताकि हमारे जो किसान भाई है, अभी गेहूं हो या चना हो, सरसों हो, उसको बेचेंगे और उसके बाद में जो भी आपका बकाया है, वह जमा करायेंगे। आपका आभार। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री सुभाष जी गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): धन्यवाद, सभापति महोदय, मुझे सहकारिता एवं खाद्य सुरक्षा की मांग पर चर्चा में समय देने के लिए।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं पहले कोऑपरेटिव पर विचार व्यक्त कर रहा हूं। इसमें ज्यादातर कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज की बात करना चाहूंगा। जिसमें कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसायटीज के द्वारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन किये जाते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यशन रन किये जाते हैं, उस पर विभाग का क्या कंट्रोल है, क्या रेगुलेशन है।

पिछले 50-60 वर्षों से यह व्यवस्थाएं चली रही हैं। कोऑपरेटिव सोसायटीज के तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित होते हैं और मेडिकल इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेज स्थापित होते हैं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार विभाग का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, न कोई ईयरली रेगुलेशन बनते हैं, न ऑडिट होती है और जिस तरह से समाज के कमजोर तबके के या मध्यम वर्ग के लोग हैं, वहां उनके बच्चे पढ़ते हैं और वे बहुत सारा लाभ कमाते हैं। उस लाभ का वे उपयोग कैसे करते हैं, फंड्स का क्या दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं या फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर में ही उपयोग करते हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

हम सब जानते हैं कि कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर का जो प्रादुर्भाव हुआ था वह फाइनेंशियल इंक्लुजन के साथ-साथ, बैंक्स का जो हुआ था और कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज का जो प्रादुर्भाव हुआ था, वह नो प्रोफिट, नो लॉस के आधार पर एक्टीविटीज करने का था। सोसायटीज एक्ट के तहत जितने भी कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज चल रहे हैं, इस सिद्धान्त का पालना नहीं किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसके लिए विशेष सेल का गठन करें और इस पर बहुत रेगुलेशन की जरूरत है। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, चाहे प्राइवेट कालेजेज चल रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेज चल रहे हैं और गवर्नमेंट भी सोसायटी एक्ट के तहत टेक्निकल इंस्टीट्यूशन चला रही है, जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो राजमैस है, वह उसी का स्वरूप है, लेकिन कोऑपरेटिव विभाग का क्या कंट्रोल है, क्या रेगुलेशन है, इसको देखने की जरूरत है।

Bhs/Rtm/11.03.25/15.30/2m

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि कोऑपरेटिव बैंक्स का अगर मैं कहना चाहूं तो हम सब जानते हैं कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र की या शहरी क्षेत्र की ऐसी बहुत सारी पापुलेशन है जो क्रेडिट से डिप्राइव्ड है और उसके इन्क्लूजन के लिये बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किये गये हैं और किये भी गये हैं तो आप जानते हैं कि कितनी फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज, कितने भ्रष्टाचार, कितनी गड़बड़ियां हुई हैं। और समय-समय पर मैं बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, आर.बी.आई. ने इसी के तहत क्योंकि यह स्टेट का सब्जेक्ट है कोऑपरेटिव तो आर.बी.आई. का कंट्रोल नहीं था, फिर 2002 में संशोधन हुआ, फिर 2020 में एक संशोधन

लेकर आये और आर.बी.आई. ने कुछ सिफारिशें की थी उन सिफारिशों में यह था कि इसको पारदर्शी बनाया जाये, ट्रांसपेरेंट बनाया जाये। कोऑपरेटिव बैंक्स आज भी मैं कहना चाहूंगा कि आज भी जो टैक्नॉलॉजी है बैंकिंग टैक्नॉलॉजी जो आई.टी. का प्रयोग है उसको उपयोग नहीं करना चाहते। आप स्वयं जानते हैं, मंत्री जी, आपने कार्यवाही भी की है कि वो जानबूझ कर नहीं करना चाहते जो घोटाला होता है ऋणों में, अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे भील साहब, यह सही है लोन किसी के नाम से उठा कोई रहा है और करोड़ों के घोटाले अब उसमें कौन नैक्सस है, यह जांच का विषय है। चाहे वो कोई भी राजनीतिक लोग हों, चाहे वो बैंक के ऑफिसर्स हों और क्या कारण है, सिस्टम इसका डेमोक्रेटिक सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है एक परिवारवाद चलता है, बाहुबलीवाद चलता है तो इसको भी देखने की जरूरत है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसको जो परिकल्पना की गयी थी, आज भी कोऑपरेटिव जो फोर्मेट है वह सबसे उपयुक्त मानता हूं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कामर्स एंड मैनेजमेंट और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के आधार पर कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज और कोऑपरेटिव बैंक्स का संचालन किया जाये लेकिन आप स्वयं जानते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के ऑफिसर्स के घोटाले आपने स्वयं भी जांच करवायी है इनको देखने की जरूरत है।

सभापति महोदय, एक मैं यह कहना चाहूंगा कि आर.बी.आई. ने जो 2020 में सिफारिश की थी उनको दिखवाइये और इसको एक वर्किंग ग्रुप, मैं कहना चाहूंगा कि इसको जरूरत है। एक आप इनिशियेट लीजिये और एक पूरा कोऑपरेटिव जो स्ट्रक्चर है चाहे वो कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज हों और चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हैं क्या और सुधार किये जा सकते हैं और उन सुधारों में प्रमुख उद्देश्य होना चहिये कि ट्रांसपेरेंसी रहे। टैक्नॉलॉजी का आज भी आप देखिये कि बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक सेन्ट्रल बैंकिंग सिस्टम में, आप जानकारी दे सकते हैं अपने आन्सर में कि कितने बैंक आज भी सेन्ट्रल बैंकिंग सिस्टम को अभी भी बहुत सारी शाखाएं ऐसी हो सकती हैं जो इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आज भी ऐसे नये कोऑपरेटिव बैंक के प्रयोग हैं जो अपना लाभ बढ़ा सकते हैं। अभी वो ट्रेडिशनल करते हैं जमा करना, ऋण करना। इनके बहुत सारी ऐसी बैंकिंग एक्टीविटीज हैं जो कॉमर्शियल बैंक्स करती हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स करती हैं उन एक्टीविटीज को भी कोऑपरेटिव बैंक के दायरे में लाया जाये और पर्सनल्स का जो आप रिक्रूटमेंट करते हैं अभी आप अपेक्स के इनके माध्यम से या जो तीन ढांचा है उनके माध्यम से करते हैं और किस स्तर पर होते हैं आप जानते हैं। यह जो सिस्टम है रिक्रूटमेंट का इसमें प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोगों को लें। यह कैडर को डिफाइन करके कर रखा है तो बहुत अच्छा है तो इस कैडर को डिफाइन करिये उस कैडर के अनुसार क्या-क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिये। अभी भी मैनेजर प्रोफेशनल नहीं होते। बैंकिंग के बारे में नहीं समझते। जो क्लेरिकल स्टाफ आता है या जो इससे ऊपर के कैडर का स्टाफ है मैनेजर से आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार नियुक्त कर देते हो बैंकों में। आप इसके लिये अलग कैडर बनाइये। वाई नॉट लाइक एम.बी.ए. ग्रेजुएट्स, आईआईटीयन्स? ये लोग क्यों नहीं आ सकते?

सभापति महोदय, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक बहुत बड़ा आर्गेनाइजेशन होता है, सेन्ट्रल

कोऑपरेटिव बैंक उनमें क्यों नहीं एक कैडर जो है जिस तरह से कॉमर्शियल बैंक में रिक्रूटमेंट होता है, बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो करता है आपके यहां कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड है लेकिन उनके जो पैरामीटर्स हैं अभी बैंकिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं हैं, तो मैं आपके मध्यम से, सभापति महोदय, कहना चाहूंगा कि इस चीज को भी ध्यान देने की जरूरत है।

सभापति महोदय, एक मैं कहना चाहूंगा एन.पी.ए., आज बार-बार सरकार को चुकाना पड़ता है।

श्री सभापतिः प्लीज समाप्त कीजिये।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): और हर किसान मांग करता है कि हमें ऋण माफ किये जायें तो एन.पी.ए. की समस्या से मुक्त होने के लिये मैं कहना चाहूंगा कि जो वाइडर और एरिया हैं, न्यू एरिया हैं बैंकिंग एक्टीविटीज के उनको कोऑपरेटिव बैंक में प्रवेश दिलाया जाये, उनको बाध्य किया जाये केवल यह नहीं कि ऋण दे दिया जाये और बस इतिश्री हो गयी। इसको भी देखें।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा इसकी जो जरूरत है। भरतपुर का भी मैं उदाहरण देना चाहूंगा। वहां गत वर्षों में उस रीजन में कोऑपरेटिव बैंक में काफी घोटाले हुए हैं, उनकी जांच करायें और मांग भी हुई थी। मैं तो चाहूंगा कि आप उन जांचों को ए.सी.डी. को भेजिये। मालूम तो पड़े कर्मचारी जिम्मेदार हैं तो उनको सज़ा मिलेगी, और कोई जिम्मेदार है तो उनको भी सज़ा मिलेगी लेकिन जिस तरह से नैक्सस बन गया है, चुनावों में आप जानते हैं किस तरह का खेल होता है, क्यों होता है, वह चुनावों में खेल इसी वजह से होता है तो इस प्रवृत्ति को खत्म किया जाये यही मैं कह करके धन्यवाद कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापतिः श्री डूंगरराम जी गेदर।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का समय दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूर्व मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को जिन्होंने अन्नपूर्णा फूड पैकेट के माध्यम से हर गरीब के घर में अनाज, तेल, मसाले पहुंचाने का काम किया और कोरोना के अन्दर कोई भी भूखा न सोये और कोई भी दवाई के बगैर न रहे, ऐसा प्रबन्ध यदि किसी ने किया तो वह अशोक गहलोत साहब ने किया, जिसकी पूरे देश के अन्दर सराहना हुई। इन्दिरा रसोई योजना खोली जिसमें सिर्फ 8 रुपये में इज्जत के साथ बैठा करके खाना खिलाया गया। आज जो अन्नपूर्णा रसोई है या तो वह बन्द पड़ी है या वह खिसक-खिसक कर चल रही है। राजस्थान प्रदेश एस.डी.जी. इंडेक्स 2024 के अनुसार गोल्स 3 में स्वास्थ्य सेवा के अन्दर राजस्थान की दयनीय स्थिति बनी हुई है। इसके अन्तर्गत राजस्थान रेड जोन के अन्दर आ रहा है जिसका स्कोर 47.87 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय लेवल से भी बहुत कम है। देश के अन्य पिछड़े राज्यों से भी कम स्कोर रखने वाले राजस्थान के हालात बहुत खराब हैं और राजस्थान के अन्दर विकसित माने जाने वाले जो जिले हैं जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर की स्थिति बद से

बदतर है।

सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा के अन्दर जिनको जरूरत है वो आज भी नाम जुड़वाने के लिये दर-दर की ठोकरें खा रहा है और जिनको जरूरत नहीं है वो आज भी बड़े पैमाने पर जुड़े हुए हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार आपने 4.37 करोड़ पर कैपिंग लगा दी। इसी वजह से 2022 में पोर्टल बन्द कर दिया और 26 जनवरी, 2025 को लगभग ढाई साल बाद आपने इस पोर्टल को खोला और वो भी जो नौकरी लगे या जिनके नाम पिछले सालों में कटे हैं वो ही आप लोगों ने नाम जोड़े हैं। नयी जनगणना आपने देश के अन्दर करवायी नहीं और जिसकी वजह से आज जो पोर्टल के अन्दर नये खाद्य सुरक्षा के अन्दर जुड़ने चाहिये वो है वो नहीं जुड़ पा रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग आज लाइन में लगे खड़े हैं और हालात ये हैं कि सन् 2015-16 के अन्दर एन.एफ.एच.एस. की जो 6 माह से 59 माह तक के बच्चों में एनिमिया के ग्रसित होने की जो रिपोर्ट है वो 58.6 प्रतिशत थी जो 2019-20 में 67.1 हो गयी है जो देश के लिये बहुत खतरनाक है और 2019-20 के बाद इस डर से कि यह रिपोर्ट आपकी है वह पोल खोल रही है, कोई रिपोर्ट देश के अन्दर पब्लिश नहीं की गयी है।

सभापति महोदय, देश के अन्दर एक तरफ तो अमीर बढ़ते जा रहे हैं जो विदेशों में नाम कमाने की आप लोग बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, गरीब है वो प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये पेंडिंग आधार की सीडिंग का कार्य पोस मशीन के द्वारा करवाया जाये ताकि उपभोक्ता को जगह-जगह भटकना न पड़े।

सभापति महोदय, राशन डीलर जो सरकार की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है अतः उस राशन डीलर को मानदेय शुरू किया जाये ताकि वो अपनी सेवा का निर्वहन और ज्यादा मजबूती से कर सके। अन्य पिछड़ा वर्ग की जो दस्तकारी जातियां हैं, शिल्पकार जो जातियां हैं उनको अनिवार्य रूप से खाद्य सुरक्षा के साथ जोड़ने का काम किया जाये। सूरतगढ़ के अन्दर उपभोक्ता आयोग का कैम्प लगाया जाये ताकि सूरतगढ़ के उपभोक्ताओं को नजदीक व आसानी से न्याय मिल सके।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि सहकारिता के माध्यम से श्री अशोक गहलोत साहब ने ऋणी जो किसान थे उनका कर्जा माफ करके जो पचास हजार से लेकर के तीन लाख तक का कर्जा था वो कर्जा अशोक गहलोत साहब ने माफ किया और 2022-23 के अन्दर कृषि ऋण माफी योजना के लिये एक हजार करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया लेकिन उसके बाद आपने दो बजट दे दिये, आपने कोई भी बजट के अन्दर इस तरह के किसानों के लिये कोई प्रावधान नहीं किया है।

सभापति महोदय, सहकारी संस्थाओं के ब्याज अनुदान के लिये राज्य निधि जो 2022-23 के अन्दर 748.41 करोड़ का प्रावधान रखा गया था वो 2023-24 के अन्दर 778.43 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया लेकिन आपने 2024-25 के बजट में 324 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जो 58 प्रतिशत कम है और 2025-26 के अन्दर आपने फिर 292 करोड़ का

प्रावधान रखा है। राजस्थान प्रदेश में मुख्य मंत्री जी ने जो दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना जो अशोक गहलोत साहब ने शुरू की थी, उस योजना का भट्ठा बैठाने का काम भी आपने किया। 2022-23 से 2023-24 के अन्दर जिसमें 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी वही आपने 2024-25 के अन्दर मात्र 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी और 2025-26 के अन्दर मात्र 8.33 प्रतिशत की बढ़ोतरी आपने की। और नन्दीशालाओं की हालत आपने यह कर दी कि जो अशोक गहलोत साहब ने दो सौ करोड़ रुपये का बजट 2022-23 में इसके लिए प्रावधान किया था, आपने 2025-26 के अन्दर मात्र 32 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो 84 प्रतिशत घटाने का काम आपने किया है यह आपका गो का प्रेम है वह साबित हो रहा है।

महोदय जी, यहां बहुत-सी मांग हम लोग करते हैं, बोलते हैं लेकिन भ्रष्ट सिस्टम पर इसका कोई असर नहीं होता।

Kas/rtm/11.03.2025/15.40/2n

अभी मेरे से पूर्व हमारे माननीय सदस्य श्री अभिमन्यु पूनियां ने जिन बातों का जिक्र किया था, उसी कड़ी में 2जीबी ग्राम सेवा सहकारी समिति में 460 खाताधारकों के 9,94,36,557 रुपये का घोटाला हुआ है। पिछले 90 दिनों से जयसर में धरना चल रहा है। एमडी, अन्य अधिकारी, पुलिस प्रशासन द्वारा बार-बार आश्वासन दिये जाने के बाद भी आज भी ढाक के तीन पात है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 2जीबी मिनी बैंक घोटाले में बैंक प्रशासन ने 17 लोगों को दोषी माना, लेकिन एफआइआर केवल तीन लोगों पर दर्ज हुई, 14 को आपने बचा लिया। तीन में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दो में से एक को गिरफ्तार किया और जिसको बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी रिकवरी के जेसी कर दिया और एक आज भी खुला घूम रहा है और कह रहा है कि मेरी तो ऊपर तक पूरी की पूरी सैटिंग है। बैंक द्वारा 14 दोषियों के व्यक्तियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई? खातधारकों द्वारा बार-बार अवगत कराया गया कि खाते में 4,45,11,000 रुपये राशि जमा है, लेकिन घोटाला उजागर होने के बाद व्यवस्थापक व बैंक मैनेजर ने मिलकर 2 करोड़ 90 लाख रुपये का लोन ले लिया। यह वसूली भी बैंक खाताधारकों की जमा पूंजी से की जा रही है, जबकि यह वसूली व्यवस्थापक व बैंक मैनेजर से की जानी चाहिये। जिला कलेक्टर ने 5 सदस्य की जांच कमेटी बनाई। आज 30 दिन होने के बाद भी आज तक उसकी कोई सूचना नहीं है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बैंक में जिन लोगों ने पैसा जमा कराया, वो कौन लोग हैं, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कुलवीर सिंह ने अपनी जमीन बेचकर 30 लाख रुपये इस 2जीबी सहकारी बैंक में जमा कराये। उसने 14 लाख रुपये साई के तौर पर दे दिये और अपना समय पूरा होने के बाद जब वह अपने 30 लाख रुपये लेने गया, तब उसे पता चला कि बैंक में घोटाला हो गया। उसके वो 14 लाख रुपये भी गये

और वो जमा 30 लाख रुपये भी गये। इस तरह से आज उसकी हालत पूरी तरह से खराब है।

सुखदेव सिंह, जिसकी उम्र 78 साल है, जिसने सेवा निवृत्ति के बाद प्राप्त राशि का 40 लाख रुपया इस बैंक में जमा करवाया और जब वह पैसा लेने के लिये वापस गया, तब पता चला कि घोटाला हो गया। आज वह दर-दर की ठोकरें खा रहा है।

पोला राम, जिसकी उम्र 76 साल है, उन्होंने मेहनत-मजदूरी करके तीन लाख रुपये एकत्रित करके बैंक में जमा करवाये। जब उनको पता चला कि बैंक में घोटाला हो गया, आज उसके पास इलाज कराने के लिये भी पैसे नहीं है।

दीपा देवी, जिसके पति की करंट लगने से मौत हो गई। उसकी पति की मृत्यु के पांच लाख रुपये बीमा के, जो अशोक गहलोत साहब ने उस समय शुरू किये थे, वो उसको मिले थे, वो पांच लाख रुपये उसने बैंक में जमा करवा दिये। उसके चार लड़कियां हैं और आज उन पांच लाख रुपये का घोटाला हो गया। आज वो अपनी चार बच्चियों के साथ मजदूरी कर रही है, दर-दर की ठोकरें खा रही हैं।

इसी तरह से परमिला देवी, जिसके पति की मृत्यु हो गई और उसके सास-ससुर भी इस दुनिया में नहीं हैं। गांव वालों ने मिलकर हजार-हजार, दो-दो हजार रुपये इकट्ठा करके उसके लिये पैसे जमा करवाये और वह सारा का पैसा उसने उसमें जमा करवाया, तो आज जब बैंक में पैसा मांगने गई, तो उसको एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। वो और उसका परिवार आज दर-दर की ठोकरें खा रहा है।

सभापति महोदय, आप बताओ, इस विधान सभा में बार-बार बोलने के बाद भी, यह बात मेरे द्वारा पहले भी बोली गई, लेकिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आज 90 दिन से वहां धरना चल रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिये तैयार नहीं है। इस तरह से जब तक घोटाले होते रहेंगे, लोग इस तरह से लुटते रहेंगे और यहां कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, तो यहां बोलने का भी कोई फायदा नहीं रहेगा। सभापति महोदय, मेरा आप लोगों से कहना है कि आप इस पर कोई कार्यवाही करें और जिन लोगों के मैंने नाम लिये हैं, ये 460 लोग हैं, जिन्होंने एक लाख से लेकर 10-10 लाख, 90-90 लाख रुपये जमा कराये हैं, इनके पैसे दिये जाए।

श्री सभापतिः समाप्त करें।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): और वहां भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये। जिनको बाद में दोषी माना है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री सभापतिः श्री अर्जुन लाल जी जीनगर। अंकित नहीं होगा।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): 000

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 50 सहकारिता और मांग संख्या 55 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार। सहकारिता का मूल अर्थ ही यही है कि

सब एक के लिये, एक सबके लिये। हमारे मंत्री महोदय भी हमारे चित्तौड़ जिले के हैं और पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी चित्तौड़ जिले के ही थे। इस बार परिवर्तन देखा तो उसमें हमको ऐसा लगता है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार ने सहकारिता को और अधिक बल देने का काम किया। सहकारिता का मूल मंत्र है मिल कर काम करना या किसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये लोगों एवं संस्थाओं का एक साथ आना। सहकारिता एक आर्थिक व्यवस्था का रूप है, जिसमें लोग मिलकर आर्थिक मकसद को पूरा करने का काम करते हैं। हमारे इस सहकारिता के अभियान को और तेज करने के लिये गुजरात एवं महाराष्ट्र की तर्ज पर उनकी प्रेरणा लेकर या उनके साथ बैठकर इन योजनाओं को और अधिक सक्रिय करने की आवश्यकता है, ताकि सहकारिता के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकें।

सभापति महोदय, सहकारिता विभाग का अलग से मंत्रालय भारत सरकार के हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र जी मोदी जी ने बनाया और अमित शाह जी उसके मंत्री हैं। उन्होंने जिस प्रकार से इस सहकारिता के क्षेत्र में काम किया, वह अभूतपूर्व है। सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना, समाज के हितों की रक्षा करना, उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर सामान व सेवाएं मुहैया कराना, इसके अलावा भी सहकारिता विभाग के कई कार्य हैं। उत्पादकता, बचत, निवेश, अधिशेष, सामान का वितरण, प्रोत्साहन किया जाना, यह हमारा सहकारिता विभाग कर सकता है।

राजस्थान में सहकारिता आंदोलन में गांव, गरीब, मजदूर, युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, किसानों, जरूरतमंद लोगों के जीवन में आर्थिक संपन्नता लाने का काम भी हमारा यह विभाग करता है। राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 एवं राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2003 के द्वारा राजस्थान में 42,352 सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिनमें 1 करोड़ 34 लाख 90 हजार से अधिक सदस्य हैं। इनमें 22,792 करोड़ से अधिक की हिस्सा पूंजी राशि है और 1,77,167 करोड़ रुपये से अधिक क्रियाशील पूंजी है। इस प्रकार से सहकारी संस्थाएं बहुत ही मजबूत हैं और हम चाहते हैं कि उनको और अधिक मजबूती प्रदान करें। राजस्थान में सहकारिता विभाग में शीर्ष स्तर पर 23 सहकारी संस्थाएं मूल रूप से काम करती हैं, जिसमें जिला स्तर पर 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं, 24 जिला दूध उत्पादक सहकारी समितियां हैं और 30 उपभोक्ता हॉलसेल भंडार हैं, 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक हैं। 7824 पैक्स हैं, 789 लैम्प्स हैं, 334 क्रय-विक्रय संस्थाएं हैं, 44 फल सब्जी समितियां हैं, 5509 महिला सहकारी समितियां हैं। कुल मिलाकर 22,300 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, इनमें से 25,594 सहकारी समितियां सक्रिय हैं।

कांग्रेस के लंबे शासन में सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार भी हमको खूब देखने को मिला और खूब फला-फूला। जो व्यक्ति धरती पर ही नहीं है, जो व्यक्ति उस गांव में नहीं है, उसके नाम से लाखों-करोड़ों रुपये के लोन उठा लिये जाते थे और जब उस गरीब व्यक्ति के घर नोटिस आता था, तब उसको पता चलता था कि मैंने कभी लोन लिया ही नहीं और यह लोन मुझे कैसे चुकाना पड़ेगा, इस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना

चाहूंगा कि इस पर कोई ठोस कानून बनाकर कार्यवाही करने की आवश्यकता है, ताकि जो भी इस प्रकार की बेईमानी करता है, उन बेईमानों का इलाज करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आगाज किया। जबकि कांग्रेस ने आज तक किसानों को एक रुपया देकर भला नहीं किया। उस योजना में 6 हजार रुपये प्रतिवर्ष किसानों को किसान सम्मान निधि का मिला और मुख्य मंत्री जी ने भी उन्हीं की तर्ज पर 3-3 हजार रुपये इस वर्ष से देना प्रारंभ किया है। इस प्रकार से किसानों को 9-9 हजार रुपये प्रतिवर्ष मिल रहा है।

Msk/rtm/11.03.25/1550/2o

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया, सहकारी बैंको को रिज़र्व बैंक से लाइसेंस दिलाना, सहकारी फसली ऋण, ऑनलाइन पंजीयन वितरण योजना, ब्याज मुक्त फसली सहकारी ऋण योजना, राजस्थान गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, सहकारी जीवन सुरक्षा बीमा योजना, राज्य सहकारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, मध्यकालीन ऋण योजना, जिसमें कृषि और अकृषि दोनों हैं, सहकारी स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, इस प्रकार से कई योजनाएं इस सहकारी विभाग के अंदर चालू हैं।

मैं सहकारिता विभाग से किसानों के हितों में कौन-कौनसे काम किये जाते हैं, उनमें, 5 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान देकर किसानों को लाभ देने का काम करते हैं। एकमुश्त समझौता राशि, यदि किसी के ज्यादा ऋण हो गया और कभी-कभी किसान डूबने के कगार पर है तो समझौता राशि के आधार पर भी उस काश्तकार का भला करने का काम करते हैं। रहनमुक्त प्रमाणपत्र जारी करने का काम करते हैं। महिला विकास के लिए महिलाओं को सोसाइटी के माध्यम से ऋण देने का काम करते हैं। विद्युतीकरण के कार्य में ऋण दिया जाता है। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, यदि कोई भी व्यक्ति अपना खुद का रोजगार चलाना चाहता है तो उसको भी कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है। शैक्षणिक संस्थाओं को ऋण दिया जाता है, ताकि शैक्षिक स्तर को बढ़ाया जा सके। उच्च शिक्षा के अंदर भी पढ़ने जाने वाले बच्चे हैं, उनको भी शिक्षा संस्थानों के लिए ऋण और उच्च शिक्षा ऋण, मुख्यमंत्री जलधारा योजना, ट्रैक्टर नकद ऋण वितरण योजना, ग्रामीण गोदामों का निर्माण, इस प्रकार से कई तरह के काम हमारी सहकारी संस्थाएं करती हैं।

हमारी सरकार ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ढाई लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस योजना में सरकार डेढ़ सौ करोड़ रुपये अनुदान के रूप में विभाग को देगी। दीर्घकालीन ऋण कृषि योजना में 400 करोड़ रुपये का ऋण 5 प्रतिशत ब्याज पर देने का काम करेगी। 2 हजार 500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जीएसएस के सहकारी समितियों के गोदाम बनाने का काम करेगी। इस प्रकार से 100 जीएसएस पर 100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनायेगी। उनकी मरम्मत के लिए 12 करोड़ रुपये का अनुदान, 500 मैट्रिक टन के 100 गोदाम, 250 मैट्रिक टन के 50 गोदाम। मैं

हमारे मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में भी कम से कम 10 से अधिक सहकारी समितियों के अन्दर गोदाम बनाने के लिए राशि उपलब्ध करायी है। लगभग 40 से अधिक ट्रैक्टर आपने सहकारी समितियों को दिये हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। किसान समृद्ध हो, उसके जीवन में संपन्नता आये, उसकी फसलों का उसको उचित दाम मिले, इस प्रकार का काम हमको करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं खाद्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति जी, खाद्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं।

श्री सभापति: प्लीज, खाद्य मंत्री जी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मैं खाद्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, थोड़े ही शब्दों में आपसे आग्रह करूंगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): विधि मंत्री जी, खाद्य मंत्री जी का ध्यान इधर रहने दो।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): शिक्षा मंत्री जी, विधि मंत्री जी, सब मिलकर एक साथ..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): शिक्षा मंत्री जी, आपके यहां के लिए बहुत-बहुत योजना ला रहे हैं, आपके नये सब्जेक्ट खोल रहे हैं, वैकेंसी भर रहे हैं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मेरा एक निवेदन है, अभी मैं खाद्य सुरक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): मंत्री जी, आपका सदस्य पर ध्यान नहीं दिया तो आम जनता का क्या होगा?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पूरा ध्यान है।

श्री सभापति: प्लीज, मंत्री महोदय।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): इसके लिए थोड़ा-सा समय एकस्ट्रा मिले। मेरा एक निवेदन है। मैं खाद्य मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रदेश में कई वर्षों से गरीब व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल बन्द रखा था, आपने आकर इस पोर्टल को चालू किया। गरीब व्यक्ति आपको आत्मा से दुआ देगा। उस परिवार को एक रुपये में अनाज मिल सकेगा।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक रुपये नहीं, बिलकुल फ्री।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): बिलकुल फ्री में। पहले एक रुपये में था। अब बिलकुल फ्री देने का काम कर रहे हैं। मैं सरकार को, माननीय मुख्य मंत्री और मंत्री को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने नि:शुल्क खाद्य योजना के तहत नया पोर्टल चालू करके उन गरीब आदमियों का इस योजना में नाम जोड़ने का काम किया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

राशन वितरण प्रणाली में एक निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो राशन डीलर हैं, ये

बेईमानी करते हैं। बेईमानी करने के पीछे कारण है कि भूखा पेट भजन नहीं हो गोपाला, यह तेरी कंठी, यह तेरी माला। तो उनका कमीशन बढ़ाने की आवश्यकता है। इतना करने के बाद भी जो राशन डीलर बेईमानी करता है, उन बेईमानों को बाहर का रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। प्रदेश में कई फर्जी राशन कार्ड भी बना रखे हैं। इन फर्जी राशन कार्डों का इलाज करने की आवश्यकता है। फर्जी राशन कार्ड बनाकर कई लोग अनुचित लाभ लेने का काम कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि इन फर्जी राशन कार्ड को पकड़ने के लिए कोई न कोई योजना, आधार कार्ड के साथ लिंक करें, कुछ भी करें, ताकि ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके और उचित मूल्य की दुकानें खोलने की आवश्यकता है। जब तक उचित मूल्य की पर्याप्त दुकानें नहीं होंगी, तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता।

अंत में, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ मामला है। जीवन के साथ जुड़ा है, मिलावट का मामला। इस मिलावट को कौन रोकेगा? यह मिलावट माफिया राजस्थान के अन्दर पिछले कई सालों से पनप रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपके शासन में पनपा, हमारे शासन में पनपा, लेकिन यह जो मिलावट का माफिया पनपा है, यह हमारे जीवन को खराब कर देगा। घी में मिलावट, दूध में मिलावट, तेल में मिलावट, दालों में मिलावट, फलों, सब्जियों व आटे में मिलावट, मिलावट ही मिलावट। इस प्रकार से मिलावट ही मिलावट हो जायेगा तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में.. ...(व्यवधान)... आपके राज में पनपा था, आप शेम-शेम मत करो। आपके राज में जो मिलावट हुई थी। हमने तो मिलावट को पकड़ने का काम किया और कल ही एक फैक्ट्री पर छापा डाला। हमने ढाई हजार से ज्यादा कट्टे पकड़ने का काम किया। इस प्रकार से जो बेईमानी कर रहे थे, बेसन के अन्दर ज्वार का आटा मिला रहे थे, उनको पकड़ने का काम हमने किया। आज मैं इस सदन में निवेदन करना चाहता हूं। मैं बड़े दु:ख के साथ कह रहा हूं।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): इस देश में जितना पशुधन नहीं है, जितना दूध नहीं है, उससे ज्यादा आज जयपुर के अन्दर गोदामों में घी मिल जायेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि इन मिलावटखोरों को पकड़ने की आवश्यकता।

श्री सभापति: श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अंत में, एक ही निवेदन करूंगा कि सरकार चाहे तो 24 घंटे के अन्दर इन मिलावटखोरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने में देर नहीं लगेगी। इसलिए जिसका भी संरक्षण प्राप्त है, जो संरक्षण देता है, उनको अन्दर डालने की सरकार कोशिश करे। अंत में, मैं यही निवेदन करूंगा, मैं पुन: दोनों मंत्रियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे सांकेतिक कटौती प्रस्ताव की मांग संख्या 50-सहकारिता पर सदन में बोलने का मौका दिया,

इसके लिए मैं आपका धन्यवाद व आभार व्यक्त करती हूं। आदरणीय सभापति महोदय, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के किसान, मजदूर व खेतिहर जनता के अपने बैंक हैं। परन्तु प्रदेश के भूमि विकास बैंको की स्थिति को राज्य सरकार नजरंदाज कर रही है। इन बैंकों की स्थिति में सुधार के लिए बजट 2025-26 में सरकार के कोई सार्थक व प्रभावी प्रयास नजर नहीं आये। भूमि विकास बैंकों का किसानों पर भारी कर्ज अवधि पार चल रहा है। राज्य सरकार ने भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण वसूली हेतु की जाने वाली अनियमितता ग्रस्त कार्यवाही व भूमि नीलामी पर रोक लगा रखी है। भूमि विकास बैंकों से ऋणधारक अवधि पार चल रहे किसानों को मुख्यधारा में लाने हेतु कोई प्रभावी कदम राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में नहीं उठाये हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के भूमि विकास बैंकों के आर्थिक पुनरुद्धार की नितान्त आवश्यकता है, परन्तु इस विषय पर राज्य सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है। प्रदेश के भूमि विकास बैंकों की स्थापना से लेकर आज तक लगातार राजस्थान प्रदेश के किसानों को दीर्घकालीन सहकारी ऋण देकर प्रदेश में कृषि विकास के नये आयाम स्थापित किये हैं। भूमि विकास बैंकों का ऋण समय पर नहीं चुकाने वालों पर राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, 2001 की धारा 99 और 100 के तहत कार्यवाही को प्रावधान को सहकारी विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 20.05.2024 द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर देने से भूमि विकास बैंकों के ऋण वसूली पर खासा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके चलते अवधि पार कर्ज वसूली तो दूर रही, समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। पिछले वर्ष की अपेक्षा जून, 2024 के सहकारी वर्ष में भूमि विकास बैंकों की ऋण वसूली 115 करोड़ रुपये कम रही है। साथ ही, प्रदेश के समस्त भूमि विकास बैंकों की अवधि पार ऋणों का स्तर अत्यधिक बढ़ गया है। नाबार्ड ने ऋण वसूली में गिरावट व बढ़ते अवधि पार ऋणों के चलते भूमि विकास बैंकों के किसानों को दीर्घकालीन ऋण देने पर पुन: वित्त को रोक कर बहुत कम कर दिया है, जिसके चलते किसानों को भूमि विकास बैंकों से ऋण मिलना दूभर हो गया है, जबकि भूमि विकास बैंक किसानों के अपने बैंक हैं और इन बैंकों से प्रदेश के किसानों का वर्षों से पुराना जुड़ाव है।

mdp/rtm/11.03.25/16:00/2p

इस बात को लेकर प्रदेश के किसान बजट 2025-26 में गहरे आशान्वित थे कि राज्य सरकार भूमि विकास बैंकों के अवधिपार चल रहे ऋण-धारक किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने की घोषणा करके अवधिपार किसानों को मुख्य धारा में लेकर आयेगी। किंतु इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की घोषणा बजट में नहीं किये जाने से प्रदेश का किसान निराश व हताश है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के सामने राज्य सरकार को कहना चाहूंगी कि राज्य सरकार की भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण वसूली हेतु की जाने वाली अनियमिततापूर्ण

कार्यवाही व भूमि की नीलामी कार्य पर स्थगन आदेश के चलते ऋण वसूली नहीं होने से हुई भूमि विकास बैंकों की कमजोर स्थिति को सुदृढ़ करने और प्राकृतिक आपदाओं व अन्य कारणों के चलते ऋण चुकाने में अवधिपार हुए किसानों को पुन: मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार इन किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की घोषणा विधान सभा के इसी सत्र में सदन के सामने करे।

राज्य सरकार प्रदेश के प्राथमिक भूमि विकास बैंकों व समस्त प्राथमिक बैंकों की स्थिति सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाते हुए इस सम्बन्ध में कोई ठोस नीति निर्धारण व योजना बनाए। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री थावरचंद जी मीना।

श्री थावर चन्द (धरियावद): धन्यवाद, सभापति महोदय। आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आपने अवसर दिया, मांग संख्या 50 और 55 पर। मैं सबसे पहले राशन डीलरों की जो मांगें हैं, उन पर आना चाहूंगा।

(समय: बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा का पोर्टल चालू किया गया है, जिसमें ऑनलाइन करवाने के लिए लाभार्थी के राशन कार्ड के सभी सदस्यों के आधार कार्ड जुड़वाने अनिवार्य हैं। इसके लिए जनता जिला रसद विभाग के चक्कर लगा रही हैं। अगर आधार फीडिंग का कार्य राशन डीलर की पोस मशीन से किया जा रहा है तो जनता का काम आसानी से हो सकता है। राशन डीलर द्वारा गेहूं वितरण के समय, आधार के सर्वर की काफी समस्या रहती है एवं जनाधार से भी ओ टी पी नहीं आता है, जिससे लाभार्थी को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। इसका भी समाधान किया जाये। हमारे इलाके के अंदर कई ऐसी भी जगह हैं, जहां पर नेटवर्क नहीं आते हैं तो वहां पर दूर-दूर तक जाकर मगरे के ऊपर बैठना पड़ता है पोस मशीन लेकर। उसका भी समाधान किया जाए।

राशन डीलर का जो कमीशन है, 6-7 महीने हो गए, उनको मिल नहीं रहा है। इसको प्रति महीने दिलवायें, ताकि वह अपना गुज़ारा सही तरीके से कर सके। राशन डीलर को राज्य व केंद्र सरकार द्वारा कुल 137 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाना प्रस्तावित है, जो कि नहीं मिलता है। कुल 137 में से 10 रुपये पोस मशीन की कटौती, 5 रुपये पोस मशीन मेंटेनेंस, 4 रुपये वजन करने का काटा कटौती करते हैं और यह कटौती काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। यह कटौती बंद कराई जाए और पूरा कमीशन दिलाया जाए। राशन डीलर को गेहूं में 2 परसेंट प्रति क्विंटल छीजत दी जाये, क्योंकि एक एफ सी आई से जो गेहूं आता है, उसमें तौल काफी कम बैठता है। नयी राशन दुकानें खोलने के लिए 500 राशन कार्ड के ऊपर एक नयी दुकान खोली जाए, ऐसा आपके प्रावधान है। हमारे इलाके के अंदर जो घर हैं, वे दूर-दूर बने हुए हैं। कई बस्तियां दूर- दूर हैं तो इस ट्राइबल इलाके के अंदर 300 राशन कार्ड पर एक दुकान खोली जाए। इसका प्रावधान, माननीय मंत्री जी, किया जाए।

अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा एक लाख या अधिक वार्षिक आय वाले लाभार्थी को गिव-अप अभियान में हटाया जा रहा है, जबकि एक मजदूर भी अगर 300 रुपये कमाकर इकट्ठा करेगा तो एक साल में, एक लाख से ऊपर कमायेगा। इसको ढ़ाई लाख से अधिक किया जाए ताकि सारे लोग इसमें आ सकें। हमारे इलाके में एक छोटी-बड़ी समस्या ये भी है कि कई बार कुछ लोग, सब नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पर्ची पकड़ा देते हैं और दो महीने-तीन महीने में बाद में उनको देते हैं। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है।

मैं साथ में ये भी कहूंगा कि पिछली बार गहलोत साहब की सरकार थी उस वक्त गरीब परिवारों को फूड पैकेट योजना के नाम पर मिर्ची, तेल, नमक इत्यादि दिए जा रहे थे। जैसे ही सरकार बदली, उनके थैले टंगे के टंगे रह गए। आज सरकार ने गरीबों का मजाक बनाया हुआ है। चाहे ये सरकार हो और चाहे ये सरकार हो, जैसे ही सरकार का समय नजदीक आता है, लुभाने के लिए उनको चीजें पकड़ा दी जाती हैं, लेकिन बाद में नहीं मिलता है। मेरा सरकार से पुनः निवेदन है कि अच्छी क्वालिटी की चीजें उन लोगों को फिर से पहुंचाई जाएं, ताकि उनका गुज़ारा अच्छी तरह से हो सके।

सभापति जी, मैं सहकारिता विभाग पर आना चाहूंगा। सहकारिता नाम से ही स्पष्ट है एक अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं के द्वारा मिलकर समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। इसका नारा 'एक सबके लिए, सब एक के लिए' है। विधान सभा क्षेत्र में कुछ ऐसी समितियां भी हैं, जिनको कार्य करते हुए आज 10 वर्ष हो गए हैं और आज तक इन समितियों में गोदाम नहीं बने हैं। वहां के किसान खाद और बीज के लिए दर-दर की ठोकरें खाते हैं और बाजार में उच्च दाम पर खाद-बीज खरीदते हैं।

साथ ही, प्रति वर्ष रबी सीजन में खाद की किल्लत के विधान सभा क्षेत्र में दो मुख्य कारण हैं। हमारे मंत्री जी, वैसे हमारे पड़ोसी भी हैं, खाद का जो रैक पाइंट लगता है, वह चंदेरिया में लगता है, जिससे यूरिया रैक पाइंट से विधान सभा क्षेत्र में ट्रांसफर करने में भारी समस्या आती है। रैक पाइंट की धरियावद से दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। वाजिब भाड़ा वगैरह नहीं मिलता है तो वह सारे गाड़ी नहीं लगाते हैं। इस रेक पाइंट चंदेरिया और निम्बाहेड़ा में भी किया जाए ताकि हमारे आसपास के इलाके के नजदीक होगा। मंत्री जी, हमारे इलाके के नजदीक हैं, तो उस इलाके के लिए सोचेंगे भी, मुझे पूरा विश्वास है और भरोसा भी है।

दूसरी समस्या यह है कि समिति में खाद तो आता है पर खाद के साथ में नैनो यूरिया और अन्य तरह की चीजें भी पकड़ाई जाती हैं। किसानों का जब तक नैनो यूरिया के उपयोग के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक वह इस्तेमाल ही नहीं करेगा। इससे समितियां भी डरती हैं कि हमारे ऊपर आर्थिक भार बढ़ जाएगा, तो हम लोग ये खाद लाएं या नहीं लाएं। आप इस तरीके से सभी सहकारी समितियों को अगर पाबंद करेंगे तो खाद की किल्लत कम पड़ जाएगी।

साथ ही, दूसरी समस्या यह है कि समिति में खाद तो आता है पर खाद के साथ में,

महोदय, सरकार की योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन समिति द्वारा ही किया जाता है। परंतु आज टी एस पी क्षेत्र में समिति में कार्यरत कार्मिकों की दयनीय स्थिति है। समिति में लोन वितरण के अलावा और कुछ कार्य नहीं है, जिससे समिति मैनेजर को वेतन लेने के लाले पड़ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अन्य विभागों की तरह प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समिति में कार्यरत कार्मिकों नियोक्ता निर्धारण करते हुए केडर निर्माण किया जाए, जिससे सहकारी समिति में कार्यों में भी पारदर्शिता आएगी और इनके वेतन की समस्या भी दूर होगी।(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेरी पार्टी से चार में से एक ही सदस्य बोल रहा है, तो एक दो मिनट तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। प्रत्येक समिति को राशन वितरण का कार्य दिया जाए, ताकि राशन के कमीशन से भी आर्थिक रूप से सक्षम होगी। साथ ही, टी एस पी क्षेत्र में किसानों की जोत छोटी होती हैं और प्रदेश के अन्य क्षेत्र में जोत बड़ी होती हैं, परंतु सभी किसानों की ऋण साख सीमा एक जैसी बन रही है। जिससे कि टी एस पी क्षेत्र के छोटे किसानों को सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। टी एस पी क्षेत्र की ऋण साख सीमा को 1.50 लाख से बढ़ाई जावे, ताकि किसानों को आर्थिक संबल मिल सके। धरियावद की उप तहसील मुंगाना की धरियावद की को-आपरेटिव बैंक से दूरी 25 किलोमीटर है। किसान को बैंक के कार्य के लिए 25 किलोमीटर आना-जाना पड़ता है, जिससे उसका समय और धन दोनों ही खर्च होता है। उप तहसील मुंगाना में को-आपरेटिव बैंक की नयी ब्रांच खोली जाये, ताकि आसपास के किसानों के कार्य सुगमता से हों।

साथ ही, विधान सभा क्षेत्र के भबराना, लसाड़िया और धरियावद क्षेत्र में नई लैम्प्स का गठन किया जाए। धरियावद क्षेत्र की समितियां वजपुरा, नाड़, झड़ोली, जिनका पंजीयन 2015 में हुआ और मेरी गृह पंचायत भाडला में भी 2022 में लैम्प्स का गठन हुआ है, परंतु विभाग द्वारा अभी तक गोदाम के लिए न ही जमीन उपलब्ध करायी गयी है और न ही गोदाम के लिए राशि।

साथ ही, धरियावद लैम्प वर्ष 1976 में बनी, जो ब्लॉक मुख्यालय की समिति है, जिसका गोदाम भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। बरसात के दिनों में लैम्प भवन के ऊपर तिरपाल लगाकर रखते हैं, फिर भी खाद और बीज भीग जाता है। इस हेतु समिति द्वारा प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भिजवाया गया है, परंतु अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं एक मिनट का समय लूंगा। विधान सभा क्षेत्र धरियावद के लसाडिया में कुण और कालीभीत लैम्प्स, जिसमें भी बहुत पुराने गोदाम बने हुए हैं, वे भी जर्जर अवस्था में है। उनकी भी मरम्मत की राशि दी जाए। लसाडिया की अग्गड लैम्प, जिसका गठन 2023 में हुआ है, वहां भी अभी तक गोदाम स्वीकृत नहीं हुआ है। साथ ही लसाडिया और भबराना में सहकारी उपभोक्ता भंडार खोला जाए, जिससे क्षेत्र के लोगों को वाजिब दाम पर डेली उपभोग की वस्तुएं प्राप्त हो सकें।

विधान सभा क्षेत्र के भबराना क्षेत्र की मातासुला लैम्प का गठन 2023 में हुआ। उसमें

अभी तक गोदाम स्वीकृत नहीं हुआ है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उपभोक्ता भंडार के अन्दर मैंने, जब टी ए डी विभाग का नंबर था, उस दिन बोला था कि हमारे इलाके के अंदर जितनी भी आंगनवाड़ी से लगाकर हर विभाग में जो पोषाहार जाता है, उसकी खरीद उपभोक्ता भंडार द्वारा की जाती है। परंतु अखबारों से ये खबरें आती हैं कि भास्कर की जांच में पोषाहार में सिर्फ 5 से 10 परसेंट तक विटामिन, 26% ही कैल्शियम। कुपोषित बच्चों की संख्या 6 परसेंट से बढ़कर 37 परसेंट पहुंची। इसके बाद में पोषाहार में भ्रष्टाचार, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को 81 ग्राम की जगह दे रहे हैं सिर्फ 20 ग्राम दाल। इसके लिए कई बार जांच कमेटियां भी बनाई गई हैं। जांच कमेटी सिर्फ जाकर आती है और कोई जांच नहीं होती है।

आरटीटीपी एक्ट, 2012 और अधिनियम 2013 में बने हुए हैं। प्रदेश के सभी विभाग, बोर्ड, निगम और सरकार द्वारा नियंत्रित सभी संस्थाएं इनकी पूर्णतया पालना के लिए बाध्य है, लेकिन उपभोक्ता भंडारों द्वारा हर महीने टी एस पी क्षेत्र के प्रत्येक जिले में लगभग 2 करोड़ रुपये की सामग्री खरीद एवं परिवहन बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के सांठ-गांठ वाले व्यापारियों से मिलीभगत कर की जा रही है।

Ans/rtm 16.10 2q 11.03.2025

हर महीने प्रत्येक ज़िले में लगभग 02 करोड़ की सामग्री की खरीद आज के जमाने में सिर्फ कोटेशन के आधार पर की जा रही है। उपभोक्ता भंडारों द्वारा कोटेशन और बिल तो बड़े ब्रांड की दरों के दिये जा रहे हैं लेकिन सप्लाई घटिया क्वालिटी के लोकल ब्रांड के उत्पादों की जा रही है। मजेदार बात यह है कि यह उत्पाद खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में सब स्टेंडर्ड भी साबित हो गये हैं। अख़बारों की ख़बरों, विभिन्न शिकायतों के बाद लगभग 5 महीने से सहकारी विभाग जांच के नाम पर ढोंग कर रहा है। 5-6 ज़िलों में गडबडियों के बावजूद आज तक सिर्फ डूंगरपुर जिले की एक आधी-अधूरी जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें यह सभी आरोप साबित हो रहे हैं। अन्य ज़िलों की जांच रिपोर्ट संभवतया उच्चस्तरीय दबाव मे पिछले 4-5 महीने से पेंडिग है। अतिरिक्त रजिस्ट्रार, उदयपुर ने अक्टूबर में जांच अधिकारी नियुक्त किये और अभी तक लगभग 6 बार जांच के लिए रिमाइंडर दिये गये।

मैं इस सदन में दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह डूंगरपुर की जांच रिपोर्ट में महाप्रबंधक और फर्म को दोषी माना गया है, उसी तरह सभी ज़िलों में अधिकारी दोषी साबित होंगे। शायद उनको बचाने के लिए जांच पूरी नहीं की जा रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आंगनवाड़ी हो या मां-बाडी हो या हॉस्टल हो, उनके अंदर जो खाना पहुंचाया जा रहा है, उसमें गरीब और सबसे निचले स्तर का आर्थिक रूप से जूझ रहा वह बच्चा है। माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि डूंगरपुर प्रतापगढ़ ज़िले, सभी जिलों में उसकी जांच की जाए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ताराचन्द जी।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे

मांग संख्या 50 व 55 पर बोलने का अवसर दिया।

श्री सभापति: श्री ताराचन्द।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे मांग संख्या 50 व 55 पर बोलने का मौका दिया। लोकतंत्र को न्याय प्रदान करने वाली राजस्थान विधान सभा में आज मुझे मांग संख्या 50 व 55 सहकारिता के तहत बोलने का अवसर प्रदान किया है, आपका बहुत धन्यवाद। साथ ही मेरे डूंगरगढ़ की जनता ने मुझे चुनकर यहां भेजा, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में बैठे हम सभी माननीय सदस्यों का यही उद्देश्य रहता है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के कल्याण हेतु हम कार्य कर सके। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस पवित्र सदन में सार्थक चर्चाएं भी हो रही है। प्रदेश की जनता ने जिस उम्मीद के साथ हमें इस सदन में चुनकर भेजा है, हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे तथा प्रदेश के विकास में अपना योगदान देवे।

माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विगत वर्षों में हमारे देश ने अद्भुत प्रगति अर्जित की है। मजबूत हाथों में कमान होने से भारत ने अपना वर्तमान बहुत ही बेहतर किया है और भविष्य की नई चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार किया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय से सहकारी संघवाद की अवधारणा सशक्त हुई है और राष्ट्र प्रथम हमारा मूल मंत्र बना है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने युग पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलते हुए एकात्म मानववाद की अवधारणा को आत्मसात किया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में विगत एक वर्ष में प्रदेश के समग्र विकास के लिए निर्णय लिए गए हैं, जिसमें हमारी माता, बहनों, युवा, किसानों, श्रमिकों सहित समाज के हर वर्ग का जीवन बेहतर हुआ है।

माननीय सभापति महोदय हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास में किसान साथियों की भूमिका को रेखांकित करते हुए भी कहा है कि हमारे किसान भाई बहिनों पर देश को गर्व है, यह जितना सशक्त होंगे नया भारत भी उतना ही समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियां में 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम के पुनर्निर्माण हेतु 12 करोड़ रुपए का भी अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है, तथा 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 से 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 गोदाम का ग्राम सेवा क्रय-विक्रय सहकारी समितियां में निर्माण कार्य हेतु 33 करोड़ रुपए का भी अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। निश्चित इन कार्यों से सहकारी समितियों को और अधिक संबल प्रदान किया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में इस वर्ष मूंगफली की रिकॉर्ड आवक हुई है जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। बीकानेर ज़िले की मुख्य पैदावार मूँगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6 हजार 783 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग का समर्थन मूल्य 8 हजार 682 रुपए प्रति क्विंटल रहा है। इन जिन्सों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दर और बाजार दर में बहुत अन्तर रहा है, जिसका लाभ बीकानेर ज़िले के किसानों को भी मिला है। मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री भजनलाल जी और सहकारिता राज्य मंत्री श्री गोतम दक जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मूंगफली की सीमा जो पहले 25 क्विण्टल थी उसको बढ़ाकर 40 क्विण्टल कर दिया, जिससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिला। तुलाने की तारीख 15 मार्च थी उसको भी बढ़ाकर 28 मार्च कर दिया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्य में राजफैड द्वारा समर्थन मूल्य पर हो रही दलहन, तिलहन की खरीद जिन्सों को निकटतम भण्डारगृहों में जमा करवाया जाता जाता है। अब जो खरीद हो रही है, गोदामों में माल लगने के लिए 150 से 300 किलोमीटर दूर स्थित है, इस कारण सरकार को काफी नुकसान हुआ। साथ ही किसानों को भी भुगतान देरी से प्राप्त हुआ। क्योकि राजफैड के दिशा निर्देशानुसार किसानों का भुगतान उनकी जिन्स भण्डारगृहों में जमा होने के उपरांत ही दिया जाता है। अतः उचित होगा कि भंडारण के लिए राज्य में उपलब्ध निजी क्षेत्र के भंडार गृहों हेतु टेंडर या उचित प्रक्रिया अपनाई जाए, जिससे किसानों से खरीदा गया जिन्स निकटतम गोदामों में जमा हो सके, जिससे सरकार को भी नुकसान नहीं हो एवं किसानों को भी तुरंत भुगतान मिल सके। जिन्स खरीद के लिए बारदाना नेफेड कलकत्ता द्वारा सप्लाई किया जाता है। इस सीजन खरीफ 2024 में बारदाना सप्लाई में काफी विलम्ब हुआ, जिसके कारण किसानों को काफी समस्या हुई, दस दिनों तक लाईन में लगा रहना पड़ा। इसके लिए राजफैड द्वारा रबी 2025 में बारदाने का भी टेंडर निकाला जाए, जिससे नेफेड द्वारा सप्लाई में विलंब हो तो स्थानीय व्यापारियों से खरीदा जा सके।

जब राजफैड द्वारा बारदाने का टेण्डर निकाला जा रहा है तो भण्डार गृहो हेतु भी टेंडर निकालकर जिन्स भंडारण की समस्या का समाधान हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं एक सबसे बड़ी समस्या आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे कांग्रेस के मित्र अभी तो नहीं बैठे है। कभी कुछ बोल रहे थे, कभी कुछ बोल रहे थे। कह रहे थे कि हमारी सरकार ने यह किया, वह किया। मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी सरकार ने क्या किया। देखिये, मैं आपको बताता हूँ कि आपने रबी 2023 के अंदर पिछले साल मूँगफली की खरीद का 4 लाख 80 हजार 803 क्विंटल मीट्रिक टन का टारगेट लिया और आपने खरीदी कितनी 46 हजार 453 मीट्रिक टन। 4 लाख का टेंडर तो निकला किन्तु आपने 46 हजार 453 मीट्रिक टन, जो 296 करोड़ की थी। 19 हजार 272 किसानों से आपने माल खरीदा। हमारी सरकार ने आते ही मूँगफली का 2024 में टारगेट लिया 5 लाख 31 हजार 828

मीट्रिक टन का और खरीद 4 लाख 38 हजार 823 की। हमने आपसे 3 लाख 77 हजार 370 मीट्रिक टन ज्यादा खरीदी। आपसे इतनी ज्यादा मूँगफली खरीदी। क्रय राशि भी, आपसे 2 हजार 578 करोड़ ज्यादा दिया। 99 हजार 500 किसानों का ज्यादा माल खरीदा, लगभग एक लाख का।

ऐसे ही मूंग में आ जाइये। मूंग की भी यही स्थिति है कि हमने 92 हजार 883 मीट्रिक टन मूंग खरीदा, 813 करोड़ का ज्यादा मूंग खरीदा और चार 46 हजार 300 किसानों का आपसे ज्यादा खरीदा। सोयाबीन की खरीद का आपने 2 लाख 54 हजार 320 का टारगेट लिया और जीरो खरीदा, भुगतान किया ज़ीरो। एक भी किसान को लाभ नहीं मिला। हमारी सरकार ने 3 लाख 01 हजार 650 मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदा और 9 लाख 88 हजार 654 का भुगतान किया, हमने 5 लाख 69 हजार 119 मीट्रिक टन माल ज्यादा खरीदा है और 3876 करोड़ का माल ज्यादा खरीदा। साथ ही 1 लाख 94 हजार 686 का किसानों का ज्यादा माल खरीद किया।

सभापति महोदय, कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे थे, इनकी सरकार जब आई थी और सरकार होटलों में चल रही थी, उस समय एक स्थिति पैदा हुई, यह सोचने का विषय है। जब यह स्थिति पैदा हुई तो विधायको की कमी हुई, विधायको की कमी हुई तो हमारे श्री डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र से बीकानेर जिले से भी एक विधायक था, जिसकी जरूरत पड़ गई, जरूरत पड़ गई तब उस विधायक की हालत यह हो गई जो विधायक कहे सीएम साहब वही करें।

VPS-RTM-11.03.2025-16.20-3a

उन्होंने एक संगठित गिरोह पैदा कर लिया। मैं तो उसको एक नई प्रजाति कहूंगा। जैसे फसल में कोई प्रजाति लग जाती है कोई ऐसा कीड़ा लग जाता है तो वह फसल को खराब कर देता है तो वह प्रजाति पूरी किसान बनकर, किसानों का नाम लेकर किसानों शोषण कर रही है तो हमारे बीकानेर जिले के एक विधायक जो कांग्रेस के नहीं थे, वैसे सौ से पचास के बीच में उन लोगों का एक संगठित गिरोह है जो पूरे किसानों, अन्नदाता और हम सबके पोषणकर्ता हैं किसान, जिसको हम बहुत ज्यादा सम्मान भी देते हैं और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं तो उन किसानों को बदनाम करने का काम उस संगठित गिरोह ने किया है और खुली लूट का तांडव मचाया है। काफी क्रय-विक्रय सहकारी समितियों पर संगठित गिरोह का कब्जा है जो काफी किसानों का शोषण करता है। सपोर्ट प्राइस खरीद केन्द्रों पर किसान माल लेकर जाता है तो संगठित गिरोह के लोग उनका नम्बर नहीं आने देते हैं और अपना-अपना माल तुलवाते रहते हैं। किसान दस दिन तक लाइन में लगकर, थक कर अपना माल बाजार में बेच देते हैं और उसी माल को संगठित गिरोह खरीद कर उसमें कचरा मिलाकर 3,500 से 4,000 रुपये क्विंटल का माल 6,800 रुपये के भाव में जो संगठित गिरोह है, वह सरकार को बेचता है। सरकार द्वारा माल को लेकर 200 से 300 किलोमीटर दूर के गोदामों में ले

जाया जाता है जिससे वह सरकार को मूँगफली की क्रय राशि दस हजार क्विंटल के लगभग पड़ती है। कहने को तो 6800 रुपया है किंतु सरकार को वह दस हजार रुपया क्विंटल मूँगफली पड़ती है।

माननीय सभापति महोदय, इस संगठित गिरोह के सदस्यों के किसी के पास सौ, किसी के पास सत्तर, किसी के पास पचास गिरदावरी जो एक-एक कुएं की चार-चार गिरदावरी ले लेते हैं, जो बंजर एरिया है, उसकी भी गिरदावरी ले लेते हैं और सरकार का उस पर अभी कोई प्रतिबंध नहीं है। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि अगर कोई गिरदावरी करने वाला ऐसा कोई पटवारी है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाये और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको सस्पेंड करना तो आजकल कोई बड़ी बात नहीं है तो उनको बर्खास्त किया जाये। उन्होंने पूरा भ्रष्टाचार फैला रखा है। माननीय सभापति महोदय, संगठित गिरोह हल्ला मचाते रहते हैं, किसानों का दिखावा करते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और जयपुर तक नेफेड व राजफैड के आफिस में आकर, मंत्री महोदय के पास आकर शिकायत करते हैं कि किसानों का काम नहीं हो रहा है और उनको जरूरत होती है अपना माल तुलवाने की, किसानों की कौन चिंता करता है? साहब, किसानों की कोई चिंता नहीं करता है और हालत यह है कि वह किसानों के नाम से लूटखसोट करते रहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं है। इस संगठित गिरोह की प्रजाति ने यह जबरदस्त काम किया है। किसानों को इफको के मार्के लगाकर नकली खाद बेची जाती है और वे शिकायत पर पकड़े गये। खाद-डी.ए.पी. के सैकड़ों कट्टे पकड़े गये। फैक्ट्री पकड़ी गयी, कलक्टर ने छापा मारकर पकड़ी, लेकिन इफको ने कोई मामला दर्ज नहीं किया और हम कहते रहे। मैंने भी इफको मैनेजर को, दिल्ली में एम.डी. को फोन किया किंतु कोई परवाह नहीं है। सब मिले हुए हैं और आज वे पदाधिकारी वहीं पर बैठे हैं। तो यह क्या कर रहे हैं? किसानों का नाम लेते हैं तो हम बोल नहीं सकते, डर लगता है, किसान की बदनामी कैसे करे क्योंकि हम खुद किसान हैं।

श्री सभापतिः श्रीमती गीता बरवड़।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): हम जानते हैं इस बात को कि हमारे नाम का शोषण हो रहा है, हमारे नाम से लूटखसोट मचा रखी है। किसानों का वेश बनाकर वे लगाते हैं और हल्ला मचाते हैं तो यह देखते हैं कि यह किसानों के प्रेमी होंगे। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्रीमती गीता बरवड़।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): ये कोई किसानों के प्रेमी नहीं हैं और उन्होंने खुली लूट मचा रखी है। माननीय सभापति महोदय, दो मिनट का समय और लूंगा। सिर्फ दो ही मिनट का। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः पहले ही आपको ज्यादा दे दिया।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, आप मेरी बात को सुनिये।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 50 और

55 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। ...(व्यवधान)...

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): मैं यह निवेदन करता हूं, मैं एक मिनट में बहुत ही जरूरी बात बता रहा हूं, साहब। ...(व्यवधान)... देखिये पिछली बार नकली सरसों बनाकर, आप मेरी बात को तो सुनिये। दो मिनट सुनिये। दो मिनट। प्लीज।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): वर्तमान में भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने व्यवस्थापक कार्यरत हैं? ...(व्यवधान)...

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः गीताजी, एक सैकण्ड।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, पिछली बार इन लोगों ने जो संगठित गिरोह है, इन लोगों ने नकली सरसों बनाई। आप यह कल्पना करो कि नकली सरसों बनाकर नेफेड के गोदामों में जमा करवा दी और हालत यह हुई कि नेफेड की सरसों खरीदने के लिए व्यापारी तैयार नहीं हैं और मिट्टी की सरसों बनाकर लगा दी और उसकी लैबोरेटरीज टैस्ट करवाये तो उसमें 42 परसेंट तेल निकलता है, ऐसा केमिकल मिला दिया उसके अन्दर, तो आप यह सोचिये कि उनका कितना जबरदस्त दिमाग चलता है। वह किसानों को क्या समझेंगे? तो किसानों के नाम से वह बहुत भयंकर लूट कर रहे हैं तो मेरा यह निवेदन है मंत्री महोदय से, माननीय सभापति महोदय, कई किसान भी इनके झांसे में आ जाते हैं, बाकी सारी जनता और व्यापारी, किसान, सारे इस प्रजाति से दुःखी हैं तो मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इस प्रजाति से आप पीछा छुडवाये। राजफेड, नेफेड को बचाइये। इन लोगों ने बहुत भारी लूट मचा रखी है और यह जो जितनी भी सोसाइटीज हैं, उनके लिए मेरा निवेदन है कि आप उनका तुरंत चुनाव करायें, यह पच्चीस-पच्चीस, तीस-तीस साल से कब्जा जमाये बैठे हैं और सारा अपना सिस्टम बना रखा है और सारा नकली माल देकर सरकार को कचरा तोल रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप विराजिये। हो गया।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): जिन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, उनकी जांच करके निलंबित करो या बर्खास्त करो। किसानों का हक मारने वाली उस प्रजाति गैंग के सदस्यों को भी चिह्नित करके उन पर कार्यवाही कराइये नहीं तो वे सारे किसानों को लूटकर खा जाएंगे।

श्री सभापतिः आप विराजिये।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्रीमती गीता बरवड़।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की ही है, क्योंकि इनका तो कभी भी कोरम पूरा रहता ही नहीं है। अगर हम बाहर चले जायें तो कोरम ही पूरा नहीं रहेगा। दो-चार आदमी तो हमने बैठा

रखे हैं उनके।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इतने तो बैठे हैं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अधिकारी दीर्घा देखो आप। अधिकारी दीर्घा देखो। मैंने ऐसा सुना था कि अधिकारी आपके कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन विधान सभा में तो कंट्रोल में रखो। सैक्रेटरीज कहां है आपके डिपार्टमेंट के, दोनों डिपार्टमेंट के? कोई नहीं बैठे हैं। पीछे वे बैठे हैं पर आप प्रिंसिपल सैक्रेटरी को बुलाओ। इतनी लिबर्टी मत दो।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

वर्तमान में भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं और इन समितियों में कुल कितने व्यवस्थापक है? साथ ही राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक पदों पर कुल कितने व्यवस्थापक एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., ई.डब्ल्यू.एस. और महिला वर्ग से है? मैं आपसे इस जानकारी की मांग करती हूं। भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समिति में कुल कितनी समितियों में व्यवस्थापक स्नातक शैक्षणिक योग्यता रखते हैं? यह बताने का कष्ट करें।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम स्तर पर सहकारिता की इकाई ग्राम सेवा सहकारी समिति होती है। राज्य सरकार का प्रत्येक पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, ए.एन.एम., प्राइमरी टीचर सभी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके कार्य में नियोजित किये जाते हैं जबकि इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नियुक्त व्यवस्थापक, किसी वर्तमान व्यवस्थापक या अध्यक्ष का बेटा या भतीजा या रिश्तेदार ही क्यों होते हैं? जिनकी शैक्षणिक योग्यता के सम्बन्ध में भी प्रश्न उठते रहते हैं। इनके पास ऐसी क्या शैक्षणिक योग्यता है जो समितियों में यह करोड़ों का व्यापार करते हैं, इन्हें लाखों रुपये के चैक काटने के अधिकार मिल जाते हैं जबकि आज के समय जब हर तरफ पढ़े-लिखे बेरोजगारों की एक फौज है, उस स्थिति में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की शैक्षणिक योग्यता दसवीं या बारहवीं ही क्यों है? बिना किसी प्रतियोगिता परीक्षा के ही यह नौकरियां मिलती हैं और इस व्यवस्थापक के पास मिनी बैंकों का चार्ज, एफ.डी. बनाने का चार्ज, यह व्यवस्थापक बिना किसी वाणिज्य संकाय या वित्तीय कोर्स की डिग्री के सभी प्रकार का वित्तीय लेन-देन करते हैं। न इनकी कोई वित्तीय संस्थाओं की ट्रेनिंग हुई है! ऐसी स्थिति में फिर वहां घोटाला, गबन नहीं होगा तो क्या होगा? मंत्रीजी, आप ही बताइये कि ऐसी स्थिति में घोटाले नहीं होंगे तो क्या होंगे? सरकार की समृद्धि के लिए मंत्रीजी, इस स्थिति को सुधार दीजिए, आधा काम तो यूं ही हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, क्या सरकार इन समितियों में खुली प्रतियोगी परीक्षा करवाकर नियम के अनुसार आरक्षण देते हुए इन पदों पर परीक्षा के लिए भर्ती करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब एवं नहीं तो क्यों? जोधपुर ग्रामीण जिले में प्रधानमंत्री

किसान सम्मान निधि योजना में लंबित पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने की सख्त आवश्यकता है और भोपालगढ़ में किसानों को फसल बीमा मुआवजा एवं ऋण नहीं मिला।

माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2023, बावड़ी तहसील के 27 पटवार मंडलों में से 15 पटवार मंडलों में बीमा कम्पनी द्वारा बेवजह आपत्ति लगा दी गयी और इसी प्रकार से भोपालगढ़ तहसील में 15-16 पटवार मंडल में बीमा कम्पनी द्वारा आपत्ति लगा दी गयी।

महोदय, अभी स्टेट की कमेटी एस.जे.आर.सी. की बैठक को एक वर्ष से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक आपत्तियों का निस्तारण भी नहीं हुआ है। भोपालगढ़ के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2023 के शेष रहे किसानों को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की राशि दिलवाये जाने की मैं मांग करती हूं। विगत एक वर्ष में इफको द्वारा भोपालगढ़ में समितियों के माध्यम से कितनी यूरिया, डी.ए.पी., खाद वितरित की गयी? आकड़े मैं जानना चाहती हूं और इसी के साथ ही पत्र-पत्रिकाओं में छपी खबरों से यह पता चलता है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में किसानों के द्वारा डी.ए.पी. मांगने पर उन्हें नैनो यूरिया, डी.ए.पी. टैग करके दिये जाते हैं।

Ssy/Rtm/11.03.25/16.30/3b

किसानों को कहा जाता है कि आप इतनी मात्रा की डी ए पी लोगे तो इतनी बोतलें नैनो यूरिया के भी लेने होंगे, इससे किसानों और समिति कर्मचारियों में अक्सर झगड़े होते हैं। यह सही है कि नैनो यूरिया इससे अधिक उत्पन्न होगी। जब इफको कृषकों जैसी समितियों का गठन हुआ था तो यह इन्हीं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कंधों पर ही बैठकर आज इतनी बड़ी बनी हुई हैं, इन्होंने इन्हीं ग्राम सेवा सहकारी समितियों का भरपूर आर्थिक फायदा भी उठाया, लेकिन आज यह आईएफएफसीओ, इफको कृषक समितियां प्राइवेट केन्द्र खोल रही हैं और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवसाय को ठेस पहुंचा रही हैं।

इफको और कृषको द्वारा प्राइवेट आउटलेट को डी ए पी के साथ नैनो यूरिया एवं अन्य प्रोडक्ट देने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है। साथ ही इन प्राइवेट आउटलेट के द्वारा यूरिया, डी ए पी की कालाबाजारी भी बड़े पैमाने पर करने की रिपोर्टिंग सामने आई है। इससे ना केवल किसानों को खुला लूटा जाने के लिए इनके हाल पर छोड़ा जा रहा है, बल्कि इन ग्राम समितियों के व्यापार को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। किसानों को भी निजी फर्मों के भरोसे छोड़ा जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि ऐसे में जब ग्राम सेवा सहकारी समिति की आय ही घट जायेगी तो किसानों को सहकार से समृद्धि का लाभ कैसे मिलेगा। कृपया समझाने का कष्ट करें। निजी दुकानों की इस लूट को रोकने के लिए विभाग द्वारा क्या उपाय के नियम बनाये गये हैं, अवगत करायें।

भोपालगढ़ में कार्यरत क्रय विक्रय सहकारी समितियों का विगत कितने वर्षों का कमीशन

राजफैड में बाकी है, अगर बाकी है तो किसानों की संस्था को आज तक क्यों नहीं दिया गया, कारण स्पष्ट करते हुए मैं इसकी आपसे जानकारी की मांग करती हूँ। क्रय विक्रय सहकारी समितियों की माली हालत खराब हो गयी है। क्या आपको पता है इन क्रय विक्रय सहकारी समितियों का कई वर्षों से राजफैड में पिछले वर्षों में की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद का कमीशन आज भी बाकी है? राजफैड द्वारा अभी तक वह कमीशन क्रय विक्रय सहकारी समितियों को नहीं दिया गया, जबकि राजफैड द्वारा समितियों के इन कमीशन को अपने बैंक खातों में रखकर मोटा कमीशन कमाया जा रहा है। इससे इन समितियों की माली हालत खराब हो रही है। मंत्री जी, आप द्वारा इन समितियों के इतने वर्षों के ब्याज सहित इनके वाजिब कमीशन को दिलाने के लिए कार्रवाई करने की मैं आपसे मांग करती हूँ।

सभापति महोदय, क्रय विक्रय सहकारी समितियों की राज़फैड में पिछले वर्षों में समर्थन मूल्य पर खरीद हुई, इसके कमीशन की समितियों को भुगतान की क्या स्थिति है? क्या ये सही है कि राज़फैड जो स्वयं एक समिति है वह समितियों के विगत वर्षों में हैंडलिग और परिवहन की दरों को अप्रूव करने के पांच वर्षों के बाद, अब क्रय विक्रय सहकारी समितियों के भुगतान बिलों में कटौती कर रही है, इसका क्या कारण है? क्या राज़फैड के लेखों के लिए कोई अलग से लेखा वित्त वर्ष निर्धारित किए गए हैं? इसकी स्थिति स्पष्ट करवाने का कष्ट करवायें। सभापति महोदय, क्या इस प्रकार की अकाउंटिंग जायज है? अगर कहीं पर अनियमितता हुई है तो इस वित्तीय वर्ष में राजफैड को क्या ये कार्य नहीं करना चाहिए था? राजफैड के ऐसे अधिकारी जिनके द्वारा यह लापरवाही कर के क्रय विक्रय सहकारी समितियों को जानबूझकर हानि पहुंचाने का कार्य किया गया, ऐसे लापरवाह और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? अगर की गई तो क्या की गई और नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? क्या यह किसानों की संस्थाओं पर घाटा मंढ़कर राज़फैड द्वारा अपना मुनाफा बनाये रखने का प्रयास नहीं है? मंत्री महोदय, इसकी मैं स्थिति स्पष्ट करवाने की मांग करती हूँ।

सभापति महोदय, क्या आप सदन को आश्वस्त कर रहे हैं कि आगामी खरीद के लिए केवल पारदर्शी तरीके से आरटीपीपी एक्ट की पालना करवाकर ही क्रय विक्रय सहकारी समितियों में खरीद के ई टेंडर करवाकर समर्थन मूल्य पर खरीद के कार्य को करवाया जाएगा। भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के किसानों, प्रदेश के प्रत्येक किसान का सीधा सवाल है कि जब किसान की लागत 50 क्विंटल उत्पादन के बराबर है तो सरकार केवल 40 क्विंटल को ही समर्थन मूल्य पर क्यों खरीद रही है? क्या एम एस पी का उद्देश्य केवल नाम मात्र की सहायता देना है या किसानों को उनकी लागत और जोखिम का उचित मुआवजा दिलाना है? सरकार को इस सीमा को 50 क्विंटल तक बढ़ाना चाहिए, जिससे किसानों की आय में 25 परसेंट तक सीधा इजाफा होगा, खेतों की स्थिति बढ़ेगी, कर्ज के चक्कर से किसान मुक्त होंगे, राष्ट्रीय कृषि नीति 2022 के किसान को आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, कटौती प्रस्ताव का यह सार है कि यदि सरकार किसानों के

हित में ठोस कदम नहीं उठाएगी तो हम इस बजट के आमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सकते। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्या सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये नीतिगत साहस दिखाएगी? मैं सरकार से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि वह इस प्रस्ताव को तत्काल लागू करने की दिशा में ठोस पहल करे। भोपालगढ़ के किसानों की आवाज पूरे प्रदेश के किसानों की आशाओं का प्रतिनिधित्व, नेतृत्व करती है। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इनकी आय बढ़ाने के लिए नीतिगत साहस की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार रखेगी।

सभापति महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के बजट आवंटन में कटौती की मांग करते हुए इस राज्य की जनता के प्रश्नों के जवाब चाहती हूँ और माननीय मंत्री जी से मैं खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामलों, विभाग के बजट आवंटन में सांकेतिक कटौती की मांग करती हूं।

श्री सभापतिः श्री दर्शनसिंह।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): 2 मिनट, यह मोशन विभाग द्वारा जनहित के मुद्दों पर नाकामी नीतिगत लापरवाही को चिन्हित करने के लिए है।

श्री सभापतिः श्री दर्शनसिंह। (अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र। श्री राजेन्द्र। (अनुपस्थित)

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): खाद्य सुरक्षा में राज्य में 35लाख मीट्रिक टन अनाज भंडारण क्षमता की कमी के बावजूद विभाग ने नए गोदामों के निर्माण के लिए बजट का केवल 18 परसेंट ही उपयोग किया।

श्री सभापतिः श्री अर्जुन लाल।

(माननीय सभापति महोदय द्वारा इशारे से अंकित नहीं करने के निर्देश)

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): 000

श्री सभापतिः अंकित नहीं हो।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): 000

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 50 सहकारिता एवं मांग संख्या 55 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात की इस मांग पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, हमारे अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मवाद का सिद्धांत जो सहकार की भावना का है और दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भी कहा है, एक सबके लिए सब एक के लिए, सहकार की भावना मनुष्य और समाज के विकास की धुरी है और जिस समाज में सहकारिता की भावना नहीं होती है वह ना तो उन्नति कर सकता है और ना ही उस समाज, समुदाय के लोगों का जीवन सुखी और समृद्ध हो सकता है।

सहकारिता आंदोलन का ध्येय ही किसानों और श्रमिकों, कारीगरों, लघु व्यवसायियों तथा विविध स्तरों पर उत्पादक गतिविधियों में संलग्न जन-साधारण को बिचौलियों के शोषण से

मुक्त कराने हेतु उनकी पारस्परिक सहयोग पर आधारित सामूहिक आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर, उनके श्रम एवं उत्पाद का उचित मूल्य उपलब्ध करवाना। इसके माध्यम से एक शोषण मुक्त, स्वावलंबी एवं सशक्त आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था करता है, ताकि प्रदेश की चहुंमुखी प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

इसके लिए हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो पहले कृषि, सहकारिता, कृषि कल्याण मंत्रालय था, उसमें सहकारिता मंत्रालय को 6 जुलाई, 2021 को स्वतंत्र मंत्रालय घोषित कर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को इस मंत्रालय की कमान सौंपी, तब सहकारिता विभाग का देश की जनता को कुछ एहसास हुआ एवं देश में सहकार से समृद्धि लाने के जो 45 बिन्दु हैं, उन पर उन्होंने कार्य प्रारंभ किया।

इसी के साथ 45 बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा ने और हमारे सहकारिता मंत्री गोतम जी दक ने भी सहकारिता में नए आयाम स्थापित किये हैं। इस वित्तीय वर्ष में समावेशी, सर्वजन हिताय, सर्व कल्याणकारी इस बजट में इन्होंने बहुत सारी सहकारिता में सौगातें दी हैं। पहली, नमो ड्रोन दीदी योजना एवं कस्टम हायरिंग सेंटर, इन पर कृषि यंत्रों की उपलब्धता और ड्रोन के माध्यम से आगामी वर्ष एक लाख हैक्टेयर में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो इफको का छिड़काव करने पर 2,500 रुपये प्रति हैक्टेयर अनुदान देने की घोषणा की, जो एक स्वागत योग्य कदम है।

spp/rtm/11.03.2025/1640/3c

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ के साथ भूमिहीन कृषि श्रमिकों को उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु एक लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5 हजार लागत तक के कृषि यंत्र, उपकरण उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की। प्रधान मंत्री जी ने किसानों को संबल प्रदान करने के लिए उनकी के सी सी सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक की करने की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। इसी तर्ज पर ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लक्ष्य में वृद्धि करते हुए आगामी वर्ष में 35 लाख से अधिक किसान भाइयों को जो ऋण सीमा अमाऊंट था, 23 हजार करोड़ की राशि को बढ़ाकर 25 हजार करोड़ ऋण वितरण की घोषणा की। इस हेतु बजट में करीब 768 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान पर व्यय किए जाएंगे।

इस बजट में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना हमारी सरकार ने प्रारंभ की है। आगामी वर्ष में संख्या बढ़ाकर ढाई लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिस पर 150 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना तय है। दीर्घकालिक सहकारी कृषि सेक्टर हेतु 400 करोड़ रुपये के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान दिए जाने की भी घोषणा की है तथा इस वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ को-ऑपरेटिव के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें किसानों को संबल देने हेतु जी एस एस की भूमिका को दृष्टिगत रखकर आगामी दो वर्षों में जो हमारे ग्राम पंचायत बनेंगे और हैं, जो शेष बच गए हैं, 2,500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जी एस एस स्थापित करने की घोषणा की है तथा इनके स्थापित करने के मापदंडों में भी आपने परिवर्तन

किया है। पहले 500 सदस्य थे, अब 150 सदस्य पर पहले 5 लाख रुपये जमा करवाने होते थे, अब 1.50 लाख रुपये जमा करवाने पर वह जी एस एस किए जाएंगे तथा जी एस एस के माध्यम से किसानों को खाद, बीज, पेस्टिसाइड, एवं डीएपी का व्यापार भी किया जाएगा।

मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अन्न भंडारण के लिए 100 नवीन गोदाम निर्माण की भी घोषणा की है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी आप कम से कम सभापतिजी ने कहा है कि हमारे 10 दिए हैं तो एक अर्जुन जी को 10 दिये हैं तो पांच दूसरे अर्जुन जी को भी दें। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ और मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीपाड़ सिटी जो क्रय-विक्रय सहकारी समिति है और वहाँ पर दलहन, मूंग इत्यादि की खरीद होती है। वहां खरीद-बिक्री केंद्र बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ वेयरहाउस नहीं है, उनको बिलाड़ा या मेड़ता सिटी भेजना पड़ता है तो मेरा आपसे आग्रह है कि पीपाड़ सिटी क्रय-विक्रय सहकारी समिति में एक हजार मीट्रिक टन वाला गोदाम निर्माण करने की राशि स्वीकृत करेंगे। इसी तरह एक वहाँ पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति से भी बड़ी जो FSS है, जिसके 5 हजार सदस्य हैं और उस FSS सोसाइटी को लोन का किसी भी तरह से एक रुपया भी नहीं दिया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि उस FSS को भी आप फसली ऋण दिलाने के लिये किसानों के लिए आप घोषणा करेंगे।

इसी के साथ, एक विशेष बात यह है कि राजस्थान के 41 जिलों में व्यावसायिक बैंको से फसली ऋण लेते हैं या KCC लेते हैं, उनको पैक्स या ग्राम सेवा सहकारी समिति से भी फसली ऋण मिलता है, लेकिन सारे जिलों में मात्र जोधपुर एक जिला ऐसा है जहाँ पर यदि कॉमर्शियल बैंकों से आप केसीसी ले लेते हैं तो जी एस एस के माध्यम से उनको जो फसली ऋण मिलना चाहिए, वह मिल नहीं रहा है। इसके लिए आप से मेरा आग्रह है कि निश्चित रूप से आप इसके लिए बात करेंगे। दूसरा, हमारे जो भूमि विकास बैंक हैं, उस भूमि विकास बैंक में भी जिनके ओवरड्यू चल रहे हैं और कोई शॉर्ट टर्म लोन के लिए जो अल्पकालीन फसली ऋण होता है, उनके ओवरड्यू हो गए हैं, उनको सैकंड टाइम में लोन नहीं मिल रहा है तो ओवरड्यू होने से, मेरा आपसे आग्रह है कि आप एकमुश्त योजना निकाल दें और उसमें उनकी पेनल्टी ब्याज, जो चार-पांच साल के हो गए हैं तो उनकी ब्याज और पेनल्टी माफ़ करके आप एकमुश्त उनकी जो जमा राशि थी, वापस लें तो वापस आपके को-आपरेटिव को पैसा भी मिल जायेगा और उनको भी जो गरीब हैं, जो जमा नहीं कर पाये हैं, उनको भी राहत प्रदान हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय सहकार।

श्री सभापतिः श्रीमती शिमला देवी।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): सभापति महोदय जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का मौका दिया। आज सुबह से सदन में हम किसान की बात सुन रहे हैं, किसान की चर्चा सुन रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या नहीं किया? लेकिन, सभापति महोदय जी, मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से और

सरकार से कहना चाहती हूँ किसान है, अन्नदाता है तो हम लोग हैं। आज किसान की वास्तव में स्थिति क्या है, आपको भी पता है और मेरे को ही पता है। किसान आज भी सड़क पर है। वह फसल बोने से लेकर, फसल को पकाने से लेकर बेचने तक, बेच भी देता है तो उसके बाद उसकी बिकी हुई फसल की, उसकी दिन रात की मेहनत की फसल का पैसा है, वह उसको नहीं मिलता है। आज एम एस पी खरीद का गांरटी कानून बन गया क्या? केंद्र में आज तो डबल इंजन की सरकार है। लगभग 700 किसान शहीद हुए थे। आज भी हमारा किसान मरणासन्न पर है जगदीश सिंह, क्या बताना चाहेंगे कि आप एम एस पी पर गारंटी का कानून कब लेकर आयेंगे? किसान की बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ मैं, सभापति महोदय, आप के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं एम एस पी की बात करते हैं कि एम एस पी थी, एम एस पी है और एम एस पी रहेगी। लेकिन पूरे भारत के अंदर हमारा बाजरा और जौ है, सबसे ज्यादा अगर उत्पादन होता है, तो राजस्थान के अंदर होता है। क्या डबल इंजन की सरकार बाजरा और जौ एम एस पी पर खरीदेगी या नहीं खरीदेगी? यह बतायें।

इसके साथ साथ समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद है, वह शायद अभी कल से पोर्टल चालू कर दिया है तो इस पर मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि मंत्रीजी 01 अप्रैल से हमारी गेहूं की जो फसल है, वह बाजार में आती है, लेकिन इससे पहले हमारी सरसों की फसल है, वह बाजार में आ जाती है। इसकी एम एस पी की खरीद के लिए आपने अभी तक क्या व्यवस्था की? आपका अभी तक जो टेंडर होना था, उसको अभी बीच में रोक दिया। मैं, सभापति महोदय, आप के माध्यम से मंत्री जी से मांग करती हूँ कि आप 15 मार्च तक एमएसपी पर सरसों की खरीद है, उसकी प्रक्रिया चालू कीजिये, ताकि किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और मंत्री जी से मांग करती हूँ कि समर्थन मूल्य में जो खरीद हैं, जो जन आधार कार्ड की बाध्यता है, उसको खत्म करके आधार कार्ड से खरीद की जाए ताकि किसान को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ पिछली बार जो मूंग की खरीद थी, समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई थी, पोर्टल लेट चालू हुआ हमारा, जिसके कारण से हजारों क्विंटल, किसान हैं वह खुले बाजार में अपनी मूंग की फसल को बेच चुका था और प्रति क्विंटल 1500 से 2 हजार आर्थिक नुकसान एक किसान को हुआ था। मेरी मंत्रीजी से मांग है कि मंत्रीजी समय रहते हुए आपका पोर्टल चालू कीजिये ताकि किसान को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।

एक मैं मंत्री जी, आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरी अनूपगढ़ और घड़साना तहसील में सहकार मित्र खरीद केन्द्र के अंदर 2017-18 से खरीद के अंदर स्वीकृत हैं। जो पिछले कई वर्षों से खरीद का कार्य कर रही हैं, लेकिन आगामी समर्थन मूल्य के लिए जो हमारा 24 एपीडी, नौ ए, तीन जीएम डब्बर, 17 एम डी खरीद केंद्रों को बंद किया जा रहा है तो सभापति महोदय जी, मैं मंत्रीजी से मांग करती हूँ कि पिछले कई वर्षों से जो हमारे सहकार

मित्र खरीद केंद्र से चल रहे हैं, इनको आप बंद मत कीजिये। अगर आप बंद करते हैं तो इससे वहां के किसानों को बहुत भारी नुकसान होगा, बहुत बड़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इनको आप मंत्रीजी चालू रखिये।

इसके साथ-साथ जो किसानों की पूरी लिमिट है, उसका जो ऋण सभापति महोदय राज्य सरकार जो ग्राम सहकारी समितियों के मार्फत किसानों को फसली ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करवाती है, लेकिन पिछली जो कांग्रेस की हमारी सरकार थी, माननीय मुख्य मंत्री गहलोत जी ने सोसाइटियों के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ किया था, लेकिन उसके बाद किसानों की जमीन के अनुसार, जितनी उसकी लिमिट बनती है, उतना किसान को ऋण दिया जाए क्योंकि पुराने खाते हैं, उन किसानों को लिमिट का 33% ऋण दिया गया, उसके बाद हर छह माह बाद 5-10 प्रतिशत ऋण बढ़ाकर किसानों को दिया जा रहा है और जो किसान ऋण माफी में नहीं आया, नया फसली ऋण लेने पर उन्हें सिर्फ नाममात्र का ऋण मिल रहा है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर मंत्रीजी आपसे कहना चाहती हूँ कि नए किसान की जमीन के अनुसार अगर डेढ़ लाख लिमिट बन रही है तो उन किसानों को पहले 15 हजार, फिर 20 हजार रुपये का ऋण मिल रहा है। उसके बाद हर छह माह बाद सिर्फ 5-10 प्रतिशत थी, लिमिट के अनुसार बढ़ाया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं सरकार से, मंत्रीजी से मांग करती हूँ कि किसानों को उनकी जमीन की जितनी लिमिट बनती है, उतना ऋण दिया जाए।

jyg/rtm/11.03.25/16.50/3d

माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे मांग करती हूं कि उर्वरक कम्पनियों ने किसानों को लूटने का काम कर रखा है, इनको आप रोकिये क्योंकि जो उर्वरक कंपनियां हैं, खाद के साथ जो दूसरे उत्पाद टैगिंग कर किसानों को दे रही है, जैसे नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, जो किसान के किसी काम में मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है, ये अनावश्यक भार है, इसे आप रोकिये। मंत्री जी, जब आप जवाब दें तो एक जरूर बतायें कि इसका डाटा सार्वजनिक करें कि क्या राजस्थान में नैनो यूरिया और नैनो डी ए पी पर अनुसंधान किया गया है? अगर है तो इस पर जो अनुसंधान हुआ है तो उसका रिजल्ट सार्वजनिक किया जाये कि उसका रिजल्ट क्या रहा है और बिना टैगिंग के किसानों को जो खाद है सर, आप उपलब्ध करायें और सभी सरकारी समितियों में कस्टम हायर केंद्र खोले जायें जिससे समितियों की आय बढ़ेगी हमारी समितियां मजबूत होंगी। मंत्री जी, मैं आपसे मांग करती हूं कि प्रत्येक ग्राम स्तर पर सहकारी समिति खोली जाये ताकि किसान और आमजन को सही दाम पर सामान मिल सके व सहकारिता को बढ़ावा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से मांग करती हूं कि राजस्थान में जो हमारे प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक हैं, उनकी स्थिति खराब है तो भूमि विकास बैंकों के द्वारा लगातार लगभग 300 करोड रुपये के पैकेज की मांग की जा रही है जिसे दीर्घकालीन साख संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए 36 भूमि विकास बैंकों के माध्यम से किसानों

की सेवा की जायेगी, किसानों को फायदा मिलेगा, किसान हमारा समृद्ध होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि भूमि विकास बैंक के द्वारा पिछले सवा साल से लगातार ऋण एक मुश्त समझौता योजना की मांग की जा रही है जिसमें किसानों को ब्याज और पेनल्टी के रूप में माफ की जाने वाली राशि में राज्य सरकार का भी योगदान हो परंतु प्रदेश में सरकार के गठन के बाद से भूमि विकास बैंक की इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक ओर तो सरकार ऋण वितरण के लिए किसी प्रकार की कोई सहायता उपलब्ध नहीं करवा रही है और दूसरी और ऋण एकमुश्त समझौता योजना के लिए अंशदान देने के लिए भी तैयार नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करती हूं कि ऋण एकमुश्त समझौता योजना को सरकार अंशदान के साथ लागू करे ताकि इससे होने वाली अवधिपार ऋण की वसूली की राशि प्राप्त हो सके और दूसरे किसानों को लोन दिया जा सके। इसके साथ-साथ, मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रदेश में 2,500 नई ग्राम सहकारी समितियां खोलने की घोषणा की गयी लेकिन वर्तमान में संचालित लगभग 4,000 से अधिक सहकारी समितियों में मुख्य कार्यकारी पद रिक्त पड़े हैं जिससे ये सहकारी समितियां प्रभावी ढंग से अपना कार्य नहीं कर रही हैं। एक-एक व्यवस्थापक के पास 5 से 6 समितियां का अतिरिक्त चार्ज है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के रिक्त पदों पर तुरंत भर्ती की जाये और व्यवस्थापकीय सेवा नियम, 2022 के अनुरूप एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक की भर्ती से व्यवस्थापक कोटे के 20 प्रतिशत पदों को भरने के लिए भर्ती की विज्ञप्ति अविलम्ब प्रकाशित की जाये जिससे कि हमारी सहकारी समितियां सुचारू रूप से कम कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं खाद्य मंत्री जी से मांग करती हूं कि जो राशन डिपो संचालक हैं, इनको 45 रुपये राज्य सरकार एवं 45 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा देय है और इसके साथ-साथ 26 रुपये राज्य सरकार के द्वारा अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है, जो टोटल 116 रुपये प्रति क्विंटल बनता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि आप इसको न्यूनतम 250 रुपये करें, ताकि ये लोग अपने बच्चों का पालन-पोषण अच्छी तरह से कर सके। इसके साथ-साथ डोर स्टेप डिलीवरी आपने की है कि जिस परिवार में 60 से ऊपर के सदस्य हैं, जहां 18 वर्ष से कम सदस्य हैं, धरातल पर कितनी कारगर है? आपने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार लोगों को वास्तव में राशन घर में पहुंचाया जा रहा है या नहीं पहुंचाया जा रहा है?

माननीय सभापति महोदय, अंत में, राजस्थान जो हमारा प्रदेश है उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, मैं खाद्य आपूर्ति मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि जो राशन डिपो हैं वो केवल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर है, जिससे दूरदराज के गांव-ढाणी के दिव्यांग वृद्ध, महिलाओं को राशन लेने में पूरा-पूरा दिन खराब हो जाता है, बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए ग्राम पंचायतों में

वार्डवार राशन डिपो या जो राशन डिपो का डीलर है उसे पाबंद किया जाये किएक दिन वो वहां जाकर राशन दे जिससे कि वहां की जनता को सुविधा मिल सके। इसके साथ-साथ मंत्री जी मैं आपसे मांग करती हूं कि राशन डिपो पर निगरानी हेतु पंचायत के जो मुखिया लोग हैं उनकी एक कमेटी का गठन किया जाये ताकि राशन की गुणवत्ता उसकी वितरण प्रणाली और पारदर्शिता हेतु कार्य कर सके और इस पर मैं उम्मीद करूं कि मंत्री जी ध्यान देंगे। सभापति महोदय जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। जय भीम।

श्री सभापतिः राम सहाय वर्मा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

माननीय सदस्य, शिमला जी, मैं आपसे ज्ञानवर्धन करना चाह रहा हूं, बीच में नहीं टोका मैंने। आपने नैनो यूरिया की बात की। मतलब आपको उसके बारे में जानकारी है, तो आप सरकार से जानना चाह रही हैं वो तो ठीक है, आपका क्या अनुभव रहा, जरूर आप शेयर करना हाउस के साथ कि नैनो यूरिया, नैनो डी ए पी जो काम में ले रहे हैं वहां क्या रिजल्ट आ रहा है?

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): वो ही मैंने पूछा न सर। यह बात हमारे पास आ रही है। देखो जी, यह सदन है, पब्लिक की समस्या यहां नहीं बतायेंगे तो उस समस्या का समाधान क्या होगा? कई किसानों ने हमसे बात कही वो सर हमने यहां सदन में रखी।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): हमारे अनुभव में यह आ रहा है कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को किसान आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): नहीं कर पा रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या अड़चन आ रही है, वो आप शेयर करेंगे तो सरकार को थोड़ी आसानी हो जायेगी।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): जी सर। इसका जो अनुभव है मैं आपको जरूर बताऊंगी, थैंक यू।

श्री सभापतिः श्री राम सहाय वर्मा।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): माननीय सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे मांग संख्या 50 एवं 55 पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीय सभापति महोदय, विगत कांग्रेस सरकार ने अपने 5 साल में सहकारिता विभाग में कहीं घोषणाएं तो की लेकिन अन्य विभागों की तरह सहकारिता विभाग की घोषणाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने सहकारिता विभाग में कई ग्राम सेवा सहकारी समितियां घोषित की लेकिन उनके भवन निर्माण, भूमि आवंटन, उनके जनोपयागी कस्टम हायरिंग सेंटर, गोदाम निर्माण इत्यादि पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम यह रहा कि जिस बिंदु पर माननीय वसुंधरा जी की सरकार ने सहकारिता को आगे बढ़ाने का कार्य किया था उस बिंदु पर इनकी

सरकार सहकारिता के कार्य को लेशमात्र भी आगे नहीं बढ़ा पायी।

सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय तथा माननीय मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जिन्होंने विगत वर्ष मेरे विधान सभा क्षेत्र में चैनपुरा चनाणी तथा पीपलू की ग्राम सहकारी समितियों को कस्टम हायरिंग सेंटर की सौगात दी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करना चाहूंगा कि विगत कई वर्षों से मेरे विधान सभा क्षेत्र के पास बासारोडिया, बगड़ी, जोला, डांगरता, बहड़, सिरोही, तुर्किया, चैनपुरा में स्थित सहकारी समितियों के गोदाम जर्जर अवस्था में हो चुके हैं, लेकिन विगत सरकार ने इन गोदामों की ना तो कोई मरम्मत करवायी, ना नए-नए गोदाम बनवाये।

सभापति महोदय, विगत सरकार ने मात्र नई सहकारी समितियां बनाने की घोषणा की, लेकिन गोदाम कितने बनाये यह उन्हें स्वयं को पता नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री महोदय व सहकारिता मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समिति सिरस तथा ग्राम सेवा सहकारी समिति डोडवाड़ी में 500 मीट्रिक टन के गोदाम बनाने की घोषणा ही नहीं की, बल्कि उनका निर्माण कार्य भी शुरु हो गया है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि विगत सरकार की उदासीनता के कारण आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में 12 सहकारी समितियां ऐसी हैं जो भूमि के अभाव में गोदाम विहीन सहकारी समितियां हैं जिनमें धतूरी खिड़की, संदरिया खुर्द, लोहारा, बस्सी अरनिया अणुतिया गुर्जर श्री रामपुरा उर्फ नयागांव करेड़ा हाड़ी कला, प्याऊदी निमेड़ा गोदाम विहीन सहकारी समितियां हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा और मुख्य मंत्री महोदय से इस बारे में कहना चाहता हूं कि इन सहकारी समितियों को भूमि आवंटन कराने की कृपा करावें ताकि निर्माण कार्य कराये जा सकें। साथ ही पीपलू में सहकारी समिति खोलने की कृपा करें, साथ ही इन सहकारी समितियों का चुनाव करवायें क्योंकि इनके पदाधिकारी पिछले 20-25 साल से काबिज हैं और वह चुनाव नहीं होने की वजह से आम आदमी को वह जोड़ नहीं पा रहे हैं तो चुनाव पर भी आप विशेष कर ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार माननीय प्रधान मंत्री मोदी के सपने सहकार से समृद्धि को साकार करने के लिए निरंतर सहकारिता विभाग में नित्य नये कार्य कर रही है। आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि वर्तमान में सहकारी समितियां को मात्र 1,500 वर्ग गज जमीन नि:शुल्क आमंत्रित की जाती है लेकिन 1,500 वर्ग गज जमीन सहकारी समितियों के सफल संचालन हेतु पर्याप्त नहीं होती है क्योंकि सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने 54 लक्ष्य रखें जिन्हें हम पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सहकारी समितियां को कम से कम 5,000 से 7,000 वर्ग गज भूमि की आवश्यकता होगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी महोदय

से और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की सहकारी समितियों को सरकार की ओर से नि:शुल्क भूमि आवंटित किए जाने के लिए भूमि के मानदंड को परिवर्तन कर 1,500 वर्ग से बड़ा करके 5,000 वर्ग गज बढ़ाने की कृपा करें। प्रधान मंत्री जी का विजन है कि दूर दराज के गांव में बैठे मेरे किसान भाई आत्मनिर्भर बने।

MLS/RTM/11.03.2025/17:00/3e

जिसे मात्र सहकारिता के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहूंगा कि सहकारी समितियों के माध्यम से नवीन कृषकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाने की कृपा करें, जिससे मेरा किसान भाई आत्म निर्भरता की ओर उन्मुख हो।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय तथा सहकारिता मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई सहकारी समितियां हैं, जिनमें भूमि होने के बावजूद भी आज तक गोदाम निर्माण नहीं करवाये गये हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण कराने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय तथा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि जनसंख्या के अनुपात में राशन सामग्री वितरण हेतु उचित मूल्य की दुकानों में बढ़ोतरी की जाये। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार कि आपने सरकार में आने के प्रथम वर्ष में ही खाद्य सुरक्षा पोर्टल को चालू करने का कार्य किया। पोर्टल के प्रारम्भ होने से कई पात्र परिवारों को लाभ होगा।

माननीय सभापति महोदय, सदन के माध्यम से राजस्थान की आम जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा चलाये जा रहे गिव-अप अभियान में पूर्ण ईमानदारी से हिस्सा लेकर अपात्र लाभार्थियों की लिस्ट से अपने नाम खाद्य सुरक्षा से हटवाएं, ताकि वास्तविक पात्र लाभार्थी को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। उचित मूल्य की दुकानों पर कार्यरत् राशन डीलर्स को वर्तमान में कमीशन या मानदेय जो दिया जाता है, वह काफी कम है। अत: आपसे निवेदन है कि इनका कमीशन भी बढ़ाएं और साथ में यदि इनकी तनख्वाह फिक्स कर दी जाये तो एक अच्छा काम होगा और आम आदमी को इससे राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, आपका पुन: आभार कि आपने मुझे मांग संख्या 55 और 50 पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

श्री सभापति: श्री संजय कुमार।

श्री संजय कुमार (बसेड़ी): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का समय दिया। मैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं, जहां मैंने राशन

डीलरों और लाभार्थियों की समस्या देखी है और ई-मित्र का भी मैंने काम किया है, इसीलिए, माननीय मंत्री महोदय जी, आप इस पर गम्भीरता से सोच-विचार करें।

जैसे कि एनएफएसए का पोर्टल चालू हुआ है और एनएफएसए का पोर्टल चालू होने पर जो भी आवेदन करता है, वह ई-मित्र पर जाता है। सबसे पहले वह जायेगा एसडीओ लेवल पर, फिर जांच करायी जाती है। सैक्रेटरी हैं, पटवारी हैं, उनके यहां से जांच करायी जाती है। उसके अन्दर मैं चाहता हूं कि वहां के बीएलओ को भी शामिल करें। सम्बन्धित वार्ड पंच को भी शामिल करें, क्योंकि अगर आप जांच कराते हैं तो सैक्रेटरी और पटवारी जाते हैं। वास्तव में जिनको लाभ मिलना चाहिये, जो अपात्र हैं और पात्र बनना चाहते हैं, वे वंचित होते हैं।

इसमें जो सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्र है, वहां का वार्ड पंच और शहरी क्षेत्र है तो वार्ड पार्षद, उसको आप शामिल करेंगे, उसके नाम के साथ इंगित आयेगा कि वास्तव में यह आदमी है, यह गरीब है और इसको इस खाद्य सुरक्षा की लिस्ट में जोड़ा जाना चाहिये। वहां से जब आयेगा तो एसडीओ लेवल पर जायेगा, फिर वहां से उसको एनएफएसए में लाभ मिलता है। फिर उसके फोरम को अप्रूव कर दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इसमें सम्बन्धित सैक्रेटरी है, पटवारी है, उनके साथ-साथ बीएलओ और वार्ड पंच को भी इसमें इन्क्लूड करेंगे तो पारदर्शिता आयेगी और वास्तविक लाभार्थियों को इसमें लाभ मिलेगा। जो अपात्र हैं, वे पात्र बनेंगे।

एक फिल्टरेशन भी लग जायेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं, वहीं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वहीं अपात्र हुए हैं, तो एक फिल्टर लग जायेगा तो इसके अन्दर जो आदमी सक्षम है, वह खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ पायेगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा सदन में मंत्री महोदय से यह निवेदन है। दूसरा, हम कुछ समय से देख रहे हैं कि डीलर सस्पैंड हो जाता है, किसी न किसी मामले में हो जाता है, चाहे वह गबन के में हो या चोरी के मामले में हो, उसकी जगह दूसरी दुकान को अटैच कर दिया जाता है। दुकान तो अटैच हो गयी, लेकिन उसको माल कम पहुंच रहा है। जो आपूर्ति जानी चाहिये, वह कम पहुंच रही है।

मेरे यहां ऐसे कई सारे डीलर्स हैं, जिनकी दुकानों में या तो चोरी हो गयी या वे किसी कारणवश निलम्बित हो गये। उनकी पॉस मशीन में से वह सामान नहीं हट पाया और जांच चल रही है। मंत्री महोदय जी, मेरा आपसे यह निवेदन है कि जब जांच चल रही है तो उस पॉस मशीन में से उस स्टॉक को तो हटाया जाये। जब वह दोषी पाया जायेगा, तब आप उस पर कार्यवाही करें। जब तक वह स्टॉक उसमें बोलेगा तो दूसरे डीलर को वह स्टॉक कम मिलता है। एक तो खुद की उसकी दुकान है, वह बेच रहा है क्षेत्र के लिए, जो लाभार्थियों को माल दे रहा है। दूसरा, अटैच कर दिया। वहां राशन डीलरों के साथ ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि लड़ाई-झगड़े तक की नौबत आ जाती है।

मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक उस डीलर पर गबन या ऐसा कोई जो आरोप लगा है, वह साबित नहीं हो जाता, उस पॉस मशीन में से जो स्टॉक है, उसे हटाया जाये। वह हट जायेगा तो सामान पूरा पहुंचेगा, खाद्य सुरक्षा पूरी पहुंचेगी और सभी लाभार्थियों को आराम से

सामान मिलेगा। तीसरा, धौलपुर की मैं बात कर सकता हूं, हो सकता है अन्य जगह भी चल रहा हो प्रदेश में। जब भी एफसीआई के गोदाम से खाद्य सामान डीएसओ के द्वारा डीलर के यहां पहुंचता है तो उसके लिए कोई तिथि निश्चित होनी चाहिये कि डीलर के यहां इस तारीख को आपका सामान पहुंचेगा और वह भी दो टुकड़ों में पहुंचता है।

एक साथ पहुंचे, एक साथ स्टॉक उतरवा लेगा, स्टॉक मशीन में चढ़ जायेगा एक साथ ही और आसानी से वह लाभार्थियों को सामान बांट पायेगा वहां पर। मेरा आपसे एक निवेदन है, क्योंकि डीएसओ ऑफिस से वो दो-दो, तीन-तीन टुकड़ों में सामान को भेजते हैं, कम भी जाता है कई बार, 10 क्विंटल कम चला गया, 20 क्विंटल कम चला गया, इस तरह से। इस पर आप गम्भीरता से सोचें कि उनको एक साथ जाये और एक महीने की निश्चित तारीख को पहुंचना चाहिये। उस पर कई सारी गाड़ियां जाती हैं आपकी सामान लेकर के।

साथ ही, मैं यह कहूंगा कि हमारे पेंशनर्स, अभी हमने अख़बार में पढ़ा, मंत्री महोदय जी ने भी जवाब दिया कि वे 18 नहीं 14 लाख हैं, पेंशन नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति पॉस मशीन पर है लोगों के साथ कि उनके फिंगर प्रिंट्स काम नहीं कर पा रहे हैं। कई जगह ऐसी स्थिति है। या ओटीपी नहीं जा पा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं डीलर के यहां कि वह अपने हाथ से ही, जैसे पहले राशन कार्डों को मिलता था, ऐसी कैटेगरी के बुजुर्ग, जिनके आईरिस या फिंगर प्रिंट्स काम नहीं कर रहे हैं या ओटीपी नहीं आ रहा है तो राशन डीलर्स को ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि वे रजिस्टर मेंटेन करें और उनको समय पर राशन-पानी दे सकें।

पांचवीं बात मैं यह कहना चाहूंगा आपसे कि हमारे जो भी डीलर भाई हैं, कम से कम उनको यह तो कहें कि एक महीने में कितनी तारीख को दुकान खुलेगी और लाभार्थियों को देंगे। हम जब कई बार निरीक्षण पर जाते हैं या हमारे पास फोन आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं तो वे कहते हैं कि 20 तारीख तो हमारे उचित मूल्य की दुकान पर सामान आता है डीएसओ के यहां से, माल आता है और उसके बाद हम बांटते हैं 10 दिन के अन्दर। एक कोई निश्चित तिथि होनी चाहिये उसमें कि हम लोग डीएसओ ऑफिस से जो भी गेहूं का बंटवारा हुआ है, इतनी तारीख को पहुंचेगा और उनके लिए फिक्स होना चाहिये कि इतने टाइम आपकी उचित मूल्य की दुकान खुलनी चाहिये। मैं तो चाहता हूं कि महीने के सैटरडे-संडे को छोड़कर पांचों दिन दुकान ओपन होनी चाहिये। वह नहीं हो पा रही है।

साथ ही, सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यू आता है कि आज की तारीख में 1 क्विंटल पर उनको कमीशन मिलता है 121 रुपये। क्या यह सही है आज के टाइम में? वह उसकी दुकान का भी किराया देता है, लड़का भी किराये पर रखता है, इंटरनेट का भी खर्चा है, पॉस मशीन भी है उसके पास और न जाने कितने संसाधन खर्च करता है वह अपने और उसको हम दे रहे हैं 121 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। माननीय मंत्री महोदय जी, अगर आप इस पर सोचें-विचारें तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 200 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से तो होना चाहिये उनका।

साथ ही, हम बात करते हैं गुजरात मॉडल की, जहां तक मेरी जानकारी में है, पूरे हिन्दुस्तान में गुजरात के अन्दर उचित मूल्य के राशन डीलर को मानदेय दिया जाता है। उनका भला होगा, मंत्री महोदय जी, दुआ देंगे वे आपके लिए। मैं चाहता हूं कि उचित मूल्य के जो भी डीलर हैं, राशन दे रहे हैं, उनके लिए कम से कम मानदेय तो फिक्स होना चाहिये। जब हम 285 रुपये की रेट नरेगा में दे सकते हैं तो उस हिसाब से ही कर दें आप। कुछ न कुछ तो उनको देना पड़ेगा मानदेय हम लोगों को।

साथ ही, हम पॉस मशीन का जिक्र करते हैं। कई पोस मशीनें काम नहीं करती है। सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, चूंकि यह मामला मेरा नहीं है, विधान सभा के सभी सदस्यों का भी है, क्या हम कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था रख सकते हैं कि पोस मशीन की जगह हम कोई एक लैपटॉप-प्रिंटर-कम्प्यूटर के हिसाब से राशन कार्ड का नम्बर चढ़ाकर उसको हम बांट दें, उसकी पोस मशीन काम नहीं कर रहा है तो। यह तो हो गया ऑनलाइन का सिस्टम।

MKD/RTM/11.03.2025/17:10/3f

ऑफलाइन भी रजिस्टर मैंटेन करवा दें। साथ ही, गरीब व्यक्ति हैं, वे एनएफएसए में अपात्र हैं और उनको जुड़ना है। वे ई-मित्र पर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम लोग ऐसी पावर दे सकते हैं, सम्बन्धित सरपंच हो, वहां का सैक्रेटरी हो या विकास अधिकारी हो या एडीओ ऑफिस हो, वह देखे और जांच करे और वे खुद राशन कार्ड को चालू करवा दें। वास्तव में, यह आदमी पात्र है, अपात्र है, इसको जोड़ना चाहिए। मेरा तो यह मानना है कि हर जगह एसडीओ ऑफिस होता है, आप ऑनलाइन करवाओगे तो भी जांच वहां जाती है, जांच करके लाते हैं, अगर कोई ऑफलाइन भी आवेदन कर देता है तो एसडीओ साहब उसको मार्क करके सम्बन्धित विकास अधिकारी को भेजकर सम्बन्धित सैक्रेटरी और आप जो कमेटी बना रहे हैं, उसमें सम्बन्धित वार्ड पंच भी हो, आपका पटवारी भी हो (समय समाप्ति सूचक घंटी)। सर, एक मिनट। आपके बीएलओ को ले लें, उसमें सैक्रेटरी भी है तो इनकी एक लिस्ट बनाकर वहां से ऑफलाइन आवेदन को भी आप कर सकते हैं।

मैं चाहता हूं कि दूरदराज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन लोगों को बहुत सहूलियत होगी। आपको दुआ देंगे। साथ ही, मेरा यह निवेदन है, क्योंकि मैंने ई-मित्र की दुकान चलाई है, मेरे बगल में कई राशन डीलरों की दुकानें थीं, उनकी जो स्थिति मैं देखता हूं, लड़ाई-झगड़े भी होते हैं, मुझे सामान कम मिला, उसको गेहूं ज्यादा मिल गये तो ऐसी स्थिति में वह क्या कर पायेगा, डीलर असहज हो जाता है। उसको एक तो मानदेय मिलना चाहिए। साथ ही, जो मैंने गंभीर विषय बताया कि किसी कारण कोई भी डीलर निलम्बित हो गया और उसके स्टॉक में वह बोलता रहता है। जब तक उस पर आरोप प्रमाणित नहीं हो जाते और आरोप प्रमाणित हो जाते हैं, तब आप स्टॉक के साथ कार्रवाई करें, लेकिन उस स्टॉक को तो हटाए, जिससे जितने भी उसके क्षेत्र के एनएफएसए के लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों को सही तरीके से

सुचारु रूप से काम मिल सके।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये।

श्री संजय कुमार (बसेड़ी): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: केसाराम जी चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 50 सहकारिता एवं मांग संख्या 55 खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात के ऊपर चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सहकारिता भारत में आज से नहीं, हमारी सदियों पुरानी व्यवस्था थी। लोग अपने खेतों में काम करते थे। एक परिवार के 100-100 सदस्य एक साथ रहकर के काम करते थे और एक सबके लिए, सब एक के लिए काम करते थे। देश आजाद होने के पहले लोग सहकारिता में विश्वास करते थे और आपस में मिलकर के इस व्यवस्था को चलाते थे। देश आजाद होने के बाद में यह महसूस किया गया कि इस तरह से अगर संगठित परिवार काम कर सकता है, तो एक ऐसी व्यवस्था भी लागू की जाए, जिसमें सब मिलकर के काम को करें।

एक सबके लिए, सब एक के लिए, ऐसी सोच लेकर के सहकारिता विभाग बनाया गया है। आज की तारीख में हमारी सरकार भी इन संस्थाओं को मजबूत करने के लिए पूरा-पूरा प्रयास कर रही है। पुराने जमाने में लोग सेठ, साहूकार के पास पैसे लेने जाते थे। सेठ, साहूकार पैसे वापस जमा करने और उसके बदले अनाज भी ले लेते या खरीद भी लेते थे और साहूकार जब भी खेती का टाइम आता तो उसको पैसे दे देता था।

इस तरह से सहकारिता विभाग भी अब किसानों को फसली ऋण देता है। जब उसको आवश्यकता पड़ती है, सहकारी बैंक का एक ही उद्देश्य है कि किसान को कैसे मजबूत किया जाए। हमारी सरकार ने अबकी बार बजट में भी बहुत सारी बातें रखी हैं। किसान को निश्चित रूप से सहकारिता से मजबूती मिलेगी। कृषकों को अधिक सम्बल देने की दृष्टि से माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है। किसान अपनी साख बना देगा तो वह किसी जमानत के या बिना किसी व्यवस्था के केंद्र सरकार की जो योजना है, उसमें उसकी साख बन जाएगी, तो उसको 5 लाख रुपये तक का ऋण क्रेडिट कार्ड से मिल जायेगा। ऐसी व्यवस्था भी सरकार ने की है। ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण वितरण के लक्ष्य में वृद्धि करते हुए 35 लाख से अधिक किसान साथियों को 25 हजार करोड़ का ऋण वितरित किया जाएगा। यह अल्पकालीन ऋण बिना ब्याज के दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, यह बिना ब्याज के दिया जाता है, मगर निश्चित तारीख के बाद अगर जमा नहीं कराते हैं और किसान को वह तारीख याद नहीं रहती है, तो मैं चाहता हूं कि कोऑपरेटिव का व्यवस्थापक उस किसान को याद दिलाए कि 15 दिन बाद में आपकी किस्त का टाइम निकल जायेगा और आप पैसे जमा नहीं करायेंगे तो पूरा ब्याज, जिस दिन से दिया, उस दिन से पूरा ब्याज लेते हैं।

यह ब्याज मुक्त ऋण अल्पकालीन दिया जाता है, उसके लिए किसान को इत्तिला देनी जरूरी हो जाती है कि आपका टाइम पीरियड पूरा होने वाला है, आप अपने पैसे जमा करा दें।

गोपाल क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाना। प्रदेश में गायों के प्रति गोपालकों का मनोबल बढ़ेगा। इस पर 150 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाता है। इससे यह साफ ज़ाहिर होता है कि हमारी सरकार ने गौ रक्षा के लिए, गोपालन को अपनाने के लिए, यह जो व्यवस्था की है, उसकी भी मैं सराहना करता हूं। गायों की जो दुर्दशा हो रही है, सरकार ने उसको ठीक करने के लिए यह योजना बनाई है।

वास्तव में, कोऑपरेटिव के माध्यम से गोपालकों को भी बिना ब्याज ऋण मिलेगा तो निश्चित रूप से गायों की सुरक्षा हो पायेगी। दीर्घकालीन कृषि एवं नॉन फार्मिंग सेक्टर हेतु 400 करोड़ के ऋण पर 5 परसेंट ब्याज अनुदान दिए जाने से वसूली हो सकेगी। मतलब, 5 परसेंट ब्याज में छूट देने से, जो दीर्घकालीन ऋण दिया हुआ है, उसको वसूल करने के लिए हमारी सरकार ने ब्याज में 5 परसेंट छूट देने की घोषणा की है, जिससे काश्तकारों से वसूली भी आएगी और ब्याज में राहत भी मिलेगी।

वर्ष 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में मनाया जा रहा है। यह वर्ष कोऑपरेटिव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से किसानों को सम्बल प्रदान करने में ग्राम सेवा सहकारी समितियां की भूमिका को दृष्टिगत आगामी दो वर्षों में 2500 से अधिक ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों पर जीएसएस स्थापित करने की सरकार की मंशा है।

इस वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव मनाएंगे तो निश्चित रूप से हर पंचायत में कोऑपरेटिव सेक्शन खोलने की सरकार की जो मंशा है, इससे कोऑपरेटिव सेक्शन को बल मिलेगा।

सहकारी संस्थाओं की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 से 500 मैट्रिक टन के गोदामों के निर्माण करने का प्रस्ताव है। माननीय सभापति महोदय, गांवों में किसान की फसल पैदा होती है। फसल होने के बाद में अगर किसान की फसल को भी उन गोदामों में रखने की सुविधा मिले, तो किसान अच्छे भाव आने पर, उन गोदामों में अपनी फसल रखकर, उचित मूल्य पर तब बेच सकता है। इसके लिए भी हमारी सरकार ने यह सोच रखी है कि कैसे कोऑपरेटिव के गोदाम बनाया जाये, जिसमें किसान अपनी फसल भी रख सकें और उस फसल का समयबद्ध व्यापार भी कर सके।

भंडारण के निर्माण हेतु 2500 किसानों को लगभग 22 करोड़ रुपये की सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है। किसान अपना स्वयं का गोदाम बनाए, उसके लिए भी सरकार ने यह मंशा की है कि काश्तकार अपना गोदाम बनाया तो उसके लिए भी सब्सिडी देकर किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसान भी अपने खेत में गोदाम बना सके। अपनी फसल को स्टोर कर सके, ऐसी व्यवस्था करनी है।

माननीय सभापति महोदय, आज जिस तरह से सभी माननीय सदस्यों ने कोऑपरेटिव में

बताया कि घोटाले हो रहे हैं, जब उन घोटालों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता।

माननीय सभापति महोदय, मैंने बजट सत्र में एक याचिका लागई। उस सहकारी समिति में इतना घोटाला था, तो उस घोटाले के लिए, उस गांव के पांच सदस्यों ने याचिका लगाई तो जो लोग याचिका लगाने वाले हैं, उनके लिए जवाब भेजा कि इनके 5 हजार, किसी के 10 हजार बकाया हैं।

मैंने कहा, मैं उस सोसाइटी का पूछ रहा हूं ना कि याचिका लगाने वालों का पूछ रहा हूं। विजोबा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, जिला पाली के अंदर 76 लाख 56 हजार 394.56 की गंभीर अनियमितता पाई गई।

Bhs/Rtm/11.03.25/17.20/3g

यह जांच करने पर पाया गया फिर उस कोऑपरेटिव अधिकारी ने जांच की तो अब उसको भेज दिया है निरीक्षक के पास, वीरेंद्र कुमार, निरीक्षक, सहकारी समितियां, पाली उसकी फिर जांच कर रहे हैं, जब जांच में पाया गया कि 76 लाख 56 हजार 394 का घोटाला है, गबन है, तो फिर दुबारा जांच कैसे कर रहे हैं? मतलब उसको सजा देने के बजाय इस तरह से जो घोटाले होते हैं उनको लंबा कैसे किया जाये और उनकी जांच चलती रहे और जब तक तो वह आदमी भी चला जाये और फिर किस से वसूली करेंगे इसलिए यह जांच जो होती है, घोटाले जो भी होते हैं उनमें जल्दी से जांच करनी चाहिए और मैं मांग करता हूं कि बिजोवा सहकारी समिति का जो घोटाला है उसको जल्दी से जल्दी उजागर करके उन लोगों को सजा दी जाए ताकि गरीब किसानों को उनके जो ऋण दिया गया फसली ऋण उनमें दिया ही नहीं है और उनको खाते में नामे मांड दिया गया तो इन गरीब किसानों को जब मालूम पड़ा तब कहीं जाकर के यह जांच हुई तो इसकी जांच की जल्दी मांग करता हूं। किसी भी शाखा प्रबंधक की लोन आई.डी. एफ.आई.जी. एडमिन व आई.डी. सीमित व्यवस्थापक को दी जाये, नहीं तो पाली से लेनी पड़ती है और कभी टॉवर मिलता नहीं। कभी इन्टरनेट कनेक्शन नहीं हो पाता है तो वो उस समय उसका ऋण वितरण नहीं कर सकता, इसलिए इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

सभापति महोदय, यह समिति के जो व्यवस्थापक हैं इनका कोई न कोई सरकारी हल ढूंढना चाहिए। नहीं तो ये व्यवस्थापक क्या करते हैं कि अपने बेटे को लगा दिया सहायक व्यवस्थापक और वह व्यवस्थापक और फिर बेटा भी व्यवस्थापक बन जाता है।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि यह जो व्यवस्थापक व्यवस्था है यह सरकार के अंडर में रहनी चाहिए ताकि कम से कम हम उस व्यक्ति को पकड़ सकें नहीं तो गड़बड़ घोटाला करके जाता है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार का कोऑपरेटिव पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होता और चुनाव में ऐसी

गड़बड़ियां करते हैं। चुनाव तो कोई व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं है इसलिए इसके चुनावों के ऊपर भी कोई न कोई ऐसी रोक लगाकर के इन के कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव सैक्शन के समस्त चुनाव नियमानुसार कुछ अच्छे तरीके से हो, ऐसी व्यवस्था हो, ताकि नहीं तो लठ लेकर खड़े हो जाते हैं, जिसको बनाना है उसको बना देते हैं और वह गरीब आदमी जो वास्तव में उस कोऑपरेटिव का सदस्य है उस व्यक्ति को भी हक नहीं मिलता। यही निवेदन करते हुए आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री दीन दयाल जी।

श्री दीन दयाल (दौसा): धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, राज्य सरकार में सहकारिता बैंको के लंबे अरसे से चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं। वर्तमान में प्रशासक नियुक्त कर रखे हैं। सहकारिता बैंक के समय पर चुनाव नहीं होने के कारण आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा मनमर्जी की जाती है। सहकारिता विभाग में सरेआम कमीशनखोरी अपनाई जा रही है। अतः मैं मांग करता हूं कि सहकारिता बैंकों के चुनाव अति शीघ्र करवाये जाने की कृपा करें।

सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में केंद्रीय सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंकों द्वारा बांटे जाने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर 7% अनुदान दिए जाने की घोषणा लागू की थी, किंतु 2025-26 के बजट में इसे कम करके 5% कर दी गई थी। भूमि विकास बैंकों को बजट नहीं देने तथा कम देने के कारण किसानों को ऋण नहीं मिल पा रहा है। भूमि विकास बैंकों ने अपनी स्थापना से लेकर लगातार कई वर्षों तक राजस्थान प्रदेश के किसानों को लंबी अवधि से सहकारी ऋण बांटने का कार्य करते हुए प्रदेश के कृषि विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रदेश में कभी ओलावृष्टि, कभी पाला पड़ने, कभी अकाल जैसी आपदाएं आती रहती हैं, जिससे कमजोर हुई आर्थिक स्थिति के कारण कई किसान भूमि विकास बैंकों का ऋण समय पर नहीं चुका सके। भूमि विकास बैंकों के अवधिपार किसानों का समस्त कर्जा माफ़ किया जाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने हेतु सभी किसान आशान्वित थे कि सरकार महत्वपूर्ण कर्जा माफ करने की घोषणा करेगी, किंतु इस सम्बन्ध में बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया, जिससे बहुत निराशा हुई। ऋण चुकाने में अवधि पार हो चुके किसानों को पुनः मुख्यधारा में लाने के लिए कर्ज माफी या राहत योजना लागू कर भूमि अवधिपार ऋणियों को राहत देने की मांग सरकार से करता हूं। साथ ही प्रदेश में प्रत्येक पंचायत स्तर पर सहकारी समिति बनाने की भी मैं मांग करता हूं।

सभापति महोदय, इस वर्ष प्रदेश के किसानों को यूरिया, डीएपी नाममात्र की उपलब्ध कराई गई। लगातार किसानों को सड़कों पर लाइनों में खड़े रहने के बावजूद भी यूरिया, डीएपी नहीं मिली। मैं मांग करता हूं कि किसानों को समय पर जब फसल का टाइम आये तो यूरिया, डीएपी समय पर उपलब्ध कराया जाये और उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध कराया जावे। साथ ही, इसमें कालाबाजारी जो हो रही है उस पर भी मैं मांग करता हूं कि कालाबाजारी

रोकी जाये।

सभापति महोदय, वर्तमान में गोपालक योजना के अंतर्गत एक समान राशि नहीं दी जाकर अधिकारियों द्वारा चहेतों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, किसी को 40 हजार, किसी को 50 हजार, किसी को 70 हजार और किसी को 1 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। मैं सदन के माध्यम से, सभापति महोदय, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इस योजना के अन्दर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। मैं मांग करता हूं आप इस पर ध्यान देने की कृपा करेंगे। सहकारी बैंकों में लगातार किसानों को हिस्सा राशि क्यों नहीं दी जा रही? इसका कारण बताने की मांग करता हूं, जो उपभोक्ता पहले ऋणी थे तथा जमीन के अभाव में अऋणी कर दिए गये उनकी हिस्सा राशि दिलवाने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां दो कस्बे हैं जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर नांगल राजावतान, जिसको मीना हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है। एक लवाण जो पंचायत समिति क्षेत्र में है जिस पर क्रय-विक्रय समिति नहीं होने के कारण नागरिकों को दौसा आने के लिए 30 से 35 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। मैं मांग करता हूं कि गरीब, मजदूर, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को अधिक से अधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है अतः मैं मांग करता हूं आप इन दोनों जगह सहकारी समिति खोलने की कृपा करें। अतः इस सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरी बातों पर मंत्री जी भी ध्यान देंगे, यहां पर मंत्री जी भी विराजमान हैं।

सभापति महोदय, दूसरी मैं मांग करता हूं आपके राज्य सरकार द्वारा सलाहकार समिति के सदस्य मनोनीत किये जाते हैं जिसके लिए मैं मांग करता हूं कि मनोनीत सदस्यों हेतु स्थानीय विधायक की अनुशंसा के आधार पर नियुक्त किये जावें। साथ ही क्षेत्र की आबादी अनुसार राशन की दुकानों में वृद्धि की जावे। डीलर नियुक्ति में योग्यता के साथ-साथ एससी/एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के अनुपात में भी प्राथमिकता दी जावे। प्रदेश में राशन डीलरों की लंबे अरसे से मानदेय को लेकर मांग रही है। इसको लेकर पिछले महीने 6 दिन की राशन डीलरों ने प्रदेश में हड़ताल की थी। इस दौरान डीलरों से वार्ता के दौरान अपने मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, गोदारा जी, उनसे बात हुई थी जो हमने कहीं फेसबुक या व्हाट्सएप पर मीडिया के व्हाट्सएप पर देखा। आपने उनको यह आश्वस्त किया था कि राज्य सरकार आपके पक्ष में एक रिपोर्ट तैयार कराएगी। कमेटी सदस्यों और मंत्री जी ने करीब 15 हजार उनको मानदेय देने की बात कही थी तो मैं मांग करता हूं कि राशन डीलरों को कमीशन की बजाय इनको मानदेय दिया जावे।

सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि प्रदेश के इन अल्प आय वर्ग को मानदेय दिया जावे साथ ही जो, ...(व्यवधान)... साथ ही मैं मांग करता हूं अब जो अटैचमेंट डीलरशिप यहां दी गई है उनमें जैसे कहीं 40 किलोमीटर है, कहीं 30 किलोमीटर है, जो नजदीक वाले को दी जावे, ताकि हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको ज्यादा परेशानी नहीं हो पाये। प्रदेश में राशन डीलरों की मांग को ध्यान में रखते हुए पूर्व में समानीकरण के विभाग द्वारा आदेश जारी किए

गए थे। उन पर पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वर्तमान में कहीं भी गेहूं प्राप्त करने की सुविधा उपभोक्ता को लागू है और संज्ञान में आया कि उपभोक्ता उक्त सुविधा का लाभ भी ले रहे हैं। इस समानीकरण को कब तक करवा देंगे? माननीय मंत्री जी, आप इस पर विचार करेंगे।

सभापति महोदय, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत खाद्य सामग्री पैकेट उपलब्ध कराये गये थे, जिसको आप लोगों ने यहां बंद कर दिया, जिसमें आटा, दाल, चीनी, तेल, मसाले शामिल थे। मैं मांग करता हूं कि आप इस योजना को चालू करेंगे। साथ ही प्रदेश के बीपीएल परिवार, अन्त्योदय परिवार व स्टेट अन्त्योदय परिवारों को भी चीनी, दाल, मसाले को मुफ्त उपलब्ध कराये जाने की मैं मांग करता हू।

Kas/rtm/11.03.2025/17.30/3h

सभापति महोदय, मैं आपसे एक और मांग करता हूं कि मेरे यहां पर उप चुनाव हुए थे, उप चुनाव के बाद हमारे वहां मनमानी तरीके से करीब आधा दर्जन यूरिया की दुकानों पर कार्यवाही की गई है। चुनाव में तो हारते रहते हैं, जीतते रहते हैं। कभी आप यहां बैठे हो, कभी हम वहां बैठेंगे, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी अनुचित कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: श्री ललित जी मीना।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50 सहकारिता एवं 55 खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामलात पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। मैं इस सदन के माध्यम से आप सबके बीच में यह बताना चाहता हूं कि 2013 में जब 2 अक्टूबर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा चालू हुई तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान की सीलिंग की संख्या 4, 46,61,960 थी। शहर में 53 परसेंट और ग्रामीण में 69 परसेंट की सीमा निर्धारित की हुई है। वहीं राजस्थान राज्य में स्थित 8 मार्च, 2023 के अनुसार 4,41,03,243 पात्र धारक व्यक्ति खाद्य सुरक्षा में शामिल हैं। मेरा इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि हम सब लोग मिलकर आज यहां विचार करें कि कैसे खाद्य सुरक्षा को अंतिम पायदान तक पहुंचाया जा सकता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मेरा जनजाति विधान सभा क्षेत्र है, सहरिया बहुल विधान सभा क्षेत्र है, उसमें खाद्य सुरक्षा अंत्योदय में 35 किलो गेहूं प्रत्येक परिवार को और 5 किलो अन्य चयनित परिवारों को दिया जाता है। कोरोना में जो स्टेट गवर्नमेंट ने गेहूं दिया, उसके अलावा भी हमारे प्रधान मंत्री जी ने खाद्य सुरक्षा में विशेष तौर से घोषणा की। उस दौरान मेरे विधान सभा क्षेत्र में अतिरिक्त राशन दिया गया। उसमें कई सारी चीजें, जो सामने आईं, वे मैं इस सदन के माध्यम से रखना चाहता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं सबसे पहले कहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो सहरिया क्षेत्र है, उसमें पीवीजीटी परिवार आते हैं, उन पीवीजीटी परिवारों के

लिये 10 जनवरी, 2025 से पोर्टल रेगुलर खुला हुआ है। उसी दिन मैंने सदन में यह कहा था कि मेरे यहां खाद्य सुरक्षा का पोर्टल खुला हुआ है, तब हमारे प्रतिपक्ष के भाइयों ने कहा था कि आप अच्छे से चैक कराओ, पोर्टल तो खुला ही नहीं है। लेकिन उस समय वह पोर्टल खुला और आज दिन तक सहरिया परिवारों के लिए पोर्टल खुला हुआ है। इसके बाद हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो आम जनता की डिमांड थी, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे राजस्थान में अभी 26 जनवरी, 2025 को पोर्टल खोला है, उसके माध्यम से लगभग अभी तक 6,67,000 आवेदन 7.03.2025 तक प्राप्त हुए है। अभी तक लगभग जो हमारे 13 लाख लोग राशन लेते थे खाद्य सुरक्षा का, उसको अपने आप उन्होंने छोड़ने का काम किया और उसमें सरकार का एक लाख की इनकम टैक्स देने का जो प्रावधान था, उसको रखते हुए, उन्होंने, सब लोगों ने 13 लाख ने जो छोड़ा, उससे सरकार को कम से कम 250 करोड़ रुपये का इसका फायदा हुआ। मैं माननीय मंत्री जी को और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि सरकार का भी फायदा है और हमारे जो लाभार्थी हैं, जो वंचित हैं, उन्होंने जो आवेदन किया है लगभग अभी तक हमारे यहां पर राजस्थान में जो आवेदन हुए हैं उनमें लगभग हमारे 6,67, हजार के आवेदन हुए हैं। जो गरीब परिवार हैं, जिनके अभी आवेदन होंगे, उनको इसका लाभ मिलेगा

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2011 की पापुलेशन के हिसाब से किशनगंज शाहबाद की जनसंख्या 3,06,377 है और इसके विरुद्ध 2,64,569 जनसंख्या खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जो पूरा हमारा 86.35 प्रतिशत है। यह राजस्थान में मेरी विधानसभा में जो लाभ मिल रहा है खाद्य सुरक्षा का, वह बहुत बड़ा लाभ मेरी विधानसभा को मिल रहा है। हमारे यहां सहरिया जनजाति को विशेष प्रावधान करते हुए उनको घी, तेल, दाल का प्रावधान है, वह भी उनको मिलता है। उसी की तरह हमारे खैरवा समाज को भी वहां पर घी, तेल, दाल और कथोड़ी समाज कोटडा में बसा हुआ है, पूर्ववर्ती सरकार के समय हमारी वसुन्धरा जी की सरकार थी, 2016 में उसको चालू किया। 2006 में 2 रुपये किलो गेहूं हमारे कथोड़ी समाज के लिये चालू किया और जो घी, तेल, दाल है, कथोड़ी समाज के लिये 2016 में चालू किया, तो उसका लाभ आज वर्तमान में मिल रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मंत्री महोदय को कि उन्होंने इस डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं अपडेट और नया संशोधन लाने का काम किया ताकि गरीब परिवार, जो वंचित है, आज पोर्टल खुला है, तो वे जाकर ई मित्र पर आवेदन करके अपना नाम जुड़वाने का काम कर सकते हैं।

इसके साथ-साथ, हमारे राजस्थान में जो 13 लाख लोगों ने खाद्य सुरक्षा छोड़ी है, उनको भी सदन के माध्यम से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो गरीब हैं, वास्तविकता में जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ मिलेगा। इसके साथ-साथ इस सदन के माध्यम से मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, जैसे एफसीआई से हमारा गेहूं डीलर के पास जाता है और डीलर पोस मशीन के माध्यम से वितरण करता है, तो इसमें कहीं ना कहीं 2 परसेंट की छीजत होती है, इस छीजत को हम कैसे रोकें, ताकि उसका पूरा लाभ नीचे आम उपभोक्ता तक मिले, आम

लाभार्थी तक मिले। जिस प्रकार विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, यह जो पेंशन सीधे उसके खाते में आती है, तो कहीं ना कहीं उस योजना के माध्यम से सीधा लाभ उसको मिल रहा है। आज इस खाद्य सुरक्षा में जो छीजत होती है, उस पर हम सबको बैठकर विचार करना चाहिए, क्योंकि छीजत होती है, तो डीलर के पास कम जाता है, पोस मशीन में पूरा बताता है, लेकिन छीजत की वजह से डीलर के पास कम जाता है, तो आम जनता को बड़ी दिक्कत आती है।

इसके साथ-साथ, हमारे कई सारे जो डीलर हैं, उन डीलरों के पास कम से कम 100 क्विंटल, 400-500 क्विंटल का बकाया चल रहा है और इस वजह से हम उनको अटैचमेंट करते हैं और इससे जो वर्तमान में आपकी पोस मीशन है, उसमें भी आपका गेहूं शो नहीं होता और गेहूं पूरा शो नहीं हो पाता तो लाभार्थी वहां गेहूं लेने जाता है, तो डीलर कहता है मेरे को गेहूं अलॉटमेंट नहीं है। इसमें कहीं न कहीं सरकार की नैगेटिविटी नीचे जाती है। मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि जो 100 क्विंटल से ऊपर के पूरे राजस्थान में जो डीलर हैं, उनसे हम सब सदन के माध्यम से निवेदन करें कि आम जनता के गेहूं का वितरण आम जनता तक पहुंचाएं और जिन डीलरों के 100 क्विंटल से ज्यादा बकाया है, उनको 7 दिन का शपथ पत्र लेकर या तो आम जनता का गेहूं दें या फिर वह अपना राशन अटैच कराएं। उनकी पोस मशीन में जयपुर से राशन शो किया जाये ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके।

मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभी तक वर्तमान में 2022 में 4,410 आवेदन प्राप्त हुए थे। उनमें से 1000 आवेदनों को सुरक्षा में जोड़ने का काम किया और 72 आवेदन निरस्त किये और 1482 आवेदन आज भी लंबित हैं। मेरा निवेदन है कि 26 जनवरी, 2025 तक मेरे विधान सभा क्षेत्र के 2814 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनके निस्तारण के लिए अभी जोड़ने का काम आप वर्तमान में कर रहे हैं। इसके साथ-साथ मां बाड़ी में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, वो भी खाद्य सुरक्षा का लाभ लेते हैं। अभी वो स्थाई कर्मचारी नहीं हैं, पर सरकार ने आदेश निकाल रखा है कि इनको खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिलना चाहिए। मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि मां बाड़ी के जो कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं वो स्थाई नहीं हैं, उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलता रहना चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में खैरवा, कथोड़ी में एससी, ओबीसी और जनरल के कई सारे जो हमारे भाई हैं, वे भी यह कहते हैं कि घी, तेल, दाल हमारे सहरिया समाज को मिल रहा है, तो हमको भी क्यों नहीं आपकी सरकार दिलाये।

इसके साथ-साथ जो पांच नये डीलर बनाने की हमारे मंत्री महोदय ने पहल की है, आने वाले समय में जहां पर ज्यादा राशन बाकी है, वहां भी नया डीलर बनाने का आपने प्रावधान किया।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री ललित मीना (किशनगंज): मैं एक मिनट में पूरी करूंगा।

पूरे राजस्थान में जो हमारे 27 हजार राशन डीलर हैं, मैं आपको सजेशन दूंगा कि फर्स्ट

में 30 से 50 क्विंटल तक का और 50 से 100 क्विंटल और 100 क्विंटल से 150 क्विंटल का आवंटन होना चाहिये। हम उनको 121 रुपये प्रति क्विंटल देते हैं, तो हम इसको समान कर दें, अगर समान कर देंगे तो एक डीलर के 13,870 रुपए वैसे ही हो रहे हैं।

Msk/rtm/11.03.25/1740/3j

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री ललित मीना (किशनगंज): इसमें उनकी मांग है कि हमारा 15 हजार का मानदेय है। उसमें सरकार को एक डीलर को 1130 रुपये ही एड करने पड़ेंगे। इससे हमारा डीलर भी शिक्षित होगा और आम जन को वह अच्छे से सप्लाई दे सकेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्रीमती अनीता जी जाटव।

श्रीमती अनीता जाटव (हिन्डौन): नमस्कार, माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 50- सहकारिता और 55- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। वर्ष 1964 से सहकारिता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया था। वर्ष 1987 में विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित कार्य भी संपादित किये जा रहे थे। दिनांक 21 जून, 2001 को विभाग का नाम खाद्य नागरिक आपूर्ति से उपभोक्ता मामलात विभाग किया था। मान्यवर, दोबारा खाद्य सुरक्षा के तहत पात्र लोगों के नाम जोड़ने की बार-बार घोषणा तो की जा रही है, जिसका कार्य धरातल पर दिखायी नहीं दे रहा है। मान्यवर, वर्तमान में गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपकी असत्य घोषणाओं से जनता कब तक परेशान रहेगी, कृपया करके बताने का कष्ट करें।

हमारी कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, लोगों को खाद्य सुरक्षा के तहत राशन कार्डों में जोड़ा भी गया था तथा पात्र लोगों को लाभान्वित भी किया गया था।, जिसमें हमारी सरकार ने गरीबों का चूल्हा जलाने का काम किया था। गरीबों को एक किलो तेल, एक किलो शक्कर सब कुछ देती थी और मिर्च मसाला भी देती थी, लेकिन आपकी सरकार आने के बाद वह खतम कर दिया गया। जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में हैं, वे खाद्य सुरक्षा के लाभ ले रहे थे। इससे पूर्व मंत्री रमेश मीणा जी द्वारा करोड़ों की वसूली गयी थी। लेकिन आपकी सरकार, जिसके डबल इंजन की सरकार कहते हैं, सॉरी पर्ची सरकार। सरकारी कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ दे रही है और जो वास्तविक हकदार हैं, पर्ची सरकार ने पात्र लोगों को वंचित रखा हुआ है। आपकी सरकार में गरीब जनता पिस रही है। मान्यवर, मैंने तो यहां तक सुना है कि अगर वर्तमान में चुनाव करा दिया जाये तो सिट्टी-पिट्टी गुल हो जायेगी, क्योंकि आपके विभाग के कर्मचारी, जिनमें ग्राम विकास अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम, रसद अधिकारी लोगों के नाम तक नहीं जोड़ते और सरेआम गरीबों की मेहनत का पैसा रिश्वत के माध्यम से ले रहे हैं, जो हकीकत है। इस लाभ को लेने के लिए हकदार हैं, आप

सिर्फ का सहारा लेकर जनता को कि अच्छे दिन आयेंगे, अच्छे दिन आयेंगे, यह कहते हैं। सपने दिखाये हैं। किन्तु अच्छे दिन तो बहुत दूर की बात है। यहां हर जगह बेरोजगारी, कत्ल, काले धंधे, जैसे आपके मोदी जी ने बोला था कि सभी के खाते में 15-15 लाख रुपये आयेंगे। 15 लाख तो बहुत दूर की बात है, उनके खातों में चवन्नी तक नहीं आयी है। हर साल दो करोड़ की नौकरियां देंगे। साहब, दो करोड़ कहां हैं? दो करोड़ तो बहुत दूर की बात है। कह दिया कि पकौड़े तलो और रोजी-रोटी कमाओ। पकौड़े ही तलने थे तो गरीब अपना पेट काट-काटकर बच्चों को क्यों पढ़ाते थे? क्यों पढ़ाना? ऐसे ही करेंगे तो गरीब अपने बच्चों को घर पर रखेंगे, पकौड़े तलेंगे और बेचेंगे, उससे तो ज्यादा अच्छा है।

माननीय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हिण्डौन का उठा लें। किसी के आधार से किसी को गेहूं और सामग्री वितरित कर देते हैं, जिससे गरीब को लाभ नहीं मिल पाता। आपकी सरकार आते ही हर जगह भ्रष्टाचार और बेइमानी फैल गयी है, उसकी कोई लिमिट भी नहीं है, इतनी बेइमानी फैला रखी है। और तो और, आपके पास शायद हिण्डौन के लिए बजट न पहले दिया था, न अब है। यहां की जनता के विकास के लिए लगातार दोनों बजटों में हमने मांग भी की थी। आप गुमराह क्यों कर रहे हैं? आपकी मंशा कोई लाभ देने की नहीं है। आप लोग बता दीजियेगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में समूह के माध्यम से जो महिलाएं गुजारा करती हैं, वे बहुत कम हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में महिलाएं इतनी विधवाएं हैं, उनके पालन-पोषण के लिए मैं आप लोगों से विनती करती हूं कि महिलाओं के लिए ऐसा रोजगार खोला जाये, ताकि हमारी विधवा महिलाएं वहां पर अपनी रोजी-रोटी, अपने बच्चों को पढ़ा सकें। इतना सक्षम बना सकें। मैं आपके माध्यम से, में पहले भी बता चुकी हूं। हमारे यहां पर कम से 60 से 70 प्रतिशत महिलाएं विधवा हैं, उनके लिए मैंने पहले भी कहा था कि आप महिलाओं के लिए रोजगार दें, ताकि हमारी महिलाएं दर-दर की ठोकरें न खायें और अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकें और आगे पढ़ा सकें। आपने हमें बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी।

एक बात और है। विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में राशन डीलर व अन्य जो अटैच्ड किया हुआ है, क्या सरकार रिक्त स्थानों को भरेगी? सरकार सो रही है। हमने मंत्री महोदय से कई बार बोल दिया कि, सर, हमारे काम करिये। क्या सरकार सो रही है? सरकार सो मत, जागो। मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिण्डौन में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है और कोई भी काम नहीं होते हैं। मंत्री जी, सामने बैठे हुए हैं। कृपया करके हमारी आवाज, आप हमारे विधान सभा क्षेत्र में काम करवाइये, ताकि जनता का भला हो सके। सरकार सो रही है, जनता रो रही है, डिमांड पर क्या करेंगे, क्योंकि मंत्री सो रहे हैं। जागो, मंत्री महोदय जी, जागिये। धन्यवाद, राम-रामसा, जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री छगन सिंह जी, राज पुरोहित।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हमें इससे शिकायत है कि इतनी अच्छी महिलाएं-दीदी बोल रही हैं, पर आपको बोलने का मौका नहीं देते। सिर्फ रफीक जी और टीकाराम जी, ये पांच-सात बोलते हैं, आप को कभी मौका नहीं देते।

श्री सभापति: प्लीज सदस्य, अपनी सीट पर जाकर बात करिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): प्रमाण की जरूरत नहीं है। अभी तो बोलीं, आपके सामने बोली हैं।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह जी राजपुरोहित।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मांग संख्या 50 - सहकारिता और मांग संख्या 55- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, अभी मेरे विपक्ष के साथी बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। जब गरीब के हित की बात करनी होती है तो कर तो लेते हैं, लेकिन जब उनको अवसर मिलता है, जब 2019 में इनकी सरकार बनी। इन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया, खाद्य सुरक्षा में जो नाम जुड़े हुए थे, उनको काटने का काम किया। सीधा आते ही हर सरपंच, पांच लोगों की कमेटी बनायी और सबका नाम काटा। जब हम फील्ड में घूमते थे, गांव-गांव जाते थे, गरीब लोग आते थे, तब एक ही बात कहते थे कि हमारा खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ रहा है, पोर्टल खुलवायें। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजन लाल शर्मा साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने 26 जनवरी को यह पोर्टल खोला और उनको नया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, एनएफएसए में जुड़ाने के लिए आपने लक्ष्य 6 लाख का रखा था, लेकिन 10 लाख नये यूनिट जोड़ने की घोषणा की है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार हम उचित मूल्य की दुकान पर जाते हैं, हमें वहां गेहूं मिलता है, मूंग दाल भी मिलती है, लेकिन अब की बार 5 हजार उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भण्डार खोले जाने का प्रस्ताव रखा है, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा।

mdp/rtm/11.03.25/17:50/3k

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा विषय है। सबके मन में था कि हमारे जो राशन डीलर हैं, उन सबका मानदेय बढ़ाया जाए या कमीशन बढ़ाया जाए। इस बजट में राशन डीलर का 10 प्रतिशत कमीशन वृद्धि की घोषणा की है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कई ऐसे नाम हैं, 15000 के करीब नाम होंगे, उन्हों भी जोड़ने का आप काम करेंगे। साथ ही साथ, मेरे वहां उचित मूल्य की दुकान की

आवश्यकता है। ऐसे कई गांव हैं, जैसे बागुंदा, देवगढ़, छापरिया, मूलेवा, गुढारामा, आलावासी, नबी, देवता, ऐसे कई राजस्व गांव हैं, आज भी वहां पर उचित मूल्य की दुकान नहीं है। मुझे विश्वास है कि ये उचित मूल्य की दुकान आप आवंटित करेंगे, जिससे हमारे वहां छोटे से कस्बों, गांव में रहने वाले तीन-तीन, सात-सात किलोमीटर पर राशन लेने जाते हैं। पूरा दिन उनका खराब होता है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो 7-7, 8-8 किलोमीटर की दूरी पर राशन डीलर होते हैं, उनको बहुत दुविधा होती है। जितने भी राजस्व गांव हैं, उन सभी गांवों में ऐसी उचित मूल्य की दुकान खोली जानी चाहिए, जिससे उनको ज्यादा तकलीफ न हो, क्योंकि राशन उन्हीं को मिलना है। एनएफएसए में वे ही जुड़े हुए हैं, जिनके पास में सुख-सुविधा कम है। सुख-सुविधा कम है और वे वहां जाएंगे तो पूरा दिन उनका खराब होगा। इतना समय खराब होगा तो उनकी मजदूरी भी खराब होती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान विशेषकर इस और आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रत्येक राजस्व गांव में इस प्रकार की राशन डीलर दुकान खोलें, जिससे हमारे क्षेत्र में भी इस प्रकार की समस्या नहीं आये।

दूसरा, मैं सहकारी समिति पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मंत्री जी विराजे हुए हैं। मेरे क्षेत्र में, वैसे मैं आपको बार-बार अवगत कराता हूं और आप हर विषय को लेकर गंभीर रहते हैं। आपने हर विषय पर, जब भी मांगा है आपने दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। इस बार आपने एक बहुत बड़ा काम, दोनों ने मिलकर, हमारे यहां एमएसपी रेट पर गेहूं खरीदने के लिए, जो मांग मैंने हमेशा पिछले पांच वर्षों तक कांग्रेस की सरकार में की थी, लेकिन एक बार भी उन्होंने गेहूं खरीद केंद्र नहीं खोला। इस बार दोनों मंत्री जी ने गंभीरता से लेते हुए हमारे आहोर में ये एमएसपी रेट पर गेहूं खरीदने का केंद्र खोला। इसके लिए मैं दोनों मंत्री जी का बहुत तहेदिल से धन्यवाद करना चाहूंगा।

मैं साथ ही इन्हें निवेदन भी करूंगा कि हमारे भाद्राजून में भी इस तरह का केंद्र खोला जाए, एक चांदलाई में भी खोला जाए, एक उम्मेदपुर में खोला जाये,जिससे वहां के किसानों को राहत मिले। हमारे जो नहरी क्षेत्र में गेहूं उत्पादन हुआ है, वहां पर गेहूं बेचने के समय उन्हें एमएसपी रेट पर उचित कीमत मिले। मैं आपका वह भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप दोनों मंत्री इस विषय को लेकर गंभीर हैं। इसलिए इस व्यवस्था को, क्योंकि मुझे तो सबसे बड़ा, सभी ने धन्यवाद दिया जब बजट की घोषणा हुई, उसके साथ-साथ ही आपने आदेश निकाला था और उस आदेश को देखकर हमारे किसान इतने खुश हुए थे, जब मैं बजट घोषणा को साथ में लेकर गया तो उन्होंने गेहूं वाले के लिए भी हमें धन्यवाद दिया। ये बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे ही अच्छे काम करते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि मेरे वहां तीन-चार सहकारी समितियां बनी हुई हैं, दयालपुरा, चुंडा और अजीतपुरा जो नई सोसाइटी हैं, वहां भंडारण के लिए आप आज ही बजट घोषणा में, आज ही जवाब देंगे तो मुझे विश्वास है कि इसकी घोषणा करेंगे। मुझे विश्वास है आप पर, आप इस प्रकार का काम हमेशा करते ही हैं, लेकिन आज घोषणा करके ही रहेंगे। आप सबका धन्यवाद है।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से इस संवेदनशील सरकार ने गरीब का भला कैसे हो, गरीब का कल्याण कैसे हो, जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने कोरोना की महामारी में जब लोग इधर-उधर तरस रहे थे, मजदूरी नहीं मिल रही थी 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज देने का काम किया। यह कोई छोटी बात नहीं है, 80 करोड़ पूरे भारतवर्ष में और इसी प्रकार से राजस्थान में भी यह काम किया, लेकिन माननीय हमारे विपक्ष के साथी, अच्छी बातों को यहां कहना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे? कुछ बातें, खाली राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए इधर उधर की बात करेंगे।

मैं माननीय विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा जो भी अच्छे काम होते हैं, वह हमें एक दूसरे को साझा करने चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप सब मिलकर इस संवेदनशील सरकार का साथ देंगे। मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, खूब-खूब धन्यवाद। जय हिन्द। भारत माता की जय।

श्री सभापतिः श्री विकास चौधरी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाये।

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य-सूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

विकास जी चौधरी। श्री घनश्याम जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 50 – सहकारिता व

मांग संख्या 55 – खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामलात पर विचार

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): साहब, खड़ा हो गया।

श्री सभापतिः उठ ही नहीं रहे हैं। दो-तीन बार बोल दिया। बैठे हुए हैं।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): धन्यवाद, सभापति महोदय।

तू इधर उधर की बात ना कर,
ये बता काफिला कैसे लुटा,
मेरे रहजनों से गिला तो है,
पर तेरी रहबरी का सवाल है।

ये मैंने जवाब दिया। सभापति महोदय, मांग संख्या 50 सहकारिता, मांग संख्या 55 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं पिछले चार-पांच दिन से देख रहा हूं कि जब भी मैं

खड़ा होता हूं, मेरे सत्ता पक्ष के साथी कुछ ना कुछ बात कहते हैं ताकि मैं मेरी बात और जनता की बात यहां नहीं कह पाऊं, लेकिन मैं गांव, गरीब, किसान, नौजवान की बात बखूबी उठाने आया हूं और उठाता रहूंगा।

सभापति महोदय, आज हम सहकारिता पर चर्चा कर रहे हैं। आज सहकारिता किस हालात में है? सहकारिता पर बात नहीं होती। पिछले चार-पांच दिन से लगातार हमारे हां पक्ष व ना पक्ष की 25-25,30-30 लोगों की लिस्ट रहती है,लेकिन आज मुझे लग रहा है दोनों तरफ से लिस्टें खाली हैं। हां पक्ष की खाली हैं, ना पक्ष तो पूरा भरा हुआ है। कारण क्या है? क्योंकि सहकारिता इस राजस्थान में एक आंदोलन के रूप में आया था। मुझे याद है मेरे गांव तिलोनिया में बैलों का मेला भरता था। बैलों का मेला सहकारी संघ से भरता था और इस प्रदेश का मुख्य मंत्री और प्रदेश का नेता, प्रतिपक्ष उस मेले का सहभागी बनता था, क्योंकि इस राजस्थान में सत्ता की चाबी किसी समय सहकारी तंत्र के पास थी।

आज सहकारी तंत्र बड़ा कमजोर हो गया है। सहकारिता एक विभाग नहीं, एक आंदोलन है, माननीय सभापति महोदय। आजादी से पहले कई नेताओं ने इसके लिए लड़ाई लड़ी और आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सूदखोरों से लड़ाई उस समय थी और आज भ्रष्टाचार के खिलाफ़ लड़ाई हमारे लोग लड़ रहे हैं। आज हालात क्या है सहकारिता के? कितने लोग जानते हैं सहकारिता को? विधान सभा में हम चुन कर आये हैं, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को इस विषय की नॉलेज है।

आदरणीय सभापति महोदय, सहकारिता किसानों की आत्मा थी, सहकारिता किसानों की जान थी, लेकिन आज भ्रष्टाचार की भेंट यह विभाग चढ़ चुका है। राजस्थान सहकारिता आंदोलन में पूरे देश में अव्वल रहा है। 'एक सब के लिए और सब एक के लिए' यह नारा था। आज उस नारे की क्या स्थिति है, आप और हम से छिपी हुई नहीं है। मैं चार पांच विषय, जो इस विभाग के हैं, उन पर बात करना चाहता हूं, दुग्ध उत्पादन, सहकारी संघ, होलसेल भंडार, को-ऑपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक, क्रय विक्रय सहकारी संघ। क्रय विक्रय सहकारी संघ में किसानों की एमएसपी पर फसलों की खरीद होती थी। आपने सत्ता में आने के पूर्व कहा था कि हम बाजरे को एमएसपी पर खरीदेंगे, लेकिन आपके वादे और भाषण-घोषणाओं में बड़ा अंतर है।

आज किसान जब क्रय विक्रय सहकारी संघों में अपना धान लेकर जाता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसकी एक भी बोरी,एक क्विंटल, बिना पैसे दिए वहां से खरीद नहीं होती। बड़ी दयनीय स्थिति है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की अराई में तो, वहा न टिनशेड है, किसी एक ठेकेदार को मैंने रिक्वेस्ट किया कि कम से कम हमारा धान नीचे तो नहीं गिरे उसे डामर करवाइये। हमारे सहकार की ये स्थिति है। किसान की फसल का ऋण नहीं होता। केवल बड़े लोगों को फायदा दिया जा रहा है। प्रदेश में बाजरे की क्या स्थिति है? आप और हम से छिपी हुई नहीं है? भूमि विकास बैंक का नाम था। उस समय अकृषि कार्य के लिए भी यहां मदद की जाती थी। उस समय राजस्थान में किसी को ट्रैक्टर लेना होता तो भूमि

विकास बैंक का मुंह देखते थे, लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है? केवल वह दलालों की भेंट चढ़ चुका है। एक कमरे में उस प्रकार का कार्य वहां चलता है। होलसेल भंडारों में दवाइयां, सामग्री, हर तरीके की सहायता किसान भाइयों को होती थी, लेकिन महंगाई के इस युग में आज किसान का चूल्हा जलाना भी दूभर हो गया है। पशुधन किसान का बड़ा सहारा था और सहकारी संघ इसमें बड़ा मददगार होता था, लेकिन आज किस दौर से गुजर रहा है। मंत्री जी का इस ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सहकारी संघ तो एक मृतप्राय: बन चुका है। किसानों में चेतना पैदा की जाती थी। मेले लगते थे, जो मेलों की बात मैं कर रहा था, लेकिन आज सहकारी संघ की स्थिति बड़ी दयनीय है।

Ans/rtm 18.00 3l 11.03.2025

ग्रामीण सहकारी समितियों में आम तौर पर बड़े या मध्यम वर्ग के किसान अधिक सक्रिय होते हैं जबकि छोटे और सीमांत किसान इससे दूर रहते हैं। इससे छोटे किसानों को ऋण व अन्य सुविधाओं का समान लाभ नहीं मिल पाता है। छोटे किसानों को संरक्षण देने की जरूरत है, ताकि वह भी समान रूप से इन चीजों से लाभान्वित हो सके। जिलों में सहकारी बैंक ग्रामीण वित्तीय प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन वह कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन बैंको के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। ऋण वितरण में अनियमितताएं पाई जाती हैं तथा लोन रिकवरी की प्रक्रिया बेहद धीमी है, जिससे बैंको का एनपीए बढ़ता जा रहा। जिला स्तर की सहकारी समितियों और सहकारी बैंक अक्सर राजनीतिक दबाव में ...(व्यवधान)... 2 मिनट तो मेरे पहले ही खराब कर दिये आपने। आप बोलने दीजिए।

श्री सभापति: आपके पास सात मिनट हैं।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): समितियों के चयन में निष्पक्षता होनी चाहिए। योग्य नेतृत्व का अभाव रहता है, अनावश्यक नियम सरकारी हस्तक्षेप समितियों की स्वायत्तता को प्रभावित करता है। सभापति महोदय यह अख़बारों की कटिंग बता रही है, 24 करोड़ की फ़सलें डकार गए 37 अफसर। घोटला सात साल चला और इनाम में इनको पोस्टिंग मिली है, यह प्रतिष्ठित अख़बारों की ख़बरें हैं। अपनी साख और ग्रामीणों का भरोसा तोड़ रही है मिनी बैंक घोटाले। सहकारी समितियों में पारदर्शी प्रबंधन को लेकर कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण और सुरक्षित रोजगार के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है सीसीबी, लेकिन इस प्रकार की कोई व्यवस्था यहां नहीं है।

मैं मांग संख्या 50- खाद्य और नागरिक आपूर्ति पर आना चाहता हूं। खाद्य सुरक्षा को लेकर जो कुठाराघात राजस्थान की जनता के साथ किया जा रहा है, वह बड़ी ही दयनीय स्थिति है। आने वाले समय में हम नौजवान पीढ़ी को नहीं बचा सकते। 75 साल बाद भी अगर आज हम हमारे नौजवानों को खाद्य सुरक्षा नहीं दे सकते, तो इससे बड़ी विडंबना आप और हमारे लिए कोई और हो नहीं सकती।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि राशन की दुकानें हैं, उनमें राजनीति हो रही है। डीलर लगातार जनता के साथ भेदभाव कर रहे हैं, कुठाराघात कर रहे हैं। स्कूलों व आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के बहुत बुरे हाल हैं, उनको पोषणयुक्त खाना नहीं मिल रहा है, बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। राजस्थान में 10 से ज्यादा ज़िलों में कुपोषण से बच्चे प्रभावित हैं, पाउडर का दूध बच्चे पी रहे हैं। रसोई गैस, उपभोक्ता उपकरणों की जांच पांच वर्ष में एक बार करने का प्रावधान हैं, वह करना चाहिए। जांच सही तरीके से नहीं होती, महंगी होने की वजह से उपभोक्ता बचते हैं और इसके लिए सशक्त उपाय करने चाहिए।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): एक मिनट तो दीजिए, महाराज। उपकरण खराब होने से लगातार कई तरह की विसंगतियां आ रही है। ...(व्यवधान)... मैं पोज़िटिव ही बोल रहा हूं ना, बॉस।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य आपको बोलने नहीं दे रहे। आप अपनी बात रखिये।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): राजस्थान में श्रम सहकारी समितियां श्रमिकों को रोजगार देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वह कई समस्याओं का सामना कर रही हैं। इन समितियों के पास स्थायी काम अथवा योजना नहीं है। सरकारी ठेके अक्सर निजी कंपनियों को मिल रहे हैं, जिससे राज्य में श्रम सहकारी समितियां लगातार कमजोर होती जा रही है।

श्री सभापतिः श्री कालूराम जी।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): बस एक। गांव में आज है सहकार की दरकार, सब मिल जुल कर ठान ले..

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा। आप बोलिये।

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 50 और 55 पर आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय और आपके मार्गदर्शन से एवं आपके नेतृत्व में सरकार की किसानों, आम जनता के हित में, वर्तमान बजट की विभिन्न घोषणाओं के लिए मैं बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ।

माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने प्रदेश के सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने हेतु, प्रदेश के कृषिगत विकास को प्रोत्साहन की दृष्टि से भूमि सुधार हेतु दीर्घकालीन ऋण वितरण कर, गत वर्ष से 50 करोड़ से बढ़ाकर दोगुना करते हुए 100 करोड़ करने का निर्णय लिया है। जिस प्रकार पूर्ववर्ती हमारी सरकार ने 2014 में किसानों एवं प्रदेश में कृषिगत विकास को ध्यान में रखते हुए, दूरगामी सोच के साथ भूमि विकास बैंकों, सहकारी के माध्यम से वितरित किए जाने वाले दीर्घकालीन ऋणों का, किसानों को ब्याज दर 5 प्रतिशत योजना लागू की थी। अब 5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत और अतिरिक्त बढ़ोतरी करते हुए, किसानों को अब 7 प्रतिशत ब्याज दर में फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में भूमि विकास बैंक के माध्यम से किसानों और लघु

उद्यमियों को लाभान्वित करने हेतु हमारी सरकार द्वारा लिए गए निर्णय ऐतिहासिक हैं। वर्तमान में भूमि विकास बैंक की हमको वित्तीय क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। इसमें हम किसान कार्ड भी अगर सम्मिलित कर देते हैं तो किसान को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मैं यह भी ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमारी सरकार हाल ही में किसानों के हित में निर्णय लेकर, भूमि विकास बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वसूली के लिए किसानों की भूमि, पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में कुर्की की गई, इसको हमारी सरकार द्वारा रोका गया, यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। माननीय सभापति महोदय, आपको कहना चाहता हूँ।

यह धरती है उस किसान की जो मिट्टी को पुकारती है, जो मिट्टी के संग साथ थे, तप कर, गल कर, जी कर मर कर, खपा रहा है जीवन अपना, देख रहा है यह मिट्टी में सोना अपना, यह धरती है उस किसान की, यह धरती है भगवान की।

माननीय सभापति महोदय, हमारे भूमि विकास और सहकारी के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार के सराहनीय कदम के अभाव व अवधि पार किसानों, सराहनीय कदम के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, बाकी जो अवधि पार किसान हैं, उसको राहत देने के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय, यह योजना पहले भी चलती रही है। मार्च से जून-जुलाई तक, अगर हम एकमुश्त समझौता योजना लागू करेंगे तो कई किसान ऐसे हैं जिन पर ब्याज चढ़ रहा है, ब्याज के नीचे दब रहे हैं, अगर एकमुश्त समझौता योजना करेंगे, तो काफी पैसा बैंक के खाते में जमा होगा। आप इस योजना को लाने की कृपा करें, ताकि इससे हमारे क्षेत्र में काफी किसानों को फायदा मिलेगा।

हमारी सरकार द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आगामी दो वर्षों में 2 हजार 500 जीएसएस की स्थापना करने की घोषणा की है। कई जीएसएस जो बाकी रहे हैं, कई ग्राम पंचायत में जीएसएस नहीं बने हैं, वहां भी नए जीएसएस बनने की संभावना है। हमारी केंद्र की सरकार, सम्माननीय मोदी जी ने अन्न भंडार के लिए पिछले बजट में घोषणा करी थी, वहां शहरी क्षेत्र में जो बड़ी-बड़ी ग्राम पंचायतें हैं वहां पर 25- 25 लाख का अन्न भंडार बन रहा है। अभी दो दिन पहले ही मैं दो अन्न भंडार का भूमि पूजन करके आया हूं। अन्न भंडार की क्षमता और बढ़ाई जाए। हमें किसानों के लिए अनाज रखने के लिए गोदाम बनाने की भी आवश्यकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मंडी, डग और चोमेला में अगर हम सहकारिता के माध्यम से गोदाम बनाते हैं तो किसान अपना माल अगर समय पर नहीं बेच सकता है, उसके पास रखने की क्षमता नहीं है, अगर हम यह गोदाम बनाते हैं तो उस गोदाम के माध्यम से हमारा किसान उस माल को रख सकेगा। भंडार भंडारण क्षमता को विकसित करना हमारी सरकार का ध्येय है।

क्रय-विक्रय सहकारी संघों की स्थापना की जाएगी। किसानों को और अधिक संबल देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर हमारी सरकार ने 5 लाख रूपये की है, यह बहुत ही सराहनीय है। सहकारिता का प्रारंभ शोषण मुक्त समाज की स्थापना व

आर्थिक उत्थान के लिए हुआ है। हमारे भारतवर्ष में सहकारिता वैदिक काल से ही विद्यमान है। ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त परिवार व साझे की खेती का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

मेरी सरकार से कुछ मांग है। हमारे राज्य में त्रिस्तरीय सहकारी ढांचा कार्यरत हैं, लेकिन समय के साथ काम नहीं करने के फलस्वरूप गतिमान रहकर अपनी धार कमजोर होती जा रही है, सरकार की तरफ से सहकारिता को मजबूती प्रदान करने के लिए सार्थक कदम उठाना चाहिए। केंद्रीय सरकारी बैंको के स्वीकृति स्टाफ और सेंटर के विरुद्ध आधे से भी कम स्टाफ कार्यरत है, तो हमें स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है। हमारे क्षेत्र में जो समितियां हैं, उन व्यवस्थापकों के लिए जिला स्तरीय कैडर गठित करने की घोषणा पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे द्वारा की गई थी।

VPS-RTM-11.03.2025-18.10-3m

जिस पर भी गत सरकार के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप इस पर संज्ञान लेकर इस पर कुछ कार्यवाही करें।

हमारी सरकार सहकारिता के माध्यम से सामाजिक कल्याण हेतु बीमा योजना चलाती है। जीवन बीमा सुरक्षा योजना, पिछली सरकार ने कई बार इस योजना के माध्यम से बीमा नहीं किया और बीमा नहीं करने के कारण किसानों को जो दस लाख रुपये एक्सीडेंट में मिलता था, उस पैसे से कई किसान वंचित रह गये। हमारी सरकार द्वारा बीमा करके लगातार किसानों फायदा मिल रहा है और कोई भी किसान की अगर एक्सीडेंट में जान चली जाती है तो उसको दस लाख रुपये मिलते हैं और अगर सामान्य मृत्यु होती है तो उसका जितना ऋण है, वह माफ किया जाता है, तो यह आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है।

अब मैं थोड़ा मांग संख्या 55 पर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने यह बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और मैं यह धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जो काम खाद्य सुरक्षा में किया है, यह बहुत ही सराहनीय काम है। आगे भी इसी प्रकार से हमारी सरकार यह काम करती रहेगी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, वेल में से नहीं जाये। हमेशा इस घेरे के अन्दर कभी भी नहीं आना चाहिए क्योंकि जिसको भी इधर आना है तो इधर से होकर वेल में जाएं।

श्री कालूराम (डग): जिस प्रकार से हमारी सरकार ने, हमारे प्रधान मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति गैस की सब्सिडी छोड़ेगा, ऐसे लाखों-करोड़ों लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ दी है, इसी प्रकार हमारे मुख्य मंत्रीजी और हमारे मंत्रीजी ने यह आह्वान किया है कि जो लोग बड़े सक्षम लोग हैं, वे हमारी खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटायें।

माननीय सभापति महोदय, अभी तक 13 लाख लोगों ने नाम हटा लिये हैं अपनी स्वेच्छा से। 13 लाख लोगों ने अपने नाम हटा लिये हैं और उनका लक्ष्य है कि करीब 25 लाख लोग नाम हटाएंगे, उनकी स्वेच्छा से, जो दो पहिया वाहन वाले हैं, जिसके पास जमीन है, इसमें गरीब लोगों को फायदा मिलेगा। हमारी सरकार ने यह पोर्टल खोलकर किसानों और आम

गरीब आदमी का नाम जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। पिछले पांच साल में इन्होंने यह कहा था कि हम दो लाख नये नाम जोड़ेंगे, करीब दो लाख परिवारों को जोड़ेंगे बाकी अभी तक, पिछले इन्होंने पांच साल में एक नाम नहीं जोड़ा और हमारी सरकार के बनते ही खाद्य सुरक्षा में माननीय मंत्री महोदय का बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने का काम चल रहा है, उसके माध्यम से हजारों किसानों को इसका फायदा मिलेगा।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ राशन डीलरों की यह मांग है, वह राशन डीलर यह कहता है कि हमारा भत्ता बढ़ाया जाये, तो कुछ उस पर भी आप विचार करें और यह जो पोस मशीन द्वारा जो इनके भुगतान की राशि है, उसमें भी आपकी वृद्धि होगी, भारत सरकार से बजट समय-समय पर उपलब्ध होगा। राशन डीलरों की जायज मांग है, उसको हमारी सरकार पूरा करेगी। जिस प्रकार से गुजरात राज्य की तर्ज पर राजस्थान में भी नियम करने के ऊपर सरकार विचार कर रही है। अंत्योदय योजना में बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल. एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित राशन-कार्डों का 500 एवं 2000 यूनिट मापदंड निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसे बहुत जिले हैं जिनमें निर्धारित मापदंड से ज्यादा यूनिट की उचित मूल्यों की दुकानें चल रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मंत्री महोदय ने अभी दुकानें खोली हैं नई-नई, पांच-पांच डिपो तो अभी खोल दिये हैं, आगे भी और डिपो हमारी सरकार खोलने जा रही है। प्रदेशभर में जो खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत तय सीमा को बढ़ावा दिया जाये जिससे अन्य को भी लाभ मिल सके। 2011 तक के तय सीमा का नवीनीकरण हुआ पर जिसका नवीनीकरण नहीं हुआ, उसका भी नवीनीकरण करवाया जाये। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री कालूराम (डग): काफी दुकानें अटैचमेंट में चल रही हैं तो, माननीय मंत्री महोदय, इस अटैचमेंट को खतम किया जाये और कई व्यवस्थापक है सहकारिता के, वे भी दुकानें चलाते हैं, तो इन सबकी दुकानें खतम करके वहां पर नये डीलर्स की भर्ती की जाये ताकि एक गरीब आदमी को रोजगार मिलेगा और अटैचमेंट भी हटाया जाये। जिनके ऊपर गेहूं का सौ-सौ, दो-दो सौ, तीन-तीन सौ क्विंटल का घपला है, गड़बड़ है, उसको भी आप देखें।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री कालूराम (डग): वहां पर नये डीलर्स स्थापित किये जाये ताकि गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिले। आपने बोलना का मौका दिया, माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री घनश्यामजी।

सूचना

लालसोट में नवजात भ्रूण का कुत्ते द्वारा भक्षण

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, मेरा एक पाइंट ऑफ

इन्फार्मेशन है। अभी एक बहुत ही मार्मिक मामला सामने आया है, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, मैं सदन की निगाह में लाना चाहूंगा कि महिला चिकित्सालय, लालसोट के अन्दर नवजात, ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कहां पर?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): लालसोटा, दौसा में। वहां पर नवजात बच्चे का भ्रूण मिला है। कुत्ता उसको खा रहा था। यह स्थिति है, तो इसकी आप जांच करायें। अभी डी.डी. बैरवाजी, हमारे विधायक साहब के पास यह इन्फॉर्मेशन आयी है। सरकार इसमें तुरंत संज्ञान ले।

श्री सभापति: श्री घनश्यामजी। एक मिनट।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने जो जानकारी दी है, हम उसकी तुरंत जांच करवाएंगे और सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देंगे कि इसकी पूरी जांच करें और इस सम्बन्ध में जो भी उचित कार्यवाही होगी, वह तुरंत प्रभाव से करने का प्रयास करेंगे।

श्री दीन दयाल (दौसा): धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री घनश्यामजी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 50- सहकारिता एवं

मांग संख्या 55- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पर विचार

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 50-सहकारिता, मांग संख्या 55- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 55 पर पहले बात रखना चाहूंगा। पूरे देश में खाद्य सामग्री में मिलावट की समस्या बनी हुई है और कुछ महीने पहले तिरुपति बालाजी मन्दिर में चर्बीयुक्त मिलावटी घी का मामला सामने आया था। राजस्थान भी खाद्य सामग्री की मिलावट से अछूता नहीं है। होली-दीपावली को सरकार द्वारा विशेष टीम गठित कर मिठाइयों एवं सैम्पलों को लेकर खाना-पूर्ति कर ली जाती है।

माननीय सभापति महोदय, यह जीवन से जुड़ा हुआ मामला है और जब हम खाद्य सामग्री या दूषित चीजें उपयोग में लेंगे तो इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होंगी। जैसे- कैंसर है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो प्रदेश में आज फैल रही हैं, उसका मुख्य कारण है मिलावटी सामग्री। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि आये दिन इस तरह की शिकायतें प्रदेश में आती रहती हैं। आज ही समाचार-पत्रों में यह आया है कि बेसन में मिलावट बाजरे से हो रही है। बाजारा मिलाकर बेसन बनाया जा रहा है और वह 78 रुपये किलो इसको बेचा जा रहा है और कट्टे पर यह लिखा है कि सौ साल की गारंटी। यह सौ साल का विश्वास, तो इस तरह से कितना बड़ा धोखा इस प्रदेश की जनता को मिल रहा है?

मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि सरकार को इस मामले पर बहुत गम्भीर होना चाहिए और इस तरह के मिलावटी मामलों में सरकार को पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में ई-के.वाई.सी. के नाम पर भी उपभोक्ताओं को राशन से वंचित किया जा रहा है जबकि पोस मशीनों में दस साल से छोटे बच्चे और सत्तर साल से अधिक उम्र के लोगों का बायोमेट्रिक सत्यापन होने में कठिनाई आती है। आपकी सरकार यह कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम पैकेट दे रहे हैं। आप दस साल से छोटों को दे नहीं रहे हैं और सत्तर साल से ऊपर के लोगों का बायोमेट्रिक सत्यापन हो नहीं रहा है तो यह किस तरह के असत्य आकड़े जनता के सामने रख रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, इस मामले में भी आपको इस बायोमेट्रिक मशीन की जांच करनी चाहिए।

इसी तरह से अंत्योदय राशन कार्ड वालों को पहले हम चीनी उपलब्ध करवाते थे और वह सरकार ने अब चीनी देना बंद कर दिया है तो ...(व्यवधान)... गरीब आदमियों के कहां शुगर हो रही है? शुगर तो ऐसे लोगों के हो रही है जो आरामदायक जिंदगी जीते हैं। गांवों में कहां शुगर की बात कर रहे हो आप?

श्री सभापति: आपस में बात नहीं करें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): तो चीनी की जो व्यवस्था है इसको चालू करवाया जाये। माननीय सभापति महोदय, सहकारिता किसान, श्रमिकों और आम नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण के मामले में लाभ पहुंचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है जबकि वर्ष 2025 अंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सहकारी बैंकों में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन चरम पर है। राजस्थान में सहकारी बैंक और ऋण समितियों के हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं। किसानों को समय पर कर्ज नहीं मिल पा रहा है लेकिन उद्योगपति और प्रभावशाली लोगों को मनमाने ढंग से ऋण दिये जा रहे हैं। कई मामलों में सहकारी बैंकों में घोटाले और प्रबंधन का राजनीतिक हस्तक्षेप सामने भी आया है।

माननीय सभापति महोदय, सहकारी बैंकों की और ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आज यह हालत हो गयी है प्रदेश में कि वह बिलकुल मरणोपरांत आ गयी है। आज जो भ्रष्टाचार उनमें हो रहा है और उनकी स्थिति जो पैदा हुई है, मैं खुद भी सहकारी विभाग से जुड़ा हुआ रहा हूं, तो इन पर हमको पूरी तरह से अंकुश लगाना चाहिए सरकार को और दस-दस, पांच-पांच साल हो जाते हैं ऑडिट किये हुए तो इनकी हर वर्ष ऑडिट होनी चाहिए और ऑडिट के साथ-साथ सरकार को एक कमेटी भी बनानी चाहिए। हर जिले में, हर सहकारी बैंक के ऊपर एक कमेटी होनी चाहिए और कमेटी में वहां के लोकल जन-प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाये। कौन-कौनसी सोसाइटीज हैं? अब ग्राम सेवा सहकारी समिति, मार्केटिंग सोसाइटी है, भूमि विकास बैंक है, को-ऑपरेटिव बैंक है और इन बैंकों में कितने घपले हो रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

Ssy/Rtm/11.03.25/18.20/3n

सरकार में मंत्री जी हैं पर मंत्री जी कहां तक निचले स्तर पर काम करेंगे। जिले में आपको एक कमेटी का गठन करना चाहिए और वह कमेटी टाइम टू टाइम उनकी ऑडिट कराये। ऑडिट से यह पता लगेगा कि कितने घोटाले इन बैंकों में और इन संस्थाओं में हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, सहकारी बैंकों में हुए ऋण घोटालों में बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं, इनमें कई उच्च अधिकारी भी सम्मिलित रहे हैं। बजट में भी कुछ नहीं दिया गया। केवल 8 जिलों में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की स्थापना करने की घोषणा की है तथा आगामी 2 वर्षों में 2500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना करने की घोषणा की गई है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के मापदंड इतने कठिन व पेचीदे हैं कि इन मापदंडों के आधार पर 2 वर्ष में 2500 ग्राम पंचायतों का किसी प्रकार से संभव नहीं है। हालांकि सरकार ने नए जीएसएस गठन की न्यूनतम सदस्य संख्या 300 रखी है, 300 के स्थान पर 150 एवं न्यूनतम हिस्सा राशि 3 लाख से डेढ़ लाख कर दी है, लेकिन यह भी ज्यादा है, इसमें भी इन मापदंडों में शिथिलता दी जानी चाहिए।

दूसरी ओर नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन में जीएसएस में बंटवारा होगा, वह पुरानी जीएसएस बंटवारा चाहती नहीं है, इन समितियों का प्रस्ताव जरूरी है, इस प्रस्ताव की आवश्यकता को बंद किया जाना चाहिए। नवीन जीएसएस गठन में पुरानी जीएसएस समाप्त करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, जो ग्राम सेवा सहकारी समिति हम बनाएंगे, तो कितनी ग्राम पंचायतों का और पुनर्गठन हो रहा है? हर पंचायत हेडक्वार्टर पर हमको ग्राम सेवा सहकारी समिति बनानी है, तो ग्राम सेवा सहकारी समिति पहले तो ग्राम पंचायतों को और इसमें परमिशन लेनी पड़ती है नाबार्ड से, विश्व बैंक से, डायरेक्ट तो होती नहीं, तो इनके आधार पर हमको शिथिलता बरतनी चाहिए। जब ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समिति होगी तो लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा। उसके जो ऋण के मापदंड हैं उनको बढ़ाना चाहिए, 50 हजार का आपने न्यूनतम रखा है, तो 50 हजार से क्या होता है? किसान की जमीन अपन गिरवी रख लेते है, वह दूसरी जगह से ऋण नहीं ले पाता है। तो बहुत सारे इस तरह के जो पुराने नियम हैं उनमें सरकार को शिथिलता बरतनी चाहिए और 50 हजार के बजाय किसान को 2 या ढाई लाख रुपये देने का प्रावधान ऋण का रखना चाहिए।

(समय: बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से 1 हजार मैट्रिक टन के गोदामों की सख्त आवश्यकता है। हर ब्लॉक स्तर पर 1 हजार मैट्रिक टन का एक गोदाम होना चाहिए और गोदाम में जो हम किसानों को परेशानी आती है खाद की है, डीएपी है, यूरिया है, जब मौके

पर होता है तो उसकी बहुत कालाबाजारी होती है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास पैसा नहीं होता तो वह खाद नहीं खरीद पाती है, तो वह फिर बाजार में व्यापारियों से लेने पर मजबूर होता है, और उसमें किस तरह का खाद मिलता है, कितनी परेशानियां होती है, इस साल किसानों को खाद के बदले डंडे मिले बाजारों में और उनकी पिटाई हुई, तो यह बहुत दुर्भाग्य की बात है।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपये के अलग से उनको ऋण देना चाहिए। इसी तरह से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सवाई माधोपुर कोऑपरेटिव बैंक और जैसे दोसा, जो हमारे उसमें आता है, इसके अंतर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रत्यक्ष देखता हूं, आपातकालीन लोन के केवल समायोजन किये जाते हैं, जबकि 25 प्रतिशत राशि बढ़ाने का प्रावधान है, यह भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। हर साल उसी राशि का समायोजन व्यवस्थापक कर देते हैं और उसका ब्याज तो हम लेते नहीं, उसी पैसे को आवागमन रिकार्ड में और कागजों में दिखा देते हैं, ना 1 रुपया किसी को मिलता है ना 1 रुपया किसी को देना है। इस तरह की जो व्यवस्था है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

इसी के साथ-साथ मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि सहकारी संस्थाओं में आरजीएचएस योजनाओं के अंतर्गत करोड़ों रुपये का बकाया चल रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की टोडाभीम, नादौती, टोड़ाभीम में 92 लाख रुपया और नादौती में 15 लाख रुपया बकाया है। अकेले करौली जिले में सहकारी संस्थाओं के करीब 5 करोड़ रुपये बकाया चल रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि जब 5-5 करोड़ रुपये आरजीएचएस के बकाया चल रहे थे, इस पैसे को भी इनको दिलाने की कृपा करें। इसी के साथ-साथ एमएस की खरीद में भी ट्रांसपोर्टेशन का किराया समय पर नहीं दिया गया है। यह भी पैसा, माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि उनका बकाया दिलवाया जाये और आने वाले समय में खरीद हमारे टोडाभीम में, नादौती में खुलवाया जाये, पिछली साल हम नहीं खोल पाए, ना किसानों की खरीद हुई।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृषकों के लिए खाद जो सहकारी संस्थाओं में बिकता था, इसको आपने निजी दुकानदारों को देना शुरू कर दिया है, इसको निजी दुकानदारों को नहीं देकर ग्राम सेवा सहकारी समितियों को दिया जाए, अगर हम ग्राम सेवा सहकारी समितियों को देंगे तो किसान को आसानी से उपलब्ध होगा, क्योंकि वह सदस्य रहता है ग्राम सेवा सहकारी समिति का, तो उसके अनुरूप उसको दो कट्टे, चार कट्टे मिलेंगे तो सही।

श्री सभापति: श्री रेवन्तराम।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अगर बाजार से खरीदेगा तो उसमें बहुत कालाबाजारी होती है। किसानों को बहुत परेशानी होती है।

श्री सभापति: श्री रेवन्तराम।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री हरलाल सहारण। रेवन्तराम जी, बोलो।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): राम राम सा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50 सहकारिता एवं मांग संख्या 55 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सहकारिता मतलब मिलकर काम करना, एक सब के लिए और सब एक के लिए। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने देश में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए 2021 में केंद्र सरकार में नया सहकारिता मंत्रालय बनाया और उस विभाग की जिम्मेदारी आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को सौंपी, जिन्होंने सहकार से समृद्धि का नारा देकर सहकारी संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने का काम किया।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी को जिन्होंने इस बजट में अगले दो वर्षों में प्रदेश में 2500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करने की घोषणा की। इस घोषणा को धरातल पर कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए हमारे मुख्य मंत्री आदरणीय श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री गोतम दक जी ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मजबूत करने और सहकार से समृद्धि के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के नियमों का सरलीकरण किया। अब न्यूनतम सदस्य संख्या 300 से घटा कर 150 और हिस्सा राशि 3 लाख से घटा कर डेढ़ लाख कर दी गई, जिससे छोटे गांव में सहकारी समितियों का गठन हो सकेगा, जिससे किसानों को लाभ होगा। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए नए गोदामों के निर्माण कराए जाने की घोषणा से निश्चित रूप से किसानों का लाभ होगा।।

माननीय सभापति महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार ने साख सीमा तय करने के नाम पर किसानों को दिए जाने वाले अल्पकालीन फसली ऋण की राशि में भारी कमी कर दी, जिन किसानों को पहले 1 लाख से 3 लाख तक का ऋण दिया जाता था, उसको इनकी सरकार के समय 25 हजार से 80 हजार तक कर दिया था, और भी किस्तों में। मेरा सरकार से निवेदन है कि अल्पकालीन फसली ऋण की साख सीमा बढ़ाई जाए जिससे किसानों को खाद, बीज खरीदने के लिए पूरा पैसा मिल सके, सेठ साहूकारों से ब्याज पर पैसा नहीं लेना पड़े। किसानों को समय पर फसली ऋण नहीं मिलने की लगातार शिकायतें आती रहती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि सभी सोसाइटियों के सदस्य किसानों को समय पर फसली ऋण मिले और अगर कहीं पर भी फसली ऋण वितरण में देरी होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी उस समिति के अध्यक्ष और व्यवस्थापक की हो।

हमारी सरकार ने बजट में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करने की घोषणा की है, मेरी सरकार से मांग है कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तो ग्राम सेवा सहकारी समिति है ही और राजस्व गांवों में भी सोसाइटी का गठन किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा।

एक मेरा यह भी निवेदन है कि फसल खराबा हो जाने पर गैर बीमित किसानों को राज्य आपदा मोचन निधि, एसडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि, एनडीआरएफ से बोई गई फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा होने पर आदान अनुदान किया जाता है, लेकिन अभी जो अनुदान दिया जाता है वह बहुत कम है, सिंचित क्षेत्र के किसानों को 13,600 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से और गैर सिंचित क्षेत्र के किसानों को इसका आधा यानी 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान मिलता है। अनुदान से ज्यादा तो किसान का खर्चा हो जाता है तो उसको मजबूरी में अपना घर चलाने और दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार से कर्ज लेना पड़ता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि अनुदान की राशि को बढ़ाया जाए, सिंचित क्षेत्र के लिए कम से कम 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और गैर सिंचित सेक्टर के लिए कम से कम 15 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर किया जाये।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अभी फसल खराबे पर फसल कटाई की गणना इकाई पटवार हल्का है। कई जगह एक पटवार हलके में दो या इससे ज्यादा ग्राम पंचायतें भी हैं और किसी एक ग्राम पंचायत में फसल खराबा ज्यादा हो जाता है और दूसरे में बिलकुल नहीं होता है, ऐसी स्थिति में गणना की इकाई पटवार हल्का होने के कारण किसानों को फसल खराबे का क्लेम नहीं मिल पाता है।

spp/rtm/11.03.2025/1830/3o

इसलिए मेरी सरकार से मांग है फसल बीमा योजना में फसल खराबा की गणना की इकाई पटवार हलका की जगह ग्राम को इकाई मानकर बनाया जाए तो किसानों के हित में रहेगा। कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, लेकिन एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जिले को जितने लक्ष्य दिए जाते हैं, उससे ज्यादा आवेदन आते हैं, ऐसी स्थिति में बहुत से किसान अनुदान प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलने वाले अनुदान के लक्ष्यों को बढ़ाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र खींवसर की सहकारिता विभाग की मांगों पर माननीय सहकारिता मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। खींवसर विधान सभा क्षेत्र में 50 ग्राम सेवा सहकारी समितियां संचालित हैं, जिनमें से आठ सहकारी समितियां बुन्देल, माडपुरा, पापासनी, पाबूसर, खड़काली, कडवासरों की ढाणी, करलू, पालड़ी 14 किराये के भवन में चल रही हैं। मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी से इनके कार्यालय भवन बनवाने की मांग करता हूं। कुल 50 समितियों में से 14 समितियों के गोदाम भी नहीं बने हुए हैं। भदौरा, बुनारावता में भूमि उपलब्ध है, वहां गोदाम बनाए जाएं और कडवासरों की

ढाणी, माडपुरा, ढिंगसरा, डेरू, पापासनी, गाजू, करलू, पाडली, जोधागोलू, खड़काली समिति के गोदाम के लिए भूमि चिह्नित करवाई जाकर आवंटन कार्रवाई की जाये, जिससे उनके भी गोदाम बन सकें। कई सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के पद रिक्त चल रहे हैं, उनको भरा जाए, जिससे समय पर किसानों को फसली ऋण जारी हो सके। सोसाइटी सदस्यों का फसल बीमा हो सके, लोन जमा हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की मांग संख्या 55 पर अपने विचार रखूंगा। कोरोना काल में जब लोग घरों में कैद थे और रोज़ कमाकर खाने वाले गरीब लोगों के साथ निम्न आय वर्ग के लोगों को दो वक्त की रोटी मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू की। इस योजना से देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज, दालें और अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। प्रधान मंत्री जी ने देश के गरीब परिवारों को खास सुरक्षा की गारंटी देते हुए इस योजना को 2024 में फिर से बढ़ाकर 2029 तक कर दिया। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा। 26 जनवरी, 2025 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल को खोल दिया गया है, जिससे प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। पिछले दो तीन साल से पोर्टल बंद था, पर हमारी सरकार ने गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए पोर्टल खोला है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी व आदरणीय खाद्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवार खाद्य सुरक्षा पोर्टल में नाम जुड़वा सकें, इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी को पाबंद किया जाए कि वह प्राथमिकता से लोगों के आवेदनों की जांच करें और पात्र परिवारों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरी करें।

मैं खाद्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा खींवसर के गांव कंकड़ाई, निंबोला, टाटावास और झाड़ेली में उचित मूल्य की राशन दुकानें खोलने की कृपा करें। सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार। राम राम सा।

श्री सभापति: श्री गणेश घोगरा। पांच मिनट में अपनी बात पूरी करें। वैसे आप फास्ट चलते हो।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे अनुदान की मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं टीएसपी क्षेत्र की बात करूंगा, मेरे जिले की बात करूंगा। इसमें टोटल उचित मूल्य की दुकान 562 हैं और एसटी के नाम अलॉट हुई हैं 201, लेकिन मेरे जिले में जनजाति वर्ग ज्यादा है। 75 प्रतिशत जनसंख्या एसटी की है, लेकिन दुकानें कितनी है? खाली अलॉट हुई है 201, इसी तरह से हमारे यहां सरकारी नौकरियों में भी यही गड़बड़ी हो रही है और ये राशन की दुकानों में भी गड़बड़ी हो रही है। मैं चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सरकारी राशन की दुकानें हैं, यह जनसंख्या के आधार पर आरक्षण हमें मिलना चाहिए तो हमारे जो युवा बेरोजगार हैं, उनको मौका मिले।

माननीय सभापति महोदय, इसी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास रिपोर्ट आई है कि एस.टी. की इतनी दुकानें हैं, एसटी के नाम दुकानें है, चला कोई और रहा है। उससे फायदा कोई और उठा रहा है। यह पोस मशीन कोड पालदेवल की बता रहा हूँ 28706 ऑनलाइन एस.टी.के नाम बता रहा है और चला कोई और रहा है। इसके बाद मेवाड़ा, ये भी एसटी के नाम रिजर्व बता रही है, लेकिन ये भी कोई और चला रहा है। इसका पोस मशीन कोड है 5838, इसी तरह से बेहड़ा वह भी एस.टी. के नाम रिज़र्व है और चला कोई और रहा है। इसका पोस मशीन कोड नंबर है 2880, इसी तरह से बरूठी वह भी एस.टी. के नाम है और पोस मशीन कोड है 285832, जनजाति के नाम तो ऑनलाइन बोल रही है, चला कोई और रहा है। हमारा आरक्षण का फायदा भी किसी और ने लिया। आज तक टीएसपी एरिये में किसी को भी फायदा नहीं मिला है। मैं, सभापति महोदय, आपसे कहना चाहूंगा कि जनसंख्या के आधार पर राशन की दुकानों में भी आरक्षण मिलना चाहिए। इससे हमारे लोगों का भला हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा कि हमने पोर्टल खोल दिया है, खाद्य सुरक्षा में पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा, लेकिन उसमें आपने पाबंदी भी लगा दी सभी सदस्यों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक होगी, उसका नाम हम काट देंगे। तो, माननीय सभापति महोदय, एक मजदूर भी दिन में 300 रुपये कमाता है तो साल के एक लाख आठ हजार रुपये होते हैं तो वह तो पात्र कहां रहा, वह तो काट दोगे आप और उसके बाद और राइडर लगाया गया चार पहिये वाला। चार पहिये वाले का भी हम नाम काट देंगे। हमारे गुजरात से मजदूरी करके अपने जीवन-यापन करने के लिए अपने घर को चलाने के लिए वहां से किस्त में सेकंड हैंड गाड़ी लाता है जीप, वह उसकी किस्त भरता है और आप कहेंगे कि चार पहिये वाला, वह पैसे वाला हो गया। कैसे पैसे वाला हो गया? उसका नाम काट लें और वाहवाही कर रहे हैं कि हम इतने नाम ज़ोड़ रहे हैं। 8 लाख से ज्यादा तो आपने नाम काट दिए। मैं यह कहना चाहता हूँ, सभापति महोदय, टीएसपी एरिये में गरीब जनजाति के लोग रहते हैं, वहाँ पर नौकरी के अलावा, व्यापार के अलावा सभी का नाम जुड़ना चाहिए। सभी पात्र लोग हैं, माननीय सभापति महोदय। मंत्री जी, ऐसा अन्याय मत करो और आपने कहा है पांच किलो प्रति व्यक्ति गेहूं देंगे। पांच किलो से क्या होता है? हम मेहनत करने वाले हैं, पत्थर तोड़ने वाले हैं, खेत में काम करने वाले हैं, हल चलाने वाले हैं, आपके जैसे पूड़ी खाकर पेट नहीं भरता हमारा, कम से कम चार रोटी मोटी-मोटी चाहिए हमको सुबह-शाम, तो कम से कम प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं किया जाये तो ही हमारा घर चल सकता है। हम कुत्ता भी पालते हैं, गाय भी पालते हैं। कुत्तों को भी दो रोटी देनी पड़ती है, भाई, और गाय को भी रोटी देनी पड़ती है तो पांच किलो में नहीं चलेगा। मंत्री जी, कम से कम प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं किया जाए, ये हमारी मांग है। हमारी कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने फूड पैकेट नि:शुल्क दिया था तो हमारे गरीब परिवार का, कोई विधवा थी, कोई एकल था, उसका परिवार चलता था, वह आपने मोदी जी की खाली थैली पकड़ा दी, खाली थैली से

हमारा पेट भरेगा क्या? वह फूड पैकेट वापस चालू करायें आप। मंत्रीजी, ये क्या डबल इंजन की सरकार है? आपकी ये पर्ची सरकार क्या कर रही है? राजस्थान को कहां ले जा रही है?

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा चाहूंगा कि हमारे राशन डीलरों की भी कुछ मांगें हैं। गुजरात की तर्ज पर इनको भी प्रतिमाह 20 हजार मानदेय दिया जाए क्योंकि इसमें गड़बड़ी नहीं करें। और हमारे जो ओडाबड़ा जहां लैम्प्स खुली हुई है 2016 से और कनमा लैम्प्स वाले ओडाबडा का संचालन कर रहे हैं। वहां से दूरी पड़ती है पांच किलोमीटर, कनमा लैम्प्स से उनको सामग्री मिल रही है, तो वहां पर ओडाबड़ा में ही लैम्प्स है तो उनको राशन की सामग्री वहाँ से दिलायी जाए तो लोगों को राहत मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं सहकारी समिति की बात करूंगा कि ग्राम पंचायत मझोला में और ग्राम पंचायत रोहनवाड़ा में सहकारी समिति खोली जाए। माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं, गंडोला गोगरा में ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः श्री हरलाल सहारण। अब अंकित नहीं होगा। आप शुरू करो।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर)ः 000

श्री हरलाल सहारण (चूरू)ः माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 50 और 55 पर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। किसान का कल्याण हो, गरीब का उत्थान हो, सहकारिता बिना कुछ संभव नहीं है। एक सबके लिए, सब एक के लिए इस मूल मंत्र के साथ सहकारी का आंदोलन देश की समृद्धि और खुशहाल के विकास के डबल इंजन के काम कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और गठन करके हमारे गृह मंत्री लौह पुरुष, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मंत्रालय सौंपा, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

jyg/rtm/11.03.25/18.40/3p

सभापति महोदय, देश के लगभग 91 प्रतिशत गांव जहां छोटी-बड़ी, कोई भी कोई सहकारी संस्था काम करती है। देश के लगभग 36 लाख किसान परिवार किसी न किसी रूप में सहकारिता से सीधे जुड़े हुए हैं। राजस्थान सरकार सहकारिता आंदोलन में जुड़े आज़ादी से पहले के दौर में जुड़ी हुई, आज आंदोलन किसान श्रमिक तथा छोटे व्यापारियों का गठन आर्थिक रूप से सबल बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ हुआ था। सहकारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के किसान को कर्ज के बोझ से मुक्त करना, किसान का उत्पादन बढ़ाना, आर्थिक सम्बन्धों की स्थापना करना है। हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात ने सहकारी आंदोलन में अपार सफलता हसिल की, लेकिन राजस्थान में आंदोलन कमजोर है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा, मेरे विपक्ष के सदस्य भी कह रहे थे, मैं सुन रहा था। सहकारिता आंदोलन में प्रधान रहते हुए मैं गुजरात गया था। वहां छोटी-छोटी यूनिट करके कैसे व्यापार करते हैं, ऐसा व्यापार राजस्थान में होता तो यहां का किसान गरीब नहीं होता। हमारी 50-70 साल की आज़ादी में 55 साल राज करने वाले आज जोर-जोर से

बोल रहे हैं कि किसान का यह हो गया, गरीब का यह हो गया, मेरी समझ नहीं आ रही कि कभी आप तो सोचते। सभापति महोदय, हमारे कहावत है छाज बोल सकता है, चालणी नहीं बोळणी चाहिये। 70 साल की आज़ादी है, 55 साल राज किया और आज आप कह रहे हो कि किसानों का बुरा हो रहा है। कोऑपरेटिव के बारे में कह रहे थे कि बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। कल तक तो आप ही थे। भ्रष्टाचार रोकते, मैं तो यह कह रहा हूं कि एक-दूसरे पर आरोप नहीं लगा के इस पर मंथन करना चाहिए और मैं सरकार से मांग करता हूं कि सहकारिता विभाग में एक नया आदेश, एक नया संशोधन करके, नया विधेयक लाकर 5 साल में चुनाव हो, ऐसा प्रवधान लाने की मैं सरकार से मांग करता हूं।

राजस्थान के सहकारी आंदोलन में नई ऊर्जा और दिशा की सख्त जरूरत है, जिससे किसानों, छोटे व्यापरियों, आम आदमी के हितों की रक्षा करें। राज्य सरकार की संस्थाओं में सदस्य वर्षो पुराने जुड़े हुए हैं, जिसके कारण नये सदस्य भी समिति में बनाने चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि सहकारी समितियों के कुछ व्यवस्थापकों के थैले में संस्थाएं चल रही है। अभी मेरे विपक्ष के सदस्य भी कह रहे थे, इधर के सदस्य भी कह रहे थे कि सहकारी संस्था में बहुत गड़बड़ है। जांच भी कौन कराये? मंत्री जी तो नीचे तक जा नहीं सकते हैं और कहा कि कमेटी गठन करनी चाहिए। ये कमेटी तो 1947 के बाद कभी गठित हो जानी चाहिए। पर धीरे-धीरे मैं तो चाहूंगा सरकार से कि ऐसा काम करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया तो अपने को करना चाहिए। कमेटी गठित करके इसको मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसा काम करना चाहिए।

99 लाख किसानों पर करीब 1 लाख 47 हजार का कर्ज था पिछली सरकार में, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी का वादा किया, लेकिन किया क्या? किया सिर्फ सरकारी बैंकों से जुड़े कर्ज जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान थे। मतलब सिर्फ 14 हजार कुछ करोड़ माफ करके वाहवाही लूट रहे हैं किसान की। ये अडाणी और अम्बानी की बात करते हैं, आप तो करते, आपके बडे नेता, नाम नहीं लूंगा, एक, दो, तीन, चार, दस, किसान का कर्जा माफ, कहां गये, क्या किया? मगर अब उनको नौजवान तो इसलिए नहीं कहेंगे कि 50 साल से ऊपर हो गये, इनके बड़े नेता, +++ कह रहे हैं कि दस तक गिनते ही माफ हो जायेगा। ...(व्यवधान)...

सरकारी बैंक, अपेक्स बैंक, नाबार्ड बैंक, बैंकों ने कर्ज देने से मना कर दिया। आज से पहले मैं यह कह सकता हूं कि 2013 से 2018 तक वसुन्धरा जी की सरकार थी। हमारे तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, आदरणीय, बडे सीनियर लीडर हैं, कई बार लोक सभा में, कई बार विधान सभा में रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि साढ़े छह हजार करोड़ रुपये माफ किये थे और वो हमने जमा कराये थे और आपने साढ़े 14 हजार करोड़ रुपये किसानों का माफ करके बैंक धरातल पर नहीं, जमीन पर नहीं, धूल चाट रही है क्योंकि आपने उनको कर्ज देने लायक ही नहीं छोड़ा। मेरी मांग है सरकार से कि ये बैंक पुनः सुदृढ़ हो सकें, इसके लिए पूर्णतया संरक्षण, माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि

2025-26 के बजट में सहकारी कृषि एवं गैर कृषि ऋण 400 करोड़ रुपये 5 प्रतिशत ब्याज व अनुदान की घोषणा की है। इनको नई ऊर्जा देने और किसान को राहत प्रदान करने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने दो वर्षों में 2500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना व नव निर्मित क्रय-विक्रय सहकारी संघों के गठन करने की घोषणा की है। यह निर्णय किसान को उपज का उचित मूल्य दिलाने और सहकारी तंत्र को मजबूत करने का है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त प्रदेश में 55.35 लाख किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है। किसानों को इससे आर्थिक रूप से मजबूत करने में गति मिलेगी।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान क्रय-विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से मूंगफली, चना, सरसों और मूंग जैसी फसल खरीदने में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है। बिलकुल विपक्ष भी कह रहा है और हम भी कह रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि यह जो ओटीपी का मामला है, वो बंद किया जाये। किसान के साथ अन्याय हो रहा है, बायोमेट्रिक करके किसान आप खुद आकर खुद आयेगा तो ओटीपी लेगा और वो खुद ही जहां खरीद होगी, वहां आयेगा तो भ्रष्टाचार रुकेगा तो ओटीपी का मामला पिछली सरकार ने जो किया, उसको बंद कीजिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बिचौलियों और दलाल किसानों के नाम ऑनलाइन बुकिंग करके अवैध व्यापार और धोखाधड़ी करते हैं, यह व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी हो ताकि किसानों को उपज का सही मूल्य मिल सके। सहकारी क्षेत्र में किसान हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाये। कांग्रेस सरकार की नीतियों से हुई क्षति की भरपाई के ठोस कदम उठाये जायें। सहकारिता तंत्र मजबूत हो, राजस्थान का किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो, खाद्य सुरक्षा योजना में पिछली सरकार के समय में भारी अनियमितता देखी गयी।

माननीय सभापति महोदय, चूरू जिले की राशन डीलर समिति की विभिन्न मांगों को आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, जिसके अनुसार राशन डीलरों को गुजरात मॉडल पर 30 हजार रुपये प्रति माह दिये जाने की मांग सहित बताया गया कमीशन भी दिया जाये। राज्य सरकार का बजट 2025-26 का राशन डीलरों का कमीशन 10 प्रतिशत बढ़ाया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि पहली बार 10 प्रतिशत बढ़ाया गया है। लेकिन राशन डीलरों के मृतक आश्रितों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। राशन डीलरों को 2 प्रतिशत छीजत जैसी मांगों को भी पूरा करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी को कि जिन्होंने राज्य के बजट 2025-26 में 10 लाख नये परिवारों को राशन के लिए जोड़ने का काम कर रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी को जिन्होंने 10 लाख परिवारों का नाम जोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमारे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरी अपील है कि खाद्य सुरक्षा के अपात्र व्यक्तियों को तत्काल हटाया जाये, अभियान चलाकर ताकि पात्रताधारी लोगों को लाभ पहुंच सके।

माननीय सभापति महोदय, एक मिनट और लूंगा। मैं सरकार और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी मांग पर, 70 साल की आजादी के बाद भी किसी ने सोचा नहीं कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति का भवन है, हमारे माननीय सदस्य बुडानिया जी सामने बैठे हैं, इनके घर से ठीक सामने, किसी ने कभी नहीं सोचा कि छोटा-सा खण्डहर पड़ा है, मैंने मांग की 50 लाख की घोषणा की, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। ...(व्यवधान)..

बिलकुल, ये चूरू से हैं। दूदवा खारा गांव है, अभी बात कर रहे थे, हमारे सीनियर लीडर हैं, मेरे गांव से 35 गांवों में पानी पिलाया है, और दूदवा खारा में एक स्कीम थी और वो भैरोंसिंह जी 1977 में लेकर आये थे, फिर आपणी योजना आयी, पानी घर-घर में पहुंचाने की बात आज हो रही है, जिस समय पानी नहीं था तब भी हमारे गांव से पानी पिलाया था। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमित चाचाण।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सहकारिता एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की मांग पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी, इस पिछले 11 वर्षों में इस सरकार के माध्यम से पूरे देश के अन्दर कमर तोड़ है। ये हालात देश के अन्दर पैदा हो गये कि गरीब का चूल्हा तो दूर, मध्यम वर्ग के भी चूल्हा जलने की आज मुसीबत आ रही है, इस तानाशाह सरकार की बदौलत। इस महंगाई से राहत देने के लिए जब गरीब का चूल्हा जलाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना आयी तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के पेट में दर्द हुआ और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस के शासन काल में तो रेवड़िया बंट रही है। लेकिन मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आपके ही गांव में पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति हे, गरीब, किसान, मजदूर, दलित बैठा है, जो 500 रुपये नहीं कमा पाता, उसका चूल्हा कैसे जलता होगा, ये सोचने योग्य बात है, इसी दर्द को मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने समझा, और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लेकर आये थे लेकिन आपकी सरकार आने के बाद आप नहीं चाहते कि गरीब और दलित किसान मजदूर का चूल्हा जले, आपने उस योजना को बंद करने का का काम किया। आज आप पूरे गर्व से कह रहे हैं कि हम पूरे भारत के अन्दर 80 करोड़ परिवारों को गेहूं दे रहे हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप उन परिवारों को गेहूं दे नहीं रहे हैं बल्कि आपकी मजबूरी है,

MLS/RTM/11.03.2025/18:50/3q

क्योंकि कांग्रेस के शासन काल में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेकर आये थे, कानून बनाया

था, उस कानून के तहत आपकी यह मजबूरी है कि उन गरीब परिवारों को, 80 करोड़ परिवारों को आज गेहूं दिया जा रहा है। यह आपकी मजबूरी है। कांग्रेस का शासन काल जब-जब भी आया, आमजन, किसान, मजदूरों के लिए अनेकानेक नियम बनाये गये, लेकिन आपकी सरकार बनने के बाद ''हम दो और हमारे दो'' पर ही आपने काम किया। कॉरपोरेट हाउस के माध्यम से सरकार चलाने का काम आपने किया है।

माननीय सभापति महोदय, आज अपात्र परिवार लगातार चक्कर काट रहे हैं। मंत्री महोदय, पात्रता होने के बावजूद भी उन्हें गेहूं नहीं मिल रहा, आप ज्यादा से ज्यादा उन परिवारों को जोड़ने का काम करें। राशन डीलरों के द्वारा जो कोरोना काल में खाद्य सामग्री का वितरण करवाया गया था, कोरोना किटों का वितरण करवाया गया था, आज भी उन राशन डीलरों को कमीशन नहीं मिला है, उसका आप भुगतान कराएं। जिस तरह से सभी सदस्यों ने कहा, मानदेय के लिए 20 हजार रुपये तय होने चाहिये। राशन डीलरों का कमीशन 6-6 महीनों तक नहीं मिलता। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि समय पर उनका भुगतान करवाया जाये। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

बात हम करेंगे सहकारिता विभाग की, बहुत-से सदस्य कह रहे थे, कांग्रेस के शासन काल में 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिन गिने गये थे, लेकिन हमें गर्व है, 10 दिन गिने थे तो 14 हजार करोड़ रुपये का हमने ऋण माफ करने का भी काम किया था। मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा था भाजपा नेताओं को, जब आप विपक्ष में बैठते थे कि आप राष्ट्रीकृत बैंकों के माध्यम से केन्द्र सरकार से बात कीजिये। राष्ट्रीकृत बैंकों में जो लोनी हैं, उनका भी लोन माफ होना चाहिये। राजस्थान के हिस्से की जो राशि आयेगी, वह राजस्थान की सरकार जमा कराने के लिए तैयार थी, लेकिन आपका कोई भी नेता किसानों के पक्ष में नहीं बोला। सवा साल आपको गुजर गये, आज आप बात नहीं करते, आपकी जुबान पर ताले लग गये या आपकी जुबान पर दही जम गया?

आज आप किसान की ऋण माफी की बात क्यों नहीं कर रहे, आज आप किसान का लोन माफ क्यों नहीं कर रहे? आज तो राजस्थान और दिल्ली, दोनों जगह आपकी सरकार है, तो आपको भी लोन माफी की बात करनी चाहिये, किसानों का ऋण माफ होना चाहिये, क्योंकि आज किसानों को न सिंचाई का पानी मिल रहा है, न किसानों को समय पर बिजली मिल रही है, न किसानों को यूरिया, डीएपी मिल रहा है। आज किसानों की फसलें बरबाद हो रही हैं। किसानों पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। मानवता के नाते हम सबको प्रयास करना चाहिये कि किसान का ऋण माफ होना चाहिये।

माननीय सहकारिता मंत्री जी, पिछले दिनों हनुमानगढ़ जिले में भी बहुत बड़ा गबन, चाहे हम रतनपुरा की बात करें, चाहे हम तलवाड़ा झील की बात करें, वह गरीब किसान, जो दो-दो रुपये जुटाकर इस को-ऑपरेटिव बैंक में जमा कराता था, आज करोड़ों रुपये का वहां गबन हो चुका, घोटाला हो चुका। आज भी पीड़ित पक्ष गांव-गांव अधिकारियों के पास चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें उनका पैसा वापस नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं,

जहां-जहां भी आपने कार्यवाही की, वह भी पूर्ण नहीं हुई, जिसमें कुर्की करने का आपने काम किया, उसको भी स्टे देने का काम आपके ही अधिकारियों ने किया है।

आज किसानों की फसलों की एमएसपी पर खरीद नहीं हो पा रही। खरीद सेंटर आप समय पर नहीं खोलते हैं। जब हमारी फसलें बाजार में आ जाती हैं दो-दो, तीन-तीन महीने लेट, उसके बाद खरीद चालू होती है। तब तक मजबूरी में किसान को, जब उसको पैसे की आवश्यकता होती है, विवाह-शादी में उसको फसल बेचनी पड़ती है और कम रेटों में उसको बाजार में फसल का बेचान करना पड़ता है। माननीय मंत्री महोदय, खरीद प्रक्रिया में सरलीकरण की भी मैं आपसे मांग करूंगा कि किसानों के लिए सरलीकरण होना चाहिये, जिससे कि उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई या परेशानी न हो, जब वह फसल को बेचने के लिए जाये।

इसके अलावा, हम सबने देखा कि यूरिया की, डीएपी की किस तरह से पूरे राजस्थान में किल्लत थी। पूरे-पूरे दिन किसानों को लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। जहां पांच-पांच कट्टों की आवश्यकता होती थी, उन्हें मात्र एक कट्टा मिलता था और उसमें बड़ी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता था। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सूरतगढ़ जो रैक लगता था, वहां से सप्लाई नोहर और भादरा को होती थी। हमारे नोहर के समीप ही कोई रैक अगर स्वीकृत हो जाता है तो नोहर, भादरा, सावा, तारानगर की आसपास की तहसीलों में वहां से यूरिया और खाद की उनको सप्लाई हो जायेगी, जिससे कि समय पर पूरी संख्या में उसको खाद मिलेगी। आज जब किसान यूरिया लेने के लिए जाता है, उसे यूरिया के साथ-साथ नैनो यूरिया लेने के लिए भी बाध्य किया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से पुराने समय में गैस कनेक्शन बहुत मुश्किल से मिलता था और जब गैस एजेंसी वाले कहते थे, कनेक्शन के साथ आपको चूल्हा भी लेना पड़ेगा, आज वही हालात इस दौर में हैं, क्योंकि उस डीएपी और खाद के साथ नैनो की जो बाध्यता की जा रही है, उसको भी हमें खत्म करना होगा। किसानों के हित में हमें फैसला लेना होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी जहां-जहां सोसाइटियों का गठन नहीं हुआ, वहां सोसाइटियों का गठन करें। हमारे वहां कई सोसाइटियां ऐसी हैं जहां गोदामों का निर्माण नहीं हुआ है, उनके भी आप गोदामों का निर्माण करवाएं।

एक मेरा फेफाना गांव, जो जिले का सबसे बड़ा गांव है, वहां गेहूं का खरीद सेंटर भी आप जल्दी ही स्वीकृत कराएं। अन्य भी सूची आपको दी गयी है, वहां भी फसल की खरीद का सेंटर शुरू कराएंगे तो किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अपने घर के समीप ही संसाधन मिलेंगे, बाजार में नहीं लेकर जाना पड़ेगा। यह भी मैं आपसे एक मांग करूंगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री लादु लाल पितलिया।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): खजुरिया श्याम की जय। माननीय सभापति महोदय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात तथा सहकारिता की मांग संख्या 55 और 50 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक जरूरतमन्द परिवारों को मिले, इसके लिए बजट घोषणा में ही हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके लिए 10 लाख नवीन यूनिट्स एनएफएस लाभान्वितों के रूप में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को एनएफसए के अन्तर्गत राशन उपलब्ध करवाया जाना सम्भव हो सकेगा तथा अल्प आय वर्ग के परिवारों को भी रोजमर्रा की आवश्यकता का सामान उचित मूल्य की दुकान पर मिल सके, इसके लिए 5 हजार उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भण्डार खोलने की पहल हमारी सरकार कर रही है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा लाने का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमन्द परिवारों को सस्ती दर पर राशन उपलब्ध करवाना, उसके माध्यम से चावल, गेहूं एवं जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध करवायी जा रही है। यह योजना गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लायी गयी है। माननीय सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पहल कर जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, उनको स्वैच्छिक योजना का लाभ छोड़ने का मौका दिया गया, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं माननीय मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार। गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हजारों लोगों ने स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़कर नये लोगों को जोड़ने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत नये नाम जोड़ने हेतु पोर्टल खोला गया एवं नये पात्र लोगों को जोड़ा जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं माननीय मंत्री महोदय द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करने की तिथि 31 मार्च, 2025 तक बढ़ायी गयी है, इसके लिए राज्य सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में ग्राम राणास, ग्राम आसुणा, ग्राम मंडपिया, ग्राम साकरिया एवं ग्राम दाता का खेड़ा में उचित मूल्य की दुकानें खोलने के प्रस्ताव विभाग द्वारा मांगे गये। शीघ्र उचित मूल्य की दुकानें खोलने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, विभिन्न खाद्य सामग्रियों में आजकल बहुत मिलावट हो रही है, जिससे आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी खाद्य सामग्री की जांच हेतु टीमों का गठन किया जाये एवं एक निश्चित समयावधि में खाद्य सामग्री की नियमित जांच करने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बजट घोषणा 2025-26 में माननीय मुख्य मंत्री जी एवं वित्त

मंत्री जी द्वारा दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं नॉन फार्मिंग सेंटर में 400 करोड़ रुपये के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिये जाने की घोषणा करने तथा किसानों को सम्बल प्रदान करने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों में आगामी 2 वर्षों में शेष रहे 2500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जीएसएस की घोषणा करने पर भी मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में भण्डारण क्षमता विकसित करने के लिए 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियां, 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के पुनर्निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपये का अनुदान तथा 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 व 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 गोदामों का ग्राम सेवा क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में निर्माण कार्य हेतु 33 करोड़ रुपये का अनुदान देने पर भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए अनाज भण्डारण देने के लिए गोदामों का निर्माण करने की आवश्यकता है। इसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र में रायपुर मुख्यालय के नारायण खेड़ा में 100 मीट्रिक टन तथा मोकुंदा में 2 गोदाम 200 मीट्रिक टन के, जोड़ोल में 200 मीट्रिक टन के, पाडरा में 100 मीट्रिक टन, गंगापुर उप-खण्ड मुख्यालय के पोटला, सोनियाना, सातलियास, गंगापुर और शिवरति में 100-100 मीट्रिक टन की क्षमता के अनाज भण्डारण के गोदाम निर्माण करने की मांग करता हूं।

MKD/RTM/11.03.2025/19:00/4a

ग्राम सेवा सहकारी समिति, नगेडिया का खेड़ा, ग्राम सालेरा, आमली तथा सोनियाणा में कस्टम हाइरिंग सेंटर के लिए ट्रेक्टर की मांग करता हूं। ग्राम सेवा सहकारी समिति, सहाडा, कांगणी एवं डेलाणा में अनाज भंडारण के गोदामों की मरम्मत के लिए राशि की घोषणा करने की मांग करता हूं। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, विगत 10-12 वर्षों से अल्पकालीन साख सीमा अधिकतम डेढ लाख है, उसे बढ़ाकर दो लाख रुपये तक करने की मांग करता हूं, ताकि राजस्थान के सभी काश्तकारों को लाभ मिल सके। सहकारिता विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को विगत एवं इस वर्ष का उपार्जित अवकाश का भुगतान नहीं हुआ है। अतः कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए, उपार्जित अवकाश भुगतान हेतु बजट जारी करने की मांग करता हूं।

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय-जय श्रीराम। गोमाता की जय।

श्री सभापतिः श्री उदयलाल भडाणा। अपनी बात 5 मिनट में पूरी करें।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50 और 55

पर बोलने का मौका दिया। उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद।

मैं सहकारिता के ऊपर बोलना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार और मंत्री महोदय से, कि भीलवाड़ा शहर के अन्दर एक डेयरी है, उस डेयरी के अन्दर 1,191 डेयरियां और समितियां बनी हुई हैं, लेकिन वहां धारा 30 के अन्तर्गत 199 लोगों को ही वोटिंग का पावर है। मैं सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो 1,191 लोग हैं, उन सभी लोगों को वोटिंग पावर दिया जाए, जिससे हमारी पार्टी का वहां अध्यक्ष बैठ सके।

पूर्ववर्ती सरकार ने एक निर्णय किया था कि तीन बार से अधिक कोई अगर अध्यक्ष बनता है तो अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ा जायेगा, लेकिन जैसे ही पूर्ववर्ती सरकार बनी, उसने आठ दिन में ही अपने नियम कानून चैंज करके विधायक के ऊपर भी रह सकता है, चेयरमैन भी रह सकता है और उन्होंने उस नियम को चैंज करके उस आदमी को चेयरमैन का चुनाव लड़ाया। मैं धारा 30 के माध्यम से, जैसे एमपी और गुजरात के अन्दर है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप सरकार के साथ मिलकर धारा 30 के माध्यम से इन एक हजार समितियों को वोटिंग का पावर नहीं है, वोटिंग का पावर दिलाकर निष्पक्षता के साथ चुनाव कराये। जिससे उचित आदमी उस सीट पर बैठ सके।

पूर्ववर्ती सरकार के जो नेता थे, उन्होंने एम एल ए का चुनाव लड़ा और आठ दिन बाद वे उस सीट पर बैठ गये। फिर उसके बाद वे मंत्री बने, उसके बाद डायरेक्टर से इस्तीफा दे दिया था, उसके बावजूद भी वे पिछले ढाई साल तक बने रहे थे और राजस्व की बहुत बड़ी हानि की थी।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर वे डायरेक्टर नहीं थी, सीट पर नहीं थे तो किस हैसियत से वे डेयरी में ढाई साल तक रहे और सरकार के राजस्व की हानि की। उन्होंने बिना पद पर रहते हुए जो नुकसान किया, उस राजस्व को वापस सरकार के खाते में जमा कराने का प्रयास करें।

प्रतापपुरा हुड़ा के अन्दर जन-प्रतिनिधि वहां पर डायरेक्टर थे, लेकिन उन्होंने जन-प्रतिनिधि बनने के बाद अपने ही पी ए को, जो वहां का निवासी नहीं है, जिसकी वहां गाय नहीं है, भैंस नहीं है, वहां का राशन कार्ड नहीं है, अपने पी ए को वहां से अध्यक्ष का चुनाव लड़ाकर डायरेक्टर बना दिया। सहकारिता के अन्दर गड़बड़झाले हुए, उसको उजागर करें।

इसी तरह भीलवाड़ा और मांडल विधान सभा क्षेत्र में एक भिमडयास गांव पड़ता है। वहां जी एस एस के चुनाव हुए थे। पूर्ववर्ती सरकार में इतने गड़बड़ घोटाले हुए थे कि हमारे भिमडयास जी एस एस में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित आठ व्यक्ति जीते थे और चार लोग ही विपक्ष कांग्रेस पार्टी के जीते थे, लेकिन हमारे आठ लोगों को इसलिए रोक दिया गया कि तुम्हारी तीस रुपये की पर्ची नहीं कटी। उनके चार लोगों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और व्यवस्थापक बनाकर उन्होंने वह कर दिया, ऐसा मांडल ही नहीं पूरे भीलवाड़ा जिले में हुआ था। मैं सदन के मार्फत आपसे मांग करता हूं कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने किया, उसके

लिए वापस एक नई कमेटी बनाकर हमारे ज्यादा लोग जीते हुए हैं, उन लोगों को जी एस एस का अध्यक्ष बना दिया जाए और लोगों को उसका फायदा दिया जाए।

पूर्ववर्ती सरकार में जो उलटे-सुलटे काम हुए, उनकी एक कमेटी बनाकर जांच की जाए, जिससे लोगों को फायदा मिले। पूर्ववर्ती सरकार ने जो कानून बनाया था, आठ दिन के अन्दर उसको हटाकर के वापस किया। हम यह चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी सरकार है, धारा 30 के तहत एम पी और गुजरात की तर्ज पर राजस्थान के अन्दर सहकारी समितियां हैं, डेयरियां हैं, जो भी हैं, उनमें यू आई टी की तर्ज पर, जैसे यू आई टी में नॉमिनेटेड कर देते हैं, ऐसे नोमिनेटेड करके ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए जो आम किसान का, मजदूर का भला कर सके। उन लोगों ने केवल और केवल अपने फायदे के लिए ये उलटे-सुलटे काम किये हैं।

मैं सदन से मांग करता हूं कि भीलवाड़ा के अन्दर उपभोक्ता भंडार की दुकानें हैं। 19 दुकानें हैं, उन दुकानों के अन्दर 13 तो उपभोक्ता भंडार में हैं और 6 क्रय-विक्रय समिति के पास हैं, लेकिन 13 दुकानों में जो फार्मासिस्ट हैं, अभी भी पूर्ववर्ती सरकार के लगे हुए हैं, 10-10, 15-15 साल से, मैं सरकार से मांग करता हूं कि नये फार्मासिस्टों की भर्ती की जाए और जो उलटे-सुलटे काम हैं, उन लोगों को वापस पारदर्शिता के साथ करके 13 जो भंडार की दुकानें हैं, उनको नये में अलाटमेंट किया जाए और क्रय-विक्रय में जो कमियां हैं, उनको सुधारा जाए।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय सभापति महोदय, ये मुख्य मंत्री जी वाली सीट तो पूरी खाली है।

श्री सभापतिः आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप विराजिये।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): उपभोक्ता भंडार के अन्दर तिलम संघ, फतेहनगर से 1,500 टिन आये थे, जिसकी भास्कर के अन्दर बहुत बड़ी खबर छपी थी। दो ट्रक तेल के भरकर तिलम संघ से भीलवाड़ा आये थे, उनकी बिल्टी भी बनी, ट्रक भी खाली हुए, उनके वीडियो फुटेज भी हैं, लेकिन वे दो ट्रक, 1,500 टिन कहां गये, उसका आज दिन तक कोई अता-पता नहीं है। ये अखबारों की कटिंग है, अभी चार-पांच दिन पहले ही छपी थी।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार में जिन लोगों ने यह 1,500 टिन का घोटाला किया है, घपला किया है। उनकी भी जांच कमेटी बनाकर दोषी को सज़ा दी जाए, तब जाकर ही भला होगा।

राजस्थान सरकार ने अभी खाद्य सुरक्षा पोर्टल है, सुमित जी, भजन लाल जी और मोदी जी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के माध्यम से 31 मार्च तक उसको बढ़ाकर लोगों को जोड़ा जा रहा है। 69 परसेंट लोगों को ही खाद्य सुरक्षा में खाद्य मिलता है, लेकिन 31 परसेंट लोग वे हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार में जिनके बंगले बने हुए हैं, बड़ी-बड़ी कारें हैं, मोटर साइकिलें हैं, उन लोगों को भी खाद्य मिलता था, लेकिन अब हमारी सरकार ने, सुमित जी ने यह लागू किया है कि जिनके पास फोर व्हीलर है, इनकम टैक्सधारी हैं, उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए।

पूर्ववर्ती सरकार में 31 परसेंट बड़े-बड़े बंगले वाले हैं, उन लोगों को भी गेहूं मिलता था।

जो योजना बनाई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से कोरोनाकाल में गेहूं दिया जाता था, 70 परसेंट लोगों को प्रधान मंत्री जी के द्वारा कोरोनाकाल में गेहूं दिया जा रहा था, लेकिन जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को भी दिया जाने लगा। भजन लाल जी और सुमित जी के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है, 31 मार्च तक गरीब लोगों को जोड़कर उनको फायदा दिया जा रहा है।

मैं भजन लाल जी से भी मांग करता हूं, अपने मंत्री जी से भी मांग करता हूं, यदि यह दस, पांच दिन और बढ़ता है तो इस समय को और बढ़ाया जाए, जिससे कि कुछ लोग बचे हुए हैं, वे लोग भी इसमें जुड़ सके और योजना का फायदा ले सके।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 50 और 55 पर सुबह से लोगों की बड़ी भारी वार्ता चल रही है। (..व्यवधान..) असत्य तो कभी बोला ही नहीं।

डर तो मुझे भी लगा फासला देखकर,
डर तो मुझे भी लगा फासला देखकर,
मैं बढता ही गया, रास्ता देखकर।
खुद ब खुद मेरी मंजिल आती गई,
मेरी मंजिल मेरा होसला देखकर।
जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का
फिर देखना फिजूल है, कद आसमान का।
चलता रहूंगा पथ पर, चलने से माहिर बन जाऊंगा
या तो मंजिल मिल जायेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा।

माननीय मंत्री महोदय, ताली कृत्रिम लोग बजाते हैं, ओरिजिनल नहीं बजाते हैं।

हर नई शुरुआत, आती है इंसान को डराती है,
हर नई शुरुआत, आती है इंसान को डराती है,
मगर कामयाबी मुश्किलों के बाद ही आती है।
संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है,
जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं अभी,
उनको भी करके दिखाना है।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ हरियाणा की सीमा से लगता हुआ है। मेरे सूरजगढ विधान सभा क्षेत्र में 52 सहकारिताएं चल रही हैं, जिसमें से 32 का भवन बन गया है। एक का पट्टा भी बन गया। आपके पैसे देने की ढील है। मैंने टेलीफोन पर भी आपको निवेदन किया। वैसे आपकी नीयत ठीक है। मैंने एक-दो बार किया, आपने कर भी दिया। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं। आपकी नीयत और नीति में कोई अन्तर नहीं है। मैंने

टेलीफोन किया और आपने मेरा कर दिया।

श्री सभापति: श्रवण जी, आसन को।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): लो आसन को लो, साहब। हम तो इधर घुमा लेंगे मुंह को। किया ना किया, मना कब कर रहा हूं, खाकर नमक हरामी थोड़े करेंगे, पर मैं कह रहा हूं कि गोदामों का निर्माण होना भी चाहिए। पहले मुश्किल से एक कांस्टीट्यूएंसी में 10 या 15 होती थीं।

Bhs/Rtm/11.03.25/19.10/4b

कांग्रेस सरकार का हौसला लोगों ने अफजाही किया और हर पंचायत पर यह सोसाइटी बनाने का उन्होंने तय किया। फिर भी अभी पूरी नहीं बन पायी है फिर भी मैं समझता हूं कि 70-80 प्रतिशत बन चुकी है। अब सूरजगढ़ में क्रय-विक्रय एक बहुत बड़ी पुरानी संस्था चल रही है उसमें गेहूं, चना, सरसों वगैरह खरीदे जाते हैं उनके 41 लाख रुपये उन्होंने प्रॉफिट कमाया और वो 41 लाख रुपये आपकी सरकार ने जमा कर लिये आज तक दिये नहीं। वह किसान का पैसा है, क्रय-विक्रय का जो पैसा है वह किसान का पैसा है आपकी सरकार के 6 महीने से पीछे-पीछे घूम रहे हैं आप नहीं दे रहे हो। मेहरबानी करके इस पर तत्काल कार्यवाही करें और वह पैसा सरकार के खाते से क्रय-विक्रय में भिजवायें।

सभापति महोदय, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही, हमारे भूमि विकास बैंक होते थे शहरों में जिसमें किसान को ट्रैक्टर, कल्टी, हैरो और बहुत सारे लोन भूमि विकास बैंक से मिलते थे आपने उनको जीरो ही कर दिया। चुनाव होते थे, अध्यक्ष बनता था। एक अच्छी सोसाइटी के रूप में चलता था। सरकारों को चुनाव कराने में डर क्यों लगता है, न कृषि उपज मंडी के चुनाव करा रहे हैं न सोसाइटी के करा रहे हैं। कोई भय है क्या? जब चुनाव हो ही जायेगा और कार्यप्रणाली चालू हो ही जायेगी तो मंत्री को कहां से खतरा आ गया? मंत्री के तो सब नीचे ही काम करेंगे।

सभापति महोदय, सबसे पहले सरकार को क्रय-विक्रय के और सबके चुनाव करा करके और एक पूरा बोर्ड गठित करके और किसान तक उसका बेनिफिट जाये, अब भूमि

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

विकास बैंकों की दशा बता रहा हूं इसमें 5-6 प्रतिशत अनुदान ही मिलता था, 7 प्रतिशत था पहले अब 5 प्रतिशत कर दिया और मुझे लगता है यह बन्द हो जायेगा, क्योंकि किसान की जहां भला होने की बात आती है तो वहां सरकारें मुंह मोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाती। किसान का भला होगा तब यह सदन सुदृढ़ होगा, किसानों को मजबूत बनाने में किसी का सोच नहीं रहा। आप देखिये किसानों को खाद के लिये जो महती आवश्यकता है इस युग में, लाइन में खड़े रहते हैं, दो-दो, तीन-तीन दिन वहां रात को सोते हैं फिर जाकर खाद मिलती है ऐसा क्यों है? इसका सॉल्यूशन आपने निकाला क्या कि यह कमी पूर्ति करने

के लिये हमें क्या करना चाहिये? नहीं सोचा, कभी नहीं। एक बन्दा आया पांच साल मजा लेकर चला गया, दूसरा बन्दा आया फिर मजा लेकर चला गया, मजे को छोड़िये जनता का मजा कैसे सिद्ध होता है वह करके दिखाइये। जब तक आपकी कथनी और करनी में अन्तर होगा तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। कह दिया वह करना है तभी किसान का भला हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिये यह सहकारिता, थोड़ी देर पहले अमित शाह जी की और चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का कुर्ता पैरों से अड़ रहा था वो कह रहे थे, अमित शाह तक ही चले गये और फिर पता नहीं ऊपर अम्बानी +++ कहां-कहां घूम रहे थे, चूरू वाले तो ऐसे ही हैं न। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अमित शाह की बात की तो अमित शाह तो गुजरात से आते हैं गुजरात और महाराष्ट्र में सोसाइटी इतनी सुदृढ़ है कि हजारों आदमी काम करते हैं जिसमें फैक्ट्रियां चल रही हैं। दूध का बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है और मैं कहता हूं कि लाखों आदमी गुजरात में सोसाइटी में काम करते हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): गुजरात मॉडल का आप ही विरोध करते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरे विरोध को कै मन करो आपका भी ...(व्यवधान)... जीत कर आ ग्यो। मेरे करने से क्या हो जायेगा? मैं सोचा कि नहीं जीत कर आयेगा, आयेगा तो मंत्री बनायेगा। बैठा दिया, बाबाजी बैठे हुए हैं। कोई फायदा नहीं है। मैं यह कह रहा था कि पूरे गुजरात में...।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): कुछ तो बनाया, बेवकूफ तो नहीं बनाया न।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपको तो कुछ ही नहीं बनाया न।

श्री अध्यक्ष: श्रवण जी कुछ भी कह सकते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं मंत्री तो नहीं बना पर संतरी तो कम नहीं हूं न। चिन्ता मत करो, हिम्मत करे इन्सान तो क्या हो नहीं सकता। खुदा जब खुश होता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। चिन्ता मत करो सब कुछ हो जायेगा, समय आने दो। अभी बूढे नहीं हुए, जवान ही हैं।

मैं कहना यह चाहता था, आपके गुजरात की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। तर्ज वो का वो है। बातें वहां की करते हैं। जब बजट भाषण हो रहा था तब भी दिया कुमारी जी ने 33 बार मोदी जी का नाम लिया, 33 बार। 2 घंटा, 17 मिनट, 4 सेकंड पढ़ा, लेकिन 33 बार लिया। तो उनकी तर्ज पर कुछ करके भी दिखाओ न। मैं गुजरात गया था, सूरत में। वहां के मुख्य मंत्री को रात को बारह बजे कोई टेलीफोन करेगा तो टेलीफोन उठायेगा रिप्लाई देगा और बीस वर्षीय लड़कियां सूरत में घूमती रहती है, कोई यह पूछने वाला नहीं है कि तुम कहां जा रही हो। कुछ तर्ज की बातें सीख करके कुछ लागू भी तो करो। केवल बातें करते हैं। बातें मत करो काम करो। काम करोगे तभी जनता याद करेगी, नहीं तो कोई याद नहीं करेगा। हजारों चले गये, चालीस साल तो मेरे को देखते हो गये। आते हैं और चले जाते

हैं, मुसाफिर की तरह। ट्रेन वाले मुसाफिर हो रहे हैं, उतरे लुहारू स्टेशन पर, फिर आगे चले गये। ऐसे मत करो। जब दुनिया में आ ही गये, जन्म ले ही लिया और कर्म करने की सोच ही ली और पद भगवान ने दे ही दिया तो रस में डूब कर मजा लो। कुछ करके दिखाओ। आप तो बनिये हो, भगवान ने लक्ष्मी तो पहले से खूब दे रखी है पर बनिया पहले, क्या कहूं, बनिया नाम मेरे निकल ही जाता है, बनियों का तो मामला गड़बड़ है कुछ, खैर कोई बात नहीं, पर आप ठीक हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था सहकारिता को सुदृढ़ करिये और लगे कोई आने वाले समय में कि गोतम जी बने थे जिन्होंने सोसाइटी को जीवनदान दिया। एक आप इसके, पहले चुनाव नहीं होते थे पंचायतों के नियम ही नहीं बने थे, 13 साल तक पंचायतों के सरपंच रहे थे, याद है क्या बुडानिया जी, 13 साल तक। फिर भैरोंसिंह जी आये और चुनाव करवाया। अब पंचायतों के चुनाव होने लग गये तो आप सोसाइटी के नियम ऐसे सुदढ़ बना दो कि कोई भी आदमी उस पर हाथ लगाये गड़बड़ करने के लिये तो हाथ ही जल जाये। बना दोगे? हिम्मत नहीं है। मुख्य मंत्री जी को मैं कह दूंगा अगर आपकी हिम्मत नहीं है तो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिये आपकी सोसाइटियां तो क्या कर रही हैं मुझे मालूम नहीं पर गांव-गांव, शहर-शहर में ये फर्जी सोसाइटियां बना रखी हैं जिन्होंने गरीबों से दस प्रतिशत ब्याज लेकर लोगों को लूटा है, हजारों आदमियों ने आत्महत्या कर ली है। कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है कोई नहीं कह रहा है कि तुमने कितना बड़ा अन्याय किया। सीकर में दस आदमी मद गये थे कुछ दिन पहले। इतना बड़ा ब्याज दस प्रतिशत। एक प्रतिशत ब्याज नहीं फटे, दस प्रतिशत फट जायेगा क्या? और यह गांव-गांव, शहर-शहर, मजरा-मजरा में तैयार हो गयी है। मैं सहकारिता मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन सोसाइटियों पर अंकुश लगायें और जो लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार कर रही है उनके खिलाफ में एफ.आई.आर. दर्ज करवा कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये क्योंकि गरीब आदमी भोले-भाले जिनको पैसे की आवश्कता होती है उसको जाल में इस तरह फंसा देते हैं कि शाम को देना ही पड़ेगा और शाम को नहीं देंगे तो जान देगा। मकान,दुकान, घर सब गिरवी रख लेते हैं ऐसी सोसाइटियां कहां से लेकर आये जी? सरकार के पास तो कुछ भी नहीं है सोसाइटियों में और इनके पास सब कुछ है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

माननीय मंत्री जी, बहुत सारी बातें हैं इतना भी समझ जाओ कि सोसाइटी को सुदृढ़ करना है, गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पर लागू करना है और किसान का भला हो सके वह काम करना है। आप कहते हैं कि तीस हजार हमने माफ कर दिया। मत बनाओ हिन्दुस्तान को पेरासाइटिक, मत बनाओ भिखारी। बड़े देशों में जाकर देखो। योजना देते हैं, काम देते हैं। भिखारी बनाते हैं तीस हजार में क्या हो जायेगा? पाडा की बैल तो कोनी आवे तीस हजार में। माफ कर दिया सरकार ने तीस हजार रुपये माफ कर दिया। क्यों बिगाड़ रहे हो? ऐसी योजना दो कि वहां के किसान का बेटा उस पर काम करे और काम करके मजदूरी करके शाम को

सुख से सोये। अब एक महीने तो थे बांटो तब लगा देवो हो और एक महीने माफ करो, जब लगा देवो हो और एक उलटो लो जब लगा देवो। तीन महीने तो थारे गेल-गेल ही हैं वो। यह मत करो। सरकारों को इस योजना को बदलना पड़ेगा। अगर वास्तव में योजना बनाई है तो योजना ऐसी बनाओ कि दूध की जैसे डेयरियां हैं सोसाइटी के अधीनस्था होनी चाहिये जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हैं वो सोसाइटी बना कर उनसे फैक्ट्रियां चलाओ, उन्हें मजदूरी दो। हजारों आदमी नौकरी करेंगे, योजना बनेगी। आप ऐसा काम करो कि गरीब व्यक्ति का मन, डवलपमेंट हो, पैरासाइटिक मत बनाओ, उसकी आत्मा को आत्माविहीन मत बनाओ, कमजोर मत बनाओ। सोसाइटी राजस्थान की एक अलग से दृश्य होना चाहिये। अभी साढ़े तीन साल आपके पास और है मेरी तरफ क्या देख रहे हो? आप तो साढ़े तीन साल में बता दो कि सोसाइटी का प्रारूप क्या होता है, बता दोगे? पक्का? ...(व्यवधान)... अब ज्यादा कहने की जरूरत क्या है फिर जब आपने हां ही भर ली तो। हां भरी लेकिन आपने डरते-डरते कि ऊपर से कहीं मना कर दें तो, कोई नहीं करेगा ऊपर से मना, आप तो काम शुरू कर दो। अब ये खाद्य आपूर्ति मंत्री जी, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः अब ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहते।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): खाद्य आपूर्ति मंत्री जी बड़े चंचल हैं, बड़ी भागादौड़ी भी करते हैं, लेकिन राशनकार्ड, राशनकार्ड ही कहते हो न आप जिससे गेहूं देते हो, जब आप राशनकार्ड किसी को गेहूं के वो फिजिबल ही नहीं है, वो गेहूं उसको देते ही नहीं हो तो राशनकार्ड ही क्यों बनाते हो उसका?

Kas/rtm/11.03.2025/19.20/4c

राशन कार्ड नहीं बनाओगे तो वो राशन लेने कहां से जायेगा? जो राशन लेने के लिये वास्तव में फिजिबल है, उसी का राशन बनाओ। आप कहोगे कि उसकी एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के लिये आपका बिल देख लो, खुद का पहचान पत्र देख लो और आज तो सबसे बड़ा आधार कार्ड है। राशन कार्ड बनाओगे ही नहीं, तो चोरी अपने आप ही बंद हो जायेगी। मंत्री जी, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, जिस आदमी के पास तीन गाडियां हैं, तीन कोठी हैं, वो राशन का सामान लेने के लिये जाता है, इससे बड़ी गिरावट और क्या आयेगी? राशन की दुकान गरीब के लिये बनी है, असहाय के लिये बनी है, असमर्थ के लिये बनी है और तीन गाड़ी वाला राशन लेने के लिये जा रहा है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक मिनट, प्लीज। आप मेरे पर नाराज हो क्या?

श्री अध्यक्षः नहीं, ढाई-तीन घंटे और लगेंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अभी 8 मिनट और बाकी हैं मेरे।

श्री अध्यक्षः एक दो लाइन में वाइंड-अप कीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जी, अबकी बार तो मूड ठीक हुआ। कल तो आपने मुझे 2

मिनट ही नहीं बोलने दिया।

आपने पोस मशीन लागू की, अच्छी बात है, चोरी नहीं होगी, लेकिन गांव की महिलाएं जो घास खोदती हैं, उनके अंगूठों के चिह्न खतम हो जाते हैं। आप कहोगे कि इसकी रेखाएं खतम हो गईं, रेखाएं उनकी रहती हैं जो घर पर कुछ भी काम नहीं करतीं। जो सुबह से शाम घास खोदती हैं, मिट्टी में हाथ रखती हैं, उनकी रेखाएं खतम हो जाती हैं और उनको राशन नहीं देते हैं। जो लोग बाहर हैं, जिनका फर्जी राशन जा रहा है, उनके खिलाफ तो कार्यवाही कीजिए, हम मना नहीं करेंगे आपको, लेकिन जो वास्तव में फिजिबल है, उसकी अंगुलियों की रेखाएं घिस गईं, उसको तो आपको राशन देना ही चाहिये। पोस मशीन में उसका नहीं आता होगा, पर वो वास्तव में फिजिबल है। लास्ट में एक बात कह कर खतम करता हूं।

श्री अध्यक्ष: लास्ट वाक्य।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं आपको नाराज नहीं करूंगा, आपसे काम लेना है बहुत दिनों तक।

जीत की खातिर जुनून चाहिये, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिये,
यह आसमान भी आपकी जमीन पर है, बस इरादों की जीत की गूंज चाहिये।
ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है,
जीवन एक खेल है, खेलना जरूरी है।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गोतम कुमार। आप दोनों मंत्रियों से आग्रह है कि परिस्थितियां देखते हुए, चूंकि आज मुखबन्द भी है, बहुत काम है, इसलिए जितना संभव हो, उसमें आप कन्क्लूड करें।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 50 पर सदन में सार्थक चर्चा हुई। 42 माननीय सदस्यों ने बड़े उत्साह के साथ इस चर्चा में भाग लिया। माननीय सदस्यों ने मांग के साथ सुझाव भी दिये, मैं इसके लिये सभी माननीय सदस्यों को अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि यथा संभव दिये गये सभी सुझावों एवं मांगों को पूरा करने की दिशा में कार्य करेंगे। माननीय सदस्यों के द्वारा कुल 241 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनका जवाब निर्धारित समय में माननीय सदस्यों को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 'सहकारिता से सपने सच होते हैं, समृद्धि के दीप जलते हैं। हर घर में उजियारा फैले, जब सब हाथ मिलाते हैं।' माननीय अध्यक्ष महोदय, यही सहकारिता का भाव है, इसे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयम् ॥ लोकहितम् ॥ मन, वचन और कर्म से सदा लोक हित में कार्य करने का ध्येय लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता का मूल आधार है, निश्चित रूप से हमारे प्रधान मंत्री जी जिस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात् 'सबका साथ, सबका विकास।' माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से सदन

को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सहकारिता की पहुंच अनेक क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। चाहे बैंकिंग सैक्टर हो, क्रेडिट सोसाइटियां हो, हाउसिंग सोसाइटियां हो, दूध उत्पादक समिति हो और इसके अलावा स्वयं सेवी संस्थाएं हो। राजस्थान में लगभग 42,353 सोसाइटीज कार्यरत हैं। जिनमें लगभग 1,35,90 हजार से अधिक सदस्य हैं। इन समितियों की हिस्सा राशि पूंजी लगभग 22,792 करोड़ रुपये है और इनकी कार्यशील पूंजी लगभग 1, 77, 167 करोड़ रुपये से भी अधिक है। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया है। हमारे माननीय यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने इसके महत्व को समझा भी है और आपने देखा भी होगा कि पहले यह विभाग कृषि विभाग के अंतर्गत आता था, उसको 2021 में कॉ-ऑपरेटिव विभाग का अलग से दर्जा देकर देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी को इस विभाग की जिम्मेदारी देकर इसके महत्व को समझा। आपने देखा होगा कि इन दो सालों में जब से सहकारिता विभाग एक नया विभाग बना है, अनेक नवाचार करके सहकार से समृद्धि लाने का काम देश के प्रधान मंत्री जी ने करने का काम किया है। इस वर्ष में हम कैसे सहकारिता का विस्तार कर सकते हैं। सहकारी समितियों को हम कैसे अधिक से अधिक पहुंच में पहुंचा सकते है, सहकारी बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से हम कैसे अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध करा सकते हैं।

श्री अध्यक्षः संसदीय मंत्री जी, फोटो आ गया है।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): डिजिटलाइजेशन और पारदर्शिता से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं।

श्री अध्यक्षः साथ में आपकी भी लगवा देते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): विधान सभा सचिवालय और आपका भी धन्यवाद, जहां वासुदेव हैं, वहां सब संभव है।

श्री अध्यक्षः इन्होंने सुझाव दिया है कि आपका फोटो भी लगा दें।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): महिला एवं युवाओं को सहकारी समिति से जोड़ कर उन्हें स्वरोजगार और उद्यमशीलता के अवसर देना मुख्य है।

मैं इस अवसर पर हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि वो किसान परिवार से आते हैं, वो किसानों की पीड़ा को अच्छे से समझते हैं। किसान को उसकी छोटी-छोटी जरूरतों के लिये, चाहे खाद हो, बीज हो, जुताई की हो, उसकी छोटी-छोटी जरूरतों के लिये उसको अल्पकालीन ऋण की जरूरत होती है। मैं इस अवसर पर उनको धन्यवाद दूंगा कि पिछली सरकार में अल्पकालीन ऋण देने का यह लक्ष्य लगभग 22 हजार करोड़ का था, उसको बढ़ाकर इस साल 25 हजार करने की घोषणा की है।

अभी हमारे माननीय सदस्य डूंगाराम गेदर जी ने कहा कि आपने 25 हजार करोड़ का टार्गेट तो दे दिया, लेकिन ब्याज अनुदान आपने 250 करोड़ ही दिया है। वो अभी शायद सदन में हैं नहीं, मैं आपके माध्यम से उनको जानकारी देना चाहूंगा कि हमने इस वर्ष 768 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान देने का प्रस्ताव किया है।

Msk/rtm/11.03.25/1930/4d

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। राजस्थान में भी लगभग 72 लाख किसान निवासरत हैं। किसान खेती के साथ-साथ आय कैसे बढ़ा सकें, इसकी चिन्ता भी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है। आपने देखा होगा, पिछले साल उन्होंने अपने बजट में, हमने जो अपने संकल्प-पत्र में घोषणा की थी। आप संकल्प-पत्र की बात करते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने जो किया है, वह थोड़ा-सा आपके सामने रखना चाहूंगा।

किस प्रकार से किसान अपनी आय बढ़ा सके, उसके लिए पिछले बजट में हमने गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना, किसानों को बिना ब्याज के एक लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने का हमारी सरकार ने किया है। इस साल भी हमने ढाई लाख पशुपालकों को ऋण देने का लक्ष्य रखा है। कुछ सदस्यों ने प्रश्नों के माध्यम से भी, कटौती प्रस्ताव के माध्यम से भी थोड़ा-सा संशय किया कि इसमें कुछ कठिनाई आ रही है तो आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने उसमें भी सरलीकरण करते हुए, इसमें पहले जरूरी था। मेन्डेटरी था कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का जो सदस्य होगा उसी को ही, अब उसके साथ-साथ कोई अगर सहकारी समिति का सदस्य है तो उसको भी ऋण देने का काम हमारी सरकार करेगी। इस बजट में ऋण के लिए दस्तावेज में जो स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, बजट घोषणा में उसको भी मुक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसानों की लगातार बात आ रही थी। अभी चौधरी साहब भी कह रहे थे कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों की बात आती है तो पीछे हट जाती है। विकास जी ने भी कहा और श्रवण जी ने भी कहा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): फोटो नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: आ जायेगा। उनकी गति को ब्रेक न करें, वे अच्छा बोल रहे हैं।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब यह जानते हैं कि किसानों की समृद्धि से ही राष्ट्र की प्रगति संभव है। किसानों की समृद्धि के लिए मैंने महसूस किया है कि नारे तो बहुत लगाये जाते हैं, देश में धरने भी दिये जाते हैं, लेकिन किसानों को आजादी के बाद सीधा-सीधा लाभ देने का काम किसी सरकार ने नहीं किया है, मैं इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 2019 में बिना चुनावी घोषणा के उन्होंने देश के 9 करोड़ किसानों को सीधे-सीधे छह हजार रुपये किसान सम्मान निधि के माध्यम से देने का काम किया है। मैं इस अवसर पर हमारे किसान परिवार से आने वाले यशस्वी मुख्य मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान के 72 लाख किसानों को, जो हमारे संकल्प पत्र की घोषणा थी। 72 लाख किसानों को पिछले साल अपने बजट में 2 हजार रुपये बढ़ाने का काम किया और इस साल उस राशि को 3 हजार और बढ़ाकर राजस्थान के 72 लाख किसानों को 9 हजार रुपये किसान सम्मान निधि के माध्यम से, डी बी टी के माध्यम से सीधा उनको पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। अभी कल और परसों भी इस किसान सम्मान निधि को लेकर

कोई प्रश्न आये थे। घोटालों की बात भी आयी थी। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को यह अवगत कराना चाहूंगा कि जितनी भी अनियमितताएं किसानों को पहुंचने वाले पैसे में हो रही हैं, उन सब शिकायतों पर कार्यवाही करके हमारी पारदर्शी सरकार दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का काम करेगी।

मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा, बात कर रहे थे कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपकी सरकार ने, कल नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि उस पर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि 2022 में आपने एफ आई आर दर्ज करायी थी, उस पर तो एफआर लग गयी। उसको वापस खुलवाने का काम भी किया है और जो भी दोषी हैं, उन दोषियों पर कार्यवाही करने का काम हम करेंगे और वसूली की कार्यवाही करने का काम भी हमारी सरकार करेगी।

सहकार से समृद्धि कैसे लायी जा सकती है, इसके लिए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार ने, भारत सरकार द्वारा मॉडल बाइलॉज अभी लाया गया है, उसको अडॉप्ट करते हुए राजस्थान की जो सारी सहकारी समितियां हैं, उसमें इस मॉडल बॉइलॉज में अपनाया है। उसके माध्यम से जितने भी पैक्स हैं, वे केवल पैक्स का काम ही नहीं करेंगे, वे अब बहुउद्देश्यीय के रूप में हर काम कर सकते हैं। अब वे चाहें तो पेट्रोल पंप लगा सकते हैं। राजस्थान में 16 पेट्रोल पंप का आवेदन सहकारी समितियों के माध्यम से हुआ है, उसमें से 3 का चयन भी सरकार ने कर दिया है। 5 हजार 99 कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। हमारे एम-पैक्स भी एफ पी ओ के रूप में भी काम कर रहे हैं। 4 हजार 30 समितियां किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में अपग्रेड किया जाकर फर्टीलाइजर और बीज वितरण का कार्य भी कर रही हैं। सरकार एक जिले में 5 नये जन-औषधि केन्द्र खोलने की दिशा में भी जा रही है।

अभी कुछ सदस्यों द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर की भी डिमांड की गयी थी। निश्चित रूप से सोसाइटी के माध्यम जो कस्टम हायरिंग उनको दिये जाते हैं, ट्रैक्टर और कल्टीवेटर, रोटावेटर, जो कृषि सम्बन्धित उपकरण हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब व्यक्ति को भी रियायती दर पर ये सारी सुविधाएं मिल सके, इस ओर भी हमारी सरकार अग्रसर है। इस साल हम 1 हजार नये कस्टम हायरिंग सेंटर देकर, राजस्थान की पैक्स में कस्टम हायरिंग के सामान, उपकरण देकर, किसान रियायती दर पर इसका उपयोग कर सके, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। भारत सरकार के सहकारिता विभाग के जो 54 नवाचार हैं, उनमें से अधिकतर को हम राजस्थान में लागू करके कैसे कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर का लाभ सबको दे सकें, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। सभी सदस्यों ने कहा कि हर पंचायत में पैक्स होना चाहिए, नयी समितियां खुलनी चाहिए। अभी आदरणीय चौधरी साहब ने कहा कि हमारी सरकार में हर पंचायत पर पैक्स खोलेंगे, ऐसा हमने वादा किया। मैं हमारे मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने, देश में जिस तरह से दो लाख नये पैक्स खोले जायेंगे, उसी में हमारे राजस्थान में ढाई हजार नये पैक्स का गठन करने का लक्ष्य आने वाले दो

सालों में हमारे मुख्य मंत्री जी ने लिया है।

अभी रतनगढ़ से आने वाले सदस्य ने बताया कि ये जो पैक्स हैं, इसमें सदस्यों की संख्या ज्यादा है। नये समितियों के गठन में थोड़ी कठिनाई आती है, इसके लिए भी हमने शिथिलता और सरलीकरण देते हुए, जो पहले पैक्स को 300 मेम्बरशिप की अनिवार्यता थी, उसको खतम करके 150 करने का काम हमने किया है। जो हिस्सा राशि तीन लाख थी, उसको भी हमने घटाकर डेढ़ लाख करने का काम किया है। सामान्य क्षेत्र में 1 लाख से 75 हजार, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 75 हजार से 50 हजार रुपये करके हमने इस नये जी एस एस के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने का काम किया है।

अभी आदरणीय बुडानिया साहब ने महिला सशक्तीकरण की बात की थी। सिविल लाईन्स से आने वाले माननीय विधायक आदरणीय गोपाल शर्मा जी ने भी लिज्जत पापड़ का उदाहरण देकर कि महिलाएं भी को-ऑपरेटिव सेक्टर से जुड़कर कैसे आगे बढ़ सकें, इसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तीकरण में विश्वास रखती है। हम 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।' अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए वचनबद्ध है। इसको मूर्त रूप देने के लिए हमने राज्य में 54 नयी महिला सोसाइटियों का गठन किया है। उसमें तीन लाख रुपये की हिस्सा राशि है, वह भी राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

mdp/rtm/11.03.25/19:40/4e

इस कदम से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी और महिलाएं अपने हित में कोई निर्णय भी ले सकेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय विपक्ष के अधिकतर सदस्यों ने गबन, घोटालों की चर्चा की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पिछले पांच सालों में इनको रोकने का किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया, कोई काम नहीं किया गया। हमारी सरकार जब से बनी है और हमने राजस्थान के 6 हजार 781 जो पैक्स हैं, उन सबको कम्प्यूटराइजेशन करने का काम किया है। उसमें से 3,408 पैक्स को गोलाई करके उसमें किसी भी तरह का, कोई छिपा हुआ नहीं रहे, अभी बहुत सारे सदस्यों ने बताया कि हमें पता ही नहीं होता, अभी अभिमन्यु जी ने और गेदर साहब ने कहा कि सोसाइटी में व्यवस्थापक पैसा लेकर चला जाता है, कोई गबन करके चला जाता है, उनकी संपत्तियों का पता ही नहीं रहता है कि सोसाइटी के पास क्या है। वह केवल व्यवस्थापक ही जानता है। हमने इसके लिए सारा जो डेटा है, वह ऑनलाइन करने का काम किया है। इसको जयपुर में बैठा अधिकारी भी देख सकता है और आप भी जाकर देख सकेंगे। ऐसा पारदर्शी करने का काम हमने किया है। जो भी अनियमितताएं हैं, उनको रोकने के लिए एक बड़ा कदम हमारा यह होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को बताते हुए बड़ी खुशी है कि देश के सहकारिता मंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने हमारे किसानों की लगातार उपज बढ़ रही है, किसान लगातार अपनी उपज बढ़ा रहा है, लेकिन उसके भंडारण की चिंता कभी किसी सरकार ने नहीं की। इसकी चिंता की है तो हमारी सरकार ने की है। आपने देखा होगा कि पहली बार सोसाइटी को 500 मीट्रिक टन के गोदाम, पिछले बजट में पहली बार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे 2024-25 की जो घोषणा थी, उसमें 500 मीट्रिक टन के 100 गोदाम और 100 मीट्रिक टन के 50 गोदाम की हमने पिछले बजट में घोषणा की थी। मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि उक्त सारे गोदामों की हमने स्वीकृति भी जारी कर दी है और उनका सबका निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस वर्ष भी, पिछले साल तो दिये ही 500 मीट्रिक टन के, इस वर्ष भी उन्होंने 500 मीट्रिक टन के 100 नये गोदाम और साथ-साथ 250 मीट्रिक टन के 50 नये गोदाम और कुछ पुराने और जर्जर भवनों के लिए, जो चर्चा कर रहे थे, आपने उन जीर्ण-शीर्ण गोदामों के लिए चिंता नहीं की थी, 100 जो जीर्ण-शीर्ण गोदाम है, उनके लिए भी इस बार बजट में घोषणा की गयी है। इससे हमारी भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी। 1 लाख 13 हजार मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता हमारी बढ़ेगी। यह भंडारण क्षमता बढ़ने से किसानों को उनकी उपज रखने की सुविधा के साथ-साथ गोदामों को केन्द्र सरकार की खरीद के समय किराये पर देने से जी एस एस की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

बात कर रहे हैं किसानों की, मैं इस अवसर पर हमारी पारदर्शी सरकार की एक बात और रखना चाहूंगा कि बैंकों में प्राथमिक ऋणदाता सहकारी समिति के ऋणी सदस्यों के लिए दो बीमा योजनाएं चलती हैं। एक, सहकार जीवन सुरक्षा योजना, एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। इन दो योजनाओं के माध्यम से, इन दो योजनाओं का प्रीमियम किसान खुद वहन करता है। एक में दस लाख तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। दूसरे में किसान, जो उसका ऋण है, उसको सुरक्षित करता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे कुशल प्रबंधन से इन बीमा योजनाओं में, पिछली सरकार में जिस प्रकार से हमारे राजस्थान में किसान वो ही 31 लाख और 31 लाख किसानों के बीमे का प्रीमियम पिछली सरकार में लगता था 360 करोड़ रुपये और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का जो प्रीमियम है, वह लगता था 96 करोड़ रुपये। हमारी सरकार बनने के बाद हमने दो-दो बार टेंडर करवाए और कैसे भी करके राजस्थान के किसानों की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है, वह जो प्रीमियम है, उसको कम देना पड़े, इसके लिए हमने प्रयास किया और दोनों में ही कमी करते हुए, एक में तो 360 की जगह कितना लगा? 186 करोड़ और 96 करोड़ की जगह 82 करोड़ रुपये। ऐसा करके हमने राजस्थान के 41 लाख किसानों का 187 करोड़ रुपये बचाने का काम हमारी सरकार ने किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष

2023-24 में बीमा कंपनियों द्वारा जो हमारे किसानों के साथ लूट की गयी है। उसका जो वित्तीय भार हमारे किसानों पर पडा है, उसकी हम जांच करायेंगे। जो भी कर्मचारी/अधिकारी/बीमा कंपनियां इसमें संलिप्त पायी जायेगी, उन पर कार्यवाही करने का काम हमारी सरकार करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जब खरीद केन्द्र की बात आ रही थी। मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों की चिंता की और पिछले वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने समर्थन मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि की है, उसका असर हमें राजस्थान में देखने को मिल रहा है। केवल सरसों में 900 रुपये क्विंटल बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। चने में 420 रुपये बढ़ाने का काम किया है, मूंग में 930, रुपये, उड़द में 800 रूपये, सोयाबीन में 592 रुपये एवं मूंगफली में 933 रुपये की वृद्धि हुई है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): खरीद तो बताइए।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): वह भी बताता हूं। आपको पूरा बताते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हम सब बताएंगे।

श्री अध्यक्ष: कॉम्पीटिशन थोड़े ही है, एक खड़ा हो तो दूसरा खड़ा हो। आवश्यक नहीं है।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): रबी के सीजन में हमने सरसों की 3 लाख 51 हजार 849 मीट्रिक टन की खरीदी की। इसी प्रकार खरीफ सीजन में मूंग की अप्रत्याशित खरीद करते हुए लगभग 01 लाख 45 हजार 881 मीट्रिक टन की खरीद हमने की है। सोयाबीन की भी 98 हजार मीट्रिक टन की खरीद हमने की है और मूँगफली जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, हमारी सरकार ने इस वर्ष, पिछले चार सालों में इनकी पूरी सरकार में 2019 से लगाकर 2023 तक जितनी खरीद नहीं हुई है, उतनी पिछले एक वर्ष में 4 लाख 30 हजार 263 मीट्रिक टन खरीदने का काम हमारी सरकार ने किया है। ...(व्यवधान)... इस साल ही चार लाख है, अभी कल तक का ही आंकडा है यह।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। यह किस बात का शौक है कि एक खड़ा हो, दूसरा खड़ा हो।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): कुछ माननीय सदस्यों ने खरीद में कुछ अनियमितताओं की बात भी की है। निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में खरीद हुई है। कुछ अनियमितताएं भी हुई हैं। उसकी चिंता भी आपने की है। इस वर्ष अभी हमारी वापस जो सरसों व चने की खरीद प्रक्रिया है, इसमें जैसे-जैसे हमें लगता है कि हमें यह सुधार करने चाहिए तो हम सुधारात्मक उपाय भी कर रहे हैं। जैसे कि पहले एक ही व्यवस्थापक को 3-4 जगह का चार्ज दिया जाता था। जो भ्रष्टतम होता था, उसको ज्यादा से ज्यादा चार्ज दिया जाता था। हमने इस बार एस ओ पी जारी की है। इस बार की खरीद में एक व्यवस्थापक को केवल और केवल एक समिति का चार्ज दिया जायेगा। इसी प्रकार हैण्डलिंग एवं परिवहन, जिस प्रकार से ये ठेकेदार जो लूट करते हैं। उसकी टेंडर प्रक्रिया को सुधारने का काम हमने किया है। इसकी मॉनिटरिंग हेतु भी निगरानी दल हमने बनाएं हैं।

खरीद केन्द्र पर तकनीक का उपयोग कर, जो अभी बता रहे थे कि व्यापारी तोल लेते हैं,

हम खरीद केन्द्र पर भी इस बार बायोमेट्रिक मशीन लगाएंगे, किसान को स्वयं वहां आना पड़ेगा और उस बायोमेट्रिक के आधार पर, किसान की उपस्थिति के उपरांत ही उसकी खरीद करवायी जायेगी।

Ans/rtm 19.50 4f 11.03.2025

खरीद केन्द्र पर आने वाले किसानों, अधिकारियों को जोड़कर एक एप भी विकसित किया जाएगा, जिस पर शिकायत होने पर त्वरित कार्यवाही करने का काम, उस एप से मैं स्वयं जुडुंगा और उस पर त्वरित कार्यवाही करने का काम हमारी सरकार करेगी। खरीद केन्द्र हेतु आकस्मिक निरीक्षण व जांच दल बनाकर हम उनका आकस्मिक निरीक्षण करने का काम करेंगे। खरीद शुरू होने से पहले ही हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे,। आपने देखा होगा अभी होर्डिंग्स लग गये है जबकि सरसों खरीद होने में 15-20 दिन, महीने भर की देर है। हमने अभी से उसके होर्डिंग्स लगाये हैं। राजस्थान के 234 जी एस एस, के वी एस एस हैं, उन सब पर वे होर्डिंग्स लग जाएंगे, आपको एक-दो दिन में देखने को मिल जाएंगे। उसका प्रचार प्रसार करने का काम भी हम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सहकारिता अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सहकारिता के अधिनियम को बने हुए लगभग 25 वर्ष हो गए हैं। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने, सोसाइटी को लेकर हो, क्रेडिट सोसाइटी को लेकर हो या दूध समितियों को लेकर हो, अनेक प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें की हैं। इन अनियमितताओं पर हमारा प्रभावी नियंत्रण हो, इसके लिए सहकारिता अधिनियम है, हमारा को-ऑपरेटिव कोड है, उसमें कुछ संशोधन किया जाना आवश्यक है, ताकि इन सहकारी संस्थाओं के संचालन में पारदर्शिता बनी रहे। इस हेतु हम नवीन को-ऑपरेटिव कोड लागू करने की कार्यवाही की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके लिए हमने दल भी बनाया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब, अभी जिस महाराष्ट्र व गुजरात की चर्चा आप कर रहे थे, मैं आपके माध्यम से आदरणीय चौधरी साहब को बताना चाहूंगा कि जिस अध्ययन दल की बात आप कर रहे थे,आदरणीय जीनगर साहब ने भी उसकी बात की थी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, केरल, कर्नाटक इत्यादि राज्यों से सहकारिता अधिनियमों के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन हमने कर लिया है एवं विभिन्न राज्यों के सुसंगत प्रावधानों के सुसंगत ड्राफ्ट तैयार कर पब्लिक डोमेन रखकर, हमने सभी से सुझाव लेने का प्रयास किया है। आपके भी कोई सुझाव हो तो आप उसमें जरूर दे। औचित्यपूर्ण सुझावों को समाहित कर सहकारिता के विद्वान लोगों के साथ हमने ब्रेन स्टोर्मिंग सैशन भी आयोजित किया है। तत्पश्चात उक्त ड्राफ्ट को हमने विधि विभाग में विवक्षा हेतु भिजवाया है। शीघ्र नये को-ऑपरेटिव कोड लेने का हम प्रयास करेंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): प्रयास ही करते रहो।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): कोशिश करेंगे इस सत्र में ही लेकर आये।

...(व्यवधान)... हम तो कोशिश करेंगे इस सत्र में ही लेकर आये।

श्री अध्यक्षः आप पूरा सुनो तो सही। बहुत सारी चीजें होगी। सुनोगे तो जल्दी खतम होगा। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य अपनी सीट पर जाओ। बोलना है तो अपनी सीट पर जाओ।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी समिति के गबन घोटालों की खूब चर्चा हुई, लेकिन हम उन पर क्या-क्या सुधारात्मक काम कर सकते हैं, इस पर हमें थोड़े कम सुझाव मिले। मैं आज दिन भर बैठा था, अनियमितताओं की चर्चा हुई। यह भी सर्वविदित है कि इन परिवेशों में, हम देखते हैं जैसे गेदर साहब भी बता रहे थे कि हमारे यहां सोसाइटी में घोटाला हुआ और हमारे वहां के लोगों को पता ही नहीं। सोसाइटी अपने आप में एक स्वायत्तशासी संस्था है, उसका कंट्रोल वहां का संचालक मण्डल करता है। मैंने महसूस किया है कि हमारे संचालक मण्डल है,उनको कहीं ना कहीं नियम-कानूनों की जानकारी नहीं होती है, अपडेट नहीं होते हैं और उसके अभाव में कई जगह हमने देखा कि व्यवस्थापक घोटाला कर लेता है और संचालक मण्डल को पता ही नहीं होता है। कई जगह तो ऐसा भी देखने को मिला कि संचालक मण्डल के सदस्य का पैसा लेकर व्यवस्थापक भाग गया, तो हम उनको अवेयर करने का काम करेंगे। हमारी संस्थान राजसंघ है, उसके माध्यम से हम जितने भी को-ऑपरेटिव सोसाइटी से जुडे हुए लोग हैं उनको प्रशिक्षण देकर, कैसे हम सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत कर सके, इस दिशा की ओर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी गबन, घोटालों को लेकर खूब चर्चाएं हुई। मैं आपके माध्यम से थोड़ा उस पर प्रकाश डालने का काम करुंगा। सबने कहा, विपक्ष के तो लगभग-लगभग सभी सदस्यों ने कहा गबन, घोटाला हुए हैं। लेकिन कभी इनकी तह में जाने की कोशिश की है क्या? जब मैं मंत्री बना उस समय धारा 55, धारा 57 (1) धारा 57(2) के आपके लगभग 850 पेंडिग प्रकरण थे, जिनमें इन घोटालों की जांच होती है। वह जांच कोई दो-चार दिन की नहीं, कोई पांच साल की, कोई दस साल की। पिछले पांच सालों में उनको कभी रिव्यू नहीं किया गया है। ...(व्यवधान)... हमने किया है जो आपको बता रहा हूं। आप तो सुनो। हमने उसकी प्रभावी समीक्षा करके, 850 प्रकरण थे हमने लगभग 600 प्रकरणों का निस्तारण करने का काम इस एक साल के दरमियान किया है। धारा 55, 57 , को-ऑपरेटिव में जांच होती है वह इन तीन धाराओं में होती है। इन तीनों धाराओं में हमने इसको नीचे लाने का काम किया है। हम इसको जीरो पर लाकर, आज अगर सोसाइटी में कोई घोटाला होगा तो मैं प्रयास करुंगा कि उसका महीने भर में ही उसका निस्तारण हो, ऐसा प्रयास करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। घोटालों की जितनी भी जानकारी हमें मिली है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का काम किया है। अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध एफ आई आर तक दर्ज करवाने का काम हमारी पारदर्शी सरकार ने किया है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बैठे-बैठे बोलना मना है।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): आपके 18 व 19 के ऋण माफी के ही घोटाले हैं और उनकी जांच भी हो चुकी है। ...(व्यवधान)... डूंगरपुर की उन समितियों के नाम भी मुझे ध्यान है। आपके आएंगे तो मैं निश्चित रूप से उनकी जानकारी भी आपको दूंगा। ...(व्यवधान)... आप कार्यायल में आकर सम्पर्क करना। जिन-जिन पर कार्यवाही हुई है वह भी बताऊंगा और जो पेंडिग है उनकी जानकारी भी आपको दूंगा।

मुझे सदन को अवगत कराते हुए खुशी भी हो रही है, हम ना केवल अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं, अपितु विगत सरकार के समय से लंबित, काफी समय से डी पी सी नहीं हुई थी, उन पदोन्नतियों को भी हमने पूर्ण करने का काम किया है।

अभी वेकेन्सीज की चर्चा कर रहे थे। उन वेकेन्सीज को भी, चाहे राजफैड हो, बैंकिंग सेक्टर हो, हमने उनकी भर्ती निकालने का काम भी किया है। उनकी विज्ञप्ति जारी कर अगले माह परीक्षाएं आयोजित कर शीघ्र ही राजस्थान के युवाओं को, आपने तो केवल और केवल पेपर लीक, क्या दिया था नाथी का बाड़ा, हमारी सरकार रोजगार देने की ओर अग्रसर हो रही है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः ऐसे मत करो।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके इशारों को समझ गया हूं। अब इसको कंक्ल्यूड करते हुये मैं अटल बिहारी जी वाजपेयी की एक कविता के साथ अपनी बात रखूंगा।

बाधाएं आती हैं, आए, घिरे प्रणय की घोर घटाएं
पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे ज्वालाएं
निज हाथों से हंसते-हंसते, आग लगाकर चलना होगा
कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि सहकारिता के विकास के लिए राजनीति से ऊपर उठकर सहकार से समृद्धि अभियान को सफल बनाने हेतु हम सब साथ आएं। साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा जो भी बजट घोषणाएं की गई है, उन सबको हम समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने हेतु संकल्पित है। जय सहकार।

श्री अध्यक्षः माननीय, मांग स्वीकार के लिए आग्रह तो करो। मांग पारित की जाए।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 50 पारित करने की मैं मांग करता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री सुमित गोदारा।

VPS-RTM-11.03.2025-20.00-4g

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आज आपका साफा बहुत अच्छा लग रहा है। साफा

जम रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यगणों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जिन्होंने आज अपने विचार रखे। आपके विचार न सिर्फ प्रेरणा हैं, बल्कि मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। मुझे याद है कि 25 जुलाई, 2024 को जब इसी मांग पर इस सदन में बात रखी थी तो आप ही के विचार से जो बातें आयी थीं, जिसमें खाद्य सुरक्षा में राजस्थान में नये क्रांतिकारी कदम आगे लेकर आ रहे हैं।

मैं उसके बारे में बाद में आऊंगा पर सबसे पहले शुरूआत करते हुए, माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सदन को सनातन धर्म में अन्न तथा अन्न के उपभोक्ता के महत्व को बताना चाहूंगा। शास्त्र कहते हैं कि-

'अन्नम ब्रह्म रसं विष्णुं भोक्ता देवो जनार्दनम्' अर्थात, अन्न ही ब्रह्मा और उसमें निहित सार तत्व विष्णु है और उसका उपभोगकर्ता है वह महेश्वर के समान है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये। कंटिन्यू करने दो।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): शास्त्र कहते हैं कि- 'न अन्नोदकसमं दानं' अर्थात, अन्न से बढ़कर कोई दान नहीं है, कोई देय वस्तु नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मेरा सबसे यह आग्रह है, वरिष्ठ माननीय सदस्यों को और नये माननीय सदस्यों को भी कि कृपया, जब मंत्री जवाब दे रहे हों तो आप ताली बजाओ, डेस्क बजाओ लेकिन हस्तक्षेप, बोलो मत। नहीं तो उनकी पूरी फ्रीक्वेंसी में भी परिवर्तन आता है। माननीय मंत्रीजी, बहुत अच्छा। ...(व्यवधान)...

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, हमारा विभाग भी अन्न को ब्रह्मा, उपभोक्ताओं को महेश्वर मानकर न केवल उन्हें सतत गेहूं उपलब्ध करवा रहा है, अन्न उपलब्ध करवा रहा है, बल्कि विभाग की प्रत्येक नीति निर्धन उपभोक्ताओं के सार्वकालिक हित को दृष्टिगत रखते हुए ही बनायी जा रही है।

मैं उपभोक्ता मामलात विभाग के, माननीय प्रधान मंत्रीजी ने जो कंज्यूमर राइट के साथ हमें कंज्यूमर केयर अभियान पर फोकस करने का विशेष दिया है, उसी के तहत राजस्थान में विशेष काम किये गये हैं, जिन पर माननीय अध्यक्षजी, मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा।

सबसे पहले राज्य जिला आयोग में रिक्त पदों पर भर्तियां। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में आया पर पूर्ववर्ती सरकार ने उसके तहत कोई भी नियुक्तियां नहीं करी। देश के अन्दर राजस्थान यह पहला और अग्रणी राज्य है, जहां लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की गयी है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लिखित परीक्षा के माध्यम से मार्च, 2025 तक अध्यक्षों और सदस्यों के खाली होने वाले कुल 87 पदों की नियुक्तियां दी जा रही हैं जिनमें सात सदस्य राज्य उपभोक्ता आयोग, 21 सदस्य जिला उपभोक्ता आयोग एवं 59 जिला आयोग सदस्य के पद है, यह भारत में राजस्थान पहला राज्य है, जहां माननीय प्रधान मंत्री के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत

नियुक्तियां दी जा रही हैं और इस भर्ती के लिए भी हमने देश की सर्वश्रेष्ठ एजेंसी आई.बी.पी. जो बैंक के पी.ओ. के एग्जॉम करवाती है, उस एजेंसी के माध्यम से किया गया, क्योंकि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा यह निर्देश है कि कोई भी भर्ती पेपर लीक नहीं होना चाहिए और 14 महीने की सरकार में, यह मजबूत सरकार है जो पेपर लीक नहीं होने दे रही है और मुझे वह समय भी याद आता है, जब पिछली पन्द्रहवीं विधान सभा में हम पीछे बैठे होते थे, हर पेपर लीक होता था। कांग्रेस के सदस्य भी चेहरा उतारे हुए रहते थे कि क्या करें, हमारी ऐसी कमजोर सरकार है जिसमें जो पेपर लीक ही लीक होते हैं और हमें अब यह गर्व होता है कि इन 14 महीनों में ऐसी भजन लाल शर्मा जी, माननीय मुख्य मंत्रीजी की सरकार है, जहां गांव का हर युवा उसको देख रहा है, इस दिशा और आशा से कि इस सरकार में उसका बेटा सबको रोजगार मिलेगा, अब निष्पक्ष परीक्षाएं होंगी।

माननीय अध्यक्षजी, माननीय प्रधान मंत्री मोदीजी एक नई व्यवस्था लेकर आये हैं उपभोक्ता संरक्षण में मीडिएशन की प्रक्रिया लेकर आये हैं, मध्यस्था की प्रक्रिया जिससे उपभोक्ताओं के कोई भी हितों में आपस में टकराव हो तो मीडिएशन के माध्यम से समाधान उसका हो सके। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसम्बर, 2024 से राजस्थान में मीडिएशन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है जिससे उपभोक्ता विवादों में आपस में निपटारा हो सकेगा और उपभोक्ता आयोग में परिवाद को ऑनलाइन निस्तारण का काम भी हमारे द्वारा शुरू किया गया है और मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि अब पूरे भारत में राजस्थान इसमें भी, उपभोक्ता आयोग में परिवाद ऑनलाइन में तीसरे स्थान पर भारत में राजस्थान है। जिसमें हमें 01 जनवरी, 2024 से आज दिनांक तक 6741 शिकायतें हुईं जिनमें से माननीय अध्यक्षजी, 98 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण विभाग द्वारा कर दिया गया।

माननीय अध्यक्षजी, कंज्यूमर केयर में प्रधान मंत्रीजी के निर्देश के अनुसार ही कंज्यूमर केयर में जिनका अच्छा कार्य किया गया, उनके लिए कंज्यूमर केयर अवार्ड की प्रक्रिया हमारे द्वारा शुरू की गयी, जिसके तहत 24.12.2024 को कंज्यूमर डे के दिन पांच श्रेणियों में अवार्ड दिये गये। राज्य आयोग एवं जिला आयोग में बी.पी.एल. एवं अंत्योदय के लाभार्थियों को जिन्होंने परिवाद नि:शुल्क दायर करने के निर्देश के तहत यह कार्य किये गये।

माननीय अध्यक्षजी, महाभारत में यह कहा गया है कि-

मिथ्या मानेन विक्रीय विक्रीयन्ते ये नराः

ते त्रीणि जन्मानि नश्यन्ति पित्रयं च मातृकम।

यानी, कि नाप तोल में गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति अपने परिवार और समाज के लिए भी खतरनाक होता है। इसी को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार कंज्यूमर केयर अभियान हमारे द्वारा चलाया गया। दो बार अभियान चलाया गया, जिसमें 1875 फर्मों पर कार्यवाही की गयी और 1183 फर्मों पर प्रकरण दर्ज करके 31 लाख रुपये की राशि शास्ति में प्राप्त की गयी और हमारा विभाग आने वाले समय में यह लीगल मेट्रोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर केयर अभियान के तहत आम उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा राहत प्रदान

हो, उनको जो वेट है वह पूरा का पूरा मिले, इसके लिए भी युद्ध-स्तर पर हमारा विभाग, जो आज कुछ सदस्यों के सुझाव हैं उन पर अमल करते हुए आगे कार्य करेगा।

लीगल मेट्रोलॉजी, विधिक मापविज्ञान में लाइसेंस प्रक्रिया में भी कंज्यूमर केयर अभियान के तहत हमारे द्वारा परदर्शिता लायी गयी है, जिसके तहत विनिर्माता, व्यवहारी ट्रेडर्स और मरम्मतकर्ताओं के लाइसेंस का काम ऑनलाइन हो रहा है तथा आवेदन नवीनीकरण में भौतिक निरीक्षण का प्रावधान समाप्त कर ऑटो मोड पर ही स्वतः नवीनीकरण हो रहा है, क्योंकि पहले इसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था तो ऑटो मोड पर ही नवीनीकरण का कार्य करके उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा रहा है।

माननीय अध्यक्षजी, हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, पूरा विश्व जिनका लोहा मानता है, दुनिया के सबसे बड़े लीडर के रूप में पूरे विश्व में जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी, उनके द्वारा जब प्रधान मंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना लायी गयी तो कई लोगों ने इनका विरोध किया, पर ये प्रधान मंत्रीजी हैं, जो निर्णय लेते हैं, वह ठान कर रखते हैं और करते हैं और देखिये कि प्रधान मंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के माध्यम से पांच साल, जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2028 तक खाद्य निःशुल्क आवंटन करने के फलस्वरूप प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सभी श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं दिया जा रहा है। देश में 80 करोड़ और 12 लाख करोड़ की राशि इसके लिए प्रधान मंत्रीजी द्वारा आरक्षित की गयी है।

माननीय अध्यक्षजी, जैसा कि कई बार हमारे यहां पर सदस्यों द्वारा बताया गया कि हमारे मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में ऐसी सरकार राजस्थान में पहली बार बनी जो अपने संकल्प पत्र में वादे किये, उनको पहले साल में ही पूरा करने की ओर अग्रसर बढ़ रही है। 58 प्रतिशत हमारे जो संकल्प पत्र में वादे थे, वे पूरे किये, उसी के तहत एक वादा मुख्य मंत्री रसोई गैस सब्सिडी, सिलेंडर सब्सिडी योजना जो हमने संकल्प पत्र में दी थी और मुख्य मंत्री बनते ही 01 जनवरी, 2024 से उज्ज्वला योजना के 73 लाख लाभार्थी, 3 लाख बी.पी.एल. लाभार्थियों को वह रसोई गैस सब्सिडी योजना 450 रुपये में सिलेंडर 01 जनवरी से शुरू किया गया और जब पिछला बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया तो उसमें खाद्य सुरक्षा योजना में जितने लाभार्थी हैं उनको भी 450 रुपये में सिलेंडर की घोषणा की गयी और वह लागू कर दिया गया, उसके तहत बताते हुए मुझे यह हर्ष है कि 31 लाख से अधिक परिवारों को एल.पी.जी. आई.डी. मैपिंग होने के उपरांत सब्सिडी दी गयी और लगभग 266 करोड़ की सब्सिडी जारी की जा चुकी है और 14 दिसम्बर, 2024 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा उदयपुर में यह दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग हम देखते हैं कि लगातार होता जा रहा है और दुरुपयोग के साथ-साथ सबसे ज्यादा खतरा मानव जीवन का भी है। हमने बड़ी दुःखांतिकाएं देखी हैं। बड़ी-बड़ी दुःखांतिकाएं देखी हैं, जहां मानव जीवन को खतरा हुआ है और न सिर्फ खतरा मानव जीवन के जाने से बल्कि उस दुर्घटना में कई लोग

दिव्यांग/विकलांग काफी समय तक परमानेंट रहे तो उसके लिए भी हमारे विभाग द्वारा समय-समय पर अभियान तो चलाया ही जा रहा है, हमारे द्वारा 17 सितम्बर, 2024 से 27 सितम्बर, 2024 तक अभियान चलाया गया। उसमें तो अभियान चलाया ही गया पर अब हमारे विभाग द्वारा प्रत्येक सप्ताह में प्रत्येक जिले में एक कार्यवाही करना अनिवार्य है ताकि इसमें रसोई गैस में, एक तो जो घरेलू सिलेंडर है, उसका दुरुपयोग कम हो और साथ में जो सब्सिडी हम दे रहे हैं आमजन को, उसका भी दुरुपयोग व्यावसायिक हित में नहीं हो, इन दोनों का कार्य माननीय अध्यक्षजी, उसके द्वारा किया जा रहा है।

Ssy/Rtm/11.03.25/20.10/4h

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसा मैंने कहा हमारे 58 परसेंट संकल्प पत्र में जो वादे किये, वे पूरे किये, हमारे संकल्प पत्र में था कि किसानों को गेहूं समर्थन मूल्य में 2700 रुपये प्रति क्विंटल में दिया जायेगा और हमारी सरकार को बने हुए 14 महीने हुए हैं, जब पहला बजट पेश किया गया, पहली बार, तब माननीय मुख्य मंत्री जी ने सवा सौ रुपये बोनस दिया था, 2275 केन्द्र का समर्थन मूल्य था, 2400 रुपये में गेहूं की खरीद प्रति क्विंटल से हुई थी, जिसमें डेढ़ सौ करोड़ रुपये का बोनस।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इसकी जरूरत संसदीय मंत्री जी को है, यह इनको दो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप क्या बोले, मैंने सुना नहीं, आप वापस बोलना।

श्री अध्यक्ष: मैं बता देता हूं, इन्होंने कहा, यह पुस्तक आप पढ़ रहे हो, संसदीय मंत्री को पढ़नी चाहिए। मैंने कहा, उन्होंने तो पढ़ रखी होगी। मैं अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए...।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सर, एक विषय है, हमारे मंत्री जी का ध्यान बार-बार आपकी तरफ जा रहा है। आप जब सुनते हो इनको जोश अलग आता है और तब खाता खुल जाता है। मेरा इतना ही निवेदन है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वैसे भी अच्छा जोश में बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): वैसे मैं बता दूं कि संसदीय कार्य मंत्री छोटी किताब नहीं पढ़ते वे बड़ी-बड़ी किताब पढ़ते हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह ज्ञान ...(व्यवधान)... बचा रहे हैं क्या?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, इस बार बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बोनस सवा सौ रुपये से बढ़ाकर डेढ़ सौ रुपये किया, 2425 रुपये समर्थन मूल्य और डेढ़ सौ रुपये राजस्थान सरकार द्वारा बोनस 2575 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहीं मिल रहा है तो वह राजस्थान राज्य है जहां दिया जा रहा है। किसानों की हितैषी सरकार है। सबसे ज्यादा किसानों को दे रही है।

ऐसी हमारी सरकार है। जब माननीय नेता प्रतिपक्ष जी पूछते हैं कि क्या आपके संकल्प पत्र का हो रहा है, सुबह भी उन्होंने पूछा, तो यह संकल्प पत्र तो दौड़े जा रहा है, 58 पर पहुंच गया है, अगली बार बजट आयेगा तो 100 से ऊपर चला जायेगा, तब आंकड़ा आप क्या बोलोगे?

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विभाग द्वारा डोर टू डोर होम डिलीवरी भी की जा रही है। जिससे जो व्यक्ति निराश्रित हैं, जो लाने में अक्षम हैं खाद्यान्न, उनको घर तक पहुंचाने का भी कार्य हमारे विभाग द्वारा कराया जा रहा है। ना सिर्फ ये सब कार्य हो रहे हैं, हमारे विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों का, हमारा भी धर्म बनता है कि उनका भी पूरा ध्यान रखें, तो उनकी पदोन्नति में मैं बताना चाहूंगा कि गत सरकार जहां टीकाराम जी जूली भी श्रम मंत्री थे, नेता प्रतिपक्ष जी, कार्यकाल में कुल 5 साल में 147 कर्मचारी, अधिकारियों को ही पदोन्नत आपने किया और हमारे 14 महीने में ही हमने 153 अधिकारी, कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया। प्रमोशंस हैं, हमारी सरकार फास्ट है आपसे हर चीज में।

श्री अध्यक्षः वैसे मैं सोचता हूं कि ये बहुत अच्छे श्रोता हैं, इनके काम भी अच्छे हैं। इनको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं ही समझ जाते हैं।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)ः वह तो आपने सुना होगा हमारे सहकारिता मंत्री जी ने भी बताया, प्रमोशंस में हमारी सरकार हर वर्ग का ध्यान रखती है। हर वर्ग का, किसान, मजदूर से लेकर कर्मचारी, अधिकारी से लेकर व्यापारी, सबका ध्यान रखती है, तभी तो मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष)ः पुलिस वालों के प्रमोशंस रुके हुए हैं, इनके भी कर दो।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)ः माननीय अध्यक्ष जी, वन नेशन वन राशन कार्ड जो माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा आव्हान किया गया, हर योजना में, वैसे तो हमारे प्रतिपक्ष के साथी जो भी प्रधान मंत्री जी योजना लाते हैं, उसका शुरू-शुरू में विरोध करते हैं, पर बाद में सबसे ज्यादा प्रबल समर्थक उनके यही होते हैं।

उसी कड़ी में जो वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राजस्थान में 96.33 प्रतिशत सीडिंग की जा चुकी है तथा सितम्बर 2019 से दिसम्बर 2024 तक, मुझे बताते हुए खुशी है कि 439639 ट्रांजेक्शन वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत, जिसमें कहीं भी भारत में बैठा व्यक्ति अनाज ले सकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, आज काफी सदस्यों द्वारा आवंटन सलाहकार समिति, राशन की दुकानों को लेकर बात उठाई गई। मुझे बताते हुए हर्ष है कि सरकार के पहले साल में ही हमारे विभाग के द्वारा 505 तहसील और नगरीय क्षेत्र में आवंटन सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया और 15-15 सदस्यों का मनोनयन किया जा चुका है। ऐसे ही तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समितियों का 376 तहसील में मनोनयन करके 1880 सदस्यों का मनोनयन किया जा चुका है तथा पहली बार विभाग में लंबे अरसे बाद खाद्य सुरक्षा एवं

सतर्कता समिति की बैठक हुई है, 18 जिलों में फरवरी एवं मार्च में सतर्कता समिति के सदस्यों के, डीएसओ के साथ बैठक आयोजित की गई, जो आज तक कभी आयोजित नहीं की गई। साथ में ही, जो सदस्य बने, है छोटा सा ही प्रयोग, पर हर जो सदस्य बना है उसको आईडी कार्ड के माध्यम से, ताकि कहीं वह दुकानों में विजिलेंस में कहीं जाये, सदस्य जाये तो उनको कोई दिक्कत नहीं आये, इसके लिए प्रत्येक मेम्बर को आईडी कार्ड उपलब्ध कराया गया है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नवाचार है नवाचार ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 5 साल हो गये ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: पूरा सुन लो। पूरा सुन लो।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हमारे को तो एक साल ही हुई है, 5 साल किसको हो गये? हमें तो एक साल ही हुई है, 5 किसको हो गये?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सुन तो लो। पूरा सुन लो।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): म्हाने तो एक ही हुई है।

श्री अध्यक्ष: हां, सुनाओ। आप सुनो।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, काफी सदस्यों के द्वारा, पक्ष-विपक्ष सब के द्वारा नवीन उचित मूल्य की दुकानों का सृजन करने के सुझाव आये और वास्तव में सुझाव सराहनीय भी हैं क्योंकि राजस्थान अलग प्रदेश है, यहां पर थोड़ी दूरियां भी ज्यादा होती हैं और लोग सक्षम भी नहीं हो पाते तो उनको जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दुकानें खोलने का भी हमारा प्रयास है। उसी के तहत मुझे बताते हुए हर्ष है कि हम 300 नवीन उचित मूल्य दुकानों को खोलने का आदेश दे चुके हैं और भी हमारे पास सुझाव आ रहे हैं तो दुकानें खोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा आदेश देकर दुकानें खोली जायेंगी।

एक यहां सभी सदस्यों की बात आई अटैचमेंट को लेकर, जो वास्तव में विभाग में कमी है। मैं आपके बीच में आश्वासन देता हूं कि अगले 6 महीने के अन्दर जो भी निरस्त दुकान है, वहां पर नई दुकान आवंटन की प्रक्रिया शुरू होकर नया राशन डिपो होल्डर उचित मूल्य दुकान होगा, ताकि यह अटैचमेंट का विषय हमेशा के लिए समाप्त हो जाये।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सदस्यों को कि वे यह बात लेकर के आये और बहुत सदस्यों ने यह बात रखी, हम पक्ष विपक्ष अपनी जगह हैं, आपके और हमारे सुझावों से यह सारे काम होते हैं। आज राजस्थान में 27364 दुकानें हैं और अटैचमेंट के बाद में आपको बता ही चुका हूं, अटैचमेंट वाला हम करेंगे।

बहुत से सदस्यों ने राशन डीलर कमीशन की बात रखी कि राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाया जाये। वह भी हमारा ही परिवार है। कोरोना में जो उन्होंने काम किया और आज जिन परिस्थितियों में वे काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वह भी समाज सेवा का एक हिस्सा है, ठीक है, थोड़ा उन्हें आर्थिक लाभ मिलता है, पर वह भी एक सेवा का कार्य

लगातार करते रहे हैं। इसी सेवा को देखते हुए हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी ने कहा कि इनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस बजट में उन्होंने जो 137 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिल रहा था, उचित मूल्य दुकानदार को, उसमें 10 परसेंट वृद्धि करके 13 रुपये 70 पैसे बढ़ाये, आज उसे 150 रुपये 70 पैसे प्रति राशन डीलर, उचित मूल्य दुकानदार को कमीशन मिलेगा।

साथ में बजट घोषणा जो बिन्दु संख्या 80 के द्वारा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक प्रयास और किया है कि जो हमारे उचित मूल्य दुकानदार हैं, उसमें 5 हजार उचित मूल्य दुकानदारों को अन्नपूर्णा भंडार खोला जाना प्रस्तावित है, जिससे इन उचित मूल्य दुकानदारों की आर्थिक स्थिति में और सुधार हो सके। यह भी जल्दी ही हम इस विभाग में करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत से सदस्यों द्वारा पोस मशीन में आ रही समस्या का जिक्र यहां किया गया और उस बात में कुछ सच्चाई भी है कि पिछले 15-20 दिन, महीने से यह समस्या आ रही है। इसका कारण टेक्निकल है कि यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटेटीफिकेशन ऑफ इंडिया है, भारत सरकार द्वारा पोस मशीन में फेक फिंगर डिटेक्शन में जो पहले 55-60 के आसपास था, अब इसको 85 परसेन्ट के आसपास कर दिया गया है। इसके कारण टेक्निकल दिक्कत आ रही हैं। लेकिन उसके लिए आइरिश मशीन भी वहां पर उपलब्ध कराई गई है और कुछ प्रेशर अभी 2 दिन पूर्व था, हमने आइरिश मशीन के कवर का भी निर्देश दे दिया है। आइरिश मशीन के द्वारा भी काफी स्कैनिंग हमारे यहां हो रही है। मैं इसका डॉटा भी बता दूंगा कि आइरिश स्कैनर से फरवरी, 2025 में सिर्फ 7 लाख हुए थे, पोस मशीन में तकनीकी कमी आने लगी, उसकी वजह से आप देखिये कि 1 मार्च से 7 मार्च तक 12.83 लाख ट्रांजेक्शन हुए हैं। यह थोड़ी समस्या है। वह टेक्निकल भारत सरकार का कारण है। उसके कारण यह थोड़ी समस्या आ रही है, पर आइरिश मशीन हमारे पास है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके बीच में यह और कहना चाहूंगा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास पोस मशीन है, हमारे पास आइरिश मशीन है, यदि हमें जरूरत पड़ी तो हम फेशियल स्कैनर भी हर दुकान पर लगायेंगे ताकि और भी लोगों को सुविधा मिल सके। जिस तरह विधायक विधान सभा में फेशियल स्कैनर से आते हैं हमारे गांव का आदमी भी फेशियल स्कैनर के द्वारा अपना 5 किलो गेहूं वहां से ले पायेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, खाद्य सुरक्षा में ई केवाईसी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। क्या प्रत्येक खाद्य सुरक्षा लाभार्थी को ई केवाईसी कराना आवश्यक है, यह पिछली बार भी 25 जुलाई को सदन में बात रखी थी, तब भी हमने कहा था कि इस ई केवाईसी को थोड़े दिनों तक चालू रखेंगे, लेकिन लगातार क्षेत्र से और लाभार्थियों से मांग आती रही तो इसको बढ़ाते रहे।

spp/rtm/11.03.2025/2020/4j

माननीय अध्यक्षजी, हमारी आखिरी तारीख 31 दिसम्बर रखी थी, पर उससे कुछ दिन पूर्व बैठक हुई, जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हमें और तीन महीने का समय

लाभार्थियों को देना चाहिये ताकि वह अपने नाम से EKYC करा सकें तो उसको देखते हुए 31 मार्च तक हमने इसकी तारीख बढ़ायी। माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर बढ़ायी है। आज तारीख 11 मार्च हो गयी, 31 मार्च के बाद EKYC की कोई तारीख नहीं बढ़ायी जायेगी। यह बताते हुए, अभी हमारे जो संख्या 3 करोड़ 85 लाख 88 हजार 871 है, यानी 87.36 प्रतिशत लाभार्थियों ने EKYC करायी हुई है। अब इसमें जो बाकी है, जिसमें टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य घनश्याम जी बैठे हैं, इन्होंने बात रखी थी। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने यह विचार रखा था। आपने कहा था कि इसमें 10 वर्ष से कम बच्चों के अंगूठे नहीं आते और 70 वर्ष से ऊपर के नहीं आते। मैं बताना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमें निर्देश दिया कि जितने भी 10 साल से कम हैं उनको EKYC कराने की जरूरत नहीं है और 70 साल से ऊपर हैं उनको भी EKYC कराने की जरूरत नहीं है। यह संख्या 20 लाख 90 हजार 180 के करीब है। अपन के सबके विचार यही हैं। यहां पर जो सक्षम हैं, वो बाहर होवे और जो वंचित हैं, जो पात्र हैं, वे इस योजना का लाभ लें। सभी का उद्देश्य यही है।

सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही कि इसमें काफी फर्जी राशन कार्ड हैं। यह जो संख्या मैं बताने के लिये, क्योंकि आपके बीच में यह विषय आयेगा सब सदस्यों के बीच में, जब आप सब अपने क्षेत्र में जाओगे कि हमारी EKYC नहीं हुई, अब उनको बंद कर दिया जायेगा और यह संख्या 55 लाख 81 हजार 220 है और 10 साल से कम और 70 साल से ऊपर 20 लाख 90 हजार हटाये तो कुल मिलाकर 34 लाख 91 हजार के आस-पास संख्या 01 अप्रेल से बाहर होगी। यह संख्या बड़ी है पर यह संख्या बड़ी करते ही हमें यह गौर करना है कि यह संख्या है कौनसी, जो लगातार एक-डेढ़ साल से EKYC नहीं करा रही। जब मैंने भी पता किया और कई माननीय सदस्यों ने भी यहां कहा कि राशन कार्ड फर्जी बन रहे हैं। यह बिलकुल हकीकत है फर्जी राशनकार्ड भी बहुत बने हुए हैं। एक घर में चार जने हैं और राशनकार्ड में सात लोगों के नाम जोड़ रखे हैं। कोई राजस्थान में भी राशन कार्ड बनाकर राशन उठा रहा है और उसने दूसरी जगह महाराष्ट्र या गुजरात रह रहा है, वह भी राशन उठा रहा है। कोई विदेश में नौकरी कर रहा है तो उसका भी राशन कार्ड बना हुआ है। ऐसे बहुत से लोग हैं इन 34 लाख में, जो इस खाद्य सुरक्षा में नहीं हैं। EKYC से बढ़िया कोई जनगणना नहीं है। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः आप तो बोलो। इनका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप युवा साथी हो, आप तो कराओ। माननीय अध्यक्षजी, 34 लाख के आस-पास संख्या 01 अप्रेल से इससे बाहर होगी और बाहर नहीं होगी, हम जो वंचित लोग हैं, उनको इसमें जोड़ेंगे ताकि एक भी बाकी नहीं रहे।

माननीय अध्यक्षजी, 20 मिनट हुए हैं। मुझे सब पर्चियां दे रहे हैं। सबसे कम अभी तक मैं ही बोला हूं। अभी केवल दो मिनट और लूंगा, फिर भी ये पर्चियां दे रहे हैं।

श्री अध्यक्षः दो नहीं, आप पांच मिनट बोलो।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, खाद्य सुरक्षा पोर्टल में NFS आवेदन प्रक्रिया को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि नये लोगों को जोड़ने के लिये, क्योंकि सब सदस्य यह मांग रखते थे और हम और आप जब गांवों में जाते तो सबसे ज्यादा गांव-शहर कहीं जाते ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आपको किसने पर्ची दी, नाम तो बताओ। यह मेरे पास भेज दो। मेरे अलावा कोई भेज नहीं सकता। अब आप बोलो।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह अजमेर वाला ही है साहब।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इनकी सीट यहां कर दो, मैं अपने आप सुधार लूंगा।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी का जो ध्येय है-

'जब आंखों में अरमान लिया
मंजिल को अपना मान लिया
है मुश्किल क्या आसान क्या,
जब ठान लिया तो ठान लिया।''

मुख्य मंत्रीजी ने ठान लिया है कि जितने भी हमारे वंचित हैं, उनको खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ना है। यह उनका निर्देश था उसी निर्देश की पालना में खाद्य सुरक्षा पोर्टल 26 जनवरी, 2025 से प्रारम्भ किया गया और मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि 26 जनवरी, 2025 से जो पोर्टल चालू किया, आज दिनांक तक 11 लाख 29 हजार 695 जोड़ दिये गये हैं। इसमें विशेष बात यह है कि बजट संख्या में 2025 में बिन्दु संख्या 79 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में कहा था कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से 10 लाख नवीन यूनिट्स NFS में जोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है। मुझे सदन को बताते हुए यह खुशी है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की जन हितैषी सरकार में उक्त लक्ष्य को बजट चर्चाओं के दौरान ही बजट पारित होने से पूर्व ही हासिल कर लिया है।

माननीय अध्यक्षजी, खाद्य सुरक्षा में केन्द्रीय सरकार की सीलिंग है 4 करोड़ 46 लाख 61 हजार 907, 53 प्रतिशत शहर और 69.09 ग्रामीण में। हमने अभी आज की तारीख में जो लाभार्थी हैं, 4 करोड़ 41 लाख 70 हजार 91, और इसमें अब खाद्य सुरक्षा में जो लंबित आवेदन हैं, उनको भी हम जोड़े जा रहे हैं, पर मुझे बताते हुए यह हर्ष है कि अभी तक आवेदन हमें 26 जनवरी के बाद 6 लाख 77 हजार 210 आवेदन आये हैं। पर इस बार हमने थोड़ा बदलाव किया है, बदलाव यह कि पहले की तरह खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जोड़ रहे। हमारे द्वारा यह किया जा रहा है कि उसमें कमेटी बनायी गयी है। आप आवेदन कर सकते हो। सिर्फ ई-मित्र से नहीं, ई-मित्र में भी बदमाशियां होती हैं। खाद्य सुरक्षा पोर्टल में जाकर आप आवेदन कर सकते हो। उस पोर्टल में आवेदन करने के बाद वह कमेटी के पास जाएगा, डी.डी.ओ.के पास जाएगा। एस.डी.एम. से डी.डी.ओ. जाएगा और डी.डी.ओ.कमेटी को देगा,

जिसमें ग्राम सेवक, पटवारी और बी.एल.ओ. मुझे एक माननीय सदस्य का सुझाव आया था आपकी तरफ से, बहुत ही अच्छा सुझाव था कि बी.एल.ओ. को जरूर जोड़ा जाये। मुझे बताते हुए हर्ष है कि हमने 26 जनवरी को जब पोर्टल शुरू किया था, उससे पहले इन तीनों को शामिल कर दिया है। इन तीनों की कमेटी साइन करेगी, तभी व्यक्ति जुड़ पायेगा, ताकि गलत व्यक्ति नहीं जुड़ सके।

हमने एक और नियम बनाया है इसमें जिला कलेक्टर को आदेश जारी करते हुए 5 मार्च को किया गया कि जिला कलेक्टर को पॉवर दे दिये गये हैं किसी व्यक्ति को, जैसे आपके-हमारे पास कोई भी व्यक्ति आये, गांवों में जिला कलेक्टर कभी रात्रि चौपाल करते हैं, बहुत से वंचित लोग रहे जाते हैं, वह जुड़ नहीं पाते। जिला कलेक्टर को भी पॉवर दे दिया गया है, वह भी नाम जोड़ सके। जाना इसी प्रोसेस से होगा पर वह उस फाइल को चला सकता है ताकि कोई भी जो वंचित व्यक्ति हैं, उनको हम जोड़ सकें। यह भी प्रक्रिया में बदलाव हमने किया है।

माननीय अध्यक्षजी, सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद पूरे सदन को देना चाहूंगा। मैं जो बात कह रहा था कि मैं सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि सदन में कहे हुए विचार कितने काम आते हैं, पिछली बार जो मैंने बोला वह पंक्तियां लेकर आया हूं। उन पंक्तियों में यह था कि जो विचार थे, उनमें बेगूं से आने वाले माननीय सदस्य सुरेश जी धाकड़ साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बहुत ही शानदार दिया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधान मंत्रीजी ने आह्वान किया था GIVE UP सब्सिडी गैस सिलेण्डर में एक करोड़ 10 लाख भारतीयों ने सब्सिडी छोड़ी जिससे 4,116 करोड़ रुपया केन्द्र का राजस्व बचा। उसी तरह हम राजस्थान में लेकर आयें। फूलसिंह मीणा जी ने कहा और विपक्ष के सारे माननीय सदस्यों ने कहा कि हम इस तरह की योजना लेकर आयें, जिससे कि जो सक्षम लोग हैं, वे योजना से बाहर हों और जो वंचित हैं, उनको योजना से जोड़ा जाये। आप सभी की प्रेरणा से मैंने उस समय यह कहा था कि अगर सदन इजाजत दे, हम सब तैयार हैं तो एक अभियान चलाकर जो सक्षम लोग हैं, उनको बाहर किया जाएगा और जो वंचित हैं, उनको जोड़ने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। यह सब आपकी और हमारी सबकी वजह से, इसमें न पक्ष, न विपक्ष, हम सबने मिलकर किया उससे यह बदलाव आया। इस बात की खुशी है, हो सकता है मैं गलत होऊं, पर राजस्थान का यह जो अभियान है, देश में एकमात्र दूसरा अभियान है, जो प्रधान मंत्री मोदीजी के आह्वान के बाद जब किसी सरकारी योजनाओं से लाभार्थियों ने स्वेच्छा से अपना नाम हटाया है। कुछ साथी बोल रहे थे नाम हटाया गया। नहीं, हमारे विभाग द्वारा एक कागज भी नहीं चलाया गया। यह स्वेच्छा से लोगों द्वारा अपना नाम हटाया गया है। मुझे आपको बताते हुए यह भी खुशी है कि इसमें स्वेच्छा से नाम हटाते हुए इसमें 13 लाख 52 हजार 498 लोगों ने कल तक अपने नाम स्वेच्छा से हटा लिये। इससे राजस्थान सरकार को ..(व्यवधान)..

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): स्वेच्छा से नहीं, डराकर।

श्री अध्यक्ष: यह आप जाकर पूछकर आना। बैठिये।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्षजी, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी यहां मौजूद हैं, इनके साथी भी मौजूद हैं। यह डराने से होता तो डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य अपनी सरकार में दो खंभों के लिये धरने पर बैठे थे। डराने से होता तो दो खंभे आपको मिल जाते, जो नहीं मिले थे। इनको बताते हुए कि पिछली बार ये थाने के आगे बैठे थे धरने पर खुद की सरकार होते हुए कांस्टेबल हटे, डरने से होता तो वह हट जाते। वे भी आज तक नहीं हटे। डरने से नहीं भाजपा की सरकार में स्वेच्छा से हटते हैं। डराने से बात नहीं होती। ..(व्यवधान)...

jyg/rtm/11.03.25/20.30/4k

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समस्त साथियों से और निवेदन करूंगा कि पिछले 6 महीने में आपने और हम सबने मिलकर गिव अप अभियान जो 1 नवम्बर से शुरू किया, वो लगातार चल रहा है। आप और हम सब प्रयास करेंगे, 13 लाख 25 हजार तो एक शुरूआत है। हम सब चाहेंगे, बहुत से लोग हैं जो कोठियों में रह रहे हैं और फोर व्हीलर फोर्च्यूनर में आ रहे हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं और वो भी खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं। मैंने जब यह छोटा-सा आंकड़ा बताया कि 13 लाख 52 हजार लोगों ने छोड़ा है, इससे 246 करोड़ रुपये की वित्तीय भार में कमी आयी है तो आप सोचो कि कितना लाभ हमारे राजस्थान को मिलेगा। न सिर्फ लाभ मिलेगा बल्कि 13 लाख 52 हजार लोगों ने छोड़ी है तो उनके रिक्त स्थान पर जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है वो इस योजना से जुड़ जायेगा। ...(व्यवधान)... मैं इस अभियान में आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अभियान को हम निरंतर चलाते रहेंगे, अभी हमने इसमें फोर व्हीलर लिया हे, फोर व्हीलर में हमने ट्रैक्टर को छोड़ा, जो स्वयं के व्यवसाय के लिए साधन रखता है उसको भी हमने छूट दी, इन दो को छूट दी थी, इनकम टैक्स रिटर्न तो है ही, सरकारी और अर्द्ध सरकारी कर्मचारी हैं उन पर भी यह अभियान चलाया था। अगली कड़ी में मैं यह जरूर कहूंगा कि जिनके लाख-लाख रुपये के बिजली के बिल आते हैं, बड़ी-बड़ी कोठियां हैं, यह मानकर चलिये, यह भजन लाल शर्मा जी, मोदी जी की सरकार है, जो गरीब व्यक्ति है उसको हम हजार नहीं, दो हजार रुपये का फायदा देंगे लेकिन जो सक्षम लोग हैं उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप स्वेच्छा से अपना यह गिव अप कीजिये ताकि जो वंचित लोग हैं उनको इसका लाभ मिले। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी को धन्यवाद देते हुए, माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश में और उनके आशीर्वाद से जिस तरह से गिव अप अभियान चला, साथ में नाम जोड़ने का अभियान चला, दोनों अभियान साथ-साथ चले और इसका पूरे राजस्थान में अच्छा रुझान आया है। आने वाले समय में जब अगली बार हम जब अगस्त में मिलेंगे तो इस संख्या के बारे में मैं आश्वस्त करूंगा कि राजस्थान में कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा, खाद्य

सुरक्षा योजना से, सारे के सारे वंचित हैं उनको हम इस योजना में लेकर आयेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा,

भूखे को रोटी का हल, पीने को मीठा-सा जल,
सेवन को शुद्ध हवा और रोगी को मिले दवा,
सबको शिक्षा, सबको ज्ञान,
खुशहाल बने हमारा राजस्थान,
विश्व गुरु बने हमारा हिन्दुस्तान।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 55 - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पारित की जाये।

मांग संख्या 50 - सहकारिता का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 50 - सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,48,27,97,000/- (अठारह अरब अड़तालीस करोड़ सत्ताइस लाख सतानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 55 - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 55 - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,78,68,64,000/- (नौ अरब अठहत्तर करोड़ अड़सठ लाख चौसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

माननीय सदस्यों, अभी आपकी जानकारी में होगा कि अपने यहां 64 मांगें होती हैं, जिसमें हमने 17 मांगों पर विचार किया है, पारित उनको किया है। उसमें अब तक 349 सदस्यों ने भाग लिया है जिसमें कांग्रेस के 161, बीजेपी के 162 और 26 निर्दलीय एवं अन्य दलों के लोगों ने भाग लिया। हालांकि सत्ता पक्ष की सदस्य संख्या 119 है, और उनकी 66 है, फिर भी आप लोगों को इतना सारा अवसर दिया है, जिसके कारण से कोई शिकायत नहीं कर सकते कि हमें अवसर नहीं दिया। बाकी अब 64 मांगों में से 17 को छोड़कर बाकी जो मांगें हैं उनको मुखबंद से अपन पारित करेंगे।

मुखबंद

अनुदान की शेष मांगों (वर्ष 2025-26) का पारण

मांग संख्या 01 - राज्यपाल

''प्रश्न यह है कि मांग संख्या 01 - राज्यपाल के संबंध में

31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,06,92,000/- (दस करोड़ छह लाख बानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?''

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 02 - राज्य विधान मण्डल

''प्रश्न यह है कि मांग संख्या 02 - राज्य विधान मण्डल के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,10,06,65,000/- (एक अरब दस करोड़ छह लाख पैंसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?''

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 05 - लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड

''प्रश्न यह है कि मांग संख्या 05 - लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,31,26,83,000/- (चार अरब इक्तीस करोड़ छब्बीस लाख तिरासी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?''

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 06 - विधि एवं विधिक कार्य

''प्रश्न यह है कि मांग संख्या 06 - विधि एवं विधिक कार्य के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,33,61,54,000/- (तेईस अरब तैंतीस करोड़ इकसठ लाख चौवन हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?''

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

क्या बाबूलाल जी को विधि के साथ प्रेम नहीं है? मैं यह देख रहा हूं, यह आपके जोगाराम जी का विभाग है। ...(व्यवधान)... मैं उनको नींद नहीं आये इसलिए कह रहा था।

मांग संख्या 07 - मंत्रिपरिषद्

''प्रश्न यह है कि मांग संख्या 07 - मंत्रिपरिषद् के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,55,03,000/- (सत्ताईस करोड़ पचपन लाख तीन हजार) तक की राशि प्रदान की

जावे?''

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबका निवेदन है कि आप आसन पर बैठकर ही मांग पारित करवा लें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अभी मैं थकूंगा नहीं। ...(व्यवधान)...

मांग संख्या 08 - सचिवालय

''प्रश्न यह है कि मांग संख्या 08 - सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,49,01,90,000/- (पांच अरब उनचास करोड़ एक लाख नब्बे हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?''

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 09 - निर्वाचन

''प्रश्न यह है कि मांग संख्या 09 - निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,44,69,76,000/- (एक अरब चवालीस करोड़ उनहत्तर लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?''

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 10 - वाणिज्यिक कर

''प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10 - वाणिज्यिक कर के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,97,20,41,000/- (ग्यारह अरब सतानवे करोड़ बीस लाख इकतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?''

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 11 - पंजीयन एवं मुद्रांक

''प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11- पंजीयन एवं मुद्रांक के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,36,33,60,000/- (दो अरब छत्तीस करोड़ तैंतीस लाख साठ हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?''

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

MLS/RTM/11.03.2025/20:40/4I

मांग संख्या 12 - आबकारी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12 - आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,22,92,58,000/- (दो अरब बाईस करोड़ बानवे लाख अठावन हज़ार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 11 - पंजीयन एवं मुद्रांक

''प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11- पंजीयन एवं मुद्रांक के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,36,43,60,000/- (दो अरब छत्तीस करोड़ तैंतालीस लाख साठ हज़ार) तक की राशि प्रदान की जावे?

मांग संख्या 13 - कोष एवं लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13 - कोष एवं लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,93,02,93,000/- (बारह अरब तिरानवे करोड़ दो लाख तिरानवे हज़ार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 14 - राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14 - राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,90,58,12,000/- (पच्चीस अरब नब्बे करोड़ अठावन लाख बारह हज़ार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 15 - पेंशन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15 - पेंशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,38,71,52,24,000/- (तीन सौ अड़तीस अरब इकहत्तर करोड़ बावन लाख चौबीस हज़ार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 16 - राजस्व

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16 - राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,98,99,02,000/- (बाईस अरब अठानवे करोड़ निन्यानवे लाख दो हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 17 - सामान्य प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17 - सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,24,36,32,000/- (छह अरब चौबीस करोड़ छत्तीस लाख बत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 23 - संस्कृत शिक्षा

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23 - संस्कृत शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,39,83,09,000/- (सात अरब उनतालीस करोड़ तिरासी लाख नौ हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 24 - तकनीकी शिक्षा

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24 - तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,80,22,49,000/- (चार अरब अस्सी करोड़ बाईस लाख उनचास हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 25 - कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25 - कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,47,66,69,000/- (एक अरब सैंतालीस करोड़ छियासठ लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

...(व्यवधान)... यह तो बोलना पड़ेगा, वहां पैसा चाहिये तो।

मांग संख्या 26 - युवा मामले एवं खेल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26 - युवा मामले एवं खेल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,61,49,56,000/- (दो अरब इकसठ करोड़ उनचास लाख छप्पन हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

जो पक्ष में हों, हां कहें, जो विपक्ष में हों, ना कहे,

विश्वनाथ जी, नींद आ रही है?

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

ज्यादा नहीं हैं वैसे।

मांग संख्या 29 - आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29 - आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,59,07,45,000/- (सोलह अरब उनसठ करोड़ सात लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 32 - महिला एवं बाल विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32 - महिला एवं बाल विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,17,66,14,000/- (बत्तीस अरब सत्रह करोड़ छियासठ लाख चौदह हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 33 - सैनिक कल्याण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33 - सैनिक कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 91,44,57,000/- (इक्यानवे करोड़ चवालीस लाख सतावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 34 - श्रम एवं रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34 - श्रम एवं रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,21,50,33,000/- (पच्चीस अरब इक्कीस करोड़ पचास लाख तैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 35 - अल्पसंख्यक मामलात

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35 - अल्पसंख्यक मामलात के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,50,14,31,000/- (चार अरब पचास करोड़ चौदह लाख इकत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

अल्पसंख्यक मामलों में 'ना' कहा है आपने।

मांग संख्या 36 - आपदा प्रबन्धन एवं सहायता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36 - आपदा प्रबन्धन एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 50,58,63,89,000/- (पचास अरब अठावन करोड़ तिरसठ लाख नवासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 37 - देवस्थान

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37 - देवस्थान के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,03,53,86,000/- (एक अरब तीन करोड़ तिरपन लाख छियासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 38 - सूचना एवं जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38 - सूचना एवं जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,74,00,70,000/- (एक अरब चौहत्तर करोड़ सत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की

जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 43 - सिंचित क्षेत्र विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43 - सिंचित क्षेत्र विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,23,48,13,000/- (सात अरब तेईस करोड़ अड़तालीस लाख तेरह हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 44 - सार्वजनिक निर्माण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44 - सार्वजनिक निर्माण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,56,60,38,98,000/- (एक सौ छप्पन अरब साठ करोड़ अड़तीस लाख अठानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 46 - कृषि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46 - कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 42,45,38,71,000/- (बयालीस अरब पैंतालीस करोड़ अड़तीस लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

MKD/RTM/11.03.2025/20:50/4m

मांग संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,48,62,89,000/- (अठारह अरब अड़तालीस करोड़ बासठ लाख नवासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 48 - उद्यानिकी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48- उद्यानिकी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,67,01,14,000/- (पंद्रह अरब सड़सठ करोड़ एक लाख चौदह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 49 - गोपालन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49- गोपालन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,78,63,28,000/- (बीस अरब अठहत्तर करोड़ तिरसठ लाख अट्ठाईस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,51,13,83,82,000/- (चार सौ इक्यावन अरब तेरह करोड़ तिरासी लाख बयासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 52 - पंचायती राज

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 52- पंचायती राज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,05,00,70,69,000/- (एक सौ पांच अरब सत्तर लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 53- ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 72,82,88,04,000/- (बहत्तर अरब बयासी करोड़ अठासी लाख चार हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 54 - ऊर्जा

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 54 - ऊर्जा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,39,68,80,36,000/- (दो सौ उनतालीस अरब अड़सठ करोड़ अस्सी लाख छत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 57 - पेट्रोलियम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 57 - पेट्रोलियम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,89,14,15,000/- (तीन अरब नवासी करोड़ चौदह लाख पंद्रह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 58 - खान

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 58 - खान के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,38,66,74,000/- (दो अरब अड़तीस करोड़ छियासठ लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 59 - पर्यटन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 59- पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,41,90,94,000/- (चार अरब इकतालीस करोड़ नब्बे लाख चौरानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 60 - सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 60 - सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,23,24,32,000/- (पंद्रह अरब तेईस करोड़ चौबीस लाख बत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

क्या कुछ बोलना है?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कृपलानी जी ने हाथ यूं ही रख रखा है, वह हां में भी है (..व्यवधान..)

मांग संख्या 61 - विज्ञान एवं तकनीकी

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 61 - विज्ञान एवं तकनीकी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 41,22,50,000/- (इकतालीस करोड़ बाईस लाख पचास हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): डिमांड में भी मंत्री आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं बैठा हूं, इस जगह। आप उनका बहुत ध्यान रखते हो। आप जवाब मत दो, मैंने जवाब दे दिया। हर बात का जवाब देना कम से कम संसदीय मंत्री व बाकी मंत्रियों के लिए आवश्यक नहीं है और इसी तरह विपक्ष के नेता को भी बार-बार ध्यान दिलाने की आवश्यकता नहीं है।

मांग संख्या 62 - परिवहन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 62 - परिवहन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,41,65,99,000/- (सत्रह अरब इकतालीस करोड़ पैंसठ लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 63 - आयोजना एवं सांख्यिकी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 63 - आयोजना एवं सांख्यिकी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,59,78,18,000/- (दो अरब उनसठ करोड़ अठहत्तर लाख अठारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 64 - अन्य सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 64 - अन्य सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,14,40,60,000/- (एक अरब चौदह करोड़ चालीस लाख साठ हजार) तक की राशि

प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य, विधेयक का पुर:स्थापन, राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025, श्रीमती दिया कुमारी। श्रीमती दिया कुमारी। आप इनके चक्कर में मत आया करो, बहन जी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या - 2) विधेयक, 2025

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या - 2) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या - 2) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री, विधयेक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या - 2) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.58 बजे बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

अनुदान की मांग संख्या 50 – सहकारिता पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 50 - सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाए, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

<u>श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)</u>

1. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के अन्तर्गत ग्राम सेवा सहकारी समितियां कलमंडा, आटोन, हाथी दीलेद, करनाहेड़ा, नारेड़ा में नए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में वर्तमान में स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर भवनों की मरम्मत के कार्य हेतु बजट स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कंवरलाल (वि.सं.26)</u>

3. विधान सभा क्षेत्र अंता की ग्राम सहकारी समितियों के भवन तथा गोदाम निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं.94)</u>

4. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नवीन गोदामों का निर्माण करने हेतु राशि स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं.159)</u>

5. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की प्रत्येक ग्राम पंचायत में राशन वितरण हेतु दो-दो दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (वि.सं.132)</u>

6. विधान सभा क्षेत्र निवाई की प्रत्येक ग्राम पंचायत में राशन की दुकानें स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं.61)</u>

7. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नवीन ग्राम सहकारी समिति के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ की नवीन ग्राम सहकारी समितियों में नए सदस्यों को ऋण उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
9. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पुराने एवं जर्जर गोदामों की मरम्मत तथा नए खाद्य बीज गोदाम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
10. प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समिति के द्वारा भूमिधारक किसानों को फसल ऋण साख सीमा के अनुरूप वितरित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
11. प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा पुनः पशु चारा ऋण योजना प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)

12. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्था विहीन कार्य व्यवस्था से चलाए जाने एवं उनमें स्थाई व्यवस्थापक लगाकर विधिवत संचालित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. ग्राम सेवा सहकारी समिति, सिवाना एवं सिणेर में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की जी.एस.एस. भाटा (सिणधरी), फुलण (समदड़ी) एवं नवीन जी.एस.एस. सैला (सिवाना) में गोदाम निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. सिवाना क्रय-विक्रय सहकारी समिति के कार्यालय का निर्माण एवं भूमि आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. प्रदेश में किसानों की फसली ऋण साख सीमा (नवीन सदस्य) 25 हजार रूपए से बढ़ाकर किसान की भूमि के अनुसार अधिकतम 1.50 लाख रूपए किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं.150)

17. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में झुंझुनूं केन्द्रीय सहकारी बैंक को नवलगढ़ एवं मुकुन्दगढ़ मुख्यालय पर शाखा हेतु भूमि आवंटन करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (वि.सं.193)

18. विधान सभा क्षेत्र भीम में राजकीय औषधि की सहकारी दुकानें खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ललित मीना (वि.सं.142)

19. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में नई सहकारी समितियों के पट्टे, भवन एवं गोदाम के लिए वित्तीय राशि स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रेवन्तराम डांगा (वि.सं.189)

20. विधान सभा क्षेत्र खींवसर की विभिन्न ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

21. विधान सभा क्षेत्र खींवसर की कार्यालय भवन विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के भवनों का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित मीना (वि.सं.142)

22. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में नई सहकारी समितियां बनाने एवं अधिकतम 1.50 लाख रूपए ऋण देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोगरा (वि.सं.39)

23. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के बिलड़ी, सतीरामपुर, चुण्डावाड़ा, रामपुर, मेवाड़ा, कनबा एवं घुघरा में लेम्पस के माध्यम से हुए भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हाकम अली खां (वि.सं.197)</u>

24. प्रदेश में विभाग की सोसाइटियों को भवन बनाने हेतु बजट एवं भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रामकेश (वि.सं.133)</u>

25. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी के सहकारिता क्षेत्र में भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण तथा आवश्यक वस्तु वितरण का कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)</u>

26. कोटा जिले में पंजीकृत सहकारी समितियों का नियमानुसार ऑडिट नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र लाड़पुरा की राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत लोगों को ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से लाभान्वित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. कोटा जिले में पंजीकृत सहकारी समितियों का समय पर निर्वाचन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र लाड़पुरा की अनुदान से वंचित महिला सहकारी समितियों को हिस्सा राशि और प्रबन्धकीय अनुदान दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र लाड़पुरा में ग्रामीण भण्डारण योजना के तहत वंचित गांवों में गोदाम निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री भगवाना राम सैनी (वि.सं.104)</u>

31. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में किसानों को विभागीय समस्याओं के कारण हो रही परेशानियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री समरजीत सिंह (वि.सं.174)</u>

32. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में ग्राम सेवा सहकारी समिति दांतिगम एवं पुनासा में मैनेजर के पद नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री श्रवण कुमार (वि.सं.167)</u>

33. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में सहकारी गोदाम एवं भवनों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं.22)</u>

34. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में अनाज के भण्डारण की व्यवस्था तथा खाद और बीज भण्डार की नई दुकानें आवंटित किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

35. भीलवाड़ा जिले में जी.एम. भण्डार की 13 दुकानों की जांच करके नए टेण्डर जारी करने तथा दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

36. भीलवाड़ा जिले में उपभोक्ता भण्डार में तिलम संघ, फतह नगर (उदयपुर) से आए खाद्य तेल के 1500 टीन के गबन के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं.22)

37. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में सहकारिता बैंक खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में संचालित सहकारिता बैंक के नरेगा मजदूरों एवं अन्य खातेदारों के लेन-देन में हुई गड़बड़ी तथा गबन की जांच कराए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)

39. प्रदेश के अरबन बैंकों में स्टाफ पैटर्न का निर्णय सरकार द्वारा दी गई गाईड लाइन्स के अनुसार बैंक संचालक मण्डल को दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

40. राजस्थान सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत धारा-99 में बकाया ऋण वसूली का अधिकार रजिस्ट्रार के स्थान पर बैंक प्रबन्धक को दिए जाने हेतु नियमों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. राजस्थान के विभिन्न अरबन बैंकों में कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रक्रिया से मुक्त करवाकर बैंकों के संचालक मण्डल द्वारा सरकारी प्रतिनिधि की उपस्थिति में कर्मचारी का चयन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

42. प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्थित विद्यालयों के अनुपयोगी भवनों को सहकारी समितियों के कार्यालयों हेतु आवंटित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र बून्दी स्थित बाजड़, रिहाणा आदि अन्य स्थानों पर गोदाम बनाए जाने हेतु स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं.57)

44. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में सापोला, बदनोर, ब्राह्मणों की सरेरी, दोलतगढ़ तथा शम्भुगढ़ सहकारी समितियों के गोदामों की मरम्मत एवं नवीन गोदामों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ताराचन्द (वि.सं.73)

45. राजफेड़ द्वारा किसानों के कृषि उत्पाद को मार्केट स्पोट प्राईज पर खरीद करने में हो रही अव्यवस्थाओं एवं भण्डारण की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)

46. भीलवाड़ा के जर्जर एवं पुराने जीएसएस गोदामों के स्थान पर नए जीएसएस गोदामों का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

47. प्रदेश में अल्पकालीन ऋण की अधिकतम सीमा 1.50 लाख को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. प्रदेश में दस बीघा से अधिक भूमि वाले नए किसानों को शुरूआती न्यूनतम राशि दस हजार से पचास हजार रूपए किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)

49. प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नियुक्त व्यवस्थापकों/सहायक व्यवस्थापकों के नियमितीकरण के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया हेतु आयु सीमा निर्धारित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

50. प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिकों का नियोक्ता निर्धारण करते हुए कॉमन कैडर ऑथोरिटी लागू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (वि.सं.44)

51. जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रधान कार्यालय में तीन वर्षों से अधिक एक ही बैंक शाखा में नियुक्त अधिकारियों/कार्मिकों का स्थानान्तरण नहीं करने, अधिक मूल्य पर बैंक सामग्री का क्रय करने, लम्बे समय से बैलेंस शीट नहीं बनाने तथा एक व्यक्ति विशेष संविदाकर्मी को नियम विरूद्ध दिए गए अतिरिक्त वेतन की वसूली नहीं किए जाने और उसे पुनः अतिरिक्त वेतन दिलाए जाने के प्रयास से उत्पन्न स्थिति एवं भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सोहन लाल नायक (वि.सं.186)

52. प्रदेश में सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को दिए गए ऋण, पेंशनर एवं छोटे कर्मचारियों के लोन पर ब्याज माफ करने तथा ग्राम सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को बैंक कर्मचारी कैडर में सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्र पाल मीना (वि.सं.115)

53. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सहकारी बैंक/समिति खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में खाद-बीज भण्डार तथा गोदाम खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में किसानों के कर्ज माफ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं.19)

56. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के ग्राम सेवा सहकारी समिति से वंचित ग्राम पंचायतों में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पुराने तथा जर्जर गोदामों के मरम्मत कार्य, नवीनीकरण एवं आवश्यकतानुसार नवीन गोदाम निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में किसानों को उन्नत किस्म के बीज, खाद एवं कीटनाशक दवाइयां समय से पूर्व उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र चौहटन की सहकारी संस्थाओं में ऋण संबंधी लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार एवं प्रसार किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (वि.सं.50)

61. करौली जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक का गठन करने एवं विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम के अन्तर्गत ग्राम सहकारी समितियों में अनाज भण्डारण की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम के काश्तकारों को केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण वितरण तथा क्रय-विक्रय सहकारी समिति, नादौती एवं टोड़ाभीम के गोदामों की क्षमता बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

63. प्रदेश की सहकारी समितियों/सहकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रबन्धन तथा विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम के किसानों को डीएपी खाद एवं यूरिया नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अतुल भंसाली (वि.सं.3)

64. प्रदेश में विभाग में विभागीय जांच के लम्बित प्रकरणों को लम्बित रखने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने एवं लम्बित जांच प्रकरणों को निस्तारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. प्रदेश में विभाग के डिपार्टमेन्टल स्टोर्स के प्रदेशव्यापी विकास की संभावनाओं को तलाश पर कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. प्रदेश में क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम पर आमजन से ठगी की घटनाओं को रोकने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. प्रदेश में सेवारत सरकारी अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी द्वारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के संचालन के प्रकरणों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र जोशी (वि.सं.82)

68. प्रदेश में विभाग में विभागीय जांच के लम्बित प्रकरणों को लम्बित रखने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने एवं लम्बित जांच प्रकरणों को निस्तारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भीम राज भाटी (वि.सं.107)

69. विधान सभा क्षेत्र पाली के कई क्षेत्रों में नवीन सहकारी समितियों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ) (वि.सं.112)

70. तहसील सुजानगढ़ एवं बीदासर के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर सहकारिता भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. तहसील सुजानगढ़ एवं बीदासर में नई तथा पुरानी सहकारी समितियों के गोदामों के निर्माण कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (वि.सं.136)

72. प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सहकारी समितियां खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद की विभिन्न ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के रिक्त पदों का भरे जाने के सबंध में चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद की कार्यालय विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के भवन का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. प्रदेश में को-ऑपरेटिव सोसाइटियों का संचालन एवं प्रबन्धन विभाग को दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. श्री लक्ष्मीनाथ को-ऑपरेटिव सोसाइटी, पीसांगन में जमाकर्ताओं की राशि वापस दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भगवाना राम सैनी (वि.सं.104)

77. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में क्रय-विक्रय सहकारी समिति के गोदाम का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में नवीन क्रय-विकय सहकारी समिति खोलने के संबंध चर्चा के लिए।

श्री कंवरलाल (वि.सं.26)

79. विधान सभा क्षेत्र अंता में नवगठित सहकारी समितियों को भवन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं.72)

80. श्रीगंगानगर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक एवं अध्यक्ष के आपसी विवादों का निपटारा कर किसानों को योजनाओं का लाभ दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. श्रीगंगानगर जिले में भूमि विकास बैंक या ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली या अन्य किसानी औजारों पर ऋण एवं सब्सिडी दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की भवन विहीन ग्राम सेवा सहकारी समिति को भवन की चारदीवारी के लिए बजट उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. प्रदेश में भूमि विकास बैंक एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति से ऋण लेने वाले किसानों के ऋण माफ करने या एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का लाभ दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के 3 जी.बी. मिनी बैंक के खाताधारकों को उनकी जमा राशि वापस लौटाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं.13)</u>

85. प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियो को सशक्त बनाने हेतु नीति बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

86. प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सहकारी समितियों का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. प्रदेश में ग्राम सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए सशक्त नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. प्रदेश में ग्राम सहकारी समितियों द्वारा दिए गए ऋण पर सस्ता बीमा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. प्रदेश के किसानों की उपज को समर्थन मूल्य तोल केन्द्र पर तुलवाने एवं जल्दी भुगतान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.4)</u>

90. विधान सभा क्षेत्र अजमेर (दक्षिण) में महिला सहकारिता को प्रोत्साहन हेतु महिला सहकारी समितियों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. प्रदेश में विभिन्न क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा करोड़ों रूपए जनता से वसूल करने तथा गबन एवं अनियमितताओं के कारण उनके संचालकों को जेल भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

92. अजमेर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को राहत देने हेतु उनकी जमा राशि ब्याज सहित लौटाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. प्रदेश में सहकारिता के चुनाव समय पर नहीं होने के कारण हो रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति एवं चुनाव सही समय पर कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. प्रदेश में निष्क्रिय ग्राम सेवा सहकारी समितियों को क्रियाशील बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (वि.सं.132)</u>

95. विधान सभा क्षेत्र निवाई की प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्रय-विकय संघ की उचित मूल्य की दुकानें खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड़, जयपुर की योजना विधान सभा नगर, धौलाई, मानसरोवर, जयपुर (जोन-7) में स्थित है, में दिनांक 06 जनवरी, 2004 से समापक नियुक्त होने तथा जेडीए की बीपीसी समिति के आदेश दिनांक 07 जनवरी, 2010 के द्वारा संशोधित मानचित्र अनुमोदित होने के उपरान्त भी मौके पर डिमार्केशन, पट्टा एवं नियमितीकरण नहीं किए जाने एवं मानचित्र के अनुसार आवंटियों को भूखण्डों पर विभागीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण मूल भूखण्डधारियों को कब्जा नहीं दिलवाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री प्रशान्त शर्मा (वि.सं.95)</u>

97. विधान सभा क्षेत्र आमेर स्थित भवन रहित समितियों के भवन एवं गोदामों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोपीचन्द मीणा (वि.सं.46)</u>

98. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में नवीन सहकारी समितियों का गठन करवाने, भवन विहीन तथा गोदाम विहीन समितियों हेतु भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति जारी करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की पारोली, सरलिया लसाडिया, बावड़ी, टीकड़, भरणीखुर्द बागुदार, बिशनिया, आपोप एवं बोरड़ा सहकारी समितियों के भवन एवं गोदाम निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री संजीव कुमार (वि.सं.171)</u>

100. प्रदेश की विभिन्न ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सेवारत व्यवस्थापकों/सहायक व्यवस्थापकों एवं सेल्समैनों का राज्य कर्मचारियों के अनुरूप वेतन निर्धारित किए जाने एवं सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेन्शन दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र भादरा की प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति में गोदाम एवं कार्यालय भवन निर्माण करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र भादरा के ग्राम गांधी बड़ी में हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

103. प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में किसानों को दिए जाने वाले ऋण की साख सीमा (लिमिट) बढ़ाकर ऋण उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

104. प्रदेश की प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर (वि.सं.200)</u>

105. प्रदेश में यूरिया एवं डीएपी की किल्लत होने से किसानों के सामने आ रही समस्याओं के संबंध में चर्चा के लिए।

106. प्रदेश में फसलों पर छिड़काव हेतु प्रत्येक सहकारी समिति को निःशुल्क ड्रोन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र करणपुर में रिडमलसर क्रय-विक्रय सहकारी समिति के वर्ष 2015-2016 के कमीशन हैण्डलिंग एवं परिवहन के बकाया भुगतान के संबंध में चर्चा के लिए।

108. प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधूरी खरीद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

109. प्रदेश की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में व्यवस्थापक, कनिष्ठ लिपिक एवं लेखाकार के पदों के रिक्त होने से कार्मिकों पर कार्य का बोझ बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं.62)

110. प्रदेश के केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों को संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों की चयन प्रक्रिया निर्धारित कर पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षकों के समान वेतन, भत्ते एवं सुविधाएं देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं.62)

112. प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले फसली ऋण की राशि को बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (वि.सं.30)

114. जयपुर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा ऋण वितरण में हो रही अनियमितताओं तथा समय पर अंकेक्षण नहीं करवाए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

115. जयपुर में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा एक आवासीय योजना में डबल पट्टे देने तथा जमीन नहीं होने पर भी पट्टे देने की शिकायतों पर विभाग द्वारा ऐसी गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

116. प्रदेश के विभाग में घोटाले करने वाले एवं गबन के दोषी तथा चार्जशीट के आरोपी अफसरों को नियम विरूद्ध फील्ड में पोस्टिंग दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

117. प्रदेश की अपैक्स बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों में एम.डी. तथा सीईओ की नियुक्ति में आरबीआई के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. जयपुर में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा पुरानी तिथियों में दिए जा रहे पट्टे तथा ऑडिट नहीं करवाने वाली गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरूद्ध कार्रवाई नहीं किए जाने पर विभागीय विफलता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (वि.सं.35)

119. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम राजगीयावास में बाड़सा सहकारी समिति का गोदाम बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम कोलपुरा में सहकारी समिति, धनला का गोदाम निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की सहकारी समिति, बाड़सा के गोदाम की मरम्मत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री देवी सिंह शेखावत (वि.सं.81)

122. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) हेतु लाइसेंस आवंटित कर समितियों की आय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में नई क्रय-विक्रय सहकारी समिति का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम विहीन एवं जर्जर हो चुके गोदामों का निर्माण करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में ग्राम सेवा सहकारी समिति विहीन ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण (वि.सं.140)

127. प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों का सृजन कर अधिक सशक्त बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पितराम सिंह काला (वि.सं.88)

128. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में नई सहकारी समितियों का गठन करने तथा कार्मिकों की डीपीसी के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (वि.सं.37)

129. प्रदेश में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों/सीसीबी बैंक के चुनाव एक साथ कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

130. बांसवाड़ा जिले एवं विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की समस्त ग्राम पंचायतों में लेम्पस खोलने, किसानों के लिए गोदामों का निर्माण करने तथा ब्याज मुक्त ऋण की राशि 02.00 लाख करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री युनूस खान (वि.सं.121)

131. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में भवन रहित सहकारी समितियों के भवन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना की सहकारी समितियों में ऋण के लिए प्राप्त लम्बित आवेदनों का निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सहकारिता समिति एवं भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के ग्राम मौलासर में को-ऑपरेटिव बैंक खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135. जिला मुख्यालय डीडवाना में सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (वि.सं.37)

136. बांसवाड़ा जिले में संचालित उपभोक्ता भण्डार की दुकानों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)

137. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में भवनविहीन प्राथमिक साख सहकारी समितियों के भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में अनुकूलित भाड़ा सेवा केन्द्र की सुविधा से वंचित ग्राम पंचायतों में यथाशीघ्र केन्द्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में सुंदरचा, मुण्डोल, घाटी, आत्मा, पड़ासली, धांयला, पीपलांत्री एवं प्राथमिक सहकारी समितियों से वंचित अन्य ग्राम पंचायतों में यथाशीघ्र समिति प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. प्रदेश में किसान उत्पादक संगठनों के प्रवर्तन में सहकारी विभाग द्वारा विशेष सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

141. प्रदेश की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को सामान्य सेवा केन्द्रों के रूप में परिवर्तित करने की प्रगति एवं राजसमंद विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक समितियों को सामान्य सेवा केन्द्रों में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

अर्जुन लाल (वि.सं.12)

142. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143. प्रदेश में एसएलडीबी एवं जीएसएस से किसानों द्वारा लिए गये अल्पकालीन ऋण ओवर ड्यू होने पर उनसे एक मुश्त वसूली के लिए लगी पेनल्टी एवं ब्याज माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के पीपाड़ शहर में ऋण-विक्रय सहकारी समिति पीपाड़ शहर के संचालक मण्डल के 5 संचालकों के चुनाव अवैध घोषित करने पर पुनः निर्वाचन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 500 एमटी /200 एमटी/100 एमटी के गोदाम निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. प्रदेश में स्थित ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से दिये जा रहे किसानों को अल्पकालीन ऋण राशि की साख सीमा बढाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)

147. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में वेयर हाऊस बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

148. प्रदेश में सहकारी कॉ-आपरेटिव बैंक तथा निजी कॉ-आपरेटिव बैंक में कार्यरत अस्थाई अथवा संविदा कार्मिकों को स्थाई करने एवं अन्य स्थाई कार्मिकों की पदोन्नति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

149. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के ग्राम थोब एवं कितनोद बुडीवाड़ा में केन्द्रीय सहकारी कॉ-आपरेटिव बैंक खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150. बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा किसानों को लोन वितरण के मापदण्ड तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. बालोतरा में केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह राजपुरेहित (वि.सं.54)

152. विधान सभा क्षेत्र आहोर के देलदरी व ऊण में नवीन सहकारी समिति की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र आहोर के सिवाणा में गेहूं, सरसों, चना खरीद केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र आहोर के दयालपुर, अजीतपुरा व चुण्डा में खाद्य सामग्री हेतु भण्डारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (वि.सं.108)

155. प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के प्रबन्ध कार्यकारिणी चुनाव के उप नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनावों में संचालक मण्डल के सदस्यों को दो बार से अधिक चुनाव नहीं लड़ने संबंधी नियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (वि.सं.108)</u>

157. जोधपुर जिले सहित विधान सभा क्षेत्र ओसियां में जरूरत व मांग के अनुसार नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के शीघ्र गठन व स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर गोदाम भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कृषि साधन यंत्र व ट्रेक्टर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अमित चाचाण (वि.सं.08)</u>

160. विधान सभा क्षेत्र नोहर के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

161. विधान सभा क्षेत्र नोहर की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम व भवन निर्माण के लम्बित प्रस्तावों की स्वीकृति जारी कर निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र नोहर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता राशि 12000/- रूपये किसानों के खातों में एकमुश्त जमा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

163. जयपुर जिले में स्थित गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरूद्ध अनियमितता, एक भूखण्ड के एक से अधिक पट्टे बनाना इत्यादि से संबंधित शिकायतों के प्राप्त होने व आवासीय योजनाओं का सरकार को रिकार्ड नहीं देने पर विभागीय कार्यवाही पर चर्चा के लिए।

164. प्रदेश में राज्य सहकारी दवा केन्द्रों से सेवानिवृत्त पेंशनर्स कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाने वाली दवा के भुगतान हेतु बजट आवंटन के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डा. ऋतु बनावत (वि.सं.24)</u>

165. बयाना तथा रूपवास में एमएसपी पर खरीदी जाने वाली फसलों हेतु सरकारी केन्द्रों के लिए भूमि व बजट आवंटन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र बयाना में कॉ-आपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक और क्रय-विक्रय सहकारिता समिति के चुनाव करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास में क्रय-विक्रय समिति का पुनः संचालन व खाद-बीज भण्डार बनाने के लिए भूमि का आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

168. विधान सभा क्षेत्र बयाना में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्यालय और भण्डार गृह हेतु भूमि आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र बयाना में कॉ-आपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक और क्रय-विक्रय सहकारिता समिति संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (वि.सं.102)

170. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में सहकारी बैंकों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में उपभोक्ता भण्डार की दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुखवंत सिंह (वि.सं.65)

172. विधान सभा क्षेत्र रामगढ के समस्त नगरपालिका क्षेत्रों में उपभोक्त भण्डार की दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के गोविन्दगढ़ में क्रय-विक्रय संघ हेतु भूमि एवं बजट आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाने तथा पूर्व में संचालित समितियों के गोदाम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. विधान सभा क्षेत्र रामगढ के बड़ौदामेव में सहकारी बैंक की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं.48)

176. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम निर्माण व कस्टम हायरिंग सेन्टर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177. प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

178. प्रदेश में ब्याज मुक्त ऋण का दायरा बढ़ाने व सहकारी संस्थाओं में समय पर चुनाव कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पूसाराम गोदारा (वि.सं.91)

179. प्रदेश में सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों का कैडर बनाकर स्थाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र (वि.सं.128)

180. विधान सभा क्षेत्र महवा में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शैड व खाली निर्माण तथा दुग्ध, चारा, बांटा संबंधित उपकरण खरीद हेतु ब्याज मुक्त ऋण देने हेतु नियमों में शिथिलता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र महवा में सहकारी बैंकों से अल्पकालीन फसली ऋण योजना से वंचित रह रहे किसानों को उक्त योजना का लाभ दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

182. प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत नये किसानों को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री विनोद कुमार (वि.सं.153)</u>

183. क्रय-विक्रय सहकारी समिति पीलीबंगा के भवन के पुर्ननिर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कालूराम (वि.सं.31)</u>

184. विधान सभा क्षेत्र डग के कस्टम हायरिंग सेन्टर में किसानों को रूटावेटर, हरू, पिताऊ आदि किराये पर उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

185. आरसीडीएफ के विभिन्न सहकारी संघों द्वारा दुग्ध उत्पादकों को पंजीकृत सदस्यों के रूप में जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

186. प्रदेश में किसानों, मजदूरों, शिल्पकारों व छोटे कारोबारियों को सहकारी क्रेडिट कार्ड ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री धर्मपाल (वि.सं.83)</u>

187. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थापित जिन-जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर गोदाम निर्माण हेतु भूमि आवंटित नहीं की हुई है, उनको गोदाम निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

188. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थापित गोदाम विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थापित ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

190. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थापित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

191. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री भागचन्द टांकड़ा (वि.सं.106)</u>

192. संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर की आवासीय योजना विधान सभा नगर, धौलाई, मानसरोवर (सांगानेर) जेडीए, जयपुर के जोन-8 में मूल आवंटियों को कब्जा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

193. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में नई ग्राम सहकारी समितियों के गठन तथा नवगठित समितियों में गोदाम निर्माण की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

194. प्रदेश की सहकारी समितियों में सहकारी कार्मिकों, व्यवस्थापकों की विभिन्न मांगों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (वि.सं.185)

195. प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की समस्याओं के समाधान के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं. 178)

196. भरतपुर सेन्ट्रल बैंक (को-ऑपरेटिव बैंक) लि. की कामां शाखा द्वारा वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में दिये गये ऋणों की जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

197. प्रदेश में सहकारी बैंकों में ऋण देने की प्रक्रिया को सरल एवं शीघ्र करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

198. सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

199. ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता के ढांचे को मजबूत करने के लिये सहकारी बैंकों की पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

200. प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) की कार्य प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनीष यादव (वि.सं.111)

201. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) की ग्राम पंचायत टोडी, उदावाला, सुराणा, निठारा, खोरालाडखानी, देवथला, नयाबास एवं बिदारा में सहकारी समिति की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

202. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) की मामटोरी कलां तथा पीपलोद नारायण ग्राम सेवा सहकारी समिति में गोदाम निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनीष यादव (वि.सं.111)

203. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में सहकारी समिति करीरी व बिलांदरपुर में भवन का जीर्णोद्वार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अनिल कुमार शर्मा (वि.सं.5)

204. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए गोदाम व कार्यालय भवन बनाये जाने हेतु बजट का आवंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

205. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए हिस्सा राशि बढ़ाने, ब्याज मुक्त राशि बढ़ाने, निजी आय बढ़ाने के लिए गोदाम, खाद-बीज भवन, कार्यालय भवन, व्यवसाय हेतु आर्थिक सहयोग इत्यादि के लिए बजट आवंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

206. सरदारशहर कस्बे में रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड के नजदीक क्रय-विक्रय सहकारी समिति की पट्टे शुदा जमीन की चारदीवारी बनाने, नवीन भवन निर्माण, फसल तुलाई हेतु

धर्मकांटा का निर्माण, गोदाम निर्माण, पार्किंग की व्यवस्था, प्रतीक्षालय भवन का निर्माण इत्यादि के लिए बजट का आवंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

207. सरदारशहर क्रय-विक्रय सहकारी समिति में किसानों से हो रही अवैध चौथ वसूली व भ्रष्टाचार की जांच एवं अनियमितताओं पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा) (वि.सं.154)</u>

208. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के मसूदा उपखण्ड ब्यावर जिले में उन सहकारी समितियों में जहां भवन, गोदाम व चारदीवारी नहीं है, वहां निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

209. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के भिनाय उपखण्ड जिला अजमेर में उन सहकारी समितियों में जहां भवन गोदाम व चारदीवारी नहीं है, वहां पर निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)</u>

210. विधान सभा क्षेत्र खानपुर की वंचित ग्राम सेवा सहकारी संस्थाओं में भंडारण हेतु गोदाम निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

211. विधान सभा क्षेत्र खानपुर की वंचित ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी संस्था खोले जाने एवं भवन विहीन ग्राम सहकारी संस्थाओं को भवन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

212. राज्य के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में अवधिपार वसूली के प्रकरणों में एक मुश्त समझौता योजना लाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

213. झालावाड़ के पनवाड़ क्षेत्र में सहकारी राईस मिल की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

214. झालावाड़ जिले की सहकारी संस्थाओं में चुनाव कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री भीम राज भाटी (वि.सं.107)</u>

215. विधान सभा क्षेत्र पाली की विभिन्न सहकारी समितियों में किसानों की ऋण माफी के संबंध में चर्चा के लिए।

216. विधान सभा क्षेत्र पाली में नवीन सहकारी समितियों के गठन के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री लक्ष्मण राम (वि.सं.141)</u>

217. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में नवीन समर्थन मूल्य फसल खरीद केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री पब्बाराम विश्नोई (वि.सं.87)</u>

218. फलौदी जिले के लिए नवीन केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक (गठित) बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री लादु लाल पितलिया (वि.सं.144)</u>

219. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम आवंटन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

220. विधान सभा सहाड़ा में कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री गुरवीर सिंह (वि.सं.42)</u>

221. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की फल-सब्जी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., सादुलशहर के संचालन हेतु भूखण्ड व स्वयं के कार्यालय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

222. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के गांव अलीपुरा में 500 एमटी गोदाम स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

223. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के गांव मोहनपुरा व कालियां में कस्टम हायरिंग सेन्टर की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

224. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के गांव मिर्जेवाला में 500 एमटी गोदाम की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं.113)</u>

225. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की सहकारी सोसायटियों के अधीन स्वीकृत भण्डार गोदामों का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

226. सादुलपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद में ठेकेदारों द्वारा गड़बड़ी करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

227. सरदारशहर में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद कर, राजफैड गोदाम में घटिया मूंगफली जमा करने की जांच कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

228. सहकारिता उप रजिस्ट्रार, चूरू की जांच लंबित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

229. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में सहकारी सोसायटियों का गठन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)</u>

230. विधान सभा क्षेत्र शिव के कस्बा भीयाड़ एवं हरसाणी में बीसीसीबी की नवीन शाखा की स्थापना के साथ ही सहकारी समिति एवं सहकारी बैंकों में चल रहे रिक्त पदों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

231. विधान सभा क्षेत्र शिव के कस्बा शिव, गडरा रोड एवं रामसर में उचित एवं कम मूल्य पर गुणवत्ता युक्त दैनिक उपयोग सामग्री के लिए ग्राम सहकारी समिति पर सुपर बाजार खोले जाने हेतु विभागीय पहल करने के संबंध में चर्चा के लिए।

232. प्रदेश की सहकारी समितियों में पंजीकृत किसानों को साख सीमा के अनुसार ऋण वितरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

233. प्रदेश में ऋण माफी वर्ष 2018-19 में पाई गयी अनियमितताओं की जांच व समिति पर होने वाले लेन-देन में व्यवस्थापक के साथ बैंक कोरस्पॉन्डंट को भी अनुमति देने के संबंध में चर्चा के लिए।

234. प्रदेश में नवगठित ग्राम सहकारी समितियों हेतु जमीन आवंटन, गोदाम निर्माण की आवश्यकता एवं पुरानी सहकारी समितियों के जर्जर गोदामों के जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)</u>

235. सहकारिता विभाग, शाहपुरा (भीलवाड़ा) में निरीक्षक का पद रिक्त होने से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के निरीक्षण नहीं हो पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

236. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के सरकारी स्कूलों में एमडीएम योजना के तहत सप्लाई होने वाली वसूली योग्य राशि का निर्धारण नहीं होने तथा प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हेतु एसआईटी का गठन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री सोहन लाल नायक (वि.सं.186)</u>

237. प्रदेश में विभाग के पेंशनरों और अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के दीर्घकालीन ऋण के ब्याज को माफ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री थावर चन्द (वि.सं. 75)</u>

238. प्रतापगढ़ जिले के उपभोक्ता भण्डारों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिए।

239. विधान सभा क्षेत्र धरियावद के किसानों को कृषि ऋण व अन्य उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

240. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में नवीन बने लेम्पस (Lamps) के भवनों के संबंध में चर्चा के लिए।

241. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में नवीन लेम्पस (Lamps) सहकारी समितियां खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट 2

अनुदान की मांग संख्या 56 – उद्योग पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-56 मुख्य शीर्षक **उद्योग** के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

<u>श्री राजेन्द्र (वि.सं.128)</u>

1. विधान सभा क्षेत्र महवा के गांव समलेटी में रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने तथा प्रदूषण रहित उद्योग स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं.94)</u>

2. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में उद्योगों की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं.159)</u>

3. ब्यावर जिले में राईजिंग राजस्थान के अधिक से अधिक उद्योग रीको क्षेत्र में लगाकर रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. जसवंत सिंह यादव (वि.सं.61)</u>

4. प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु आमजन को प्रोत्साहन/नवाचार की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।
5. प्रदेश में रीको क्षेत्रों को विकसित करने तथा लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।
6. प्रदेश के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिलाने हेतु नीति निर्धारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. प्रदेश में उद्योगों से सी.एस.आर. से मिलने वाले फण्ड का उपयोग स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. नवगठित जिला मुख्यालय कोटपूतली बहरोड में जिला उद्योग कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रमेश खींची (वि.सं.125)</u>

9. खेड़ली क्षेत्र में पुराने रीको क्षेत्र की पुन:स्थापना/संचालन करने एवं स्वीकृत नवीन औद्योगिक क्षेत्र को शीघ्र संचालित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)</u>

10. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में रीको की आवंटित भूमि एवं नई आरक्षित की जाने वाली भूमि के विवरण के साथ रीको क्षेत्र मोकलसर एवं समदडी की सड़कों का विस्तार एवं आवंटित प्लॉट के विकास हेतु उद्योग स्थापित करने की तय समय सीमा के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)</u>

11. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए दिए जाने वाले ऋण की श्रेणी निर्धारित करने एवं ऋण लेने की समस्त प्रक्रिया के संबंध में चर्चा के लिए।
12. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के छोटे-छोटे गृह उद्योग जैसे-जूती बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने, लकड़ी के औजार, लोहे के औजार, सोने के आभूषण, पापड़ निर्माण आदि को उद्योग की श्रेणी में लेकर उनके विकास की योजनाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
13. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सी.एस.आर. फण्ड की राशि से विकास कार्य करवाए जाने के साथ, विगत पांच वर्षों में सी.एस.आर. फण्ड के कार्य की समीक्षा एवं सी.एस.आर. फण्ड में विधायक की सहमति से कार्य करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
14. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में 'राईजिंग राजस्थान' के तहत उद्योग स्थापित करने के संबंध में हुए एमओयू के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं.150)</u>

15. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में प्रस्तावित दुर्जनपुरा-नवलगढ़ एवं डूंडलोद-मुकुन्दगढ़ रीको क्षेत्र को विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिसिंह रावत (वि.सं.193)</u>

16. विधान सभा क्षेत्र भीम के औद्योगिक क्षेत्र बग्गड़ में फैक्ट्रियां स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं.142)</u>

17. किशनगंज-शाहाबाद के रीको क्षेत्र खुशियार एवं गुवाड़ी में सड़क, बिजली एवं पानी की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रेवन्तराम डांगा (वि.सं.189)</u>

18. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के कुचेरा में कृषि यंत्र उद्योग को सरकारी प्रोत्साहन देकर विकसित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
19. नागौर जिले के पारम्परिक उद्योगों को सरकारी संरक्षण देकर प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
20. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में नए रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
21. नागौर जिले के टांकला के कलात्मक दरी उद्योग को सरकारी संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)</u>

22. आहोर उपखण्ड मुख्यालय पर रीको औद्योगिक क्षेत्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
23. विधान सभा क्षेत्र आहोर में रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की क्रियान्विति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अतुल भंसाली (वि.सं.3)</u>

24. जोधपुर एवं पश्चिमी राजस्थान के उद्योगों को वैश्विक मंदी का सामना करने एवं उद्योग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

25. जोधपुर में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में हैवी लोड ट्रकों का भार सहन करने की क्षमता वाली सी.सी. रोड़ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी के बिन्दु संख्या-5.6.1 की अनुपालना के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं.51)

27. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के मांदलदा में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

28. प्रदेश में नवीन लघु उद्योग स्थापित करने हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (वि.सं.197)

29. प्रदेश में रीको द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं नए उद्योग लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रोहित बौहरा (वि.सं.139)

30. प्रदेश में रीको द्वारा रीको चार्जेज की वन टाईम सैटलमेन्ट स्कीम लाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

31. प्रदेश में रीको द्वारा भूमि पर 35 प्रतिशत बिल्डिंग ही बनाने के नियम में छूट प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामकेश (वि.सं.133)

32. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में उद्योग स्थापित करने तथा गंगापुरसिटी में उद्योग स्थापित करने में आ रही कठिनाइयों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सोहन लाल नायक (वि.सं.186)

33. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ब्लॉक श्रीविजयनगर में रीको की घोषणा की क्रियान्विति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संजय कुमार (वि.सं.169)

34. प्रदेश में धौलपुर स्टोन को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)

35. प्रदेश के सीएसआर प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक समूहों से प्राथमिकताओं के अनुसार आधारभूत सुविधाओं का सृजन और संवर्द्धन के लिए नियमित बैठकें आयोजित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)

36. कम्पनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति, नियम संख्या 2014 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार सीएसआर समिति में लिए गए निर्णयों के आधार पर व्यय राशि का ऑडिट कराने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. कोटा जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों के लिए देय मूलभूत सुविधाओं के अभाव को दूर किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. राजस्थान एन्टरप्राईजेज सिंगल विण्डो एनेबलिंग एण्ड क्लियरेन्स अधिनियम, 2011 में पंजीकृत आवेदन पत्रों की मंजूरी में हो रहे विलम्ब को शीघ्र निस्तारित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. कोटा में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कोटा डोरिया के उत्पाद को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने की कार्य योजना के अन्तर्गत कार्यशाला एवं सेमिनार आयोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. प्रियंका चौधरी (वि.सं.96)</u>

40. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए जिला मुख्यालय के आस-पास नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में जिला मुख्यालय स्थित औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उचित पहुंच मार्ग सुनिश्चित करने के लिए चामुण्डा चौराहे से सिणधरी रोड के समीप रिंग रोड तक लगभग 04 किलोमीटर की लम्बाई एवं 10.00 मीटर चौड़ाई की सड़कों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में जिला मुख्यालय पर स्थित रीको के उप इकाई कार्यालय को इकाई कार्यालय में परिवर्तित करवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>कुमारी रीटा चौधरी (वि.सं.138)</u>

43. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के मलसीसर रीको औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने के बाद भी प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति एवं ब्लॉक मण्डावा में रीको क्षेत्र स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)</u>

44. विधान सभा क्षेत्र निवाई के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से नए उद्योग स्थापित कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हंसराज मीना (वि.सं.188)</u>

45. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाकर नए उद्योग एवं कम्पनियां स्थापित किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री श्रवण कुमार (वि.सं.167)</u>

46. झुन्झुनूं जिले के हैडक्वार्टर पर नए उद्योग लगाने तथा रीको की भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को शीघ्रातिशीघ्र हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं.22)</u>

47. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में नए उद्योगों की स्थापना एवं सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी/प्रोत्साहन राशि के संबंध में चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में उद्योगों द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में उद्योगों द्वारा किए गए विकास कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में उद्योगों द्वारा काले एवं दूषित पानी को नदियों में छोड़े जाने की समस्या को दूर करने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)

52. प्रदेश में रीको द्वारा पूर्व में आवंटित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिए गए प्लाटों पर होटल शुरू करने वालों को उद्योग का दर्जा दिए जाने एवं नियमित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

53. बून्दी में स्वीकृत स्टोन पार्क हेतु भूमि का चयन और उचित बजट प्रावधान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

54. प्रदेश में 'राइजिंग राजस्थान' के अन्तर्गत 35 लाख करोड़ रूपए के हुए विभिन्न एमओयू को धरातल पर अमली जामा पहनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

55. प्रदेश में जे.के. सिन्थेटिक्स की लीज भूमि एवं मैसर्स अराकत पैट्रो केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा एमओयू की शर्तों का उल्लंघन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

56. जे.के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड और मैसर्स अराकत पैट्रो केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के मध्य फैक्ट्री चालू करने, मजदूरों का बकाया भुगतान देने और उन्हें सेवा में लेने के लिए हुए एग्रीमेन्ट की अनुपालना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (वि.सं.50)

57. विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम के उपखण्ड नादौती एवं तहसील बालघाट में रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने तथा प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के संबंध में चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम में स्वीकृत रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना तथा 'राईजिंग राजस्थान' के तहत प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.4)

59. अजमेर जिले में प्रचूर मात्रा में उपलब्ध फैल्सपार को गुजरात जाने से रोकने तथा सैरेमिक टाइल्स उद्योग से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों के प्रोत्साहन हेतु नई नीति बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.4)

60.प्रदेश में नए स्थापित उद्योगों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं श्रमिकों को निश्चित प्रतिशत में नियोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. अजमेर जिले में औद्योगिक क्षेत्र गेगल में पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62.किशनगढ़ (अजमेर) में टैक्सटाईल एवं पावरलूम उद्योग को पुन:जीवित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63.प्रदेश में मध्यम एवं लघु उ़द्योगों के लिए बढ़ाए गए बिजली कनेक्शन पर फिक्स चार्ज को समाप्त किए जाने की विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमीन कागजी (वि.सं.9)

64.प्रदेश में 'राईजिंग राजस्थान 2024' के तहत हुए एमओयू एवं राजस्थान सरकार द्वारा किए गए खर्च के संबंध में चर्चा के लिए।

65.प्रदेश में 'राईजिंग राजस्थान 2024' के तहत हुए आयोजन के औचित्य के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मांगेलाल मीना (वि.सं.117)

66.विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के राजस्व गांव धौराला, तहसील रैणी (अलवर) में रीको औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

67.विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ की तहसील लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं.57)

68.विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के मोड का निम्बाहेड़ा में सिरेमिक जोन इण्डस्ट्री की घोषणा की क्रियान्विति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)

69.भीलवाड़ा के टेक्सटाइल पार्क को पीएम मित्र योजना में लेने के संबंध में चर्चा के लिए।

70.भीलवाड़ा जिले में सिरेमिक पार्क की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

71. प्रदेश में उद्योगों के लिए विद्युत एमनेस्टी योजना पर चर्चा के लिए।

72.भीलवाड़ा स्थित जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा स्टील प्लान्ट की स्थापना पर चर्चा के लिए।

73.जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा नगर निगम से किए गए अनुबंध में देय राशि को सीएसआर फण्ड में दर्शा कर Wrong Tax Practice करने पर चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्र पाल मीना (वि.सं.115)

74.विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थापित रीको औद्योगिक क्षेत्र में लगे हुए उपकमों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्रपाल मीना (वि.सं.115)

75.विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में नए उद्योग स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में धुंए से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं.19)

77. प्रदेश में स्थापित उद्योग धंधों में स्थानीय शिक्षित बेराजगार युवाओं को योग्यतानुसार रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के सेड़वा कस्बे में रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने, विकसित करने एवं रीको क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में हस्तशिल्प, हैण्डीक्राफ्ट एवं हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने तथा उनके संरक्षण तथा संवर्धन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में महिला शिल्पकारों को प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)

82. बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र में पावरलूम की नई इकाइयों को स्थापित कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. बालोतरा के रीको औद्योगिक क्षेत्रान्तर्गत शेष रहे भाग में सीमेंट की रोड बनाने, नाला बनाने एवं बिठुजा के औद्योगिक क्षेत्र में रोड़ बनाने एवं रोड लाईट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र में 6 एमएलडी क्षमता का जेडएलडी संयंत्र, बालोतरा रीको चतुर्थ चरण में 8 एमएलडी क्षमता का सीईपीटी मय जेडएलडी संयंत्र एवं बिठुजा में संचालित सीईटीपी को जेडएलडी तक बनाए जाने हेतु आर्थिक सहायता की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. बालोतरा स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र के चतुर्थ चरण के अन्तर्गत पत्रावलियों का निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र के चतुर्थ चरण के अन्तर्गत आवंटित भूखण्डों के द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किए जाने पर विभाग द्वारा एक अंतिम अवसर का नोटिस दिया जाकर उनको एक साल की छूट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)

87. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में उद्योगों के लिए पाईप लाईन द्वारा गैस आपूर्ति के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं औद्योगिक गतिविधियों के विविधीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)

89. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद एवं जिले में नव उद्यम प्रवर्तन (स्टार्टअप) को प्रोत्साहन देने की प्रगति एवं आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर योजना के अन्तर्गत राजसमंद-भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में कुरज औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास एवं नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अतुल भंसाली (वि.सं.3)

92. जोधपुर में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा विकास की कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. जोधपुर के टैक्सटाईल्स, हैण्डलूम, हैण्डीक्राफ्ट्स उद्योगों के लिए विशेष संबलन एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र जोशी (वि.सं.82)

94. विभाग के समस्त कार्यालयों में विभागीय जांच के लम्बित रहने के कारणों के जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई कर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमीन कागजी (वि.सं.9)

95. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में विख्यात हाथ कागज उद्योग के उत्थान के संबंध में चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में रीको द्वारा लाए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र निमोड़िया/कुक्कड़ के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भीम राज भाटी (वि.सं.107)

97. विधान सभा क्षेत्र पाली में टैक्सटाईल उद्योग के अलावा अन्य उद्योग लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

98. पाली शहर में निम्बली पटेलान रीको औद्योगिक क्षेत्र में कृषि भूमि के अधिग्रहण करने एवं उचित मुआवजा दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ) (वि.सं.112)

99. सुजानगढ़ शहर में या शहर के आस-पास नया रीको एरिया स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (वि.सं.136)

100. नसीराबाद के ट्रांसपोर्ट से संबंधित उद्योगों को सरकारी प्रोत्साहन एवं संरक्षण देकर प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के बेवन्जा रीको क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के ग्राम कालेसर में नवीन औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्डों का आवंटन एवं विकसित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (वि.सं.166)

103. धौलपुर रीको औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़ी फैक्ट्रियों एवं उसमें महिलाओं की भागीदारी के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री थावर चन्द (वि.सं.75)

104. प्रदेश के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में 75 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में चर्चा के लिए।

105. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में छोटे-छोटे लघु उद्योग स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में नया औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (वि.सं.172)

107. कोटा में स्टोन मंडी के बजाय स्टोन पार्क बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कंवरलाल (वि.सं.26)

108. विधान सभा क्षेत्र अंता की नगरपालिका अंता क्षेत्र में रीको एरिया स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं.72)

109. सूरतगढ़ शहर में जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक उप केन्द्र तथा रीको इकाई कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. श्रीयादे माटी कला बोर्ड को सशक्त बनाने हेतु कनिष्ठ लेखाकार पूर्णकालिक रूप से पदस्थापित करने एवं बोर्ड के बजट को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. प्रदेश में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के तहत ऋण तथा सब्सिडी दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. प्रदेश में दस्तकारी/शिल्पकार जातियों को बिना ब्याज एवं सब्सिडी सहित ऋण दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं.13)

114. प्रदेश में छोटे-छोटे घरेलू उत्पादों के आधार पर उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

115. प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने के लिए रीको को निःशुल्क भूमि दिलवाने एवं छोटे-छोटे उद्योग लगाने के लिए सस्ती दर पर भूखण्ड उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिए।

116. चित्तौड़गढ़ के दरिबा और चन्देरिया में संचालित हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र कपासन में बड़ा उद्योग लगवाने के लिए सरकार द्वारा कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>सुश्री नौक्षम (वि.सं.86)</u>

118. विधान सभा क्षेत्र कामां में नियम विरूद्ध चल रहे क्रेशर उद्योगों पर कार्रवाई करने के संबंध में चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र कामां में लघु उद्योगों हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में शेष रहे लोगों की राशि जारी किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र कामां के रीको क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र कामां में स्थानीय पर्यटन को पर्यटन उद्योग का दर्जा दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कालीचरण सराफ (वि.सं.30)</u>

122. जयपुर के रीको औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

123. प्रदेश में होटल इण्डस्ट्री को उद्योग का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए सिंगल विंड़ो सिस्टम की पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. प्रदेश में उद्योगों के लिए सस्ती बिजली एवं पानी की उपलब्धता का स्थाई प्लान तथा मजबूत कनेक्टिविटी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की मजबूती के संबंध में चर्चा के लिए।

126. जयपुर के सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र को घनी आबादी के बीच होने के कारण अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गणेशराज बंसल (वि.सं.40)</u>

127. हनुमानगढ़ के चक 14 एस.एस.डब्ल्यू. (ग्राम-कोहला) में 112.243 हैक्टेयर भूमि में प्रस्तावित रीको औद्योगिक क्षेत्र की वर्ष 2009 से प्रकियाधीन अवाप्ति की कार्रवाई पर चर्चा के लिए।

<u>श्री देवी सिंह शेखावत (वि.सं.81)</u>

128. प्रदेश में औद्योगिक संभावनाओं तथा औद्योगिक विकास हेतु अन्य विभागों के साथ समन्वय करने हेतु ब्लॉक स्तर पर उद्योग विभाग में अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

129. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में उद्योगों के लिए भूमि चिन्हित कर कार्य योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

130. कोटपूतली-बहरोड़ में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र तथा रीको ऑफिस खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

131. अलवर जिले में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कम्पनियों की सीएसआर राशि जिले के प्रत्येक ब्लॉक में आनुपातिक रूप से खर्च करने के संबंध में चर्चा के लिए।

132. अलवर स्थित उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री प्रशान्त शर्मा (वि.सं.95)</u>

133. विधान सभा क्षेत्र आमेर स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में पुरानी सड़कों के पुनरूद्धार एवं अन्य सुविधाएं विकसित करने हेतु चर्चा के लिए।

<u>श्री धर्मपाल (वि.सं.83)</u>

134. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम श्री अशोक नगर (बबाई) में स्थापित नवीन रीको औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक इन्वायरमेंट क्लीयरेंस (ईसी) जारी करवाने, उक्त ग्राम की भूमि खसरा नं. 1452/1264 कुल रकबा 213.61 हैक्टेयर में से 147.00 हैक्टेयर भूमि का भौतिक कब्जा दिलवाने तथा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों/उपक्रमों को स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

135. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के उद्योग क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हैण्डलूम और हैण्डीक्राफ्ट क्षेत्र का क्लस्टर विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड बंद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में मिट्टी के बर्तनों/वस्तुओं के व्यवसाय से जुड़े कारीगरों यथा-कुम्हार/प्रजापत आदि को इलेक्ट्रिक चाक, मिट्टी गुदने के लिए मशीन उपलब्ध कराने हेतु सस्ती दरों पर लोन तथा लोन पर सब्सिडी की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए बुनकरों को सस्ती ब्याज दरों पर लोन एवं लोन पर सब्सिडी प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री गोपीचन्द मीणा (वि.सं.46)</u>

139. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में बजट घोषणानुसार पीपलूड, पन्डेर एवं रेडवास में उद्योग स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मोतीराम (वि.सं.120)</u>

140. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के रीको औद्योगिक क्षेत्र, आबू रोड़ की बंद पड़ी विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को पुन: शुरू करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोरधन (वि.सं.47)</u>

141. विधान सभा क्षेत्र धोद को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर विकसित किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

142. प्रदेश के निजी औद्योगिक क्षेत्रों एवं विभिन्न कम्पनियों में एस.सी./एस.टी. को आरक्षण दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं.62)</u>

143. प्रदेश में मकराना मार्बल से बनने वाले हैण्डीक्राफ्ट वस्तुओं को लघु उद्योग के रूप में विकसित करने तथा सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं.62)</u>

144. मकराना में सेन्टर फॉर डवलपमेन्ट ऑफ स्टोन्स (सीडोस) द्वारा लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन एवं तकनीकी सहायता देने तथा वेस्ट मार्बल (पाउडर) का उपयोग नवीन तकनीकी से लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. मकराना मार्बल उद्योग में मन्दी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र मकराना में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. नवगठित जिला डीडवाना-कुचामन में जिला उद्योग कार्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री उमेश मीणा (वि.सं.23)</u>

148. विधान सभा क्षेत्र आसपुर में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए गांवों में छोटे-छोटे उद्योग खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (वि.सं.132)</u>

149. विधान सभा क्षेत्र निवाई के दत्तवास में रीको औद्योगिक क्षेत्र घोषित होने के उपरान्त भी भूमि का आवंटन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

150. निवाई के सबसे बड़े मूल औद्योगिक क्षेत्र के आबादी में आ जाने के कारण शहर से बाहर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर इकाइयों को शिफ्ट करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री सुखवंत सिंह (वि.सं.65)</u>

151. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में पूर्व में घोषित रीको औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)</u>

153. झालावाड़ जिले में धागा उद्योग सहित बंद पड़े कई उद्योगों को पुर्नसंचालित किए जाने के लिए कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के पनवाड़ में चावल उद्योग के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. रीको द्वारा झालावाड़ जिले के खनन क्षेत्र आरोलिया, रूणजी, पिपलिया, नेहरावत, रूपपुरा आदि में स्टोन आधारित औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. झालावाड़ जिले में संतरा आधारित उत्पादों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. झालावाड़ जिले में थर्मल के नजदीकी सीमेंट उद्योग के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (वि.सं.8)

158. नोहर के रीको औद्योगिक क्षेत्र में वंचित सड़कों, नालों का निर्माण, हाईमास्ट लाईट, रोड़ लाईट लगवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

159. नोहर के रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित चन्द्रशेखर खेल मैदान/स्टेडियम के विकास कार्य एवं निर्माण कार्य हेतु खेल मैदान को नगरपालिका, नोहर को हैण्डओवर करने के संबंध में चर्चा के लिए।

160. रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखण्डों के अन्य भू-उपयेाग परिवर्तन पर रीको के आदेश दिनांक 27.05.2019 द्वारा लगाई गई रोक से उद्यमियों को राहत प्रदान करते हुए रोक हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

161. रीको द्वारा राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक:प.10(4)कार्मिक/क-2/2023-08017 दिनांक 08.07.2024 के निर्देशानुसार वर्ष 2024-25 के लिए विभागीय पदौन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें आयोजित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

162. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के उद्यमियों को राहत प्रदान करने हेतु विभिन्न मदों में रियायत एवं छूट प्रदान करने के लिए पूर्व की भांति रीको एमनेस्टी स्कीम वर्ष 2025 में भी लाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

डा. ऋतु बनावत (वि.सं.24)

163. विधान सभा क्षेत्र बयाना में स्थित रीको क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों से उत्पन्न स्लरी के कारण बंद पड़े नालों की सफाई, मरम्मत तथा बयाना रीको क्षेत्र में स्थित पार्क को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164. भरतपुर जिले एवं विधान सभा क्षेत्र बयाना को एन.सी.आर. एवं टीटीजेड से मुक्त कर औद्योगिक वातावरण बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रीको में सैण्ड स्टोन की स्लरी के निस्तारण हेतु डम्पिंग यार्ड के लिए भूमि की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र बयाना के बयाना उपखण्ड में स्टोन पार्क की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास में भिड़यारी, ग्राम पंचायत चैकोरा की एम.एल.143/1965 खनिज एरिया की लीज अवधि नहीं बढ़ाकर उक्त क्षेत्र को रीको के लिए घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (वि.सं.35)

168. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के रानी शहर में चल रहे उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

169. नवसृजित स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र वरकाणा में मूलभूत सुविधाओं को पूर्ण कर एलॉटमेन्ट करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मनीष यादव (वि.सं.111)

170. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के बिशनगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं.48)

171. मनोहरथाना में नवीन लघु और कुटीर उद्योग लगाने हेतु कार्य योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में कोटड़ा धागा मील को शुरू करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (वि.सं.31)

173. विधान सभा क्षेत्र डग में उद्योग स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बाबूसिंह राठौड (वि.सं.101)

174. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में बालेसर मुख्यालय स्थित खनन उद्योगों के लिए उचित पहुंच मार्ग सुनिश्चित करने के लिए बालेसर से जाटी भाण्डू तक 12 किलोमीटर सड़क की चौड़ाईकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. प्रदेश में बिना पर्यावरण स्वीकृति (ई.सी.) एवं दिनांक 31.03.2025 को समाप्त हो रही अवधि में वृद्धि के कारण क्वारी लाइसेंसों को खण्डित किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

176. प्रदेश में उद्योगों से मिलने वाले सी.एस.आर. फण्ड का उपयोग स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177. खनन क्षेत्र बालेसर में स्टोन क्रेशर उद्योग से निकलने वाली डस्ट के उपयोग की संभावनाएं तलाश कर नए उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

178. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की नगरपालिका बालेसर सता मुख्यालय पर स्टोन मण्डी विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण (वि.सं.140)

183. रीको औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां लगाने एवं रोजगार सृजन करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छोटूसिंह (वि.सं.55)

184. जैसलमेर ब्लॉक स्तरीय कार्यालय सृजन किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

185. जैसलमेर शहर में उद्योग विभाग कार्यालय का जीर्णोद्धार एवं चारदीवारी मरम्मत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

186. जैसलमेर जिले के मुख्यालय स्थित ग्रामीण हाट की जीर्ण-शीर्ण अवस्था का जीर्णोद्धार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जेठानन्द व्यास (वि.सं.66)

187. बीकानेर के रीको क्षेत्र में गन्दे पानी की समस्या के निवारण के संबंध में चर्चा के लिए।

188. बीकानेर पश्चिम में लघु उद्योग जैसे पापड़, बड़ी, भुजिया, मिठाई की टेस्टिंग हेतु अन्तर्राष्ट्रीय फूड टेस्टिंग लेब स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

189. प्रदेश में लघु व बड़े उद्योगों के लिए जमीन व ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

190. बीकानेर पश्चिम क्षेत्र में करमीसर से आगे बच्छासर रोड़ पर रीको द्वारा योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)

191. भरतपुर के निजी क्षेत्र में नया औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

192. बृज एवं रीको औद्योगिक क्षेत्र, भरतपुर में नालियों के निर्माण, सड़कों का नवीनीकरण तथा चौड़ाई बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

193. भरतपुर में इलेक्ट्रोनिक एवं आई.टी. हब की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती गीता बरवड़ (वि.सं.41)

194. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के रीको एरिया में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

195. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम हरिसिंह बासनी, घोडावट एवं खाटिया खंगार में रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)

196. विधान सभा क्षेत्र शिव में सीएसआर फण्ड के तहत राशि के व्यय की समीक्षा एवं जिला बाड़मेर की सीएसआर कमेटी में विधान सभा क्षेत्र शिव हेतु स्थानीय विधायक को मनोनीत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

197. विधान सभा क्षेत्र शिव में निजी उद्योग एवं कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

198. बाडमेर जिले के बाखासर में सूखा बंदरगाह स्थापित किये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

199. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाएं विकसित करने एवं विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

200. विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय शिव पर स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाएं विकसित करने एवं विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री पितराम सिंह काला (वि.सं.88)</u>

201. नये औद्योगिक क्षेत्रों में एससी व एसटी के लिए रियायती दरों पर भूखण्ड उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)</u>

202. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में रीको क्षेत्र के लिए कापरड़ा एवं झाक गांव में निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

203. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के कापरड़ा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (S.E.Z.) को विकसित करने के लिए किये जा रहे प्रयासों में त्वरित कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

204. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में चूना एवं पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बोरूंदा, हरियाढाणा, रणसीगांव, झाक, मुरकासनी सम्बडिया, कालाऊना को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)</u>

205. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के बिलाड़ा में सरसों, कपास, जीरा, सौंफ, मैथी इसबगोल, अरण्डी, अलसी की बहुतायत होने से बिलाड़ा को मसाला औद्योगिक केन्द्र घोषित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

206. विधान सभा क्षेत्र बिलाडा के पीपाड़ शहर को रीको औद्योगिक क्षेत्र घोषित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री संजीव कुमार (वि.सं.171)</u>

207. हनुमानगढ़ जिले में कृषि उत्पादों से संबंधित औद्योगिक इकाइयां स्थापित करवाने की दिशा में प्रेरित एवं प्रोत्साहित किए जाने हेतु किसानों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

208. हनुमानगढ़ जिले में किन्नू उत्पादन को देखते हुए ज्यूस निर्माण संबंधी औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करवाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

209. जिला हनुमानगढ़ में सरसों एवं कपास (कॉटन) के उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए कॉटन एवं ऑयल उद्योग को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

210. जिला हनुमानगढ़ में अवैध रूप से चल रही औद्योगिक इकाइयों को बंद करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

211. विधान सभा क्षेत्र भादरा में अवैध रूप से चल रही पुराने टायर जलाकर अवशेष पदार्थ बनाने की फैक्ट्रियों को बंद करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (वि.सं.37)

212. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी (बांसवाड़ा) में छोटे-छोटे उद्योग लगाकर जनजाति परिवारों को 100 प्रतिशत अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

213. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी (बासंवाड़ा) के पालादो, तलवाड़ा, भीम कुण्ड एवं रामकुण्ड में मार्बल पर्याप्त मात्रा में होने से उद्योग इकाई लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)

214. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र समेलिया में शीघ्र औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए योजना बनाने व मूलभूत सुविधाओं के विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

215. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के फुलियां कला उपखण्ड मुख्यालय पर औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि आवंटन मार्केशन कर इसको शीघ्र विकसित कराने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री विनोद कुमार (वि.सं.153)

216. हनुमानगढ़ में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

217. हनुमानगढ़ जिले में कृषि प्रसंस्करण आधारित इकाइयों की स्थापना की प्रबल संभावना को देखते हुए हनुमानगढ़ में एग्रो फूड पार्क की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री विनोद कुमार (वि.सं.153)

218. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में औद्योगिक मेले एवं प्रदर्शनी के आयोजन हेतु ग्रामीण हाट की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

219. प्रदेश में उद्यमियों की भांति व्यापारी वर्ग को संबंल प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा अनुदानित ऋण की योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अनिल कुमार शर्मा (वि.सं.5)

220. चूरू जिले में ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) के तहत सोलर प्लांट लगवाने हेतु सब्सिडी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

221. चूरू जिले में ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) सोलर प्लांट लगाने के लिए कांट्रेक्ट डिमांड से दुगुनी किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री युनूस खान (वि.सं.121)

222. जिला मुख्यालय डीडवाना में महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

223. जिला मुख्यालय डीडवाना में संचालित रीको को आवश्यक बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

224. जिला मुख्यालय डीडवाना में संचालित लवण इकाइयों को राजकीय उपक्रम में सम्मिलित कर विकसित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

225. जिला मुख्यालय डीडवाना में औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

226. जिला मुख्यालय डीडवाना में जिला उद्योग अधिकारी का पद सृजित कर भूमि व भवन की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री भागचन्द टांकड़ा (वि.सं.106)</u>

227. बांदीकुई-दौसा के पास इण्डस्ट्रीयल एवं लॉजिस्टिकल हब निर्माण हेतु जमीन आवंटित कर शिलान्यास करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

228. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कोलाना रीको एरिया का विस्तार के संबंध में चर्चा के लिए।

229. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के कोलाना रीको एरिया में आरएफसी द्वारा तेल मिल संचालकों को रीको प्रोपर्टी के साथ अन्य प्रोपर्टी के दस्तावेज के अभाव में ऋण नहीं देने के संबंध में चर्चा के लिए।

230. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के कोलाना रीको एरिया में रीको द्वारा प्लॉट के डिविजन नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री ललित यादव (वि.सं.143)</u>

231. प्रदेश में सीएसआर फण्ड स्थानीय विधायक की अनुशंषा पर विकास कार्यों हेतु खर्च करने के संबंध में चर्चा के लिए।

232. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नीमराना, घिलोठ एवं कोलिला में स्थापित उद्योगों में स्थानीय निवासियों को रोजगार देने के संबंध में कानून बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं.113)</u>

233. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में रीको का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

234. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के रीको क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं सुचारू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

235. रीको, सादुलपुर में आवंटित भूखण्डों पर उद्योग नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

236. रीको क्षेत्र, सादुलपुर में मण्डी टैक्स नहीं लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

237. प्रदेश के रीको में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं सब्सिडी तथा ऋण दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जयकृष्ण पटेल (वि.सं.116)

238. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में बैंकों द्वारा उद्योगों को विगत पाँच वर्षों में स्वीकृत किए गए ऋण के संबंध में चर्चा के लिए।

239. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में उद्योगों में एससी-एसटी के व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

240. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में एक नवीन रीको की स्थापना तथा इसमें एससी-एसटी व ओबीसी की हिस्सेदारी के संबंध में चर्चा के लिए।

241. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में उद्योगों के लिए रीको स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

242. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा विगत पाँच वर्षों में उद्योग हेतु प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के संबंध में चर्चा के लिए।